इकाई - 1

समाजकार्य में क्षेत्रीय कार्य की संस्थाएँ: सामुदायिक (खुली) तथा संस्थागत व्यवस्था

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 समाजकार्य में क्षेत्रीय कार्य व्यवस्था: एक परिचय

1.3 समाज कार्य शिक्षण में क्षेत्रीय अभ्यास के घटक

1.4 समाजकार्य में क्षेत्रीय कार्य की संस्थाएँ: सामुदायिकव (खुली) तथा संस्थागत व्यवस्था

1.5 समाज कार्य में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास हेतु संस्थागत व्यवस्था

1.6 सारांश

1.7 शब्दावली

1.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

1.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

1.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- समाज कार्य में क्षेत्रीय कार्य व्यवस्था को जान पाएँगे।
- समाज कार्य में क्षेत्रीय कार्य की संस्थाओं के बारे में जान पाएँगे

1.1 प्रस्तावना

समाज कार्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग क्षेत्रीय कार्य है। यह भी कहा जा सकता है कि "समाज कार्य शिक्षा की आत्मा क्षेत्रीय कार्य है। समाज कार्य शिक्षा के द्वारा ऐसे कार्य करने को तैयार किया जाता है जो वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपूणताओं एवं आत्मवादी दर्शन का प्रयोग करते हुए विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त लोगों को वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करने की एक प्रक्रिया है जो उनकी समस्याओं को पहचानने, उन पर ध्यान को केन्द्रित करने, उनके कारणों को

जानने तथा इनका स्वतः समाधान करने की क्षमता को विकसित करती है तथा सामाजिक व्यवस्था की गड़बडियों को दूर करती हुई इसमें वांछित परिवर्तन लाती है ताकि व्यक्ति की सामाजिक क्रिया प्रभावपूर्ण हो सके। समाज ने व्याप्त कुरीतियों एवं प्रगति को अवरूद्ध करने वाली संस्थागत संरचनाओं को उखाड़ फेंकते हुए सभी को सामाजिक आर्थिक विकास के समान अवसर प्रदान किये जा सके।

एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य शिक्षा के द्वारा छात्रों की इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है कि वे व्यक्ति, समूह, समाज, देश के विकास में प्रगति में आने वाली रूकावटों को नष्ट करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बना पाए। अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तरह समाजकार्य भी एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें छात्रों को कक्षा-कक्ष में सैद्धान्तिक पठन-पाठन के साथ-साथ व्यवहारिक-वास्तविक परिस्थितियों में रखकर तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि समाज कार्य शिक्षा में कक्षा-कक्ष के साथ-साथ समाजकार्य की विभिन्न प्रविधियों तथा तकनीकों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में रखकर उनका प्रयोग करना सिखाया जाता है। यह वास्तविक परिस्थितियाँ समाज कल्याण समाज कार्य क्षेत्र में कार्यरत सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। जहाँ पर समाज कार्य के छात्र व्यवहारिक ज्ञान के साथ-साथ समाजकार्य की विभिन्न प्रविधियों जैसे वैयक्तिक सेवा कार्य, सामाजिक सामूहिक कार्य, सामुदायिक संगठन, सामाजिक क्रिया, समाज कल्याण प्रशासन तथा समाज कार्य अनुसंधान को भी खुद अभ्यास करते हैं। समाज कार्य का एक अभिन्न अंग क्षेत्रीय कार्य अभ्यास है। यह भी कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय कार्य अभ्यास समाज कार्य शिक्षा की आत्मा है।

1.2 समाज कार्य शिक्षा में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास: एक परिचय

समाज कार्य शिक्षण तथा प्रशिक्षण में क्षेत्रीय कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटक है। लोगों के साथ काम करने के लिए आवश्यक व्यवसायिक दक्षता के प्रशिक्षण हेतु समाज कार्य शिक्षा में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास महत्ती भूमिका निभाता है।

क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के द्वारा समाज कार्य के विविध प्रविधियों, तकनीकों को वास्तविकता में, व्यवहारिकता में अभ्यास करने का मौका मिलता है जिससे छात्रों में व्यवसायिक दक्षता तथा दृष्टिकोण का विकास होता है। क्षेत्रीय कार्य अभ्यास में छात्र सिद्धांतों को खुद अभ्यास करना तो सीखता ही है साथ ही उसे समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण करने तथा उनमें हस्तक्षेप का मौका मिलता है।

क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के उद्देश्य

1. छात्रों को समसामयिक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों एवं समस्याओं को समझाना।

2. छात्रों को मानवीय व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान कराना तथा संवेदनशीलता जगाना।

3. छात्रों को व्यक्ति, समूह तथा समुदाय के साथ काम करने के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिकता में, वास्तविकता में अभ्यास करना सीखाना।

4. छात्रों को समाज कार्य की विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भूमिका को समझाना।

5. छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को पहचानने कार्यक्रम नियोजन करने, क्रियान्वित करने तथा मूल्यांकन में सीखने के अवसर प्रदान करना।

6. समाज कार्य क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं (सरकारी तथा गैर सरकारी) की स्थापना, संगठन, कार्य प्रणाली तथा संचालन संबंधी प्रक्रिया से करना।

7. छात्रों में सामाजिक समस्याओं से निपटने हेतु विभिन्न प्रविधियों, तकनीकों का प्रयोग करने हेतु क्षमता, दक्षता एवं ज्ञान में अभिवर्द्धन करना।

8. छात्रों में सैद्धान्तिक ज्ञान व्यवहार में प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना।

9. छात्रों में प्रतिवेदन तथा पुस्तपालन की क्षमता में अभिवृद्धि करना।

10. सामाजिक समस्याओं से निपटने हेतु उपलब्ध संसाधनों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं, रणनीतियों से जानकारी कराना।

1.3 समाज कार्य शिक्षण में क्षेत्रीय अभ्यास के घटक

समाज कार्य शिक्षण प्रक्रिया में सिद्धांतों को वास्तविकता में अभ्यास करने हेतु निम्न घटक उपलबध होते हैं।

1. **क्षेत्रीय कार्य आमुखीकरण**:- समाजकार्य शिक्षण में छात्रों को क्षेत्रीय कार्य अभ्याय की अवधारणा, उद्देश्यों, अभ्यास के तरिके, रिपोर्टिंग आदि के बारे में जाकनारी देने हेतु नवआगन्तुक छात्रों को आमुखीकृत किया जाता है। यह आमुखीकरण दो दिन से लेकर पाँच दिन तक हो सकता है। इस आमुखीकरण कार्यशाला या कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं:-

   - समाज कार्य शिक्षण में क्षेत्रीय कार्य की अवधारणा, आवश्यकता तथा महत्त्व की जानकारी देना।
   - क्षेत्रीय कार्य अभ्यास की संस्थाओं के तथा उनकी कार्य प्रवृत्ति के बारे में जानकारी देना।
   - क्षेत्रीय कार्य में क्या करना है? कैसे करना है, के बारे में जानकारी प्रदान करना।
   - सम्प्रेषण, रिकार्डिंग तथा व्यक्तित्व विकास के बारे में जानकारी देना आदि।

2. **क्षेत्रीय कार्य संस्था भ्रमण**:- छात्रों को समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं का भ्रमण कराना भी समाज कार्य शिक्षण में क्षेत्रीय कार्य का महत्त्वपूर्ण घटक है। क्षेत्रीय कार्य संस्था का भ्रमण निम्न उद्देश्यों से कराया जाता है-

- छात्रों को समाज कल्याण क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं से रूबरू कराना।
- उन संस्थाओं के उद्देश्यों, कार्यविधियों से परिचित कराना।
- छात्रों में मनोवृत्ति का क विकास करना।
- संवेदनशीलता जागृत करना आदि।
- इस प्रकार के भ्रमण वर्ष में दो या तीन किये जा सकते हैं।

3. **समवर्ती/समरूपी क्षेत्रीय कार्य अभ्यास (concurrent field work)** समवर्ती या समरूपी क्षेत्रीय कार्य समाज कार्य शिक्षण का एक अभिन्न अंग है जो कि समाज कार्य प्रशिक्षण में कक्षा कक्ष अध्ययन के समानान्तर चलता है। इसके अन्तर्गत छात्रों को क्षेत्रीय कार्य अभ्यास हेतु किसी कल्याणकारी संस्था में अथवा समुदायिक व्यवस्था में भेजा जाता है तथा विद्यार्थी वहाँ पर पुरे प्रशिक्षण काल के दौरान नियमित रूप से जाते हैं। इसकी अवधि दो दिन प्रति सप्ताह या तीन दिन प्रति सप्ताह हो सकती है। समवर्ती अभ्यास कार्य के दौरान छात्र जो भी कक्षा-कक्ष में पठन-पाठन करता है उसको वास्तविकता में प्रयोग करना निर्देशित वातावरण में सीखता है।

4. **ग्रामीण शिविर:-** समाज कार्य क्षेत्रीय अभ्यास कार्य में एक घटक ग्रामीण शिविर भी है जिसमें छात्रों को 7 दिवस, 10 दिवस या 15 दिवस हेतु किसी ग्रामीण व्यवस्था में ले जाया जाता है तथा वहाँ उन्हें वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराया जाता है।

5. **ब्लाक प्लेसमेंट:-** समाजकार्य शिक्षा में क्षेत्रीय अभ्यास कार्य हेतु विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद एक या दो माह हेतु किसी कल्याणकारी संस्था में भेजा जाता है। विद्यार्थी वहाँ नियमित एक माह-दो माह तक जाता है तथा उस संगठन की कार्यविधि, परियोजनाओं, कार्य क्षेत्र, कार्य के मुद्दे आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है।

6. **क्षेत्रीय कार्य-समय (Field Work Hours).** प्रत्येक समाज कार्य के छात्र को वार्षिक या छः मासिक पाठय्क्रम के दौरान निश्चित घंटे अपने क्षेत्रीय कार्य अभ्याय में पूरे करने होते हैं। यह समय 200 से 300 घंटे प्रतिवर्ष या 100 से 150 घंटे अर्द्धवार्षिक पाठ्यक्रम (सेमेस्टर) प्रक्रिया में हो सकते हैं। इ समय का अभिलेखन क्षेत्रीय कार्य समय प्रपत्र में रखा जाता है।

7. **क्षेत्रीय कार्य संकाय पर्यावेक्षक:-** प्रत्येक प्रशिक्षु छात्र को समाज कार्य शिक्षण संमस्था द्वारा क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के लिण् एक संकाय सदस्य को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है। एक संकाय सदस्य के पास क्षेत्रीय कार्य पर्यवेक्षण हेतु 8-14 छात्र तक अमूमन आवंटित किये जाते हैं।

8. **क्षेत्रीय कार्य अभिकरण (एजेंसी) पर्यवेक्षक-** क्षेत्रीय कार्य अभ्यास की एजेंसी/ अभिकरण/ संस्था द्वारा समाजकार्य के प्रशिक्षु छात्रों को क्षेत्रीय कार्य अभ्याय में निर्देशन हेतु एक पर्यवेक्षक

की नियुक्ति की जाती है। यह क्षेत्रीय कार्य अभिकरण (एजेंसी) पर्यवेक्षक छात्रों को क्षेत्रीय कार्य अभ्यास में फिल्ड में सहायता करते हैं।

9. **संकाय सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय कार्य संस्थाओं का भ्रमणः-** समाज कार्य संकालय पर्यवेक्षकों/ अध्यापकों द्वारा क्षेत्रीय कार्य अभ्याय के दौरान नियमित रूप से प्रशिक्षु छात्रों को दिशा-निर्देश देने, वास्तविक कार्यों को देखने, निगरानी तथा पर्यवेक्षण के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्य अभ्यास संस्था का भ्रमण किया जाता है। इससे समाजकार्य संकाय पर्यवेक्षक तथा एजेंसी/ संस्था/ अभिकरण पर्यवेक्षक नियमित रूप से सम्पर्क में आते हैं तथा प्रशिक्षु छात्रों को क्षेत्रीय कार्य अभ्यास में मदद करते हैं।

10. **क्षेत्रीय कार्य अभ्यास प्रतिवेदन लेखनः-** क्षेत्रीय कार्य अभ्यास का एक अहम घटक क्षेत्रीय कार्य अभ्यास प्रतिवेदन लेखन है। क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दिवस में जो भी कार्य प्रशिक्षु/विद्यार्थी द्वारा किया जाता है उसका वृतान्त प्रशिक्षु द्वारा उसकी डायरी में कच्ची सामग्री के रूप में लिखा जाता है। तत्पश्चात् विद्यार्थी द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन एक निर्धारित प्रारूप में क्षेत्रीय कार्य संकाय पर्यवेक्षक को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रतिवेदन के आधार पर पर्यवेक्षक तथा प्रशिक्षु छात्र आगू की कार्ययोजना का निर्माण करते हैं।

11. **क्षेत्रीय कार्य कान्फ्रेंस/गोष्ठीः-** सप्ताह में एक निर्धारित दिवस पर क्षेत्रीय कार्य संकाय पर्यवेक्षक/ अध्यापक द्वारा क्षेत्रीय कार्य अभ्यास पर सामूहिक या व्यक्तिगत गोष्ठी/ कान्फ्रेन्स का आयोजन किया जाता है। जिसमें मुख्यतः क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान प्रशिक्षु छात्रों द्वारा किये गये कार्यों पर विवेचना की जाती है। क्या-क्या काम किये गये? किस तरह से किये गये? क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान कौन-कौनसी कठिनाइयाँ आई? उस दिन के क्षेत्रीय कार्य के उद्देश्य पूर्ण हुए या नहीं एवं आगे की क्या कार्ययोजना है? समाजकार्य की किन-किन प्रणालियों का अभ्यास किया गया, आत्ममूल्यांकन आदि पर चर्चा की जाती है।

इस प्रकार समाज कार्य शिक्षण पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के विभिन्न घटकों के द्वारा प्रशिक्षु छात्रों को नियमित रूप से सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान एवं व्यवहारिक कौशल एवं दक्षताओं के निर्माण की व्यवस्था की जाती है।

1.4 समाजकार्य में क्षेत्रीय कार्य की संस्थाएँ: सामुदायिकव (खुली) तथा संस्थागत व्यवस्था

समाजकार्य में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास हेतु दो प्रकार की व्यवस्थाएँ उपलब्ध होती है। पहली सामुदायिक (खुली) व्यवस्था जिसमें ग्राम, शहर, कच्ची बस्ती, जनजाति गाँव इत्यादि हो सकते हैं। दुसरी प्रकार की व्यवस्था - संस्थागत या बंद व्यवस्था हो सकती है जिसमें कोई भी औपचारिक संगठन, गैर सरकारी संस्था, उपक्रम जो कि कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएँ उदाहरणार्थ नशा निवारण केन्द्र, वृद्धाश्रम, विद्यालय, चिकित्सालय इत्यादि हो सकते हैं।

क्षेत्रीय कार्य अभ्यास में ग्रामीण, कच्ची बस्ती, शहर या जनजातीय गाँव आदि आते हैं जहाँ पर कोई औपचारिक संगठन नहीं होता है। इसे क्षेत्रीय कार्य की खुली व्यवस्था कहते हैं।

खुली व्यवस्था या समुदाय के साथ क्षेत्रीय कार्य के उद्देश्य-

1. विद्यार्थियों को जनजाति/ग्रामीण/शहरी पृष्ठभूमि से परिचित कराना।
2. वहाँ के निवासियों को जानना-समझना।
3. सम्बन्धों को स्थापन करना सीखाना।
4. उस क्षेत्र का आधारभूत सर्वेक्षण करना सीखाना।
5. उस क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाएँ तथा आँकड़े एकत्रित करना जिसमें ग्राम की स्थापना, इतिहास, जनसंख्या, वर्ग, समूदाय, सामाजिक आर्थिक सूचकांक, मकान, सड़क, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य आदि।
6. उस क्षेत्र में उपस्थित समस्याओं तथा आवश्यकताओं को जानना।
7. समस्याओं का प्राथमिकरण करना सीखना।
8. समूदाय के प्राथमिकीकरण लोगों के साथ मिलकर समस्याओं को जानना, विश्लेषण करना तथा समाधान करना।
9. समुदाय की सहभागिता लेना सीखना।
10. समस्या समाधान हेतु उपलब्ध सूविधाओं के साथ समन्वय बिठाना एक कड़ी के रूप में कार्य करना।
11. समूदाय को सशक्त करना।
12. सामुदायिक संगठन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, तकनीकों का प्रयोग करना सीखा कर विद्यार्थी में समुदाय के साथ कार्य करने की दक्षता तथा क्षमता का अभिवर्द्धन करना।

1.5 समाज कार्य में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास हेतु संस्थागत व्यवस्था

समाज कार्य शिक्षण-प्रशिक्षण प्रक्रिया में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास हेतु विभिन्न प्रकार की संस्थाएँ होती है जिसमें सरकार द्वारा स्थापित कल्याणकारी संस्थाएँ या विभाग, गैर सरकारी संस्थान, फैक्ट्री या औद्योगिक संगठन आदि हो सकते हैं। इन संगठनों को या संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रानुसार निम्न प्रकार समझा जा सकता है-

स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्लीनिक, उप स्वास्थ्य केन्द्र, परामर्श केन्द्र, ट्रोमा केन्द्र आदि ऐसी संस्थाएँ है जो सरकार या गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्ध मुद्दों पर कार्यरत है।

उपरोक्त संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थी अपने क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान निम्न बातों को सीखता तथा अभ्यास करता है-

1. सामुदायिक स्वास्थ्य के मुद्दे परिस्थिति एवं समस्याएँ जानना।
2. रोगी परामर्श
3. विभिन्न रोगों के कारण तथा उपचार
4. स्वास्थ्य प्रदाता केन्द्रों के संचालन, संगठन, परियोजनाओं, कार्यविधियों, वित्तीय प्रबन्धन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
5. समुदाय में विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों पर जागरूकता लाना तथा कार्य योजना बनाना।
6. स्वास्थ्य परियोजना के क्रियान्वयन में सहायता करना।
7. निगरानी तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को जानना।
8. रिकार्डिंग, रिपोर्टिंग सीखना।
9. वित्त प्रबन्धन तथा संगठनात्मक प्रबन्धन को जानना।

नशा निवारण केन्द्रः-

क्षेत्रीय कार्य अभ्यास की एक प्रमुख संस्था नशा निवारण केन्द्र या नशा मुक्ति केन्द्र भी है। यह केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा या गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाये जा सकते हैं। इन केन्द्रों पर विभिन्न आयु वर्ग के लोग जो कि विभिन्न प्रकार का नशा करते हैं को सेवाएँ प्रदान की जाती है। समाज कार्य का विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान निम्न बातों को सीखता व अभ्यास करता है।

- ☐ सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य की प्रक्रिया, तकनीक व विधियों का प्रयोग करना।
- ☐ परामर्श की विधियाँ व तकनीक का प्रयोग करना।
- ☐ रिकार्डिंग व रिपोर्टिंग करना।
- ☐ सेवार्थी/रोगी के आन्तरिक तथा बाह्य वातावरण को समझना।
- ☐ व्यवसायिक संबंधों का निर्माण करना व संबंधों का प्रयोग करना।
- ☐ रोगी को डिटाक्सीफिकेशन करना।
- ☐ पूर्नवास की व्यवस्था करना।
- ☐ सेवार्थी को परिवार, पड़ौस, कार्य के स्थल, साथी आदि की सहभागिता लेना।
- ☐ निगरानी एवं अनुश्रवण करना।

- मनोविश्लेषण चिकित्सकीय निदान के बारे में जानना।

मूक-बधिर विद्यालय, अन्ध विद्यालयः-

ऐसे विद्यालय जहाँ मूक-बधिर, अन्ध बच्चों को रखा जाता है तथा उन्हें विशेष प्रकार की विधियों से सीखाया/पढ़ाया जाता है जिससे कि वह अपना जीवन सही तरह से निर्वाह कर सामान्य छात्रों के साथ अपने आपको समायोजित कर पाए। इस प्रकार के विद्यालय सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा चलाये जाते हैं। मूक/बधिर/अन्ध विद्यालय में समाज कार्य के छात्र निम्न बातों को सीखते व अभ्यास करते हैं।

- मूक-बधिर, अन्ध छात्रों के साथ सम्बन्ध निर्माण करना।
- उनके दैनिक नित्य कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- उनके साथ खेलना-घुलना मिलना।
- उनके लिए उपलब्ध विशिष्ट शिक्षा-यन्त्रों, तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- उनके बाह्य वातावरण- परिवार, पड़ौस, रिश्तेदार, मित्र आदि से सम्पर्क करना।
- मूक-बधिर अन्ध विद्यालय पर उपलब्ध संसाधनों, सुविधाओं को जानना।
- सरकार के कार्यक्रम, नीतियों एवं परियोजनाओं को जानना।
- मूक बधिर अन्ध छात्रों के लिए योजना निर्माण करना व क्रियान्वयन करना।
- केन्द्र/विद्यालय की संरचना, संगठन, प्रबन्धन, समस्याओं को जानना आदि।
- समूह कार्य तथा वैयक्तिक कार्य की तकनीकों, निधियों का प्रयोग कर ऐसे छात्रों का विश्वास जमा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।

मानसिक विमंदित गृह/केन्द्रः-

इस प्रकार के केन्द्र या संगठन सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा चलाये जाते हैं। इन केन्द्रों में मानसिक रूप से कमजोर, मंद बुद्धि पागल व्यक्तियों को रखा जाकर उन्हें चिकित्सकीय तथा मनोवैज्ञानिक उपचार दोनों सुविधाएँ दी जाती है। प्रायः इस तरह के गृह/केन्द्र आवासीय होते हैं।

मानसिक विमंदित गृह में समाजकार्य विद्यार्थियों का क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के द्वारा निम्न बातों को सीखना-अभ्यास करना होता है।

1. सेवार्थी या विमंदित व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन।
2. पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा माता-पिता का दृष्टिकोण एवं मनोवृत्ति।
3. मानसिक विमंदित गृह/केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं संसाधनों का अध्ययन।

4. चिकित्सकीय तथा मनोविश्लेषण निदान तथा उपचार में सक्रीय भागीदारी निभाना सीखना।

5. नीति निर्धारण एवं कार्यक्रम नियोजन को सीखना।

6. विमंदित व्यक्तियों को वैयक्तिक सेवाकार्य तथा समूह कार्य की तकनीकों का प्रयोग करना।

7. उनके प्रशिक्षण तथा पुर्नस्थापन के स्त्रोत व तरीकों को जानना।

8. सामुदायिक मनोवृत्ति को जानना।

9. नियमित परामर्श एवं मन्त्रणा।

10. रिकार्डिंग एवं रिपोर्टिंग को सीखना।

11. केन्द्र के प्रशासनिक व प्रबंधकीय व्यवस्था को जानना।

विकलांग कल्याण गृहः-

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु संचालित केन्द्र या संस्थाओं में समाज कार्य के विद्यार्थियों को निम्न बातों को सीखाने का अभ्यास कराया जाता है-

- ☐ विकलांगता के विभिन्न प्रकारों तथा कारणों का अध्ययन करना।
- ☐ विकलांगता के कारण उत्पन्न होने वाली अक्षमताओं का अध्ययन करना।
- ☐ विकलांग व्यक्तियें की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- ☐ विकलांग व्यक्तियों के आचरण-व्यवहार, मनोवृत्तियों, संवेदनाओं को समझना।
- ☐ विकलांग व्यक्तियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानना।
- ☐ विकलांग व्यक्तियों हेतु उपलब्ध योजनाओं, कार्यक्रमों, संसाधनों के बारे में जानकारी जुटाना।
- ☐ परामर्श एवं मन्त्रणा करना।
- ☐ रिपोर्टिंग एवं रिकार्डिंग करना।
- ☐ उनके पूनर्वास तथा आजीविका के साधनों के बारे में जानकारी उपलब्ध करना व उन्हें जोड़ना।
- ☐ आत्मविश्वास जागृत करना।
- ☐ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
- ☐ केन्द्र या गृह के प्रबन्धन, संगइन, संरचना कोषों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

उपक्रम/फैक्ट्री व्यवस्था में-

समाजकार्य शिक्षण में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास हेतु फैक्ट्री व्यवस्था में विद्यार्थियों को निम्न बातों का अभ्यास सिखाया जाता है-

- फेक्ट्री की सम्पूर्ण जानकारी।
- श्रमिकों की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी।
- कार्य दशाओं, वेतन सुविधाओं व भत्तों की जानकारी।
- कार्यरत श्रमिकों हेतु विभिन्न सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों की जानकारी।
- श्रमिक कल्याण हेतु उपलब्ध विधानों की जानकारी।
- सन्नियमों श्रमिकों की समस्याओं की जानकारी।
- श्रम संघों की कार्य विधि की जानकारी।
- संघर्ष के मुद्दों व खत्म करने के तरीकों की जानकारी।
- विभिन्न श्रमिक कानूनों की जानकारी प्राप्त करना आदि।

बंदीगृह/कारागार/बाल अपचारी सुधार गृह

सुधारात्मक समाज कार्य में क्षेत्रीय कार्य, अभ्यास की एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था बन्दीगृह या कारागृह है। कारागृह में प्रायः ऐसे व्यक्ति जो सजा प्राप्त कर चूके हैं व ऐसे व्यक्ति जो परीविक्षा में चल रहे हैं पाये जाते हैं। अपराध का सीधा-सीधा सम्बन्ध कहीं न कहीं उसकी सामाजिक, पारिवारिक या आर्थिक स्थिति रहती है। कारागृह व्यवस्था में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान छात्रों से निम्न बातों को सीखने अभ्यास करने की अपेक्षा की जाती है-

- अपराधियों/अपचारियों का साक्षात्कार करना, उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना।
- उनके परिवार एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करना।
- अपराधियों की पृष्ठभूमि, चरित्र, व्यवहार, अपराध की दशाओं तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- अपराधियों को परामर्श देना।
- पहली बार सुधार गृह/कारागृह में आये अपराधियों/अपचारियों को मार्ग निर्देशन करना।
- अपराधियों/अपचारियों की मानसिक कुंठाओं, आहत भावनाओं तथा विक्षिप्त मनोदशाओं को दूर करने का प्रयास करना।

- कारागृह/बन्दीगृह में चलाये जा रहे सुधारात्मक कार्यक्रमों को समझना व अपराधियों को इससे जोड़ना।
- समाज में पुर्नस्थापन को सीखना आदि।
- परिवार, रिश्तेदार, समाज बन्धु, मित्रगण को परामर्श तथा उनकी सहायता लेना।

विद्यालय समाज कार्यः-

समाज कार्य में अभ्यास की एक प्रमुख व्यवस्था विद्यालय भी है। विद्यालय एसी जगह है जहाँ बालक परिवार के बाद सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है। सीखता है, अतः विद्यालय के साथ बालक का समायोजन आवश्यक है। यदि किसी कारण से वह पढ़ाई में पीछे रह जाता है, तो वह नैराश्य का अनुभव करता है, अपने आपको पिछड़ा व कमजोर महसुस करता है। दुसरों से तुलना करने लगता है जिससे उसका आत्मविश्वास कमजोर होता है और वह विद्यालय से तथा पढ़ाई से दूर भागने लगता है। ऐसे बालकों में संवेगात्मक समस्याएँ जल्दी उत्पन्न हो जाती हैं विद्यालय समाज कार्य में बालक निम्न बातों को सीखता व प्रयास करता है-

- समस्याग्रस्त बालकों की पहचान करना।
- उसके असमायोजन के कारणों को जानना।
- व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं, मनोवृत्तियों को जानना।
- उनमें उत्पन्न हुई संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझना तथा निरकरण करना।
- समस्याग्रस्त बालक/बालकों के साथ वैयक्तिक कार्य अथवा समूह कार्य करने का अभ्यास करना।
- अध्यापकों, परिवार-पड़ौस सम्पर्क करना व उनको सहभागी बनाना।
- स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- परामर्श देना।
- मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेलकुद का आयोजन करना।
- अभिभावक-अध्यापक परिषद का निर्माण आदि।

पैरवी व्यवस्था/सामाजिक क्रिया में संलग्न संस्थाएँ

वर्तमान समय में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार का नीति निर्धारकों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए संस्थाएँ कार्य करती है। उनका तरीका मानवाधिकार दृष्टिकोण से प्रेरित होता है। प्रायः ऐसे संगठन पिछड़े वर्गों, कमजोर तबके, ऐसे व्यक्तिय या समूह जो अपने अधिकार की बात नहीं कर पाने के कारण शोषित हो रहे हैं तथा विकास की मुख्य धारा से पिछड़ चुके हैं ऐसे व्यक्तियों, समूहों,

समुदायों के अधिकारों के लिए ये संस्थाएँ आगे आती है। सरकार एवं नीति निर्धारकों पर एक दबाव समूह के रूप में कार्य करती है। यह मुद्दे पर्यावरण सरक्षा, बाल प्रतिरक्षा एवं अधिकार, महिला सशक्तीकरण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, दलित तथा जनजातीय विकास, विशक्तजन कल्याण, निराश्रित तथा वृद्धावस्था कल्याण आदि हो सकते हैं।

पैरवी व्यवस्था में समजा कार्य विद्यार्थियों को क्षेत्रीय कार्य अभ्यास में निम्न बातों को सिखाया अभ्यास कराया जाता है-

- ☐ पैरवी के मुद्दों (समस्याओं) की पहचान करना।
- ☐ समस्याओं का अध्ययन करना।
- ☐ पैरवी करने वाली संस्था का गहन अध्ययन, पूर्व में किये गये कार्य, उनका दृष्टिकोण आदि।
- ☐ समस्या ग्रस्त लोगों का अध्ययन।
- ☐ मुद्दों को लेकर (समस्या को लेकर) जनजागृति करते हुए जन सहभागिता लेना।
- ☐ जनसम्पर्क के साधनों- टीवी, रेडियो, न्यूज पेपर, दीवार लेखन, पोस्टर, आदि का प्रयोग करना।
- ☐ लाबिंग, नेटवर्किंग करना।
- ☐ धरना, प्रदर्शन, माँग पत्र, रैली निकालना आदि कार्यों का नियोजन एवं क्रियान्वयन।
- ☐ संसाधनों की व्यवस्था करना।
- ☐ रणनीति में परिवर्तन करना।
- ☐ सत्ता पक्ष, नीति निर्धारकों से वार्तालाप एवं मांग रखना।
- ☐ सौदेबाजी करना।
- ☐ दबाव समूह का निर्माण करना।
- ☐ समूह कार्य तथा सामुदायिक संगठन की तकनीकों का प्रयोग करना।

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में क्षेत्रीय कार्य अभ्यासः-

बच्चों की सुरक्षा हेतु कार्यरत संस्थाएँ बाल सम्प्रेषण गृह, शिशु गृह, पालना गृह, विशिष्अ गृह इत्यादि। भिक्षुओं के कल्याण के गृह, महिला आवास गृह, महिला अपराधी गृह, स्ट्रीट चिल्ड्रन, बाल श्रमिक विद्यालय व वृद्धाश्रम आदि संस्थाएँ सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में आती है। इस तरह की व्यवस्था में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास में विद्यार्थियों को निम्न बातों को सिखाया व अभ्यास कराया जाता है-

- संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी जिसमें संस्था का निर्माण, अनुभव, हस्तक्षेप के क्षेत्र, सफलताएँ, कार्य की प्रवृत्ति एवं दृष्टिकोण, विजन, मिशन आदि।
- सेवार्थियों के साथ सम्बन्ध निर्माण करना।
- सामाजिक सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना।
- सरकारी व गैर सरकारी सुविधाओं को जानना।
- अधिकारों के लिए पैरवी करना सीखनां
- वैयक्तिक सेवाकार्य का अभ्यास करना।
- समूह कार्य का अध्ययन करना।
- ऐसे संगठनों के नित्य कार्यों को समझना।
- सेवार्थियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना।
- मनोरंजन के उपायों, कानुनी सहायता, ज्ञानवर्धन आदि की जानकारी प्राप्त करना व स्वयं भी सहभागिता निभाना।
- वित्तीय, प्रशासनिक, संगठनात्मक व्यवस्था को जानना।

आजीविका-कौशल अभिवर्द्धन संस्थाएँ-

सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएँ इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं हेतु, बेरोजगार युवाओं हेतु उनके कौशल में वृद्धि करते हुए उनके आय के स्त्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्य करती है। उक्त संस्थाओं में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान विद्यार्थी निम्न बातों को सीखता व अभ्यास करता है-

- संस्था की कार्य प्रणाली व प्रशासनिक व्यवस्था
- कौशल अभिर्द्धन के क्षेत्र व तरीके।
- सम्बन्ध निर्माण करना।
- सामाजिक समूह कार्य का अभ्यास
- समूह निर्माण करना।
- आपसी संबंध बनाना।
- उद्देश्यों को समझना।
- आजीविका कौशल अभिवृद्धि हेतु कार्यक्रम नियोजन तथा क्रियान्वयन करना।

- ☐ प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार से जोड़ना।
- ☐ रिकार्डिंग व रिपोर्टिंग करना।
- ☐ अनुश्रवण करना।
- ☐ सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध योजनाओं की जानकारी व उनसे जोड़ना आदि।

1.6 सारांश

इस तरह विभिन्न समाजकार्य प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय कार्य अभ्यास प्रक्रिया विभिन्न व्यवस्थाओं में पूर्ण की जाती है जो कि पूरी तरह से नियोजित तथा निर्देशित होती है। इस तरह के क्षेत्रीय अभ्यास कार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीधा समाजकार्य क्षेत्र में सेवा देना न होकर मात्र शैक्षिक होता है। जहाँ पर रहकर समाजकार्य विद्यार्थी समाजकार्य की विभिन्न विधियों व तरीकों का व्यवहारिक रूप से अभ्यास कर अनुभव प्राप्त करता है। उद्देश्य यह होता है कि जब छात्र अपना समाजकार्य शिक्षण पूर्ण करे तो वह विभिनन सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में न सिर्फ संवेदनशील हो बल्की उसमें एक समझ-सोच, मनोवृत्ति व कौशल का विकास हो चुका हो।

1.7 शब्दावली

- निराश्रित : बेसहारा, अनाथ
- निवारण : दूर करना
- व्यवस्था : संस्था संगठन
- बाल अपचारी : अपराध में संलग्न बालक या बच्चे

1.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. समाज कार्य में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास पर निबन्ध लिखिए।
2. मानसिक तथा शारीरिक विकलांग व्यवस्था में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के उद्देश्य लिखिए।
3. बंदी सुधार गृह/कारागृह व्यवस्था में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के उद्देश्य लिखिए।
4. विद्यालय समाज कार्य तथा नशा निवारण केन्द्र पर क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के उद्देश्य लिखिए।
5. पैरवी तथा समुदाय के साथ क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के उद्देश्यों को लिखि

1.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

- मिश्र, पी.डी., सिंह सुरेन्द्र (2004) समाज कार्य इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियाँ, न्यू रा ॅयल बुक कम्पनी, पृ.सं.215, 237, 261

- अहमद मिर्जा रफीउद्दीन, समाज कार्य-दर्शन एवं प्रणालियाँ, 2004, रैपिड बुक सर्विस, पृ.सं.120

- शास्त्री इनाम 'व्यवसायिक समाज कार्य' 1990 गुलसी सोशल पब्लिकेशन, पृ.सं.414

- पाण्डेय ओजरकर, तेजस्कर (समाजकार्य) 2001, भारत प्रकाशन, पृ.सं.93

- वर्मा, आ.बी.एस., सिंह सुरेन्द्र 'भारत में समाज कार्य का क्षेत्र' 2012, न्यू रायल बुक कम्पनी, पृ.सं.19

इकाई - 2

मानवसेवी संगठन स्थापना

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 मानव सेवी संगठन

2.3 संस्थाओं के पंजीकरण के प्रकार और विधियाँ

2.4 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम

2.5 पंजीकरण की प्रक्रिया

2.6 सारांश

2.7 शब्दावली

2.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

2.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

2.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:-

- मानव सेवी संस्थाओं की स्थापना व अवधारणा के बारे में जान सकेंगे।
- सरकार तथा गैर सरकारी दोनों संस्थाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे।
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कानून के तहत संस्था के पंजीकरण को जानेगें।
- भारतीय ट्रस्ट एक्ट के तहत ट्रस्ट के पंजीकरण का ज्ञान प्राप्त करेंगे।

2.1 प्रस्तावना

मानव सेवी संस्थाएँ एक प्रकार की सामाजिक संस्था होती है, और सामाजिक संस्था का प्रत्यक्ष संबंध समुदाय के साथ रहता है। समुदाय के लिए संस्था केप्रत्येक सदस्य के साथ अलग-अलग संपर्क और लेन-देन कठिन हो जाता है इसलिए इस कार्य को सहज बनाने हेतु आवश्यक है कि संख्या को एक इकाई माना जाए और ऐसा तभी संभव है जब संस्था को वैधानिक व्यक्तित्व प्राप्त हो। संस्थाओं को वैधानिक व्यकितत्व देने के लिए उनको कानून के अन्तर्गत पंजीकृत करवाना जरूरी है तभी संस्थाएँ वैध तथा कानूनी अधिकार प्राप्त करेगी।

इस अध्याय में आप मानव सेवी संस्थाओं की अवधारणा एवं उनके प्रकार तथा पंजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करेंगे।

2.2 मानव सेवी संगठन

मानव का कल्याण करना तथा मानव जो दरीद्र, दुःखी या गरीब व निर्बल, शोषित, अभावग्रस्त तथा उपेक्षित है उनका कल्याण सर्वोपरी करना संगठनों का लक्ष्य है। ऐसे संगठन जो अभावग्रस्त, दुर्बल और बालिक व्यक्तियों के लिए समाज कल्याण सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, गरीबी हटाने, रोजगार प्रदान करने एवं विभिन्न सुविधाएँ जो आवश्यक है उन्हें प्रदान करनं का कार्य करते हैं उन्हें मानव सेवी संगठन कहा जाता है। ये संगठन ऐसे व्यक्तियों की सहायता इन्हें व्यक्ति मात्र मानते हुए नहीं करते हैं बल्कि मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर करते हैं।

स्वतन्त्रता से पूर्व भी मानव कल्याण की भावना तथा मानव सेवा की भावना रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों एवं समाज सेवियों ने कल्णकारी कार्य किये थे तथा समाज में पीडित मानवता के दुःखों को झेलने वाले व्यक्तियों की सहायता भी की है। इन लोगों ने विभिन्न व्यक्तियों के समुहों और संगठन बनाकर मानव सेवा का कार्य किया था। लेकिन आजादी के पश्चात् ऐसे लोग जो समाज सेवा करना चाहते थे उनकी संख्या में कमी हो गयी तत्पश्चात् भारत सरकार ने इस विषय में कार्य किया तथा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के सरकारी संगठनों का निर्माझा किया जो मुख्य रूप से मानव सेवा का कार्य करते हैं।

मानव सेवी संगठन विभिन्न प्रकार के हैं। ऐसे संगठनों का निश्चित उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पुरा करने के लिए ये संगठन निरन्तर तत्पर रहते हैं। मानव सेवी संगठनों के दो प्रकार होते हैं पहले प्रकार के संगठन सरकारी होते हैं जो सरकार (केन्द्र या राज्य सरकार) के द्वारा चलाये जाते हैं जिनका उद्देश्य भी मानव सेवा करना होता है। हमारे देश में सरकारी क्षेत्र में विभिन्न संगठन मानव सेवा कर रहे हैं जो इस प्रकार है-

1. स्वास्थ्य एवं परिवार न्योजन विभाग
2. शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग
3. सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग
4. निशक्तजन कार्य विभाग
5. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
6. महिला एवं बाल विकास विभाग
7. सामाजिक प्रतिरक्षा विभाग
8. आदिवासीय अफयेर विभाग
9. मानव संसाधन विभाग

ये विभिन्न विभाग राज्य स्तर पर तथा केन्द्रिय स्तर पर इनसे संबंधित मंत्रालय स्थापित है इनके द्वारा मानव सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में योजनाएँ, काननू तथा गरीब वर्गों के लिए निःशुल्क सेवाएँ संचालित की जाती है साथ ही इन विभागों द्वारा अन्य संगठनों जैसे- गैर-सरकारी संगठन या अर्द्ध सरकारी संगठन जो मानव सेवा का कार्य करते हैं उन्हें अनुदान देकर भी कार्य किया जाता है।

द्वितीय प्रकार के संगठन स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन है इनका उद्देश्य भी मानव सेवा करना होता है इन संगठनों के प्रकार निम्नलिखित हैं-

स्वैच्छिक संगठनों के प्रकार

1. **पूर्णतः स्वैच्छिक संगठनः-**

   (क) ऐसे संगठन जो औपचारिक तो होते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। उन्हें शासकीय अनुदान का पत्र नहीं माना जाता।

   (ख) ऐसे संगठन जो रजिस्ट्रेशन होने के बावजुद शासकीय अनुदान की अपेक्षा नहीं करते तथा पूरी तरह धन के अशासकीय स्रोतों पर ही निर्भर रहते हैं।

2. **परोपकारी/धर्मार्थ संगठनः-** इनका प्रमुख उद्देश्य गरीबों तथा वंचित लोगों में अन्न, वस्त्र, दवाइयाँ इत्यादि का विरण करना है। कई संगठन ऐसे लोगों के लिए आवासीय संस्थाएँ भी चलाते हैं। चाहने पर ऐसे संगठन चैरिटेबल एण्डाउमेण्ट एक्ट 1890 के अन्तर्गत अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं।

3. **सामाजिक संस्थाएँसंघः-** समाज सेवा/कल्याण के उद्देश्य से निर्मित संस्थाएँ आमतौर पर अपना रजिस्ट्रेशन सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत करवाती है, जिससे उन्हें एक निश्चित आकार, कानुनी दर्जा तथा कार्य-प्रणाली प्राप्त होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें अपना संविधान प्रस्तुत करना होता है तथा संस्था का संचालन प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के अनुसार करना होता है।

4. **ट्रस्ट या न्यासः-** ट्रस्ट एक ऐसा कानुन समर्थित संगठन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या समूह (जिसमें परिवार भी शामिल है) अपने स्वामित्व की चल एवं/अथवा अचल सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार, अपने द्वारा निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति या समूह को सौंपता है, जो कानुनी भाषा में उसके ट्रस्टी कहलाते हैं। यह ट्रस्टी, ट्रस्ट सम्पत्ति का लाभ स्वयं लेने के अधिकारी नहीं होते। ट्रस्ट के हितग्राही, ट्रस्ट निर्माता की इच्छानुसार जड़ तथा चेतन, कोई भी हो सकते हैं। इन्हें 4 वर्गों में बाँटा जा सकता है- पब्लिक ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट, धार्मिक ट्रस्ट तथा परोपकारी ट्रस्ट। इनका पंजीयन इंडियन ट्रस्ट एक्ट1882 के अन्तर्गत किया जाता है। ट्रस्ट की नीति के मुताबिक अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता दी जा सकती है, तथा यह स्वयं भी समाज कल्याण के कार्यक्रमों का संचालन कर सकती है।

5. **प्रदाता का वित्त पोषक संगठन:-** भारत में ऐसी अनेक पंजीकृत अपंजीकृत संस्थाएँ तथा संगठन है जो समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अन्य स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। टाटा तथा बिड़ला जैसे औद्योगिक घरानों ने भी ऐसे संगठन स्थापित कर रखे हैं।

6. **अन्तराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन:-** समाज कल्याण के क्षेत्र में ऐसे अन्य अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जो विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी सक्रिय है। इनका मुख्य कार्य भारत के स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता तथा तकनीकी मार्गदर्शन देना है। इनमें मुख्य है सीडा, युनिसेफ, युएनएफपीए, युएनडीपी, फोर्ड फाउण्डेशन, राॅकफेलर फाउण्डेशन, केयर, बिल गेट्स फाउण्डेशन, ई जेड ई, रोटरी इण्टरनेशनल, ब्रेड फाॅर द वल्ड इत्यादि।

2.3 संस्थाओं के पंजीकरण के प्रकार और विधियाँ

संस्थाओं को कानूनी रूप से पंजीकरण करवाने पर संस्थाओं को वैधानिक आधार तथा अधिकार मिल जाते हैं और वैधानिक दायित्व मिलने पर संस्था में व्यक्तिगत दायित्व का स्थानसामूहिक दायित्व ले लेता है। इस प्रकार संस्था के उद्देश्यों के अनुसार संस्था को समुचित कानुन के अन्तर्गत पंजीकृत करवाने से संस्था को निगमित दर्जा मिल जाता है। संस्था के पंजीकरण वैसे तो अनेक अधिनियम हैं। प्रायः समाज कल्याण संस्थाएँ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत करवायी जाती है लेकिन अन्य पंजीकरण संबंधित अधिनियम निम्न हैः

(क) संस्थाओं/सोसाइटियों के लिए: सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860;

(ख) सहकारी समितियों के लिए: कोआपरेटिव सोसाइटीज, रजिस्ट्रेशन एक्ट;

(ग) न्यासों (ट्रस्टों) के लिए: इण्डियन ट्रस्ट एक्ट;

(घ) धर्मार्थ या दानार्थ (चैरिटेबल) कंपनियों के लिए: कंपनी एक्ट 1956;

(ङ) धर्मार्थ या दानार्थ न्यासों के लिए: बोम्बे चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट।

इन विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत संस्था को पंजीकृत करवाने पर संस्था को स्थायी दर्जाप्राप्त हो जाता है तथा संस्था को सरकार तथा अन्य दानी एवं दाता संस्थाओं से पैसा प्राप्त होने लगता है। ऐसी पंजीकृत संस्थाएँ दानी समुदाय की दानराशि का सदुपयोग करती है तथा ये संस्थाएँ अपने पंजीकृत नाम पर किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कर सकती है एवं कोई अन्य व्यक्ति भी उस पर मुकदमा कर सकता है। इस प्रकार संस्थाओं को कानूनी रूप से पंजीकृत करवाने के असंख्य लाभ हैं।

2.4 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860

सोसाइटी का निर्माण कुछ लोगों द्वारा मिलकर एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपसी सहमति से मिलकर विचार करने का निर्णय लेने और काम करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी का निर्माण कम से कम सात (या अधिक) व्यक्तियों द्वारा किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जा सकती है जो करार करने के लिए योग्य हों-

1. मार्थ या दानार्थ सहायता के लिए अनुदान देने;

2. सैनिक अनाथ फंड स्थापित करने;

3. विज्ञान, साहित्य या ललित कला को प्रोत्साहन देने।

उपयोगी ज्ञान की शिक्षा और प्रसारण, राजनीतिक शिक्षा के प्रसार, सदस्यों के उपयोग या जनता के लिए संचालित पुस्तकालयों को स्थापित करने और रंगचित्रों तथा अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों, यांत्रिक आविष्कारों और दार्शनिक शोध आदि के लिए स्थापित सोसाइटियाँ।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को भी अधिकार है कि वह उपलिखित विषयों के अतिरिक्त अन्य विषय भी इस सूची में जोड़ सकती है-

सोसाइटी बनाने के लिए पात्रता:-

कोई भी व्यक्ति (जिसमें नाबालिग शामिल नहीं है पर विदेशी नागरिक शामिल है), पार्टनरशिप फर्म, कम्पनियाँ और पंजीकृत सोसाइटियाँ एक सोसाइटी बनाने के लिए पात्र है।

सोसाइटी के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

(अ) ममोरेंडम आफ एसोसिएशन, और (MOA)

(ब) नियम और विनियम (Rules and Regulations)

यह सोसाइटी का एक प्रपत्र होता है। मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन में सोसाइटी के कार्य संचालन तथा उसका विवरण उल्लेखित होता है। इन दस्तावेजों का निर्माण अत्यंत सावधान से किया जाना चाहिए।

(अ) मेमोरेंडम आफ ऐसोसिएशन में निम्नलिखित खण्ड (Clause) होते हैं-

(1) संस्था का नाम:- संस्था के नामकरण के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए-

(क) नाम संस्था के उद्देश्यों तथा क्रिया-कलापों का सूचक हो;

(ख) नाम लंबा न हो, बल्कि संक्षिप्त हो;

(ग) नाम सरल व सुगम हो ताकि उसे बोलने और लिखने में कठिनाई न हो;

(घ) नाम ऐसा हो जो बिना कठिनाई के समझ में आ जाए।

(ङ) नाम ऐसा हो जो किसी अन्य संस्था के नाम केस मान न हो।

(2) पंजीकृत कार्यालय का पताः- संस्था के नामकरण के पश्चात् संस्था जिस स्थान पर स्थापित की जाएगी उस स्थान पर पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता भी लिखा जाएगा।

(3) सोसाइटी का उद्देश्यः- संस्था जिस उद्देश्य के लिए बनायी जा रही है उन उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए तथा उन उद्देश्यों में यह भी स्पष्ट करना होगा कि उद्देश्यों की पूर्ति में उनका कोई लाभ निहित नहीं है।

(4) संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा जाता है। इस समिति के सदस्यों के नाम, पते और उनके व्यवसाय आदि को भी मेमोरेंडम ऑफ ऐसोसिएशन में लिखा जाता है।

(5) संस्थान या संघ विधानपत्र के अन्तर्गत इन संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक व्यक्ति (कम से कम सात) के नाम, पते और उनके कारोबार का उल्लेख जो मेमोरेंडम का अनुमोदन करते हैं। इन सब्सक्राइबरों के हस्ताक्षरों की पहचान और उनका सत्यापन किसी ओथ कमिश्नर/नोटरी, पब्लिक/गजेटिड आफीसर/एडवोकेट/चार्टर्ड एकाउंटेंट/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत कराया जाना चाहिए।

(ब) नियम और विनिमय (Rules and Regulations)

सोसाइटी के नियम और विनियम इसलिए बनाए जाते हैं कि सोसाइटी के कार्य व्यापार पर और उसके आन्तरिक संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए सदस्यों का मार्गदर्शन किया जा सके। एक सोसाइटी के नियम और विनियम इस प्रकार हैः-

1. संस्था का नामः- संस्था का नाम सरल व स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए।

2. पंजीकृत कार्यालयः- संस्था के पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संस्था का कार्यक्षेत्र अर्थात् जहाँ संस्था द्वारा कार्य किया जाएगा इस क्षेत्र का नाम भी लिखना चाहिए।

3. संस्था के उद्देश्यः- संस्था का किन उद्देश्यों को लेकर कार्य करेगी उन्हें भी स्पष्ट रूप में तथा उन कार्यों का ब्योरा भी लिखना चाहिए।

4. सदस्यताः- संस्था के नियमों में उसको सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएँ और अयोग्यताओं का वर्णन भी करना चाहिए। निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे-

    (क) संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

    (ख) बालिग हो।

    (ग) पागल व दीवालिया न हों।

(घ) संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखता हो।

(ङ) संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।

5. सदस्यों का संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे-

(क) सामान्य सदस्य

(ख) आजीवन सदस्य

(ग) सक्रिय सदस्य

(घ) संस्थात्मक सदस्य

6. सदस्यों द्वारा मासिक या वार्षिक आधार पर एकमुश्त राशि जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासनः- निम्नलिखित कारणों पर संस्था के सदस्यों का निष्कासन किया जाएगा-

(क) मृत्यु होने पर

(ख) त्याग-पत्र देने पर

(ग) संस्था के उद्देश्यों से विपरित कार्य करने पर

(घ) प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैद्य समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभाः- साधारण सभा का निर्माण सदस्यता लेने वाले तथा अन्य सदस्य (रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सदस्य) मिलकर करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्यः- साधारण सभा के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे-

-- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

---वार्षिक बजट पारित करना।

---प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा करना।

संस्था के कुल सदस्यों के 213 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

10. साधारण सभा की बैठकें:- साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी और आवश्यकता होने पर विशेषतया अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/5 होगा तथा बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

कोरम के अभाव में बैठक स्थगित भी की जा सकेगी। पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वे ही होंगे जो पूर्व ऐजेण्डा में थे।

संस्था के 113 या 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, इनके लिखित आवेदन करने पर मंत्री या अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष या मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस तरह की होने वाली बैठक के समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठनः- संस्था के कार्यों को सही से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा। कार्यकारिणी के पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे-

अध्यक्ष – एक, उपाध्यक्ष – एक, मंत्री – एक, कोषाध्यक्ष – एक, सदस्य - सात

इन पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तित भी किये जा सकते हैं या कम भी रखना चाहे तो कम भी रख सकते हैं।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचनः- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव दो वर्षों की समयावधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा तथा चुनाव की प्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकेगी एवं चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्यः- संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे-

(क) सदस्य बनना एवं निष्कासित करना।

(ख) वार्षिक बजट निर्माण करना।

(ग) संस्था की सम्पत्ति को सुरक्षित रखना।

(घ) वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति संस्था में करना तथा उनके भत्ते तथा वेतन निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

(ङ) साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

(च) कार्य व्यवस्था के लिए उप समितियों का निर्माण करना।

(छ) संस्था के हित के लिए अन्य कार्य जो आवश्यक है।

14. कार्यकारिणी की बैठकें-

(क) कार्यकारिणी की बैठक भी वर्ष में कम से कम --- अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यक होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा भी कभी भी बुलाई जा सकती है।

(ख) बैठक की कोरम में प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधो से अधिक होगी।

(ग) बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी और अतिआवश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

(घ) कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वे होंगे, जो पुराने एजेण्डे में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवग्र होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्यः- संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगेः-

(1) अध्यक्षः

बैठकों की अध्यक्षता करना।

मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना

बैठकें आहूत करना।

संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

संविदा तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(2) उपाध्यक्षः

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

(3) मंत्रीः

बैठकें आहूत करना।

कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

पत्र व्यवहार करना।

सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

(4) उप मंत्रीः

मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

(5) कोषाध्यक्षः

वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोषः- संस्था कोष निम्न प्रकार से संचित होगा:-

चन्दा

शुल्क

अनुदान

सहायता

राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जा सकेगी। अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेनदेन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकारः- संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगेः-

अध्यक्ष ---------- रू.

मंत्री---------- रू.

कोषाध्यक्ष ---------- रू.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षणः- संस्था के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन व परिवर्द्धनः- संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटनः- यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समाज उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के रकार्ड का निरीक्षणः- रजिस्ट्रार संस्थाएँ --------- को संस्था के रेकार्ड लेखे जोखे के निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) ---------- समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

2.5 पंजीकरण की प्रक्रिया

जब किसी संस्था का गठन किया जाता है तो उसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। सोसाइटी के मेमोरेंडम ऑफ ऐसोसिएशन तथा नियमों और विनियमों (Rules and Regulations) का प्रारूप तैयार कर लेने तथा उन पर निर्धारित रूप से हस्ताक्षर करने,

गवाहों के हस्ताक्षर हो जाने पर उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। पंजीकरण कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के दफ्तर में निम्नलिखित दस्तावेज को भरकर जमा कराना पड़ता हैः-

1. एक व्याख्या पत्र, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया हो और उसके साथ विभिन्न दस्तावेज को संलग्न किये गये हो। इस पत्र पर मेमोरेंडम के सभी सब्सक्राइबरों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

2. मेमोरेंडम की दो प्रतियाँ बिल्कुल साफ शब्दों में टाइप की गयी हो तथा उसके पृष्ठों पर भी क्रमानुसार संख्या डाली गयी हो।

3. नियम और विनियमों की भी दो प्रतियाँ जिन्हें संचालन समिति (Governing Body) के कम से कम तीन सदस्यों ने सत्यापित किया हो।

4. निर्धारित मूल्य के नान जुडीशल स्टाम्प पेपर पर सोसाइटी के अध्यक्ष/सचिव द्वारा एक एफीडेविट (Affidavit) दिया जाना चाहिए जिस पर सब्सक्राइबरों के आपसी संबंधों का उल्लेख हो और इसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन किया गया हो।

5. सोसाइटी के पंजीकृत कार्यालय का जो स्थान दिशाया गया है उसके प्रमाण के रूप में हाऊस टैक्स की रसीद, किराया रसीद जो मकान मालिक की ओर से जारी की गयी हो कि उसे एतराज नहीं है किरया देने ।

6. प्रबंध समिति (Managing Committee) के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया एक प्राधिकार-पत्र।

7. प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों की ओर से आशय का एक घोषणा-पत्र की सोसाइटी के फंड का उपयोग मात्र सोसाइटी के लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति, प्रचार-प्रसार के लिए किया जाएगा।

अतः रजिस्ट्रार उपर्युक्त दस्तावेजों से संतुष्ट हो जाता है तो वह आवेदक सासाइटी कोपंजीकरण शुल्क जमा कराने के लिए कहेगा। सामान्यतः यह शुल्क 50/- रूपये होता है। इस राशि को नकद या डिमांड ड्राफ्ट किसी भी यप में जमा कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की सभी औपचारिकताओं के पूरा हो जाने पर अगर रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि संख्या ने अधिनियम के सभी प्रावधानों को पूरा कर लिया है तो वह सोसाइटी के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र नियमों और विनियमों (Rules and Regulations) की प्रतियाँ अपने हस्ताक्षरों द्वारा प्रमाणित करके जारी कर देगा।

पंजीकरण के बाद संस्था की परिसंपत्ति उसके पंजीकृत नाम पर हो जाती है। संस्था के सदस्यों का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है। संस्था के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर सकता है या संस्था के सम्बन्ध में किसी भी प्रलेख की प्रति आवश्यक शुल्क दे करके प्राप्त की जा सकती है।

ट्रस्ट के प्रकारः- कुछ संस्थाओं को ट्रस्ट के रूप में भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है ऐसी ट्रस्ट निम्न अधिनियमों के तहत पंजीकृत करवायी जाती है जो इस प्रकार है-

1. चैरिटेबल एण्ड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट, 1920:- इस अधिनियम के नाम का सिर्फ एक केन्द्रीय कानून है इसके अन्तर्गत ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से सार्वजनिक धर्मार्थ और धार्मिक अक्षय विधियों और न्यासों (ट्रस्टों) के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है और ट्रस्टी कुछ मामलों में और उनके खिलाफ दायर किये गये कुछ मुकदमों पर किये गए खर्च के मामले में कोर्ट के निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

2. धार्मिक अक्षय निधि आधिनियम, 1863 (Religious Endownment Act, 1863) इस अधिनियम में सरकार किसी भी ऐसे धार्मिक संस्थानों के प्रबन्धन से अपने आप को अलग कर सकती है जो उसके नियन्त्रण में है या थे।

3. इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882:- यह अधनियम प्राइवेट तथा फैमिली ट्रस्ट पर लागू होता है परन्तु यह अधिनियम धर्मार्थ या धार्मिक अक्षय निधियों को इस दायरे से अलग रखता हैं यह ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानोकं की संरचना करने वाले मूलभूत सिद्धान्तों को सार्वजनिक ट्रस्टों पर भी लागू किया जा सकता है।

धर्मार्थ ट्रस्ट (न्यास):-

धर्मार्थ ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य जन साधारण एवं मानव कल्याण के कार्य करना है। सामान्यतः हिन्दू लोग एक धर्मार्थ/धार्मिक निधि तथा मुस्लिम लोग उसी उद्देश्य के लिए एक वक्फ की स्थापना करते हैं। इन दोनों ही मामलों में कुछ सम्पत्ति समाज के हित व कल्याण के लिए समर्पित कर दी जाती है जैसे कोई कुएँ, खाद्य सामग्री, धर्मशाला, प्याऊ, निध्रनों को सहायता देने के लिए सुविधाएँ आदिं इन सभी कार्यो के लिए एक संस्था बना दी जाती है और उसे इन कार्यो को करने की जिम्मेदारी सौप दी जाती है।

कोई भी व्यक्ति (नाबालिग न हो एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो) स्वेच्छा से उत्साहित होकर उपहार के रूप में ऐसी धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना कर सकता है तथा जो भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित करेगा, उस सम्पत्ति को लिखित आलेख के जरिये ट्रस्ट बनाए और ट्रस्टियों की एक समिति नियुक्त करे। ट्रस्टियों को जिम्मेदारी होगी कि वे उस निधि का प्रबन्धन नियंत्रण तथा उसके कार्यकलापों का संचालन करे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करे।

मानव सेवी संस्था की ट्रस्ट के रूप में स्थापना (Formation of atrust as a Trust)

ट्रस्टः- भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत ट्रस्ट के मालिक पर विश्वास करके, उसको सम्पत्ति का मालिक बनाकर, उसको एक दायित्व सौंपा जाता है वह दायित्व को स्वीकार कर यह घोषणा करता है कि उसको सौंपी गयी सम्पत्ति का प्रयोग, वह किसी अन्य व्यक्ति के हित के लिए या किसी अन्य व्यक्ति और स्वयं के हित के लिए करेगा।

ट्रस्ट डीड (Trust Deed):-. ट्रस्ट का ज्ञापन जिस दस्तावेज के द्वारा किया जायेगा उसे ट्रस्ट का आलेख या ट्रस्ट डीड कहते हैं क्योंकि ट्रस्ट का ज्ञापन एक वसीयत से किये गए एक करार के द्वारा किया जा सकता है। अतः ट्रस्ट डीड एक वसीयत के रूप में हो सकती है।

ट्रस्ट के निर्माण में निम्न विषय-वस्तु की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार है-

सर्वप्रथम इस ट्रस्ट के प्रथम पक्ष में अवस्थापक का नाम उनके पिता का नाम एवं दूसरे पक्ष के रूप् में कम से कम 2 या अधिक व्यक्ति (7 से अधिक न हो) जिन्हें संयुक्त रूप से न्यासी के रूप में प्रकाश जाएगा। इन दोनों के मध्य ट्रस्ट को लेकर करार नामा किया जाता है। जो निम्नलिखित की साक्षी करती है।

1. अवस्थापक अपनी इच्छानुसार कोई राशि जैसे 3,00,000 रूपये को न्यासियों को सौंप देता है और न्यासी इन्हें अपने पास रखेंगे और नस के नाम पर इनके काबिज रहेंगे जिन पर तत्पश्चात् बतायी गई शक्तियाँ, प्रावधान, समझौते और घोषणाएँ लागू होगी।

2. न्यास का नाम एवं कार्यालय का पताः- जिन नाम से न्यास बनाया जाएगा उसका विशेष नाम होगा। अतः नाम से न्यास की पहचान सरल हो जाती है। इसके साथ ही न्यास जहाँ स्थापित किया जाएगा उस कार्यालय के स्थान का पता भी लिखना होगा।

3. उद्देश्यः- ट्रस्ट जिन उद्देश्यों को लेकर स्थापित की जा रही है उन उद्देश्यों को भी स्पष्ट करना होगा। ट्रस्ट के उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं जो इस प्रकार है-

   (1) विद्यालय, महाविद्यालय, सामाजिक सेवा केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि को चलाने तथा उनके रख-रखाव एवं उन्हें अनुदान सहायता स्थापित करने का कार्य करना।

   (2) प्रशिक्षण केन्द्र तथा शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करना।

   (3) सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थाओं को स्थापित करना।

   (4) शिक्षा एवं सीखने की विभिन्न संस्थाएँ विशेष्ज्ञतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के लिए प्रसार कार्य करना।

   (5)भारतीय संस्कृति तथा साहित्य, हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए देश को सेवाएँ देने के प्रयास करना।

   (6) विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, स्कालरशिप स्थापित करना, उन्हें बनाए रखना और चलाना तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना जिनमें पुस्तकें, मेडल तथा अध्ययन के लिए अन्य प्रोस्साहन शामिल है जो कि जाति, रंग, वंश, मन या लिंग के भेदभाव से परे हों।

   (7)भारत में विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत, नाटक और ललित कला को प्रोत्साहन देने के लिए, ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और इसी प्रकार के उद्देश्य रखने वाले अन्य संस्थानों के लिए आम जनता के लाभ के लिए बढ़ावा देना, समर्थन देना, रख-रखाव करना या अनुदान सहायता देना।

   (8)आम जनता के प्रयोग के लिए पार्क, बाग, स्पोर्ट क्लब, धर्मशालाएँ और विश्राम गृहों की स्थापना एवं रख-रखाव के लिए अनुदान सहायता स्थापित करना।

(9)निर्धन, जरूरतमंदों, अनाथ, विधवाओं एवं बुजुर्गों को राहत और सहायता करने के लिए वृद्धाश्रम, अनाथालय स्थापित करना या अनुदान सहायता करना।

(10)शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान स्थापित करना और उनका विकास करना और उन्हें शिक्षा, खाद्य सामग्री, वस्त्र आदि प्रदान करना।

(11)प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जरूरतमंद पीडितों को राहत और सहायता प्रदान करना और ऐसे राहत कार्यों में जुड़े अन्य संस्थानों को अनुदान द्वारा सहायता करना।

(12) शमशान भूमियों, कब्रिस्तानों का निर्माण, मरम्मत तथा उनकी व्यवस्था करना।

(13) रोजगार देने वाले केन्द्रों को स्थापित करना।

(14) अन्य सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों या संस्थानों को अनुदान सहायता देना या उनकी सहायता करना।

4. न्यास की निधि को मूल निधि की आय और समय-समय पर दान और अन्य अंशदान प्राप्त करके बढ़ाया जा सकता है।

5. न्यास निधि का कार्य बिन्दु 3 में लिखे उद्देश्यों के अतिरिक्त कहीं नहीं किया जाएगा।

6. न्यासी न्यास के उचित खाते तैयार करके अपने कार्यालय में रखेंगे।

7. न्यासी की संख्याः- न्यासियों की संख्या दो से कम और सात से अधिक नहीं होगी। अगर न्यासियों की संख्या दो से कम हो जाती है तो न्यासी जब तक कम से कम संख्या पूरी नहीं कर लेता तब तक रिक्त स्थान को पूरा करने के उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करेगा।

8. न्यासी केवल उन रकमों, स्टाॅक, शेयर और निधि के प्रति उत्तरदायी होंगे जो वास्तव में उनके हाथ में होंगे, और कोई न्यासी अन्य न्यासियों की लापरवाही, दोष कार्यों या गलतियों के प्रति और न ही किसी अन्य व्यक्ति की किसी कार्यवाई के प्रति जवाबदेह होंगे।

9. न्यासी किसी प्रकार का कोई मानदेय प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे, लेकिन न्यासी न्यास को निभाने के लिए जो भी वास्तविक रूप में खर्च करेंगे, वे उसकी प्रतिपूर्ति करा सकते हैं।

10. प्रबन्धन न्यासीः- ये न्यासी कुछ समय के लिए उपर्युक्त संख्या के अन्तर्गत अतिरिक्त न्यासी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह उस अवधि पर होगा जैसा कि सेवानिवृत्ति के बारे में न्यासी उस समय पर उचित समझें। कोई व्यक्ति निम्नलिखित परस्थितियों में न्यासी नहीं रहेगा।

(1) यदि वह अपनी अनुपस्थिति की छुट्टी न लेकर लगातार न्यासियों की तीन बैठकों में या एक वर्ष में, इनमें जो भी अधिक अवधि भी हों, इनमें उपस्थित न हीं होता, या

(2) उसको न्यासियों के 3/4 संख्या द्वारा त्यागपत्र देने को कह दिया जाएगा।

ट्रस्ट डीड का पंजीकरणः-

ट्रस्ट डीड का पंजीकरण भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है।

जब 100 रूपये से अधिक की किसी अचल सम्पत्ति के बारे में किसी अभिलेख के द्वारा कोई अधिकार या मालिकाना अधिकार प्रदान किया जाता है तो उस अभिलेख का पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। अतः जो ट्रस्ट डीड अचल सम्पत्ति के बारे में हो उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

किसी भी ट्रस्ट डीड के निष्पादन किये जाने के चार महीने के भीतर उसको उस रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकरण करने के लिए पेश कर दिया जाना चाहिए जिसके सब डिवीजन में वह पूरी सम्पत्ति स्थित हो। अगर ट्रस्ट डीड के कागजात किन्हीं अत्यावश्यक कारणों से उपर्युक्त अवधि के दौरान पंजीकरण के लिए प्रस्तुत न किये जा सके हों, तो उन्हें आगे और चार महीनों के भीतर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इनके साथ जुर्माने के रूप में एक शुल्क देना होगा जो कि पंजीकरण शुल्क की रकम की दस गुना रकम से अधिक नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क की उपयोगी पंजीकरण के कागजात पेश करते समय की जानी होगी।

अचल सम्पत्ति से संबंधित ट्रस्ट डीड का पंजीकरण कराने के लिए उस डीड में सम्पत्ति का विस्तृत ब्यौरा होना चाहिए ताकि उसे सरलता से पहचाना जा सके। अगर उस डीड में लिखी पंक्तियों के बीच में भी कुछ लिखा गया हो, खाली जगह छोड़ी गयी हो, कुछ मिटाया या फेरबदल किया गया हो तो डीड निष्पादित करने वाले व्यक्ति को उस स्थान पर हस्ताक्षर कर सत्यापित करना चाहिए।

जब पंजीकरण अधिकारी डीड के दस्तावेजों से संतुष्ट हो जाता है या डीड अधिनियम के प्रावधान के अनुकूल होती है तो वह उन पर एक प्रमाण-पत्र कर देगा जिसमें पंजीकृत शब्द लिख देगा तथा साथ ही कार्यालय की पुस्तक में उसकी जो प्रतिलिपि चढ़ा कर उसका नम्बर और पृष्ठ संख्या भी उस पर लिख देगा। उस प्रमाण-पत्र पर पंजीकरण अधिकारी हस्ताक्षर करेगा और उस पर मुहर लगाकर तारीख डाल दी जाएगी। यह इस बात का प्रमाण होगा कि रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है धारा 47 के अनुसार अगर एक पंजीकृत ट्रस्ट डीड को पहले पंजीकृत नहींकराया गया हो तो यह ट्रस्ट डीड उसी दिन से प्रभावी मानी जाएगी जिस दिन से उसने काम करना प्रारम्भ किया।

2.6 सारांश

मानव सेवी संगठन का इतिहास बहुत पुराना है परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् औपचारिक रूप से संस्था का निर्माण किया गया और इन संस्था का उद्देश्य मानव सेवा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास आदि में कार्य करना तथा ये विभिन्न सेवाएँ मानव कल्याण के लिए उन तक

पहुँचाना है।इस अध्याय में मानव सेवी संगठनों के सरकारी तथा स्वैच्छिक रूप से इन संगठनों के प्रकार, कार्य एवं प्रक्रिया तथा पंजीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है।

2.7 शब्दावली

- सोसायटी - संस्था, समिति, संगठन
- ट्रस्ट - न्यास
- दस्तावेज- प्रपत्र

2.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. मानव सेवी संगठनों के प्रकारों को लिखिए।
2. मानवसेवी संगठनों की स्थापना हेतु पंजीकरण के प्रकारों को लिखिए।
3. संस्था/सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु तैयार किये जाने वाले मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों को लिखिए।
4. भारतीय न्यास अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को लिखिए।

2.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

- नाभि, एन.जी.ओ. हैण्डबुक, ''गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सेवी संस्थाओं के लिए एक ज्ञान कोष'' 2015, नाभि पब्लिकेशन्स, पृ.सं.15-17, 6, 10
- चैधरी डी.पी., ''समाज कल्याण प्रशासन'' 1962, आत्मा राम एण्ड सन्स पब्लिकेशन्स, पृ.सं. 13-15

इकाई - 3

मानव सेवी संस्थाओं/गैर सरकारी संस्थाओं का प्रबन्धन

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 मानवसेवी संगठन में प्रबन्ध की आवश्यकता

3.3 मानव सेवी संगठनों में प्रबन्धन

- 3.3.1 नियोजन
- 3.3.2 संगठन
- 3.3.3 नियुक्ति
- 3.3.4 निर्देशन
- 3.3.5 नियंत्रण
- 3.3.6 समन्वय
- 3.3.7 रिपोर्टिंग
- 3.3.8 बजटींग

3.4 परियोजना प्रबन्धन

3.5 सारांश

3.6 शब्दावली

3.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

3.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

3.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- मानव सेवी संगठन में प्रबन्धन की आवश्यकता को जान पाएंगे।
- मानव सेवी संगठन में प्रबंध के विभिन्न कार्यों को जान पाएँगे।

- परियोजना प्रस्ताव, क्रियान्वयन को जान पाएँगे।

3.1 प्रस्तावना

प्रबन्धन का विकास जैसा कि हम जाने है, कई दशकों में औद्योगिक तथा लाभ अर्जित करने वाले संगठनों में हुआ है। प्राथमिक तौर पर प्रबन्धकीय सिद्धांत लाभ अर्जन करने वाले संगइनों पर लागू होते हैं। वही मानव सेवी संगठन का विकास कई दशकों बाद हुआ। प्रारम्भ में मानव सेवा के कार्य राजा, धनवान, धर्म, मन्दिर आदि के द्वारा किये जाते थे जिसका मकसद दान पूण्य तक ही सीमित था। परन्तु धीरे-धीरे समय के साथ7साथ मानव सेवा का रूप तथा उद्देश्य दोनों में परिवर्तन होते गये। व्यक्तिगत दानदाता की जगह संगठनात्मक समाज सेवा ने ले ली। दान पूण्य की जगह मानव कल्याण समानता तथा सामाजिक न्याय ने ले ली। संगठनात्मक स्वरूप का विकास हुआ। इस तरह मानव सेवी संगठनों में धीरे-धीरे प्रबन्धन की आवश्यकता महसुस की जाने लगी व वर्तमान में इस संगठनों में कार्य करने वाले कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वह संगठनात्मक व्यवहार तथा प्रबंधकीय सिद्धान्तों एवं क्रियाओं से भली-भांति परिचित होकर उनका प्रयोग मानव सेवी संगठनों के उद्देश्यों की प्राप्ति करने में उनके विकास में करेंगे। इस इकाई में समाज कार्य अभ्यास के प्रशिक्षु छात्रों को क्षेत्रीय कार्य के दौरान संगइन में प्रबन्धकीय व्यवस्था के बारे में सीखने योग्य विस्तृत जानकारी रखी गई है।

3.2 मानव सेवी संगठनों में प्रबन्ध की आवश्यकता

प्रबन्धन के बिना केवल एक भीड़ हो सकती है संस्था नहीं। प्रबन्धन ही किसी भी संगठन में प्राण फूँकर निर्जिव निर्जिव साधनों को उत्पादक एवं गतिशील बनाते हैं चाहे वह लाभकारी संगठन हो या मानव सेवी संगठन हो। एक मानवसेवी संगठन में प्रबन्धन का महत्त्व निम्न बिन्दूओं द्वारा समझा जा सकता है-

1. **सही लक्ष्यों का निर्धारण:-** मानवसेवी संगठनों के पास साधन, संयम, तकनीक एवं कौशल सीमित ही होता है। प्रबन्ध सही उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करके सफलता का मार्ग निर्धारित कर सकता है।

2. **संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग:-** मानव सेवी संगठन प्रायः अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हृतु सीमित संसाधनों पर निर्भर रहते हैं चाहे वह संसाधन कोष हो या कर्मचारीं ऐसी स्थिति में प्रबन्धन ही इन संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को संभव बना पाता है। संसाधनों के उचित तथा बैहतर प्रयोग द्वारा अधिकतम उत्पादकता की प्राप्ति में प्रबन्ध का अहम योगदान रहता है। भौतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग तथा न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम उत्पादन का कार्य के अच्छे प्रबन्ध द्वारा ही संभव हैं

3. **संस्था की सफलता का आधार-** प्रबन्ध की प्रकृति उद्देश्यपरक होती है। प्रबन्ध के द्वारा लक्ष्यों को समुचित ढंग से प्राप्त करके संस्था की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्रबन्ध अपने सिद्धान्तों एवं विशिष्ट ज्ञान के आधार पर भावी घटनाओं का सही पूर्वानुमान करते हैं, श्रेष्ठ योजनाएँ बनाकर योग्य निर्देशन करते हैं।

4. **जटिल संगठनात्मक समस्याओं का समाधान**:- आधुनिक समय में अनेक प्रकार की तकनीकी, भौतिक, आर्थिक एवं मानवीय जटिलताएँ बढ़ गई है। बदलते हुए वातावरण नये मूल्यों, नयी अपेक्षाओं तथा नयी प्रौद्योगिकीके प्रयोग से व्यवसाय का स्वरूप जटिलतम होता जा रहा है। ऐसी दशा में विशिष्ट प्रबन्धकीय ज्ञान के द्वारा हन जटिल समस्याओं को हल किया जा सकता है।

5. **उत्पादकता में अभिवृद्धि**:- प्रबन्ध समाज का वह अंग है जो संसाधन को उत्पादक बनाता है। प्रबन्ध के द्वारा ही संसाधनों को सृजनशील बनाकर उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।

6. **प्रभावी संगठन ढांचे का निर्माण**:- कुशल प्रबन्धक उचित मात्रा में संसाधनों का एकत्रीकरण करके कार्यों को परिभाष्ज्ञित करके, सही कर्मचारियों को कार्यों को वितरित करके तथा सत्ता व दायित्वों का उचित निर्धारण करके एक प्रभावकारी संगइन संरचना का निर्माण करता है।

7. **मानवीय संसाधनों का विकास**:- मानव सेवी संगइनों में संसाधनों की अल्पता के कारण हमेशा संसाधनों के समुचित प्रयोग पर ध्यान केन्द्रित रहता है। इन संगठनों में मानव संसाधनों के बेहतरीन व बहुआयामी उपयोग को प्रबन्धक द्वारा ही संभव किया जा सकता है। मानव की क्षमताएँ अनन्त है, उसकी सृजनात्मकता असीमित है, उसका चिन्तन, विचार एवं दृष्टि कई हितकारी निष्रयों को जन्म दे सकती है। प्रबन्ध के द्वारा मानव संसाधनों को उचित प्रेरणा एवं निर्देशन के द्वारा इन क्षमताओं तथा सृजनात्मकता के विकास का अवसर प्रदान होता है।

8. **सुदृढ़ मानवीय संबंध**ः प्रबन्ध के द्वारा संगठन के कर्मचारियों के मध्य व्यवसायिक संबंधों के साथ-साथ मनवीय संबंधों को भी मजबुत किया जा कर एक बैहतर कार्य संस्कृति का निर्माण मानव सेवी संगठन में किया जा सकता है।

9. **नवीन प्रौद्योगिकी एवं तकनीक का प्रयोग**:- किसी भी संस्था में नयी प्रौद्योगिकी, तकनीक व यंत्रों का कुशल प्रयोग प्रबन्धकों की योग्यता पर ही निर्भर करता है। प्रबन्ध ही ऐसी शक्ति है, जो नवीन प्रोद्यौगिकी का प्रचलित कार्यविधियों के साथ उचित समन्वय करके संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है।

10 **.परिवर्तनों का प्रेरक एवं माध्यम**:- प्रबन्धन न केवल नये परिवर्तनों के साथ समायोजन करता है वरन् यह नये परिवर्तनों को भी जन्म देता है। वास्तव में प्रबन्ध के माध्यम से ही संगइनों में नवीन विधियों, नये प्रमापों, नयी कार्यविधियों, नयी नीतियों व नयी योजनाओं को स्थान मिलता है। नव प्रवर्तन का जन्मदाता प्रबन्ध ही होता है। किसी भी संस्था का प्रबन्ध तब बेकार हो जाता है जब वह वातावरण के परिवर्तनों का मूल्यांकन करने, उनके

अनुसार समायोजन करने तथा उनका अपनी संस्था के हित में उपयोग करने में असमर्थ रहता है। प्रबन्ध मूल रूप से परिवर्तनों का प्रबन्ध करने से सरोकार रखता है।

11. **संगठन की ख्याति:-** मानव सेवी संगठनों की सफलता एवं असफलता पूर्णतया उसकी ख्याति पर निर्भर करती है। चूंकि यह संगठन संसाधनों के लिए अन्य पर निर्भर होते हैं मानव सेवी संगठनों की ख्याति इन संसाधनों को जुटाने में महत्त्वपूर्ण भुमिका निभाती हैं प्रबन्ध संगठन की श्रेष्ठ छवि के निर्माण के लिए भरसक प्रयत्न करता है। वह जन सम्बन्धों में सुधार करके हितग्राहियों को समय पर गुणवत्तायुक्त सेवाएँ प्रदान करके, दानदाताओं को नियमित उनके दान के उपयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत करके समाज के लिए हितकारी निर्णय लेकर तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति पर ध्यान केन्द्रित करके संगठन की ख्याति बढ़ाता है।

12. **नेतृत्वकारी शक्ति:-** प्रबन्ध एक नेतृत्वकारी शक्ति है जो अपने नये विचार, नयी कल्पनाओं तथा नयी दृष्टि से संस्था को अनेक प्रकार के संकटों से मुक्ति प्रदान करता है। यह सृजनात्मक एवं समन्वयात्मक शक्ति है जो अपने कौशल, दूरदर्शिता व जागरूकता से संस्था को नयी दिशा दे सकती है।

3.3 मानवसेवी संगठनों में प्रबन्ध

प्रबन्ध किसी भी संगठन की सभी क्रियाओं में रचा-बसा है चाहे वह लाभकारी संगठन हो या मानव सेवी संगठन। 'प्रबन्ध' नियोजन, संगठन निर्देशन एवं नियन्त्रण की एक प्रक्रिया है। जिसमें मानवीय कौशल एवं विज्ञान का उपयोग करते हुए संगठनों के विभिन्न संसाधनों, बाह्य वातावरण एवं समाज की अपेक्षाओं का इस प्रकार दक्षतापूर्ण समन्वय किया जाता है कि संगठन के लक्ष्य प्राप्त किये जा सके। किसी भी संगठन में प्रबन्ध के मुख्य कार्य-

नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्ति, नियन्त्रण, समन्वयन, रिपोर्टिंग एवं बजटींग होते हैं। मानवसेवी संगठन प्रबन्धकीय कार्यों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-

3.3.1 नियोजन

किसी भी मानवसेवी संगठन में नियोजन भावी परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम वैकल्पिक कार्य-पथ् का चयन करने की बौद्धिक प्रक्रिया है। संक्षेप में भविष्य में किये जाने वाले कार्यों का पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। प्रायः मानवसेवी संस्थाओं में निम्न प्रकार के नियोजन देखने को मिलते हैं।

1. **ध्येय अथवा मिशन:-** प्रत्येक मानवीय संगठन का एक स्पष्ट मिशन होता है। जब भी किसी संगठन के बारे में विचार किया जाता है, चाहे वह व्यवसायिक हो या मानवसेवी, उसके मिशन की व्याख्या जरूरी समझी जाती है। यदि किसी संगइन का मिशन अस्पष्ट है तो उनकी क्रियाओं में भी अस्पष्टता बनी रहेगी। किसी भी मानव सेवी संगठन का मिशन विवरण उसके दीर्घकालीन लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। संगठन की सारी क्रियाओं का मार्गदर्शन मिशन विवरण के द्वारा होता है।

2. **उद्देश्यः-** उद्देश्य किसी मानव सेवी संगठन में प्राप्त किये जाने वाले परिणामों का ज्ञान कराते हैं। उद्देश्य वे अन्तिम बिन्दु हैं जिनकी ओर संस्था की समस्त क्रियाएँ एवं प्रयास निर्देशित किये जाते हैं। ये किसी कार्य को पूरा करने की अंतिम सीढ़ी के रूप में होते हैं। संगठनात्मक नियोजन में उद्देश्य प्रमुख आधार बनते हैं। जिनको लेकन मानव सेवी संगठन दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण करते हैं।

3. **नीतियाँः-** नीतियाँ वह निर्दशक तत्व है जो प्रबन्धकों के चिन्तन अथवा क्रियाओं का मार्गदर्शन करती है। उद्देश्य वांछित परिणामों की ओर संकेत करते हैं, जबकि नीतियाँ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लिये जाने वाले निर्णय की पथ प्रदर्शक होती है। नीति एक मौखिक, लिखित या गर्भित व्यापक पथ प्रदर्शक है जो सामान्य निर्देशन एवं सीमाओं को स्थापित करती है।

संगठनात्मक नियोजन में निम्न प्रकार की नीतियों का निर्धारण किया जाता है-

1. वित्त नीति
2. मानव संसाधन नीति
3. विपणन नीति
4. सामान्य प्रशासन नीति
5. जनसम्पर्क नीति आदि।

4. कार्य पद्धतियाँ एवं विधियों का निर्धारणः- संगठनात्मक नियोजन में कार्य पद्धतियों एवं विधियों का निर्धारण किया जाता है। कार्य पद्धतियाँ वे विवरण है जो किसी भी कार्य को करने की निश्चित विधि का ज्ञान कराती है। कार्य पद्धतियाँ यह बताती है कि कोई कार्य कैसे निष्पादित होगा। किन-किन चरणों में विभाजित होगा, कब तथा किस व्यक्ति द्वारा सम्पन्न होगा। कार्य पद्धतियाँ नियोजन का आवश्यक अंग है। ये कर्मचारियों को लक्ष्य पूर्ति की विधि बताती है। मानव सेवी संगठन में प्रत्येक क्षेत्र व स्तर पर कार्य पद्धतियों का निर्माण किया जाता है।

5. नियमों तथा उपनियमों का निर्माण- नियम तथा उपनियम भी नियोजन का एक हिस्सा संगठन में कार्यों को सुचारू रूप से करने तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ नियम तथा उपनियम बनाए जाते हैं। कुछ नियम-उपनियम सम्पूर्ण संस्था पर तो कुछ नियम उपनियम विभाग दर विभाग पृथक हो सकते हैं।

3.3.2 संगठन

मानवसेवी संगठनों में प्रबन्ध प्रक्रिया के संचालनका केन्द्र संगठन है, जिसके द्वारा मानवीय प्रयासों को समन्वित करके उन्हें सहक्रियाशील बनाया जाता है। संगठन कार्यों व सम्बन्धों की एक औपचारिक व्यवस्था है। संगठन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यशील व्यक्तियों का एक समूह है जिसका निर्माण कार्यों, अधिकारों, दायित्वों तथा कार्य सम्बन्धों के निर्धारण की प्रक्रिया द्वारा होता

है। संगठन प्रायः उद्देश्यों, श्रम विभाजन, मानव समूह, भौतिक साधनों, अधिकार सत्ता, संसाधनों, संचार व्यवस्था आदि में अन्तर्सम्बन्धों का निर्माझा इस तरह करता है कि संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति सफलतापूर्वक हो सके।

मानवसेवी संगठनों में विभिन्न संसाधनों यथा मानवसंसाधन, धन, तकनीक, कार्य विभाजन आदि को इस तरह से संमन्वित किया जाता है कि संगठन के कार्यक्रम, परियोजनाएँ तथा गतिविधियाँ सफलतापूर्वक संचालित हो पाए।

3.3.3 स्टाफिंग

मानवसेवी संगठन प्रायः समाज द्वारा, दानदाता संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों पर निर्भर करते हैं, परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को वेतन देकर भी काम पर लगाया जाता है। चूंकि संगठनों के पास स्वयं के संसाधन सीमित होते हैं तो यहाँ कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी सेवाएँ, विकास तथा उनको संरक्षिज्ञत रखना एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो जाता है। मानवसेवी संगठन कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए दानदाता संस्थाओं, विभिन्न विभागों या संस्थाओं द्वारा पोषित परियोजनाओं पर निर्भर रहते हैं। किसी मानव सेवी संगइन में संविदा आधारित कर्मचारी, परियोजना आधारित कर्मचरी, सलाहकार, नियमित कर्मचारी, प्रशिक्षु, स्वयंसेवक इत्यादि प्रकारक ी कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं।

मानव सेवी संगइनों में नियुक्ति प्रक्रिया में अभ्यार्थियों की शिक्षा, अनुभव, क्षमताएँ, दक्षताएँ आदि को ध्यान रखा जाता है क्योंकि इन संगठनों में कर्मचारी अन्य लाभकररी संगठनों के कर्मचारियों से पृथक शिक्षा, अनुभव, विशेषज्ञताओं वाले होते हैं।

सही व्यक्ति को चयन करना, उसे सही समय पर सही काम पर लगाना, उसके प्रशिक्षण तथा विकास के अवसर प्रदान करना, उसे संरक्षित रखना इत्यादि काम इन संगठनों में प्रबन्ध के द्वारा ही किये जाते हैं। मानव संसाधन का पूर्ण उपयोग करना प्रबन्ध पर निर्भर करता है।

3.3.4 निर्देशन

प्रत्येक मानवसेवी संगठन में निर्देशन के लिये एक अच्च संगठनात्मक ढाचे की व्यवस्था की जाती है जिसमें सगठन के उच्च प्रबन्धन जिसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, गर्वर्निंग बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इत्यादि नामों से जाना जाता है। तत्पश्चात् क्रियान्वयन ढाचा जिसमें उच्च प्रबन्धन तथा मध्य प्रबन्धन आता है, निर्देशन का कार्य करता है। इसके साथ ही मानवसेवी संगठनों में संचालित परियोजनाओं में भी प्रत्येक परियोजना का परियोजना आधारित ढाँचा भी होता है जो उस परियोजना से संबंधित निकायों को लेता ह व आदेश निर्देश देता है। मानव सेवी संगठनों में उचित निर्देशन हेतु निम्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है-

1. प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण

2. रिपोर्ट रिकार्ड आदि

3. उचित संचार व्यवस्था

4. प्रोत्साहन एवं पे्रणा

5. उचित नेतृत्व

3.3.5 नियन्त्रण

मानव सेवी संगठनों में नियन्त्रण की प्रक्रिया की ज्यादा अहमियत होती है। परियोजना आधारित कार्यक्रमों में संसाधन, समय, लक्ष्य, उद्देश्य सभी पूर्व निर्धारित होते हैं। परियोजना में हर एक गतिविधि का समय निर्धारित होता है। हर गतिविधि को करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधन भी निश्चित होते हैं। ऐसे में इन संगठनों के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि निश्चित समय सीमा में, पूर्व निधारित संसाधनों के साथ गतिविधियों को पूरा किया जाए। यदि कहीं भी चुक हुई तो इसका प्रभाव परियोजना के उद्देश्यों पर पड़ सकता है। अतः एक सशक्त गिरानी व्यवस्था की आवश्यकता मानव सेवी संगठनों में हमेशा बनी रहती है। नियन्त्रण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि उपलब्ध साधनों का उपयोग परियोजना को अधिक से अधिक प्रभावी बनोन के लिए किया जा रहा है तथा इोस परिणाम निकल रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती हो जाये तो उसे समय पर पूनः सुधारा जा सके।

3.3.6 समनवय

समन्वय की गुणवत्ता संगठन के जीवित रहने के लिए एक निर्णायक घटक है। समन्वय के बिना किसी भी संगठन का संचालन नहीं किया जा सकता हैं समन्वय के अभाव में संस्था कीस्थिति उस रथ के समान हो जाती है जिसके घोड़े अलग-अलग दिशाओं में भागने का प्रयास कर रहे हो। समन्वय व्यक्तियों एवं विभागों के प्रथक्-प्रथक् प्रयासों, प्रयत्नों, क्रियाओं व शक्तियों में सामन्जस्यता उत्पन्न करके एक कार्यात्मक एकता को जन्म देता है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभागों व व्यक्तियों के कार्यों, नीतियों, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली व प्रयासों में एकीकरण व एकरूपता स्थापित करना ही समन्वय है। प्रत्येक संगठन की सफलता मूल रूप से इसके सदसयें के समन्वित प्रयासों पर ही निर्भर करती है। वास्तव में समन्वय ही प्रबन्ध प्रभावशीलता की अन्तिम कसौटी है। किसी भी मानव सेवी संगठन में विभिनन परियोजनाओं व विभागों में अलग-अलग शिक्षा, अनुभव, धर्म, दक्षता, विशेषताओं, क्षमताओं के कर्मचारी परियोजना व संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। अतः यहाँ जरूरी हो जाता है कि इन कर्मचारियों के मध्य भौतिक साधनों तथा बाह्य वातावरण के साथ इनका सामन्जस्य बना रहे। समन्वय के लिए निम्न तकनीक को प्रयोग किया जाता है-

1. कुशल नेतृत्व

2. स्पष्ट नीतियाँ

3. उद्देश्यों की एकता

4. सुदृढ़ संगठन संरचना

5. प्रभावी सम्प्रेषण प्रणाली

6. सामूहिक निर्णय

7. सहभागिता

8. कार्य विभाजन

9. अधिकार एवं जिम्मेदारियों की स्पष्टता

10. आदेश-निर्देश की एकता

11. प्रेरणा आदि।

3.3.7 रिपोटिंग

किसी भी लाभकारी संगठन की तरह मानवसेवी संगठन में भी रिपोर्टिंग अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं किसी लाभकारी उपक्रम में क्रय, विक्रय, उत्पादन, मानव संसाधन, स्टाक, कच्चा माल, वित्त एवं लेखा आदि से सम्बन्धित रिपोर्टिंग की जाती है। किन्तु मानव सेवी संस्थाओं मतें रिपोटिंग की प्रक्रिया थोड़ी भिन्न होती है क्योंकि ये संगठन किसी प्रकार उत्पादन, क्रय-विक्रय या लाभ कमाने में संलग्न नहीं होते हैं। मानव सेवा येा मानव कल्याण इनका प्राथमिक उद्देश्य रहता हैं किसी मानव से भी संगठन में निम्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जाती है-

1. परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति प्रतिवेदन
2. दानदाता संस्थाओं व विभागों को भेजे जाने का प्रतिवेदन
3. हितग्राहियों को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन
4. संगठन के मानव संसाधन विकास रिपोर्ट
5. संगठन के मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व वार्षिक प्रतिवेदन
6. वित्त व लेखा सम्बन्धित प्रतिवेदन
7. दैनिक कार्यालय प्रतिवेदन आदि।

3.3.8 बजटींग

बजट वर्ष भर में किये जाने वाले समस्त खर्चों व प्राप्त की जाने वाली समस्त आय का पूर्वानुमान होता है। मानव सेवी संगइनों में यह कार्य अति महत्त्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आय के लिए उनकी निर्भरता अन्य स्त्रोतों पर निर्भर रहते हैं। मानव एक कार्यकारी बजट में निम्न आते है: -

1. राजस्व या आय

2. खर्च व व्यय

3. उत्पाद के परिणात्मक आकलन

4. व्याख्याएँ और टिप्पणियाँ

साधारणतया बजट तैयार करते समय वार्षिक वृद्धि की एक निश्चित दर मान ली जाती है और सारा बजट का निर्माण किया जाता है परन्तु इस दर को भविष्य में संभावित परिवर्तनको ध्यान में रखते हुए समायोजित कर लेना चाहिएं बजट का प्रयोग एक नियन्त्रण के साधन के रूप में किया जाता है जिसमें संबद्ध विभाग या परियोजना के राजस्व व अव्यय की तुलना बजट अनुमानों से की जाती हैं अगर कोई कमियां या व्यतिक्रम पाये जाते हैं तो उन्हें दुरूस्त करने की कार्यवाही की जाती है।

3.4 परियोजना प्रबन्धन

मानव सेवी संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति परियोजनाओं के माध्यम से करते हैं। ये परियोजना दानदाता संस्थाओं या व्यकितयों द्वारा पोषित होती है। प्रत्येक परियोजनाओं के अपने लक्ष्य व उद्देश्य होते हैं। निश्चित समयावधि होती है। निश्चित बजट व संसाधन होते हैं, निश्चित कार्य होते हैं। अतः मानवसेवी संगठन में द्वितीय स्तर पर नियोजन इन परियोजनाओं को लेकर किया जाता है। प्रत्येक परियोजना के लिए अलग नियोजन किया जाता है। परियोजना प्रस्ताव भेजने से लेकर परियोजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी एवं अनुप्रेक्षण प्रत्येक स्तर पर प्रबन्धन की आवश्यकता पढ़ती है। परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किन-किन गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। कौन-कौन लागे क्रियान्वयन करेंगे, कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी, कितना समय लेगा यह सारे बिन्दु परियोजना में लिये जाते हैं।

3.4.1 परियोजना प्रस्ताव का निर्माण: अनुसंधान तथा फिल्ड एक्शन परियेाजना

परियोजना प्रबन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण भाग परियोजना प्रस्ताव का निर्माण होता है। परियोजना प्रस्ताव का निर्माण मानव सेवी संस्था द्वारा कोष संग्रह हेतु किया जाता है। यह प्रस्ताव समान उद्देश्यों वाली दानदाता (फण्डिंग) संस्था को प्रस्तुत किया जाता है। परियोजना निर्माण के चरण उद्देश्यानुसार यद्यपि कुछ कम या ज्यादा हो सकते हैं लेकिन अमूमन परियोजना प्रस्ताव प्रारूप निम्न प्रकार से होता है-

अनुसंधान परियोजना प्रस्तावप्रारूप

1. अनुसंधान परियोजना का नाम (टाइटल ऑफ द स्टडी)- अनुसंधान परियोजना का नाम उसके क्षेत्र, महत्त्व, उद्देश्य को इंगित करता हुआ होना चाहिए जैसे कोटा शहर में युवकों में वेश्यावृत्ति के कारण तथा प्रभावों का एक अध्ययन।

2. समस्या का कथन- अनुसंधान परियोजना प्रारूप के इस भाग में जिस विषय पर अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उस पर विस्तृत प्रकाश डाला जाता है, अनुसंधान परियोजना के लिए जो विषय चुना गया है, वह क्यों चुना गया है? इसका महत्त्व क्या है? समस्या से ग्रस्त लोगों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण किया जाता है। वर्तमान की स्थिति को दर्शाया जाता है।

3. अनुसंधान विषय पर पूर्व में किये जा चुके कार्यों का ब्योरा- अनुसंधान के इस भाग में अनुसंधान के विषय पर पूर्व में किये गये शोध कार्यों का ब्यौरा दिया जाता है। पूर्व मतें

समस्या पर शोध कार्यों में क्या-क्या निष्कर्ष निकले? क्या-क्या कमियाँ रह गई? तथा प्रस्तुत अनुसंधान से समाज में क्या योगदान रहेगा? उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

4. अनुसंधान परियोजना के उद्देश्य- अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव के इस भाग में अनुसंधान के विशिष्ट तथा सामान्य उद्देश्यों को बिन्दूवार लिखा जाता है। उद्देश्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, तार्किक तथा समयबद्ध होने चाहिये।

5. उपकल्पनाएँ अथवा शोध प्रश्न- अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव के इस भाग में प्रस्तावित शोध/अनुसंधान की उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है जो कि उस शोध/अनुसंधान का आधार बनती है।

6. अनुसंधान पद्धति- शोध परियोजना के इस भाग में शोधकार्य करने हेतु पद्धति की व्याख्या की जाती है जिसके निम्न भाग होते हैं-

    अ. अनुसंधान शोध का समग्र

    ब. निर्दशन प्रक्रिया

    स. निर्दशन तकनीक का चरण

    द. निर्दशन का आकार

    य. तथ्य संकलन की विधि

    र. तथ्य संकलन के स्त्रोत - प्राथमिक तथा द्वितीयक

7. समय रेखा- शोध परियोजना प्रस्ताव के इस भाग में प्रस्तावित शोध को पूर्ण करने में लगने वाले अनुमानित समय का ब्योरा दिया जाता है। उदाहरण के लिए प्रारम्भिक तैयारियों तथ्हा ा परियोजना दल का चयन एवं प्रशिक्षण में लगने वाला समय, फिल्ड टेस्टिंग का समय, तथ्य संकलन के स्त्रोतों का निर्माण तथा जाँच में लगने वाला समय, तथ्य संकलन में लगने वाला समय, तथ्यों का विश्लेषण तथा संपादन में लगने वाला समय आदि।

8. प्रस्तावित परियोजना का संगठनात्मक स्वरूप- परियोजना प्रस्ताव के इस भाग में प्रस्तावित परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु आवश्यक संगठन का निर्माण किया जाता है।

9. परियोजना लागत- शोध परियोजना के इस भाग में प्रस्तावित योजना को पूर्ण करने में लगने वाली कुल लागत का ब्योरा दिया जाता है जिसमें मानव संसाधन, स्टेशनरी, प्रिन्टींग, क्षेत्र कार्य, तथ्य संकलन तथा विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन तथा अन्य खर्चों को जोड़ा जाता है।

फिल्ड एक्शन परियोजना प्रस्ताव का प्रारूप

मानव सेवी संस्थाओं द्वारा शोध परियोजना के अलावा विभिन्न मुद्दों पर भी परियोजना प्रस्ताव बनाये जाते हैं जो कि उन मुद्दों/समस्याओं को दूर करने के प्रयासों से सम्बन्धित होते हैं जिन्हें फिल्ड एक्शन परियोजना भी कहते हैं। उक्त परियोजना प्रस्ताव के निर्माण में निम्न भाग होते हैं-

1. परिचय, पाश्र्वदृश्य तथा समस्या विश्लेषण- परियोजना प्रस्ताव के इस भाग में जिस समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव का निमा्रण किया जा रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाती है। समस्या जिस पर काम करना है उसके अन्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर क्या स्थिति है, समस्या की गंभीरता तथा उसके प्रभावों के चित्रण आदि के बारे में प्रस्तुतीकरण किया जाता है। समस्या किसी स्वाभाविक आन्तरिक जरूरत के रूप में हो सकती है जैसे कि आर्थिक, चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा या मनोरंजन संबंधीं यह समस्या किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त जीवनयापन में रूकावट पैदा करने वाली हो सकती है।

2. लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का निर्धारण- परियोजना प्रस्ताव के इस भाग में परियोजना के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है।

3. परियोजना क्षेत्र का चयन, परिचय तथा चयन का कारण- इस भाग में प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी स्पष्ट की जाती है। उस क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक चित्रण, उस क्षेत्र की विशेषताएँ, परियोजना क्षेत्र के चयन का आधार, कारण तथा विश्लेषण इस भाग में प्रस्तुत किया जाता है।

4. लाभार्थिों की पहचान एवं उनके चयन के कारण- परियोजना प्रस्ताव के इस चरण में समस्या से ग्रस्त लोगों के बारे में लिखा जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के लाभार्थी कौन होंगे तथा उन्हें क्यों चयन किया जा रहा है। लाभार्थी कोई भी हो सकता है जैसे- बाल श्रमिक, विधवा, प्रताडित महिला, जनजाति तथा पछिड़े वर्ग के लागों, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग, भिक्षावृत्ति करने वाले, गरीब किसान आदि हो सकते हैं। जिनको कि इस परियोजना से लाभान्वित किया जाना है। इन लाभार्थियों का सर्वेक्षण करके, इनकी पहचान करके इन्हें चिन्हित कर लिया जाता है।

5. प्रस्तावित परियोजना की तार्किकता- इस भाग में परियोजना प्रस्ताव बनाने के कारण पड़ने वाले प्रभावों, परियोजना की आवश्यकता आदि के बारे में प्रस्तुतीकरण होता है।

6. रणनीति तथा गतिविधियाँ- परियोजना प्रस्ताव के इस भाग में समस्या समाधान हेतु गतिविधियों की पहचान कर उसका निरूपण किया जाता है। उन गतिविधियों को करने हेतु रणनीतियों को तैयार किया जाता है। यह गतिविधियाँ ही वास्तव में परियोजना उद्देश्यों की प्राप्ति में सीधा-सीधा सहयोग देती है। उदाहरण के लिए किसी 'नशा उन्मूलन' परियोजना में निम्न गतिविधियाँ हो सकती है-

   (1) समस्याग्रस्त लोगों की पहचान करना।

(2) समस्याग्रस्त लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करना।

(3) समस्याग्रस्त लोगों से प्रत्यख साक्षात्कार, परामर्श करना।

(4) समस्याग्रस्त लोगों के परिवार के साथ मन्त्रणा करना।

(5) उस क्षेत्र में नशावृत्ति से पड़ने वाले प्रभावों पर जागरूकता फैलाना।

(6) रैली, नारा लेखन, प्लेकार्ड, बैनर, होर्डिंग आदि के द्वारा संदेश देना।

(7) सायंकालीन बैठक, चलचित्र, लक्ष्ज्ञित समूह चर्चा आदि का आयोजन करना।

(8) समस्याग्रस्त लोगों का समूह निर्माण करना व समूह में चर्चा करना।

(9) मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।

(10) उचित चिकित्सकीय परामर्श देकर दवाइयाँ उपलब्ध कराना।

(11) मनोरंजन के कार्यक्रमों के साथ जोड़ना।

(12) उनके पूर्ण स्थापना कार्यक्रमों का आयोजन आदि।

7. समय रेखा- परियोजना प्रस्ताव के इस भाग में प्रत्येक गतिविधि को पुरा करने तथा परियोजना पूर्ण होने में लगने वाले समय को दर्शाया जाता है।

8. क्रियान्वयन संगठन- परियोजना प्रस्ताव के इस भाग में परियोजना के उचित क्रियान्वयन, निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु संगठनात्मक ढाँचा तैयार किया जाता है। जिसकी सुचनाओं का आदान-प्रदान समय पर हो पाए निगरानी तथा निर्णय लेने में सहायक हो।

9. बजटींग- परियोजना प्रस्ताव के इस भाग में प्रस्तावित परियोजना को पूर्ण होने में होने वाले कुल व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें मानव संसाधन पर होने वाला खर्च, प्रत्येक गतिविधियों को पूर्ण करने में होने वाला खर्च, प्रशासनिक तथा कार्यालय खर्च आदि सम्मिलित है।

इस प्रकार परियोजना प्रस्ताव का निर्माण कर दाता संस्थाओं को भेजा जाता है। यह दाता संस्थाएँ इन परियोजना प्रस्तावों के आधार पर मानवसेवी संस्थाओं को कोष प्रदान करती है।

परियोजना क्रियान्वयन-

परियोजना प्रस्ताव पर दानदाता संस्था तथा क्रियान्वयन मानव सेवी संस्था में सहमति होने के पश्चात् क्रियान्वयन मानव सेवी संस्था के द्वारा परियोजना प्रस्ताव के अनुसार गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। परियोजना क्रियान्वयन में नि म्न बातों का प्रबन्ध किया जाता है-

- समयबद्धता- प्रत्येक गतिविधि को उसके लिए ये निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना।
- निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना।
- संसाधनों का उचित उपयोग- प्रत्येक गतिविधि को करने के लिए आवंटित किये गये संसाधनों यथा मानव, धन, सामग्री, मशीनरी, तकनीकी आदि का उचित उपयोग निश्चित किया जाये।
- दानदाता संस्था के साथ हुए सहमति शर्तों का पालन करना।
- प्रगति प्रतिवेदन, दस्तावेजों, आंकड़ों, तथ्यों आदि को तैयार करना व समय पर दानदाता संस्थाओं को उपलब्ध कराना।
- परियोजना लागत में नियन्त्रण का प्रयास करना।
- उचित क्रियान्वयन हेतु परियोजना संगठनात्मक ढाँचे का निर्माण करना।
- निगरानी एवं अनुश्रवण प्रणाली की व्यवस्था करना आदि।

3.5 सारांश

मानव सेवी संगठन अपने विशिष्ट सेवा उद्देश्यों के कारण क्रियाओं तथा गतिविधियों में विशिष्टता लिये हुए रहते हैं। अन्य लाभकारी संगठनों के प्रबन्ध से यह मानवसेवी संगठन प्रथकता लिये हुए रहते हैं। यत्रपि प्रबन्ध के सिद्धान्त तथादर्शन इन संगठनों में भी वही रहते हैं किन्तु उनके क्रियान्वयन का तरीका परिवर्तित हो जाता है। मानव सेवी संगठनों के प्रबन्ध में सर्वप्रथम 'नियोजन' आता है जिसके द्वारा संगठनात्मक नियोजन तथा परियोजनात्मक नियोजन किया जाता है। तत्पश्चात् संगठन तथा नियुक्ति का आता है जिसके द्वारा सही व्यक्ति को सही समय पर सही कार्य पर लगाया जाता है। संसाधनों, कार्य दायित्वों, कार्य पद्धतियों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्वें में सामन्जस्य बिठाकर गतिविधियों का क्रियान्वयन कराया जाता है। समन्वय तथा नियन्त्रण प्रबन्ध की ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा मानव तथा अन्य संसाधनों के मध्य सामन्जस्य बिठाकर व्यक्तिगत व सामूहिक उद्देश्यों में तालमेल बैठाकर संगठन के संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाता है। प्रतिवेदन तथा बजटिंग इन संगठनों में महत्त्वपूर्ण स्थान लिये रहते हैं। मानवसेवी संगठनों में प्रबन्धन की आवश्यकता महत्त्वपूर्ण रूप से परियोजनाएँ प्रस्ताव निर्माझा तथा क्रियान्वयन में भी रहती है।

3.6 शब्दावली

- अनुकूलतम : पूर्ण, पुरा, सही, बेहतर
- निर्देशन : आदेश देना, निर्देश देना, मार्ग प्रशस्त करना
- नव प्रवर्तन : नवीन कार्य करना, खोज करना, पहल करना
- समन्वय : सामन्जस्यता, एकरूपता

3.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. मानवसेवी संगठन में प्रबन्ध की आवश्यकता को समझाइये।
2. मानवसेवी संगठन में नियोजन को समझाइये।
3. मानवसेवी संगठन में संगठन तथा नियुक्ति को लिखिए।
4. मानवसेवी संगठन में रिपोर्टिंग एवं बजटिंग को लिखिए।
5. अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव के निर्माण प्रक्रिया को लिखिए।
6. फिल्ड एक्शन परियोजना प्रस्ताव के निर्माण प्रक्रिया को लिखिए।

3.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

- दशोरा, एम.एल. (1996) संगठन, सिद्धान्त एवं व्यवहार, हिमांशु पब्लिकेशन।
- ड्रकर एफ.पी. (1954) द प्रेक्टिस आू मेनेजमेन्ट।
- फिशर एकई (1955) द न्यू लुक एट मेनेजमेंट कम्यूनिकेशन पर्सनल वोल्युम 6
- मेग्रेगर (1960) द ह्ुमन साइड ऑफ इन्टरप्राइज।
- त्रिपाठी पी.सी. (2008) द प्रिंसिपल्स ऑफ मेनेजमेन्ट, टाटा मेक्ग्राथहील एज्युकेशन।
- पवन (2012) हेण्डबुक आॅन एनजीओ मेनेजमेंट, नाभि पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

इकाई - 4

मानवसेवी संस्थाओं में कोष निर्माण के स्त्रोत

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 कोश निर्माण

4.2.1 कोष निर्माण की आवश्यकता

4.2.2 कोष निर्माण: पूर्व आवश्यकता

4.2.3 कोष निर्माण के स्त्रोत

4.3 मानव सेवी संस्था के दाता संस्था से संबंध

4.4 सारांश

4.5 शब्दावली

4.6 अभ्यासार्थ प्रश्न

4.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

4.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- कोष निर्माण की आवश्यकता को समझ पाएंगे।
- कोष निर्माण की पूर्व आवश्यकता व स्त्रोत का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे।
- संस्था के दाता संस्था से सम्बन्ध की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।

4.1 प्रस्तावना

मानव सेवी संस्थाएँ समाज के कमजोर, पीडित, गरीब, दरीद्र व्यक्तियों की सहायता करती है। स्वतन्त्रता से पूर्व ये संस्थाएँ पूर्ण रूप से दान के माध्यम से चलती परन्तु स्वतन्त्रता के बाद इन संस्थाओं के लिए कार्य करने में कठिनाई होने लगी थी क्योंकि आर्थिक व वित्तीय संकट के कारण संस्थाएँ अपने कार्यों को करने में अयोग्य हो गयी थी। धीरे-धीरे संस्थाओं ने धन प्राप्त करने के नये-

नये स्त्रोतों का अध्ययन किया जिनके माध्यम से संस्थाएँ अपने कार्यों के लिए धन प्राप्त कर सकती है। समाज कार्य में क्षेत्रीय कार्य के अभ्यास के दौरान प्रशिक्षु को इन स्त्रोतों का गहनता से अध्ययन करना चाहिए।

4.2 कोष निर्माण

भारत में समाज कल्याण और राहत के कार्यों के लिए धन देना धर्म का एक अंग माना जाता था। धनी एवं पूँजीपति लोग दान देकर समाज कल्याण के कायों को चलाने में सहायता देते थे। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना की घोषणा के बाद संस्थाओं के लिए ऐसे व्यक्तिगत स्त्रोतों से धन प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो गया था। कई बार जो व्यक्ति संस्थाओं को दान देते थे वे संस्थाओं को अपने अनुसार कार्य करने के लिए विवश करते थे क्योंकि संस्था उनके दान से चलती थी। धीरे-धीरे संस्थाओं ने ऐसे लोगों से दान लेना बंद कर दिया।

वर्तमान में समाज कल्याण के लिए दान करने वाले व्यक्ति भी नहीं रहे हैं जो वास्तव में सामाजिक भावना से धन दे। इसके अतिरिक्त सरकार ने भी सामाजिक संस्थाओं को औपचारिक रूप से गठित करने के आदेश दिये हैं व संस्थाओं को औपचारिक बनाने के लिए उन्हें कानूनी अधिनियमों के तहत पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा तभी संस्थ्ज्ञा को कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। अगर संस्था सरकार या अन्य संस्थाओं या संगठनों से धन प्राप्त करना चाहती है तो उसे पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया को हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं।

संस्थाओं को सामाजिक विज्ञान की उन्नति के कारण समाज कार्य तकनीकी रूप से चलाने के लिए और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है साथ ही संस्थाओं को निरन्तर परिवर्तित समस्याओं के अनुसार नये-नये कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं जिन पर अधिक धन का व्यय होता है।

लेकिन अब संस्थाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं धन प्राप्त करने के विभिन्न स्त्रोतों को खोज लिया है जिनके द्वारा वे पैसा प्राप्त कर सामाजिक कार्यों में पैसे की समस्या को हल कर सकती है। फण्ड प्राप्त करने के विभिन्न स्त्रोत व तकनीकीयां कई लोगों ने प्रतिपादित की है जिनका विवरण आगे प्रस्तुत किया गया है।

4.2.1 कोष निर्माण की आवश्यकता

मानव सेवी संस्थाओं या एन.जी.ओ. को धन एकत्रित करने की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है-

1. संस्थाओं को अपने कार्यों जैसे- विभिन्न कार्यक्रम को चलाने के लिए, संगठन के कार्यों में विकास आदि के लिए उपलबध संसाधनों की धनराशि में वृद्धि करने हेतु धन की आवश्यकता होती है।

2. कुछ संस्थाएँ दानदाता संस्थाओं पर निर्भरता नहीं चाहती है इसलिए भी वे धन एकत्रित करना चाहती है।

3. संस्थाएँ अत्यधिक या लम्बे समय तक अपने को आर्थिक रूप से बनाये रखना चाहती है।

4. संस्थाएँ समुदाय से सम्बन्ध बनाये रखने के लिए भी ऊके लिए विभिन्न सुविधाएँ तथा कार्य करती है जिसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है।

5. विभिन्न बड़े-बड़े कार्य क्षेत्र जैसे आदिवासी अधिकारी, पर्यावरण या बाल श्रम जैसे मुद्दों पर कार्यशाला, गोष्ठी आदि आयोजित करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है।

6. अधिक धन होने से संस्था के कार्यों में आसानी व सरलता हो जाती है।

7. धन एकत्रिकरण कर संस्था सामाजिक विकास के विभिन्न मुद्दे जिन पर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा उन पर भी कार्य करती है।

8. संस्थाओं का कार्य क्षेत्र विस्तृत तथा चुनौतिपूर्ण होता है जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है।

9. संस्थाओं को अपने कार्यकर्ताओं तथा समुदाय की आवश्यकता को पुरा करने के लिए भी धन आवश्यक होता है।

10. कुछ संस्थाएँ अधिक धन एकत्रित कर जनता एवं अन्य संस्था के समक्ष अपनी छवि निर्माण के उद्देश्य से भी धन एकत्रित करती है।

4.2.2 कोष निर्माण: पूर्व आवश्यकता

प्रायः संस्थाओं के लिए धन प्राप्त करना बहुत बड़ी समस्या रहती है। कुछ संस्थाएँ धन प्राप्त करने के स्त्रोत के सम्बन्ध में जानती है लेकिन धन प्राप्त कैसे किया जाएगा इसकी जानकारी नहीं होती है। ऐसे में संस्थाओं के लिए यह आवश्यक होता है कि वे पर्याप्त तैयारी कर धन संग्रहण का कार्य करे अन्यथा उन्हें असफलता का सामना करना पड़ेगा। धन सग्रहण हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए:-

1. धन किस कार्यक्रम हेतु चाहिए।

2. कितने धन की आवश्यकता है।

3. कितनी समयावधि के लिए धन चाहिए।

4. धन प्राप्त करने के स्त्रोत क्या है।

5. धन संग्रह के साधन क्या होंगे।

6. निधि संग्रह की अवधि का निर्धारण।

7. धन सग्रह के लिए विधियों का प्रयोग।

8. पिछले वर्ष कितना धन-संग्रह किया गया।

9. संग्रह करने पर व्यय का ब्यौरा।

10. पिछले वर्ष निर्धारित राशि से कमी-पेशी के कारणों की जाँच।

11. भविष्य में धन संग्रह के लिए सामरिकता।

12. कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए सुझाव।

उपर्युक्त बिन्दुओं का निर्धारण धन संग्रह करने से पहले करना होगा अर्थात् इन प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के पश्चात् किया गया धन संग्रह अवश्य सफल होगा।

4.2.3 कोष निर्माण के स्त्रोत

संस्थाओं को अपने कार्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता हमेशा होती है और ये संस्थाएँ अपने ल क्ष्य को पुरा करने हेतु धन एकत्रिकरण के अलग-अलग तरीके एवं स्त्रोतों का उपयोग करती हैः-

एन.जी.ओ. में मुख्य रूप से धन एकत्रिकरण के दो स्त्रोत होते हैं जो निम्नलिखित है-

(क) आन्तरिक स्त्रोतः-

(i) सदस्यों द्वारा दिया गया अंशदान

(ii) सदस्यता शुल्क लेकर

(iii) प्रयोजन शुल्क

(iv) बिक्री (जैसेः- ग्रीटिंग कार्ड, मोमबत्ती/हैण्डीक्राफ्ट आइटम, होममेड फूड आइटम, पुस्तकों आदि की बिक्री, खिलौने, स्वयं सहायता समूह द्वारा बने माल को बेचकर आदि)

(v) ब्याज

(vi) समुदाय के दानी लोग, संरक्षक ;चंजतवदद्ध सदस्य, आजीवन सदस्य आदि

(vii) व्यक्तिगत दान

(viii) संगीत गोष्ठिया, नुकड़ नाटक, फिल्म प्रदर्शन आदि के द्वारा

इन सभी स्त्रोतों के अतिरिक्त कुछ एन.जी.ओ. जिनके पास कार्य करने के लिए कार्यकर्ता नहीं है या वेतन भोगी कर्मचारियों के बदले वालंटीयरों की सेवाओं का लाभ उठाकर भी अपने संसाधन बचा सकते हैं।

(ख) बाह्य स्त्रोतः- बाह्य स्त्रोतों में संस्था मुख्य रूप से निम्न स्त्रोतों के द्वारा धन प्राप्त करती है-

1. ग्राट इन एड
2. वस्तुओं के रूप में दान
3. जनता से दान
4. औद्योगिक घरानों से धन प्राप्त करना
5. काॅरपोरेट निकाय
6. दान संस्थाएँ
7. केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान
8. राज्य सरकार द्वारा अनुदान
9. स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएँ
10. फण्डिंग संस्थाएँ
11. अन्त्तराष्ट्रीय संगठन
12. अनुदान द्वारा

उपर्युक्त आन्तरिक एवं बाह्य स्त्रोतों का विस्तृत विवरण आगे प्रस्तुत किया गया है।

1. **ग्रांट इन एड (केन्द्रिय या राज्य सरकार द्वारा):-** भारत सरकार/राज्य सरकारों से मिलने वाली ग्रांट इन एड धन का प्रमुख स्त्रोत है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने जनता के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित की है। ये एन.जी.ओ. अब सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन या संचालन में सहायता करती है तो सरकार भी इसे एन.जी.ओ. को ग्रांट इन एड देकर उनकी सहायता करती है। अर्थात् ग्रांट इन एड सेसरकार का लक्ष्य भी पुरा हो जाता है।

2. **वस्तुओं के रूप में दानः-** दानदाताओं द्वारा एन.जी.ओ. को उनके कार्यों को करने के लिए पैसा या वस्तुएँ दी जाती है जैसे बच्चों के स्वास्थ्य कार्यक्रम में दवाईयाँ दान कर दी, गरीबों के लिए खाद्य सामग्री, बच्चों के लिए पुस्तकें इत्यादि वस्तुओं का दान करके भी दानदाता संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

3. **जनता से दानः-** व्यक्तिगत दान के द्वारा धन के स्त्रोत का यह लाभ होता है कि यह वर्तमान एवं लगातार चल रहे प्रोजेक्ट को एक व्यापक आधार देते हैं। इसकी तुलना में NGOs के आंतरिक स्त्रोत सामान्यतः सीमित होते हैं।

4. **औद्योगिक घरानों/व्यापारिक घरानों के प्रतिष्ठानों से धनः- भारत** में जाने माने औद्योगिक घरानों ने बहुत से धर्मार्थ प्रतिष्ठान स्थापित किये हैं जो कि NGOs के लिए धन के

अच्छे स्त्रोत है। ये प्रतिष्ठान NGOs को पैसा देते हैं जिससे उनकी छवि जनता में अच्छी बनती है साथ ही उनके उत्पाद की च्नइसपबपजल होती है। ऐसे विभिन्न प्रतिष्ठान है जैसेः- धीरूभाई अंबादी प्रतिष्ठान, अजीम प्रेमजी प्रतिष्ठान, डा.रेड्डी प्रतिष्ठान, टाटा स्मारक सामाजिक केन्द्र आदि ऐसे कुछ उद्योग समर्थिम फण्डिंग संस्थाएँ है।

5. **कारपोरेटेड निकायः-** कारपोरेट निकाय पहले स्वैच्छा से एन.जी.ओ. को पैसा देकर सहायता करते थे। ऐसे कारपोरेट का लक्ष्य छवि निर्माझा तथा टैक्स बचाना था परन्तु वर्तमान में इन कारपोरेट निकायों जिनका प्रतिवर्ष 5 करोड़ से अधिक नेट प्रोफिट होता है उन्हें तीन वित्तीय वर्ष का औस्तन 2 प्रतिशत धन सामाजिक निगतिम कार्यो में खर्च करने हेतु कानूनी रूप से बाध्य कर दिया है। ऐसा नवीन संशोधन कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में हुआ है। अब छळव्ं के लिए धन एकत्रिकरण को बहुत अच्छा स्त्रोत कारपोरेट निकाय बन गया है।

6. **दाता संस्थाएँः-** किसी भी संस्था या संगठ्न का किसी भी तरह का अंशदान दाता कहलाता है। ये संगठन या दाता संस्थाएँ किसी भी रूप में अन्य संस्थाओं को दान दे सकती है। जैसेः- पैसा, जमीन, परामर्श या स्वैच्छिक कार्यकर्ता इत्यादि। बहुत सी संस्थाओं के कार्यक्रम दान के माध्यम से ही चलते हैं ये दाता संस्थाएँ राष्ट्रीय व अन्त्रराष्ट्रीय पर स्थापित होती है।

   धन संग्रह आंदोलन- कुछ संस्थाएँ अपनी आय का कुछ भाग वर्ष में एक बार देश में धन-संग्रह आंदोलन चलाकर एकत्र करती है। ऐसे अवसरों पर टोकन बेचे जाते हैं और संस्थाएँ नगर में कई स्थानों पर सिलबन्द डिब्बे रखती है जिनमें अन्य व्यक्ति कुछ राशि अपनी इच्छानुसार देते हैं। अर्थात् कई संस्थाएँ ऐसे आन्दोलनों का उद्देश्य ही धन संग्रह करना रखती है तथा अन्य व्यक्ति जो समाज सेवा की भावना रखते हैं वे इन्हें पैसा दान कर सकते हैं और कुछ ऐसी संस्थाएँ भी है जो इन संस्थाओं को पैसा देती है क्योंकि उनकी संस्था के उद्देश्य उन आंदोलन करने वाली संस्था के समान है। अतः यह विधि भी धन एकत्रिकरण का अच्छा स्त्रोत है।

7. **केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानः-** भारत सरकार के स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, शिक्षा तथा समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, मानव संसाधन विकास तथा आदिवासी विकास, महिला एवं बाल विकास, आदि मंत्रालय, स्वस्थ्य, परिवार-नियोजन, समाज कल्याण, प्रौढ़-शिक्षा, ग्रामीण विकास और महिला और बालकों के विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को अनुदान देते हैं। समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान बालकों, महिलाओं, बाधितों व सामान्य सामुदायिक कल्याण सेवाओं के आयोजन के लिए दिया जाता है यहाँ से अनुदान प्राप्त करने के लिए पंजीकृत संस्था को निर्धारित प्रारूप में या प्रार्थना पत्र तैयार कर अपने राज्य के समाज कल्याण बोर्ड को भेजना पड़ता है। तत्पश्चात् राज्य बोर्ड के अधिकारी संस्था का निरीक्षण करते हैं यदि बोर्ड के अधिकारी संस्था के कार्यों से संतुष्ट या संस्था को योग्य समझते हैं तो

वे अनुदान का स्वीकृति-पत्र, जिसके अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने की शर्तें व नियम होते हैं उसे भेजते हैं। उसके बाद संस्था को अनुदान की राशि दी जाती है। यह राशि किश्तों में दी जाती है कार्य समाप्ति पर सम्पुर्ण अनुदान की राशि संस्था को देय हो जाती है।

8. **राज्य सरकार द्वारा अनुदानः-** राज्य सरकारें भी स्वैच्छिक संस्थाओं को समाज कल्याण तथा समाज सेवा के कार्यों को करने के लिए अनुदान देती है। जैसे- निराश्रित, बालकों के लिए अनाथालय, अपराधी बालकों के लिए सुधार गृह निर्माण करना, निराश्रित एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए आश्रय गृह आदि कार्यों के लिए अनुदान दिया जाता है लेकिन राज्य सरकार तथा केन्द्रिय समाज कल्याण बोर्ड के अनुदान में प्रभावी तालमेल नहीं होने से कई बार एक कार्य के लिए दो-दो बार अनुदान मिल जाता है।

9. **स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएँः-** स्थानीय संस्थाएँ जैसे- नगरपालिका/नगर निगम, जिला परिषद् पंचायत समितियाँ इत्यादि भी समाज कल्याण कार्यों को करने के लिए अनुदान राशि देते हैं परन्तु इनकी अनुदान राशि संस्था व कार्यक्रम की आवश्यकता से कम ही पायी गयी है।

10. **फण्डिंग एजेन्सी द्वाराः-** फण्डिंग एजेन्सीज से आशय ऐसी संस्थाओं से है जिनका उद्देश्य विभिन्न समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को फण्ड देना होता है। ये संस्थाएँ राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर होती है। इस प्रकार की संस्थाएँ सरकारी एवं गैर सरकारी या स्वैच्छिक भी हो सकती है। ये संस्थाएँ पैसा प्रोजेक्अ आधार पर तथा अपने उद्देश्यों के समान कार्य करने वाली संस्था को देती है। इन संस्थाओं के अपने नियम तथा आधार होते हैं। अतः जो भी संस्थाएँ इन संस्थाओं से पैसा प्राप्त करना चाहती है उन्हें फण्डिंग ऐजेन्सीज के नियमों का अनुसरण करने के पश्चात् ही पैसा मिलता है।

11. **अन्तराष्ट्रीय संगठन द्वाराः-** ऐसे बहुत से अन्तराष्ट्रीय संगठन है जो संस्थाओं के लिए धन का स्त्रोत भी है। इन अन्तराष्ट्रीय संगठनों द्वारा मानवता के कल्याण के निमित्त, भूख, बिमारी, प्राकृतिक आपदा, गरीबी, अशिक्षा आदि के कारण होने वाली मानवीय तकलीफों को दूर करने के लिए दान या अनुदान देती है। इन अन्तराष्ट्रीय संगठनों के भी अपने उद्देश्य व धन देने के आधार होते हैं जैसे WHO (World Health Organization) विश्व स्वास्थ्य संगठन सम्पूर्ण विश्व में स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है। अतः ऐसी विभिन्न अन्तराष्ट्रीय संगठन भी दान या फण्ड देकर समाज कल्याण संस्थाओं की सहायता करते हैं।

12. **अनुदान द्वाराः-** विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय सामाजिक संस्थाएँ जैसेः- भारतीय रेड क्रांस, गांधी स्मारक निधि आदि अपनी शाखाओं को अनुदान देती है। इसके अलावा कुछ धर्मार्थ या दानार्थ न्यास भी अपनी निधि में से कुछ राशि अनुदान के रूप में देते हैं। कुछ सरकारी संस्थाएँ भी समाज कल्याण के कार्य करने वाली संस्थाओं को अनुदान देकर सहायता करती है ये अनुदान विभिन्न प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है-

विकास के लिए अनुदानः- यह अनुदान संस्था के कार्यक्रमों के विस्तार और विकास के संबंध में दिया जाता है।

पूँजीगत अनुदान:- भवन निर्माण, उपकरण के लिए दी जाने वाली राशि, पूँजीगत अनुदान के अन्तर्गत आती है।

अनुरक्षण अनुदान:- संस्थाओं को अपने वर्तमान कार्यक्रमों के अनुरक्षण के लिए उनके व्यय का कुछ भाग अनुदान के रूप में दिया जाता है। ऐसा अनुदान प्रायः राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है।

संविहित अनुदान:- राज्य सरकार अधिनियम के तहत अपने दायित्वों तथा कार्यों को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देती है।

प्रबंधात्मक अनुदान:- संस्था के प्रबन्धन के लिए व्यय होने वाली रकम का कुछ भाग अनुदान के रूप में दिया जाता है।

आपातकालीन सहायता अनुदान:- आपातकालीन परिस्थितियाँ जैसेः- बाढ़, सूखा, आग आदि से पीडित लोगों के लिए सेवाओं का आयोजन करने हेतु दी जाने वाली राशि आपातकालीन सहायता अनुदान के अन्तर्गत आती है।

सदस्यता शुल्क या चंदा:- भारत में संस्थाओं के सदस्य संस्था में सदस्यता प्राप्त करने के लिए सदस्यता शुल्क जमा कराते हैं वैसे पश्चिम देशों की संस्थाओं में सदस्य बनने के लिए शुल्क देना महत्त्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी यह सदस्यता शुल्क धन एकत्रित करने की उपयोगी विधि है। यह कार्य अत्यंत कठिन है परन्तु संस्था के सदस्यों को मिलकर इस प्रकार के प्रयासों के माध्यम से अधिक से अधिक सदस्यता शुल्क प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः संस्था के साधनों की वृद्धि करने के साथ-साथ शुल्क संस्था में सदस्यों की रूचि का सूचक भी है।

शुल्क या किराया राशि:- विभिन्न संस्थाएँ अपने स्वयं के बालवाडी, प्रशिक्षण केन्द्र, चिकित्सा केन्द्र आदि चलाते हैं और इन्हें सेवार्थीयों को देकर उनसे शुल्क भी वसुलते हैं। सामान्यतः यह सही भी है क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में समाज कल्याण सेवाएँ निःशुल्क देना अब संभव नहीं है और न ही आवश्यक है। पश्चिम देशों में भी ये सब सेवाएँ शुल्क पर ही उपलब्ध करायी जाती है। अतः संस्था की सेवाओं को शुल्क देकर देने से भी धन एकत्रित किया जाता है।

ब्याज:- संस्थाएँ अपने प्रत्येक बैंक खाते में से कुछ-न-कुछ रकम बज के रूप में प्राप्त करती है परन्तु कुछ संस्थाएँ अपनी पूँजी को सर्वाधिक जमा खाते में जमा करवाकर उन पर प्राप्त होने वाले ब्याज को संस्था के आय-खाते में डालती है। कुछ दानी व्यक्ति दान भी अपनी मूल राशि के ब्याज के रूप में ही देते हैं।

विक्रय आय:- कई संस्थाएँ भी सेवार्थियों के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र चलाती है इन केन्द्रों में सेवार्थियों को कुछ न कुछ व्यवसाय जैसे महिलाओं को सिलाई करिने, ब्युटी पार्लन, आचार, पापड़, अगरबत्तियाँ, साबुन, पर्स आदि बनाने का प्रशिक्षण, युवाओं या बेरोजगारों को तकनीकी प्रशिक्षण, मोबाईल रिपेयर करना, मोटर वाईन्डिंग आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है जिसका लाभ सेवार्थियों एवं संस्था दोनों को होता है। सेवार्थियों के मन में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता

की भावना में वृद्धि होगी साथ ही संस्था भी इनके द्वारा बनाये गये उत्पाद को मार्केट में विक्रय कर संस्था के लिए धन एकत्रित कर सकती है।

संरक्षणः- हमारे देश में कुछ संस्थाएँ जिन्होंने अपने अनाथालय खोल रखे हैं जिनमें निराश्रित बच्चे रहते हैं। ये संस्थाएँ अगर वित्तीय समस्या के कारण बच्चों का रख-रखाव या सुविधाएँ देने में असमर्थ होती है तो ये संस्थाएँ कई लोगों व संगठनों जैसे- मद्रास की गिल्ड ऑफ सर्विस, धनी व्यक्तियों, वाणिज्य संस्थाओं, जल, थल और वायु सेना के अधिकारियों, राष्ट्रपति, राजदूतों आदि को संस्था के अनाथ और निराश्रित बच्चों के संरक्षण का भार सौंप देती है। इसका आशय है कि संरक्षक किसी अवधि विशेष के लिए संस्था में बच्चे के रहन-सहन आदि का भार उठाता हैद्व पत्र-व्यवहार करता है और अवकाश के दिनों में उसे अपने साथ परिवार में रखता है। इससे संस्था को भी आर्थिक सहायता मिल जाती है। दूसरा बच्चों के आत्म विश्वास में भी वृद्धि होती है साथ ही निराश्रित बच्चे पारिवारिक वातावरण में रहकर खुशी व प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।

सिनेमा-भवनों में धन संग्रहः- मुख्य रूप से पश्चिम देशों में इस विधि से धन संग्रह का कार्य किया जाता है। इसी संस्था के द्वारा किसी सामाजिक व ज्वलंत मुद्दे के विषय में एक फिल्म दिखाई जाती है। इसके पश्चात् संस्था का एक व्यक्ति मंच पर आकर संस्था के विषय में परिचय देता है जो उस सामाजिक समस्या जिसे फिल्म में दर्शाया गया है उस पर कार्य कर रही है। साथ ही संस्था उस समस्या के समाधान के लिए क्या कर रही है यह भी बताता है। तथा भविष्य में भी संस्था इस प्रकार के कार्य करना चाहती है लेकिन वित्तीय समस्या के कारण संस्था अपने कार्यों कोस मुचित तरीके से नहीं कर पा रही है। इन सभी बातों का उल्लेख वह व्यक्ति दर्शकों के समक्ष करता है और उनसे आर्थिक सहायता व सहयोग भी मांगता है। इसके लिए दानपेटी रखी जाती है। जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में रूचि रखता है तथा समस्या समाधान के प्रति सकारात्मक सोच रखता है वह संस्था को आर्थिक सहयोग देता है। इस धनराशि से संस्था अपने कार्यों को सही तरीके से कर सकती है।

पुस्तिका विक्रय करः- संस्थाएँ अपने कार्यों तथा कार्यक्रम जो वर्ष भर में किये जाते हैं इनके सम्बन्ध में विभिन्न पुस्तिका भी प्रकाशित करवा सकती हैं कुछ वाणिज्य-संस्थाओं के साथ सम्पर्क स्थापित कर संस्थाएँ उनका विज्ञापन लेकर भी आय प्रापत कर सकती है। इन पुस्तिका का विक्रय कर संस्था धन प्राप्त कर सकती है साथ ही विज्ञापन की आय भी संस्था को अतिरिक्त मिल जाती है। यह स्त्रोत धन एकत्रिकरण के लिए अच्छा है।

ट्रस्टः- ट्रस्ट के द्वारा भी अनुदान देकर संस्थाओं की सहायता की जाती है। ट्रस्ट का निश्चित उद्देश्य होता है और ट्रस्ट अपने उद्देश्य के समान कार्य करने वाली संस्थाओं को पैसा देती है। ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों जैसें- अस्पताल, विद्यालय, नर्सिंग संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों, रोजगार केन्द्र खोलने व रख-रखाव हेतु अनुदान देती है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, अनाथालय, वृद्धाश्रम, जरूरतमंदों की सहायता, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए संस्थान स्थापित करने एवं प्रकृति आपदा में सहायता करना। सार्वजनिक पार्क, बाग स्पोर्ट क्लब, धर्मशालाएँ, विश्राम गृह आदि के निर्माण हेतु अनुदान देती है। अतः इन उद्देश्यों को लेकर कार्य करने वाली विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं को अनुदान देने का कार्य ट्रस्अ करती है ताकि ये संस्थाएँ अपने कार्य बिना वित्तीय अभाव के समूचित रूप से कर सके।

टूरिस्ट/विजिटर्स:- संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के टूरिस्ट या विजिटर्स संस्था के कार्यकलाप को जानने व संस्था को भ्रमण करने के उद्देश्य से आते हैं। ये लोग कई बार संस्था की गतिविधियों से प्रभावित होते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। अगर संस्था चाहे तो इन विजिअर्स/टूरिस्ट के समक्ष भी अपनी संस्था की धन की आवश्यकता को रखकर उनसे धन की सहायता करने का निवेदन कर सकती है। भारत की संस्थाओं में विभिन्न विदेशी टूरिस्ट आते हैं। कई बार वे संस्था की गतिविधियों से प्रभावित होकर उस संस्था को फण्ड या पैसा देने का मानस बनाते हैं और संस्था को पैसा देते भी हैं। हमारे देश की संस्थाओं में लाखों या करोड़ों रूपयों का फण्ड विदेशी विजिटर्स से प्राप्त होता है।

मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ आोजित कर:- संस्थाएँ अपने धन एकत्रिकरण के लिए कुछ मनांरंजनात्मक गतिविधियाँ आयोजित करती है जैसे- सामाजिक समस्या पर भीड़ में नुकड़ नाटक कर, मेले में सामाजिक गतिविधियों की प्रदर्शनियाँ लगाकर, कटपूतली के शो के द्वारा सामाजिक समस्या की जानकारी देकर आदि। कुछ संस्थाएँ बड़े-बड़े समाज सेवियों की जीवनी के सम्बन्ध में पुस्तकें लिखती है, कविताएँ एवं संस्था के कार्यों के सम्बन्ध में पुस्तकें आदि को मार्केट में विक्रय करके अधिकांश राशि प्राप्त की जा सकती है।

बैंकिंग सेक्टर द्वारा सहायता:- बैंकिंग सेक्टर भी सामाजिक संस्थाओं के लिए जो सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करती है उन्हें वित्तीय सहायता देता है। वत्रमान में कम्पनी एक्ट में संशोधन ग क्षेत्र भी सामाजिक निगमित जिम्मेदारी के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय एवं आर्थिक सहयोग कर रहा है। पहले बैंकिंग क्षेत्र स्वेच्छा से इन संस्थाओं की सहायता करता था परन्तु अब उसे इन कार्यों को कानुनी रूप से करना होगा। अतः सामाजिक संस्थाओं के लिए धन एकत्रिकरण के लिए यह क्षेत्र बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

4.3 मानवसेवी संस्था के दाता संस्था से सम्बन्ध

संस्थाओं की दाता संस्था के साथ सम्बन्ध सकारात्मक होने चाहिए और एक बार सम्बन्ध बनने के पश्चात् लम्बे समय तक मधुर व मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कैसे बने इसका प्रयास निरन्तर करते रहना चाहिए। मुख्य तौर पर समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए दाता संस्था के साथ सम्बन्ध इसलिए आवश्यक है क्योंकि दाता संस्था इन संस्थाओं को धन या आर्थिक रूप से अनुदान देती है। जो संस्था के कार्यों के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

संस्थाएँ निम्न प्रकार दाता संस्थाओं से मधुर सम्बन्ध निर्माण करने के लिए करती है:-

1. दाता के साथ प्रभावी संवाद:- एक NGOको दाता के साथ्ज्ञ प्रभावी संवाद करना चाहिए तथा संवाद के दौरान संस्था की नितियों एवं कार्यों को भी प्रभावपूर्ण रूप से बताना चाहए।

2. विश्वास में लेना:- दाता के समक्ष संस्था को अपनी वर्तमान आवश्यकता को पुर्णतः उसे विश्वास में लेकर बतानी चाहिए। जिससे दाता भी संस्था की आवश्यकता एवं समस्या को समझ सके।

3. दाता के इनकार को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करनाः- अगर दाता फण्ड देने से मना करता है तो भी उस अनुभव को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए तथा अन्य दाता के समक्ष उसकी आलोचना न करे अन्यथा भविष्य में उस संस्था से फण्ड लेने में समस्या हो सकती है।

4. फण्ड का सदुपयोग करें:- संस्था को दाता के द्वारा जो भी पैसा प्राप्त हो उसका प्रयोग संस्था के कार्यों में ही करे तथा जनहित में ही पैसा खर्च करना चाहिए।

5. नियमित प्रतिवेदन देः- संस्था को अपने प्रत्येक कार्यक्रम का प्रतिवेदन नियमित तैयार करना चाहिए और दाता जब भी आवश्यकता हो उसे समय पर प्रतिवेदन भेजना चाहिए इससे दाता का विश्वास संस्था के प्रति गहरा होता है।

6. क्षेत्र के कार्यों की सुचना देनाः- कई बार दाता संस्थाओं से उनके क्षेत्रीय कार्य में किये गये दस्तावेज या फोटो या अन्य सुचनाएँ भी माँगते हैं ऐसी परिस्थिति में संस्था को समय पर सही सुचना दे देनी चाहिए।

7. दाता एवं लाभार्थियों से सम्पर्क रखेः- संस्था को अपने ढंग से दाता एवं लाभार्थियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना चाहिए क्योंकि संस्था को कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात् भी अगले कार्यक्रम में उनकी आवश्यकता होगी। अतः निरन्तर एवं अलग-अलग तरीकों के माध्यम से इन दोनों से सम्पक्र में रहे।

8. संस्था द्वारा अपनी विश्वसनीयता प्रदर्शित करनाः- संस्था को दाता के समक्ष निरन्तर अपने ईमानदारी एवं सत्यवादिता के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे दाता की विश्वसनीयता संस्था के प्रति बढ़ती रहेगी।

9. संस्था के कार्यों का प्रचार करनाः- संस्था द्वारा जो भी कार्य समाज सेवा या कल्याण के लिए किये जा रहे हैं उनका प्रचार-प्रसार जनता एवं दाता के सामने करते रहना चाहिए।

10. दाता के लिए कार्यक्रम आयोजित करनाः- संस्था को कभी-कभी अपने कार्यक्रम में दाता को आमत्रित करना चाहिए या किसी इवेनट में दाता को बुला कर उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए इससे दाता एवं संस्था में मधुर सम्बन्ध बनते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि संस्था को किस प्रकार दाता संस्था या दाता के सम्बन्ध बनाने चाहिए। ये सम्बन्ध मुख्य रूप से संस्था को फण्ड प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। अतः दाता एवं संस्था के मध्य मधुर सम्बन्ध अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में अधिकतर संस्थाओं के धन प्राप्ति का स्त्रोत दाता संस्थाएँ है।

4.4 सारांश

समाज कल्याण संस्थाओं के कार्यों को करने के लिए धन बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है अतः संस्थाएँ अपना पंजीकरण करवाने के पश्चात् धन के विभिन्न स्त्रोत जैसे सरकारी अनुदान् दाता संस्थाएँ, कोरपोरेट या उद्योग धन्धे, बैंक कम्पनियों या अन्य स्त्रोत जैसे सिनेमा शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन के अन्य तरीकों के द्वारा भी धन एकत्रिकरण का कार्य करती है। इस सम्पूर्ण इकाई में आप धन संग्रह के तरीकों को विस्तृत में अध्ययन करेंगे।

4.5 शब्दावली

- फण्ड : कोष, धन
- उन्नति : प्रगति
- अनुदान : सहायता

4.6 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. धन संग्रह के स्त्रोतों के सम्बन्ध में बताइये।
2. धन संग्रह करने की तैयार कैसे की जाती है।
3. धन संग्रह की आवश्यकता संस्थाओं को क्यों होती है? समझाइये।
4. संस्थाओं को धन संग्रह के लिए दाता संस्था संस्था से सम्बन्ध कैसे निर्माण करने चाहिए।

4.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

- नाभि, एन.जी.ओ. हैण्डबुक, ''गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सेवी संस्थाओं के लिए एक ज्ञान कोष'' 2015, नाभि पब्लिकेशन्स, पृ.सं.15-17, 6, 10
- चैधरी डी.पी., ''समाज कल्याण प्रशासन'' 1962, आत्मा राम एण्ड सन्स पब्लिकेशन्स, पृ.सं. 13-15
- वर्मा, आर.बी.एस. (2014) इन्ट्राॅडक्शन को सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, शिप्रा पब्लिकेशन।
- एफ. एम्मानुएल (2012), कोष निर्माण तथा प्रबन्धन, परटिज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

इकाई - 5

राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय / स्थानीय कोष प्रदाता संस्थाएँ (फण्डिंग एजेन्सीज)

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 अन्तर्राष्ट्रीय कोष प्रदाता संगठन

5.3 राष्ट्रीय स्तर पर कोष प्रदाता संगठन

5.4 क्षेत्रीय स्तर पर कोष प्रदाता संगठन

5.5 सारांश

5.6 अभ्यासार्थ प्रश्न

5.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

5.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत फण्डिंग आर्गेनाइजेशन एवं उनके उद्देश्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी फण्डिंग आर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकेंगे।
- क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत फण्डिंग आर्गेनाइजेशन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

5.1 प्रस्तावना

संस्था का निर्माण समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। इनका औपचारिक संगठन एवं उद्देश्य होते हैं जिनकों पुरा करने के लिए संस्था के सदस्य सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। संस्था के उद्देश्यों को पुरा करने के सहयोग एवं प्रयास के साथ धन की भी आवश्यकता होती है। धन के अभाव में संस्थाएँ अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकती है। इस समस्या के निदान के लिए हमारे देश में विभिन्न फण्डिंग आर्गेनाइजेशन स्थापित किये गये हैं जो संस्थाओं को कोष देते हैं। ये संगठन राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय /

क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत है। इस इकाई में इन विभिन्न प्रकार के संगठनों की जानकारी एवं उद्देश्यों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करेंगे।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय/स्थानीय फण्डिंग एजेन्सीज

संस्था के कार्यों को समूचित व सुचारू रूप से चलाने के लिए कोष की आवश्यकता होती है तथा संस्था अपने कार्यों व गतिविधियों को लेकर दस्तावेज तैयार करती है तथा भविष्य में किये जाने वाले कार्यों की भी परियोजना तैयार करती है। साथ ही फण्डिंग के स्त्रोतों का पता लगाती है जिनके समक्ष वह अपने कार्य प्रस्तुत करे व जिससे फण्डिंग आर्गेनाइजेशन उसे पैसा दे सके।

भारत में कुछ वर्षों से समाज कल्याण का कार्य करने वाली संस्थाओं की संख्या में तेज गति से वृद्धि हुई है। परन्तु अब इन संस्था के पास करने के लिए कार्य तो बहुतायत में है परन्तु वित्त की कमी है। ऐसे में अब वित्त प्राप्ति के लिए इन संस्थाओं को विभिन्न फण्डिंग संस्थाओं के माध्यम से वित्त की व्यवस्था की जा रही है ताकि ये संस्थाएँ अपने कार्यों को समुचित रूप से कर सके। हमारे देश में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/स्थानीय स्तर पर वृहत फण्डिंग एजेन्सिज स्थापित है। इन एजेन्सिज के फण्ड देने के अपने उद्देश्य, क्षेत्र व सीमाएँ निश्चित है। ये संस्थाएँ फण्डिंग उन्हीं संस्थाओं को देती है जो उनके उद्दद्द सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करते तथा पारदर्शी व ईमानदार हो।

सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत फण्डिंग एजेन्सिज के संबंध में ज्ञान प्राप्त करंगे तथा संक्षिप्त में कुछ महत्त्वपूर्ण संस्थाओं के संबंध में यहाँ विस्तृत में चर्चा की गयी है।

5.2 अन्तर्राष्ट्रीय फण्डिंग संगठन

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फण्ड देने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएँ / संगइन कार्य कर रहा है। इनका क्षेत्र विस्तृत है एवं ये संगठन विशेष उद्देश्य के लिए फण्ड देते हैं। विभिन्न देशों में कार्यरत सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठन इन अन्तर्राष्ट्रीय संगइनों से फण्ड लेकर कार्य करते हैं। ये अन्तर्राष्ट्रीय संगठन निम्नलिखित है:-

1. युरोपियन कमिशन (Eoropean Commission)
2. इण्डियन केनेडियन इनवारमेंट फेकल्टि (ICEF)
3. हंगर केम्पियन (Hunger Compaign)
4. युनाइटेड नेशन्स सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट (UNCHS)
5. युनाइटेड नेशन्स फुड एण्ड एग्रीकल्चर आरगेनाइजेशन (FAO)
6. फेनेडियन इन्टरनेशनल डेवल्पमेंट एजेन्सीज (IDA)
7. एक्शन फार फुड प्रोडक्शन (AFPRO)
8. एफ्रो एशिया रिकन्स्ट्रक्शन आर्गेनाइजेशन (AARO)

9. एफ्रो एशिया रूरल रिकन्ट्रक्शन आर्गेनाइजेशन

10. आगा खान फाउण्डेशन

11. एज केयर

12. केयर (कापरेटिव असिस्टेंस रिलीफ इण्डिया)

13. कासा

14. सेव अ फेमेली ह्यान

15. स्वीडिश इन्टरनेशनल डवलपमेंट एजेन्सी (SIDA)

16. द अशोका फाउण्डेशन

17. युनाइटेड नेशन इन्टरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेन्सी फण्ड (UNICEF)

18. युनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फण्ड फार वुमन (UNIFEM)

19. युनाइटेड नेशन फण्ड फार पापुलेशन एक्टीविटीज (UNFPA)

20. वर्ड लिट्रेशी ऑफ केनेडा

21. वर्ड वाइड फण्ड (WWF)

22. वर्ड हेल्थ् आर्गेनाइजेशन (WHO)

23. युनाइटेड नेशन्स एज्युकेशनल/साइंटिफिक एण्ड कल्चरल आर्गेनाइजेशन (UNESCO)

उपरोक्त संगठनों में से मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय फण्डिंग संगठनों का वर्णन निम्नलिखित है

(1) युरोपियन कमिशनः- यह युरोपियन कमिशन की कार्यकारिणी बाडी है। यह युरोपियन युनियन के लाभ को प्रदर्शित करती है तथा युरोपियन पालिसी के क्रियान्वयन हेतु प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता विभिन्न संगठनों एवं प्रोजेक्ट्स पर देती है। इस कमिशन द्वारा निम्न मुद्दों पर कार्य करने वाली संस्थाओं को फण्ड दिया जाता है-

1. कृषि, मछलीपालन एवं फुड

- पशु कल्याण
- कृषि
- सामान्य कृषि नीति (CAP)
- सामान्य मछलीपालन नीति (CFP)

- पौधा स्वास्थ्य
- ग्रामीण विकास

2. व्यवसाय

- वातावरण क्रिया (Climate Action
- क्षमता अभिवर्द्धन करना
- उद्यमिता एवं उद्योग
- स्वतन्त्र आन्दोलन
- आन्तरिक मार्केट

संस्कृति, शिक्षा एवं युवा

- कान्फ्रेन्स, प्रशिक्षण
- संस्कृति
- शिक्षा एवं प्रशिक्षण
- मीडिया
- खेलयुवा

आर्थिक, वित्तीय एवं कर

- प्रतिस्पर्ध
- आर्थिक
- धोखे के खिलाफ जंग
- वित्तीय सेवाएँ
- कर

वातावरण, ग्राहक एवं स्वास्थ्य

- ग्राहक
- वातावरण

- स्वास्थ्य
- सतत् विकास

6. बाह्य सम्बन्ध एवं फोरेन अफेयर
   - सामान्य फोरेन सुरक्षा नीति
   - विकास एवं सहयोग
   - Enlargement
   - फोरेन नीति
   - मानवीय सहायता

7. न्याय, हाम अफेयर एण्ड नागरिक अधिकार
   - नागरिकता
   - फाइट अगेन्स्ट फ्राड
   - हाम अफेयर
   - न्याय

8. स्थानीय एवं लाकहन विकास
   - युरोपियन फण्ड
   - स्थानीय विकास फण्ड
   - स्थानीय नीति

9. विज्ञान एवं तकनीकी
   - अनुसंधान एवं नवाचार

10. यातायात एवं ट्रेवल
   - ट्यूरिज्म
   - ट्रान्स युरोपियन नेटवर्कस

- ट्रान्सपोर्ट

(2) इण्डियन केनेडियन इनवारमेंट फेकल्टि **(ICEF):-** इण्डियन केनेडियन इनवारमेंट फेकल्टि 1993 में स्थापित हुआ। 1992 में केनेडियन गवरमेन्ट तथा भारत सरकार के मध्य एमओयु (Memorandum of Understanding) हुआ तथा दोनों सरकारों के मध्य जल तथा ऊर्जा के क्षेत्र में वातावरण प्रोजेक्ट को लेकर संयुक्त प्रोजेक्ट के उद्देश्य से एक समझौता हुआ। ICEF एक रजिस्टर्ड संस्था है जो इण्डियन सोसायटी रजिस्टे"शन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत है।

इण्डियन केनेडियन इनवारमेन्ट फेकल्टि निम्न गतिविधियों पर आधारित प्रोजेक्ट्स पर फण्ड प्रदान करती है-

(i)वातावरण, सतत विकास

(ii)ऊर्जा एवं जल संरक्षण के प्रबन्धन

(iii)वातावरण एवं गरीबी के मध्य सम्बन्ध

(iv)वातावरणीय मुद्दों की जनता में जागरूकता हेतु

(v)सामुदायिक सहभागिता एवं ऊर्जा के प्रबन्धन पर आधारित समुदाय

(3) युनाइटेड नेशन्स सेन्टर फार ह्यूमन सेटलमेंटः- युनाइटेड नेशन्स सेन्टर फार ह्यूमन सेटलमेंट 1978 में स्थापित हुई थी इसका उद्देश्य सभी को पर्याप्त आवास उपलब्ध कराना है इसके अतिरिक्त नगरीय प्रबन्धन, आवास एवं सामाजिक सेवाएँ, वातावरण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर, असिस्मेंट, सुचना एवं मोनिटरिंग इत्यादि कार्य के लिए भी यह संगइन कार्यरत है तथा इन विभिन्न उद्देश्यों पर कार्य करने वाले संगठनों को यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन फण्ड देकर कार्य करवाती है।

(4) युनाइटेड नेशन्स फण्ड एण्ड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशनः- यह युनाइटेड नेशन्स की सबसे पुरानी स्थायी विशेषीकृत संस्था है जो 1945 में स्थापित हुई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य गरीबी को हटाना तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर रहने के स्तर तथा पोषण में सुधार करना है।

(5) यूनिसेफः- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ) बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास में वृद्धि करने के उद्देश्य को लेकर कार्य करती है इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 22 दिसम्बर, 1946 को की थी। इसके 220 से अधिक शहरों में कार्यालय है और 220 से अध्का स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत है। वर्तमान में यूनीसेफ फण्ड एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट टीमों की सहायता ले रहा है। यूनिसेफ मुख्य रूप से पाँच प्राथमिकताओं पर केन्द्रित है- बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता (इसमें लड़कियों की शिक्षा शामिल है), बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बालश्रम के विरोध में, एचआईवी एड्स और बच्चों, बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है और इन उद्देश्यों के संबंध में कार्य करने वाली संस्थाओं को फण्ड प्रदान करता है।

(6) यूनेस्कोः- यूनेस्को 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन26 नवम्बर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। यूनेस्को मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक व मानव विज्ञान, संस्कृति एव सूचना व संचार के जरिये अपनी गतिविधियां संचालित करता है। वह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रोयोजित करता है।

(7) युनाइटेड नेशन फण्ड फार पापुलेशन एक्टीविटीज **(UNFPA):-** संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष्ज ;स्वास्थ्य और समान जीवन के अवसर का आनन्द लेने के लिए हर औरत, आदमी और बच्चे के अधिकार को बढ़ावा देने का कार्य करता हैं युएनएफपीए प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं जनसंख्या को कम करने के क्षेत्र में धन का बहुत बड़ा स्त्रोत है। यह संगठन महिलाओं, पुरूषों और युवा लोगों आदि की सहायता करता है। साथ ही प्रजनन एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न देशों में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को फण्ड के संबंध में भी मदद करता है।

(8) एक्शन फा ॅर फुड प्रोडक्शन **(AFPRO):-** एफ्रो एक गैर सरकारी संगठन है। जिसकी स्थापना 1966 में हुई। यह 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था है। ।AFPRO जाति, धर्म, राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव के बिना लोगों के लिए कार्य करता है। । AFPRO द्वारा आजीविका और ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्य किया जाता है, इस संगठन का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैः-

- खाद्य सुरक्षा और आजीविका
- जल विभाजन प्रबन्धन
- जल एवं स्वास्थ्य
- नवीकरणीय ऊर्जा
- जलवायु परिवर्तन

उपरोक्त गतिविधियों पर कार्यरत अन्य गैर-सरकारी संगठनों को भी ।AFPRO आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

(9) केनेडियन इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी **(CIDA):-** केनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी, सीडा, स्वीडिश संसद और सरकार की आरे से काम कर रही एक सहकारी एजेंसी है। जिसका उद्देश्य गरीबी कम करना है तथा आर्थिक रूप से गरीब देशों को आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से विकसित करना है। सीडा निम्नलि खित उद्देश्यों के लिए कार्रत है-

- सामाजिक विकास
- आर्थिक स्वास्थ्य
- पर्यावरणीय स्थिरताः- जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और पानी की आपूर्ति सम्बन्ध में
- शासनः- मानवाधिकार, लोकतन्त्र और अच्छे प्रशासन के लिए प्रयास

(10) युनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फण्ड फार वुमन **(UNIFEM):-**. यूनिफेम महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष के नाम से जाना जाता है। दिसम्बर 1976 में इसकी स्थापना की गई। प्रारम्भ में इसे महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र के दशक के लिए स्वैच्छिक कोष कहा जाता है। यह संगठन महिलाओं के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को करने वाली संस्थाओं को फण्ड प्रदान करता है-

- महिलाओं के मानव अधिकार, राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक सुरक्षा।
- महिला सशकितकरण और लैंगिक समानता।
- विभिन्न महिलाओं के विकास के लिएअ नुसन्धान

(11) स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी **(SIDA):-** विदेश मामलों के लिए स्वीडिश मंत्रालय ने एक सरकारी एजेंसी 'स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी' की स्थापना की। जो विकासशील देशों को सरकारी विकास सहायता करने के लिए कार्यरत है सीडा निम्नलिखित विषयों के लिए कार्यरत है।

- मानव अधिकार
- लोकतंत्र और लैंगिक समानता

(12) केअर (राहत एजेंसी):- यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में की गई जो एक स्वयत्त रूप में पंजीकृत संगठन है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, जल, स्वच्छता, आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा महिलाओं एवं लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए लिंग समानता जैसे कार्यों को करना है। साथ ही यह संगठन अन्य संस्थाओं को फण्ड देने का कार्य भी करता है।

(13) वर्ड वाइड फण्ड **(WWF):-** वल्ड वाइड फण्ड एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो 29 अप्रैल 1961 को स्थापित किया गया है, इस संगठन का संचालन जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों की कमी की पूर्ति करना। प्रदुषण को रोकना और जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक पर्यावरण के

क्षरण को रोकने जैसे कार्यों को करने के लिए गया है यह संगठन धन उगाहने तथा फण्ड देने का कार्य भी पिछले कुछ वर्षों से कर रहा है।

(14) एक्शन एडः- एक्शन एड एक अंतराष्ट्रीय कोष प्रदाता संस्था है। एक्शन एड की स्थापना1972 में हुई थी। एक्शन एड विश्व के 45 देशों में कार्य कर रहा है।

1. महिलाओं के अधिकार
2. शिक्षा
3. सुरक्षा
4. प्रजातान्त्रिक व्यवस्था
5. आपात एवं संकट काल में
6. पर्यावरण परिवर्तन पर
7. युवाओं के विकास पर

(15) बिल एण्ड मिलण्डा गेट्स फाउण्डेशनः- बिल एण्ड मिलण्डा गेट्स फाउण्डेशन की स्थापना सन् 2000 में हुई थी। फाउण्डेशन निम्न मूद्दों पर कोष प्रदान करता है-

- विश्व विकास
- स्वास्थ्य
- पोषण
- शिक्षा
- कृषि विकास
- तकनीकी विकास
- स्वच्छता
- टीकाकरण

(16) डिपार्टमेन्ट ऑफ इण्टरनेशनल डेवलेपमेंटः- डिपार्टमेण्ड आफ इण्डटरनेशनल डेवलपमेंट अंतराष्ट्रीय संगठन है जो निम्न मूद्दों पर कोष प्रदान करता है-

1. आर्थिक विकास

2. महिला एवं बालिका विकास

3. आपदायें

4. विश्व शांति एवं स्थायित्व आदि

(17) युनाइटेड नेशन्स एड्स कार्यक्रम **(UNAIDS):-** युनाइटेड नेशन्स एड्स संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व से एड्स की बीमारी की रोकथाम करना है। इसके अन्य उद्देश्य निम्न प्रकार है-

- यौन संक्रमित रोगों की रोकथाम
- नशा मुक्ति
- HIV को रोकना
- AIDS रोगी को उपचार
- टीवी की रोकथाम
- लिंग समानता आदि।

राष्ट्रीय सरकारी संगठन:- राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न सरकारी संगठन कार्यरत है जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं को फण्ड देते हैं ये निम्नलिखित संगठन है-

1. निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद्
2. शिक्षा मंत्रालय
3. वातावरण मंत्रालय
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
5. ग्रामीण विकास मंत्रालय
6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. आवास एवं शहरी विकास निगम (HUDCO)
8. इण्डियन काउन्सिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च
9. इण्डियन नेवी
10. भारतीय निन्युएबल उर्जा विकास संस्था
11. नेशनल वेस्टलैण्ड डेवलपमेंट बोर्ड

उपरोक्त राष्ट्रीय सरकारी संगठनों में से मुख्य राष्ट्रीय सरकारी फण्डिंग संगठन का वर्णन निम्नलिखित है-

1. **निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्÷** भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् 1990 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था इस परिषद् का उद्देश्य निम्नलिखित है-

   - आवास और निर्माण क्षेत्रों में लागत प्रभावी नवीन निर्माण सामग्री और निर्माण प्रौद्योगिकियों के विकास, उत्पादन, मानकीकरण और बड़े पैमाने पर आवेदन करने के लिए बढ़ावा देना।

   - नई अपशिष्ट आधारित निर्माण सामग्री और तकनीकी सहायता के माध्यम से घटकों, राजकोषीय नियतें की सुविधाजनक बनाने और विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के विनिर्माण को बढ़ावा देना।

   - विकसित और प्राकृतिक आपदा शमन, जोखिम और जोखिम में कमी और मानव बस्तियों में इमारतों और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और योजना प्रथाओं के पुनर्निर्माण के लिए तरीके और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

   - निर्माण सामग्री और निर्माण के क्षेत्र में देश के लिए प्रयोगशाला से, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए चयन, मूल्यांकन, बढ़ाने, डिजाइन, इंजीनियरिंग, कौशल उन्नयन और विपणन में पेशेवरों, निर्माण एजेंसियों और उद्यमियों को सहायता सेवायें प्रदान करने के लिए।

2. **पर्यावरण मंत्रालय:-** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत की पर्यावरण एवं वानिकी संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के नियोजन, संवर्धन, समन्वय और निगरानी के लिए केन्द्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे के अन्तर्गत एक नोडल एजेंसी है। पर्यावरण मंत्रालय के व्यापक उद्देश्य निम्नानुसार है:-

   - वनस्पति, जीव, वनों और वन्यजीवों का संरक्षण और सर्वेक्षण।

   - प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण

   - अवक्रमित क्षेत्रों का वर्गीकरण और पुनरूद्धार

   - पर्यावरण की सुरक्षा और

   - पशु-कल्याण सुनिश्चित करना।

यह मंत्रालय उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न सरकारी एवं गैस्सरकारी संस्थाओं को फण्ड देता है।

3 **मानव संसाधन विकास मंत्रालयः-** मानव संसाधन मंत्रालय का सृजन भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 के 174वें संशोधन के माध्यम से 26 सितम्बर 1985 को किया गया था। मंत्रालय का निम्नलिखित उद्देश्यः-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- संपूर्ण देश, जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल है जहाँ शिक्षा तक लोगों की पहुँच आसान नहीं है, में शैक्षिक संस्थाओं की पहुँच में विस्तार और गुणवत्ता में सुधार करने सहित सुनियोजित विकास।
- निर्धनों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित वर्गों की ओर विशेष ध्यान देना।
- समाज के वंचित वर्गों के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति, ऋण, सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना जिसमें यूनेस्को तथा विदेशी सरकारों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है ताकि देश में शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हो सके।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को फण्ड देता है।

4. **ग्रामीण विकास मंत्रालयः-** ग्रामीण विकास मंत्रालय अक्टूबर 1974 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आया। तत्पश्चात् समय-समय पर इस मंत्रालय के नाम में परिवर्तन होता रहा व 1999 में इस मंत्रालय का नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय रखा गया। इस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास तथा सड़कें आदि पर कार्य किया जाता है तथा इन कार्यों के संबंध में कार्य करने वाली संस्थाओं को भी फण्ड देने का कार्य इसी मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

5. **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालयः-** विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी विभाग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देने और आयोजन, समन्वय और देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल विभाग के उद्देश्य

से मई 1971 में स्थापित किया गया था। इस विभाग द्वारा निम्न कार्य किये जाते हैं:-

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियोंके निर्माण
- मंत्रिमंडल के वैज्ञानिक समिति से संबंधित मामले।
- सहायता और अनुदान सहायता वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं, वैज्ञानिक संघों और निकायों के लिए।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन विकसित करने के लिए अंतर एजेंसी समन्वय के बारे में मामले।
- कमजोर वर्गों, महिलाओं और समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग।

6. **आवास एवं शहरी विकास निगम (HUDCO)** देश में आवास और शहरी विकास की गति को तेज करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1970 में आवास एवं शहरी विकास निगम की स्थापना की गई। यह निगम आवास, वित्त पोषण के संचालन, परामर्श सेवायें प्रदान करने व शोध और अध्ययन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा भूकंप, चक्रवात, बाढ़ जैसे संकट के समय में हडको बड़े पैमाने पर आवास के पुनर्निमाण के लिए तकनीकी और वित्तीय मदद करता है।

7. **भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्:-** भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् 1977 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय दर्शन की पूरी परंपरा को अपने प्राचीन मूल रूप में वापस लाने और नये विचारों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उच्चतर अनुसंधानपरक एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इस परिषद् का उद्देश्य समय-समय पर दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करने एवं दर्शन में अनुसंधान एवं परियोजनाओं के लिए सहायता व फण्ड देने का कार्य इस परिषद् द्वारा किया जाता है।

स्थानीय फण्डिंग एजेंसी:- स्थानीय स्तर पर फण्डिंग संगठन है जो स्थानीय स्तर की संस्थाओं को फण्ड देती है। ये संगठन निम्नलिखित है-

1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष
2. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक
3. ग्रामीण संहिता विकास संस्थान
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

5. आद्रभूमि विकास अनुदान कार्यक्रम

उपरोक्त स्थानीय फण्डिंग एजेन्सी का वर्णन निम्नलिखित है-

1. **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोषः-** यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा 2007 में प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम का प्रसारण भारत कें 250 जिलों एवं 27 राज्यों में किया गया। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम को विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बनाया गया है तथा पिछड़े जिलों की पहचान कर उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य भी इस कोष के द्वारा किया जा रहा है।

2. **राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेडः-** इस संगठन द्वारा विभिन्न योजनाएं जैसे लघु सिंचाई योजनाएँ, विविधिकृत ऋण योजना, कृषि यंत्रीकरण ऋण योजना, अकृषि ऋण योजना तथा जन मंगल आवास योजना इत्यादि के लिए फण्ड उपलब्ध करवाती है।

3. **ग्रामीण महिला विकास संस्थानः-** ग्रामीण महिला विकास संस्थान 1997 में स्थापित किया महिलाओं के सामाकजिक सशक्तिकरण और आजीविका समर्थन के लिए स्थानीय समुदायों के साथ बड़े पैमाने पर कार्य करता है। इस संस्थान द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, लैंगिक मुद्दों और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण जैसे विषयों पर भी कार्य किया जा रहा है।

4. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB):-** एनसीआरपीबी भारत सरकार के मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संविधिक निकाय है। छब्त्च्ठ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत बोर्ड के विभिन्न कार्य निम्न हैं:-

   - उप-क्षेत्रीय योजना और मास्टर प्लान तैयार करना।
   - क्षेत्रीय योजना के प्रावधानों के अनुसार जिला योजना तैयार करना।
   - पानी, सीवरेज, उप-क्षेत्रों में सभी शहरों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी के लिए मेटर योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करना।
   - ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

उपरोक्त कार्यो को करने के कलिए यह बोर्ड वित्त फण्ड भी प्रदान करता है।

3. **आर्द्रभूमि विकास अनुदान कार्यक्रम(WPDG):-** वेस्टलैंड कार्यक्रम विकास अनुदान (WPDG निम्नलिखित मुद्दों पर कार्यरत संस्थाओं को फण्ड प्रदान करता है-

- उच्च शिक्षा, अस्पतालों के संस्थान को अनुदान।
- भारतीय और आदिवासी सरकारों सहित अन्य स्थानीय सरकारों के लिए अनुदान।
- राज्य और स्थानीय सहायताः राज्य, जनजातीय और स्थानीय अनुदान के लिए कार्यक्रम के विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रदान करता है।

5.5 सारांश

समाज सेवा एवं कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को धन के अभाव में फण्ड देने के लिए विभिनन संगठन स्थापित किये गये हैं। इन फण्डिंग आर्गेनाइजेशन के अपने उद्देश्य एवं सीमाएँ होती है जिसके अन्तर्गत ये संगठन फण्ड देते हैं। ये संगठन अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/क्षेत्रीय विभिन्न स्तरों पर कार्यरत होते हैं। इन फण्डिंग आर्गेनाइजेशन द्वारा धन के अभाव में कार्य करने वाली संस्थाओं को फण्ड दिया जाता है ताकि ये संगठन अपने कार्यों एवं गतिविधियों को सुचारू एवं निरन्तर रूप से कर सके।

5.6 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत फण्डिंग एजेन्सी की सूची विस्तृत में बताइये।
2. युनेस्को तथा युरोपियन कमीशन संगठनों के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
3. राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत सरकारी फण्डिंग एजेन्सी कौन-कौनसी है विस्तृत में लिखिए।
4. ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं मानव संसाधनन विकास मंत्रालय के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
5. स्थानीय स्तर की फण्डिंग एजेन्सीज के सम्बन्ध में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए।

5.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

- चैधरी धर्मपाल, 'समाज कल्याण प्रशासन' बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1997, पृ.सं. 81, 86
- नाभि एन.जी.ओ. हैण्डबुक, नाभी पब्लिकेशन, 2014, पृ.सं. 115-117

इकाई - 6

व्यक्ति के साथ क्षेत्रीय कार्य

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 वैयक्तिक सेवा कार्य समाज कार्य की एक पद्धति के रूप में

6.3 वैयक्तिक सेवा कार्य में अभ्यास के क्षेत्र

6.4 क्षेत्रीय कार्य संस्थाओं में वैयक्तिक सेवाकार्य

6.5 सारांश

6.6 शब्दावली

6.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

6.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

6.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- वैयक्तिक सेवा कार्य एवं क्षेत्रीय कार्य की जानकारी प्राप्त करेंगे।
- विद्यालय एवं सुधारग्रह में क्षेत्रीय कार्य के दौरान वैयक्तिक सेवा प्रणाली को समझ सकेंगे।
- चिकित्सा में वैयक्तिक सेवा कार्य प्रणाली के उपयोग के बारे में जान सकेंगे।

6.1 प्रस्तावना

जीवन का प्रारम्भ समस्याओं के साथ होता है। व्यक्ति की यह विशेषता है कि उसने कभी अपनी समस्याओं के सामने हार नहीं मानी है। आज के भौतिक विकास ने व्यकित के समक्ष अनेक मनोसामाजिक समस्याएँ पैदा कर दी है। जिसका समाधान व्यक्ति के स्वयं के द्वारा करना बहुत मुश्किल है ऐसे में समाज कार्य के माध्यम से समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता की जाती है। मुख्यतः व्यक्ति की समस्या समाधान समाज कार्य की वैयक्तिक सेवा कार्य प्रणाली के द्वारा की जा सकती है। समाज कार्य शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी इस प्रणाली का उपयोग अपने क्षेत्रीय

कार्य संस्थाओं में सीखते हैं तथा वैयक्तिक सेवा कार्य के सिद्धान्तों, तकनीकों एवं मुल्यों से समस्याग्रस्त व्यक्तियेां के समस्या समाधान का कार्य करते हैं।

वर्तमान समय में व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में भले ही अनेकानेक उपलब्धियाँ प्राप्त हो, लेकिन उसकी समस्या भी नित नये रूपों में सामने आती है। इस तीव्र गति से भागते समय में व्यक्ति मानों भीड़ में भी अकेला होता जा रहा है। संयुक्त परिवार जैसी मनोसामाजिक समस्या का समाधान प्रस्तुत करने वाली प्रणालियाँ भी तेजी से खत्म हो रही है। ऐसी स्थिति में तनाव, अनद्रिा, अवसाद आदि मनोरोग तेज गति से व्यक्ति के जीवन में आ रहे हैं। इसलिए ऐसी समस्याओं का शीघ्र समाधान अनिवार्य होता जा रहा है। ऐसे में व्यापक स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता प्रायः अनुभूत होती है जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर व्यक्ति की सहायता कर सकें। इस हेतु समाज कार्य की सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य पद्धति ही इन स्थितियों का प्रभावी निदान है। यह पद्धति व्यक्ति की सभी स्थितियों में सहायता करने में प्रभावी है। अतः यह विधि व्यक्ति की विभिन्न मनोसामाजिक समस्याओं का निदान करती है तथा उन्हें मनोसामाजिक जटिलताओं से व्यापक स्तर पर छुटकारा दिलाती है।

6.2 वैयक्तिक सेवा कार्य समाज कार्य की एक पद्धति के रूप में

समाज वैयक्तिक सेवा कार्य पद्धति द्वारा की जाती है। यह पद्धति व्यक्ति की सहायता उन सभी स्थानों एवं दशाओं में करती है जहाँ पर व्यक्ति वैयक्तिक एवं अन्तवैयक्तिक समस्याओं से घिर जाता हैं इस प्रणाली का क्षेत्र व्यापक है। यह प्रणाली व्यक्ति की पारिवारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं मनोचिकित्सकीय समस्याओं का निदान करती है।

वैयक्तिक सेवा कार्य पद्धति द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता निश्चित तरीकों द्वारा की जाती है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें इस योग्य बनाना है कि भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान व्यक्ति स्वयं कर सके तथा आत्मनिर्धय एवं आत्मविश्वास उत्पन्न करना ताकि व्यक्ति स्वयं की समस्या समाधान के लिए स्वयं निर्णय ले सकें।

व्यक्तियों की समस्या का समाधान इस प्रणाली में सामाजिक कार्यकर्ता करता है जिसे वैयक्तिक कार्यकर्ता भी कहा जाता है तथा समस्याग्रस्त व्यक्ति को सेवार्थी कहते हैं। वैयक्तिक सेवाकार्य की प्रक्रिया सेवार्थी एवं वैयक्तिक कार्यकर्ता तथा संस्था के मध्य चलती है। संस्था से आशय जहाँ पर सेवार्थी अपनी समस्या समाधान के लिए आता है। ये संस्थाएँ सामाजिक संस्थाएँ होती है जो ऐसे पीडित एवं समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करती है। इन संस्थाओं में समाज कार्य के व्यावसायिक कार्यकर्ता भी कार्य करते हैं जो संस्था में आने वाले समस्याग्रस्त स्थितियों (सेवार्थीयों) की सहायता करते हैं। समस्या समाधान के लिए वैयक्तिक कार्यकर्ता 'सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य' के सिद्धान्तों, तरीकों एवं प्रक्रिया का उपयोग करता है। यह पद्धति व्यक्ति में आत्म विश्वास उत्पन्न करती है तथा व्यक्ति के अहं को दृढ़ता प्रदान करती है।

समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा कार्य है जो व्यक्ति, समूह एवं समुदाय की सेवा अथवा सहायता करता है। समाज कार्य मुख्यतः व्यक्तियों की सहायता के लिए वैयक्तिक सेवाकार्य पद्धति के माध्यम

से सहायता करता है। समाज कार्य में व्यवसायिक कार्यकर्ता ही वैयक्तिक सेवा कार्य का कार्य प्रभावी रूप से कर सकता है। मुख्यतः ये व्यावसायिक कार्यकर्ता 'समाज कार्य महाविद्यालय से समाज कार्य की डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं जो समाज कार्य शिक्षा को सैद्धान्तिक एवं व्यावसारिक रूप में अध्ययन करते हैं। समाज कार्य महाविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को समाज कार्य व्यवसाय का महत्त्व, पद्धतियाँ एवं सिद्धान्तों तथा क्षमताओं के सम्बन्ध में ज्ञान प्रदान करते हैं साथ ही इन सभी विषयों को क्षेत्रीय कार्य के माध्यम से क्षेत्र में अभ्यास करना भी सीखाते हैं। समाज कार्य में अध्ययनरत विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा अलग-अलग संस्थाओं में समाज कार्य अभ्यास के लिए भेजा जाता है। जहाँ पर विद्यार्थी संस्था के कार्यों एवं समाज कार्य के सिद्धान्तों एवं तकनीकियों के द्वारा व्यक्ति समूह एवं समूदाय के लोगों की सहायता करते हैं। तत्पश्चात् समाज कार्य की पद्धतियों का अभ्यास करते हैं। समाज कार्य की मुख्यतः छः पद्धतियाँ है जिसमें तीन प्राथमिक पद्धतियाँ है, वैयक्तिक सेवा कार्य, सामाजिक सामुहिक कार्य एवं सामुदायिक संगठन। और तीन द्वितीयक पद्धतियाँ है, सामाजिक क्रिया, समाज कल्याण प्रशासन एवं सामाजिक शोध। इन्हें अप्रत्यक्ष पद्धतियाँ कहा जाता है। समाज कार्य विद्यार्थी इन पद्धतियों का अभ्यास क्षेत्रीय कार्य में करते हैं।

क्षेत्रीय कार्य का प्रारम्भः-

क्षेत्रीय कार्य में समाज कार्य विद्यार्थी ऐसे व्यक्ति जो किसी सामाजिक, मनोचिकितसकीय या अन्रतवैयक्तिक समस्या से ग्रसित है उनकी सहायता करते हैं विद्याथी। सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य प्रणाली को सहायता के उपागम के रूप में चयन करती है क्योंकि समाज कार्य की यह पद्धति मुख्यतः व्यक्ति की सहायता के लिए बनायी गयी है।

समाज कार्य विद्यार्थी को सामाजिक वैयक्तिक कार्य पद्धति के उद्देश्य, सिद्धान्त एवं तकनीकों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए तभी कार्यकर्ता व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकता है। क्षेत्रीय कार्य संस्था में विद्यार्थी जब पहली बार जाता है तो वह संस्था के उद्देश्य, कार्यों को समझता है साथ ही अपनी भुमिका को संस्था के अधीक्षण के समक्ष स्पष्ट करता है। विद्यार्थी उस संस्था में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है और अधीक्षण तथा विद्यालय के पर्यवेक्षण के निर्देशानुसार भी कार्य को गति प्रदान करता है।

6.3 वैयक्तिक सेवा कार्य में अभ्यास के क्षेत्र

समाज कार्य विद्यार्थियों के क्षेत्रीय कार्य के लिए विभिन्न संस्थाएँ है इनमें वैयक्तिक सेवा कार्य के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित संस्थाएँ कार्यरत है-

1. विकलांग सहायता संस्थाएँ
2. सुधारात्मक संस्थाएँ
3. विद्यालय
4. चिकित्सा संस्थाएँ

उपरोक्त संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-

1. **विकलांग सहायता संस्थाएँ** समाज कार्य शिक्षण के दौरान वैयक्तिक सेवाकार्य अभ्यास हेतु यह संस्थाएँ मुख्य रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संस्थाएँ मुख्य रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वह संस्थाएँ हैं जो किसी न किसी रूप में बाधित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है, उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का कार्य करती है। भारत में इस तरह के मानवसेवी संगठनों को निम्न वर्गों में विभाजित किया है-

   (1) शारीरिक दृष्टिकोण से विकलांग- शारीरिक दृष्टिकोण से विकलांग व्यक्ति वे हैं जिनकी शारीरिक क्षमता का ह्रास होकर विकृत हो गया है या शरीर का कोई अंग खराब हो चुका है। वे अपंग होकर हमेशा निराश, पराश्रित तथा दुखी रहते हैं। कई मानवसेवी संगठन शारीरिक विकलांगता पर कार्य कर रहे हैं।

   (2) नेत्रहीनता- दुसरे प्रकार की विकलांगता में नेत्रहीनता को रखा जाता है जिसमें वयस्क या बालक जन्म से या दुर्घटना से या बीमारी के कारण नेत्रहीन होकर देख पोन में असमर्थ हो जाते हैं। कई मानवसेवी संगठन नेत्रहीनता पर कार्य कर रहे हैं।

   (3) मूक बाधित- बधिर व्यक्ति सूनने में असमर्थ होता है। उसकी सुनने की इन्द्रिय सामान्य काम करने में असमर्थ होती है, जन्म से अगर बधिरता है तो इसके कारण बोलने की क्षमता का विकास भी नहीं हो पाता है। कई संगठन इस क्षेत्र में कार्यरत हैं।

   (4) मानसिक मन्दता- मानसिक मंदित व्यक्ति का मानसिक विकास अपूर्ण एवं अवरूद्धित होता है जिसके परिणामस्वरूप वह न तो अपने पर नियंत्रण रख पाता है और न ही जीविकोपार्जन में समर्थ हो पाता है। उसमें परिपक्वता के लक्षण नहीं प्रकट हो पाते है। कई बालक जो मन्द बुद्धि के होते हैं उन्हें परिवार में, विद्यालय में तथा अन्य स्थानों पर स्विकारा नहीं जाता है मानसिक बच्चों को प्यार व सहिष्णुता का वातावरण नहीं मिल पाता है जिससे बालकों में विविध प्रकार की अन्य समस्याएँ भी होने लग जाती है। मानसिक मंदित बालकों की संस्थाएँ बच्चों को शिक्षा, मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाती है साथ ही बच्चों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन की समस्या का अध्ययन वैयक्तिक सेवा कार्य के माध्यम से करती है। इन संस्थाओं में समाज कार्य विद्यार्थी इन बालकों की वैयक्तिक सेवा कार्य पद्धति द्वारा सहायता करते हैं।

2. **सुधारात्मक संस्थाएँ:-** सुधारात्मक संस्थाएँ काराग्रह में आनेव वाले कैदियों या लम्बे समय से रहने वाले कैदी जो मानसिक सामाजिक व

व्यक्तिगत समस्या से ग्रस्त है उन कैदियों के सुधार के लिए कार्य करती है। इन संस्थाओं में समाज कार्य शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य के लिए जाते हैं एवं संस्था में विद्यार्थी कैदियों का वैयक्तिक अध्ययन करते हैं तथा उनकी समस्या का समाधान वैयक्तिक सेवा कार्य प्रणाली के माध्यम से करते हैं।

3. **विद्यालय:-** विद्यालय एक शिक्षण संस्था है जहाँ अनेक बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। बालकों की अनेक समस्याएँ होती है जैसे व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या आदि जिनका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व, शिक्षा एवं मस्तिष्क पर होता है और आगे जाकर बालक अपराधी या मानसिक समस्या से ग्रस्त हो जाता है। इन बालकों की विविध समस्या का समाधान सामाजिक कार्यकर्ता ही कर सकता है। समाज कार्य शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी क्षेत्रीय कार्य के लिए इन विद्यालयों में भेजा जाता है जहाँ विद्यार्थी वैयक्तिक सेवा कार्य पद्धति के द्वारा बालकों की समस्या का निदान करते हैं

4. **चिकित्सा संस्था:-** रोगीयों के रोग का उपचार चिकित्सालय में ही हो सकता है। चिकित्सालय में विविध प्रकार के रोगी आते हैं कोई शारीरिक समस्या लेकर आता है तो कोई मानसिक। इन रोगियों का उपचार चिकित्सक करता है परन्तु कई बार रोगी चिकित्सा के उपरान्त भी ठीक नहीं हो पाते हैं। ऐसे में चिकित्सालय में चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता इन रोगीयों की समस्या का पता लगाते हैं, उन्हें निर्देशन देते हैं तथा वैयक्तिक अध्ययन कर समस्या का निदान करते हैं जिससे रोगी में आत्म विश्वास व अहं में सुदृढ़ता आती हैं इस प्रकार ये चिकित्सकीय संस्थाएँ भी समाज कार्य विद्यार्थियों के क्षेत्रीय कार्य का केन्द्र है जहाँ विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य अभ्यास में वैयक्तिक सेवा कार्य प्रणाली का भी अभ्यास करते हैं।

5. **श्रम कल्याण:-** उद्योग प्रतिष्ठान में श्रमिकों का सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार सम्बन्ध होता है श्रमिक उसी आधार पर कार्य करता है। कभी उद्योग नीति से असंतुष्टता, कभी प्रबन्धन से अप्रसन्नता, कभी व्यक्तिगत परेशानियां तो कभी पारिवारिक परेशानियाँ, कभी उचित कार्य दशाओं का अभात तो कभी रहने का असहज पर्यावरण आदि कई कारण श्रमिकों को नशावृत्ति, घरेलु हिंसा, अपराध, परस्त्री गमन आदि की तरफ धकेलकर उसे कुसमायोजित कर देते हैं। इस प्रकार कुछ मानवसेवी संगठन श्रम कल्याण पर कार्य करते हैं। यहाँ पर भी समाजकार्य प्रशिक्षु श्रमिकों के साथ वैयक्तिक समाजकार्य अभ्यास करता है।

विकलांग व सहायता संस्थाओं में क्षेत्रीय कार्य

(1) शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के साथ क्षेत्रीय कार्य अभ्यास

शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के साथ क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान प्रशिक्षु छात्र को निम्न बातों को सीखना होता है-

1. शारीरिक विकलांगता का प्रकार व कारण।
2. विकलांग व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति।
3. विकलांग व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति।
4. विकलांग व्यक्ति की सांवेगिक प्रक्रियाओं, व्यवहार का अध्ययन।
5. विकलांग व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन।
6. क्षेत्रीय कार्य संस्था/मानवसेवी संगइन में उपलब्ध सहायता एवं सुविधाओं का अध्ययन।
7. शारीरिक विकलांग/ समस्याग्रस्त व्यक्ति की रक्षार्थ साक्षात्कार करना सीखना।
8. मंत्रणा-परामर्श देना सीखना।
9. चिकित्सकीय विधियों का प्रयोग सीखना।
10. पूर्नस्थापना/ पूर्नवास के लिए उपलब्ध सुविधाओं को सीखना।

(2) मानसिक मन्दित बालकों की संस्थाओं में क्षेत्रीय कार्य:-

मानसिक मन्दित बालकों की संस्थाएँ मन्द बुद्धि व बालकों के शिक्षा एवं मनोरंजन का कार्य करती है साथ ही ऐसे बालकों एवं उनके माता-पिता को भी परामर्श देती है ताकि इन बालकों के माता-पिता उनसे सही व्यवहार करे। ऐसी संस्थाओं में क्षेत्रीय कार्य के लिए समाज कार्य विद्यार्थी जाते हैं जो बच्चों की समाज कार्य की विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से सहायता करते हैं।

मानसिक मंदित बालकों का वैयक्तिक अध्ययन प्रणाली के द्वारा समाज कार्य विद्यार्थी निम्न रूप से सहायता करते हैं।

1. विद्यार्थी समस्याग्रस्त सर्वप्रथम बच्चे की समस्या का अध्ययन करने के लिए उसके शिक्षण संस्था के कर्मचारियों तथा माता-पिता के साथ कड़ी स्थापित करता है तथा बालक के घर के व्यवहार तथा विद्यालय के व्यवहार में अन्तर करने का प्रयास करता है। साथ ही बालक के प्रति अध्यापकों के व्यवहार का भी अवलोकन करता है।
2. विद्यार्थी उस मानसिक मंदित बालक के गृह से सम्पर्क करके तथा माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्यों से सम्पर्क करके आवश्यक तथ्य एकत्र करता है और

अभिलेख तैयार करता है कि किस प्रकार मानसिक अक्षमता बच्चे में बढ़ गयी तथा किस तरह बच्चे की दक्षता एवं क्षमता पर उसका प्रभाव आता गया। इस प्रकार बालक (सेवार्थी) के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का ज्ञान विद्यार्थी प्राप्त करता है।

3. समाज कार्य विद्यार्थी न केवल बालक का माता-पिता से प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करता है बल्कि उन्हें बालक से वास्तविक एवं अनुकूल दृष्टिकोण के लिए भी प्रेरित करता है। इससे बालक का उत्साहवर्द्धन होता है।

4. प्रायः यह देखा जाता है कि अधिकांश मानसिक मंदित बालकों के माता-पिता भी विघटनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तथा स्वयं को पापी एवं अपराधी समझने लगते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण होती है वह माता-पिता को समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करता है तथा उन्हें बताता है कि किस प्रकार विपरीत मनोवृत्ति एवं प्रतिक्रिया बालक के निदान में बाक है।

5. मानसिक रूप से विमंदित बालक के माता-पिता भी कही बार बालक के मानसिक रूप से मंदित होने की बात छिपाने के लिए अलग-अलग तथ्य प्रस्तुत करते हैं जिससे बालक की हालत और गम्भीर हो जाती है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी माता-पिता की मन्त्रणा, सलाह एवं अन्तदृष्टि के द्वारा सहायता करता है।

6. समाज कार्य विद्यार्थी उस मानसिक मंदित बालक से भी अच्छा सम्बन्ध बनाता है तथा उसकी मन्त्रणा का कार्य भी करता है।

7. विद्यार्थी कई बार समस्याग्रस्त बालक के पुर्नस्थापन सम्बन्धी समस्याओं का भी समाधान करते हैं। वह अर्थपूर्ण सम्पर्क द्वारा इन समस्याओं का समाधान करता है।

8. समाज कार्य विद्यार्थी समुदाय में उपलब्ध स्त्रोतों का पता लगाता है और उनका उपयोग मानसिक मंदित बालकों के लिए करता है।

इस प्रकार समाज कार्य विद्यार्थी मानसिक मंदित बालक की समस्या का निदान वैयक्तिक सेवा कार्य प्रणाली के द्वारा करता है। विद्यार्थी समाज कार्य अध्ययन के सैद्धान्तिक भाग को क्षेत्र में अभ्यास करता है व कुछ नयी विषय-वस्तु को संस्था के निर्देशक व अन्य कार्यकर्ता के माध्यम से सीखता है।

सुधारात्मक संस्था में क्षेत्रीय कार्यः-

जब विद्यार्थी सुधार संस्थाओं में क्षेत्रीय कार्य के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनका उत्तरदायित्व वैयक्तिक कार्यकर्ता के रूप में निम्नलिखित होता हैः-

1. कारागार में संवासी (कैदी) का साक्षात्कार करना तथा उसके परिवार एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करके उसके चरित्र, व्यवहार, अपराध की दशाओं तथा सामाजिक, आर्थिक जीवन की पृष्ठभूमि के बारे में सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करना।

2. सवांसी की समस्त संस्थागत समस्याओं का स्पष्टीकरण करना तथा उनके समाधान की योजना निर्मित करना।

3. संवासियों के वर्गीकरण कार्यक्रम में संस्था के अधिकारियों संवासी के व्यक्तित्व एवं व्यवहार की विशेषताओं को बताकर संवासी को उन कार्यक्रमों में लगाने का प्रयत्न करना जिससे उस संवासी को लाभ पहुँच सक्ता है।

4. संवासी तथा प्रशासन कार्यकर्ताओं के मध्य उपयुक्त प्रकार के सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना करने में मदद पहुँचाना तथा परिवार के सदस्यों को समय-समय पर वांछित सहायता प्रदान करना।

5. संवासी को मुक्ति के लिए तैयार करना तथा उनो उन समस्याओं से अवगत कराना जो मुक्ति के बाद उत्पन्न हो सकती है परन्तु जिनका समाधान खोजा जा सकता है।

6. जो अपराधी संस्थाओं में पहली बार आये हैं उन्हें परामर्श देना तथा मार्ग निर्देशन करना।

7. अपराधियों की मानसिक कुंठाओं, आहत भावनाओं तथा विक्षिप्त मनोदशाओं को दूर करने में सहायता पहुँचाना तथा उन्हें सस्था के अन्य अपराधियों, अधिकारियों तथा कार्य-पद्धतियों के समान व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।

सुधार गृह में क्षेत्रीय कार्य करने वाले विद्यार्थियों की कशुलतायें:-

- समाज कार्य को सुधार ग्रह में रहने वाले अपराधियों, सुधार क्षेत्र एवं इससे संबंधित समस्त विषयों, नीतियों तथा कार्यों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
- विद्यार्थियों में अपराधी सुधार तथा अपराधी पुर्नवसिन सम्बन्धी आवश्यक कुशलताओं को सम्पादित करने की क्षमता होनी चाहिए।
- अपराधियों के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण तथा उनके सुधार एवं पुर्नवासन के लिए हर सम्भव प्रयास करने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए।
- अपराधी सुधार के क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग एवं समन्वयपूर्वक कार्य करने की कुशलता आदि।

विद्यालय एवं क्षेत्रीय कार्य:-

विद्यालय बालकों की शिक्षा का केन्द्र है तथा बालकों का अधिकांश प्रारम्भिक जीवन विद्यालय में ही गुजरता है। अतः विद्यालय में बालकों का समुचित समायोजन आवश्यक है। विद्यालय में कई बार बालक पढ़ने में पिछे रह जाता है, कभी-कभी परिवार में माता-पिता के खराब व्यवहार के कारण बालक संवेगात्मक समस्या से ग्रस्त हो जाता है जिसका प्रभाव बालक की शिक्षा पर पढ़ता है व कभी-कभी बालक मानसिक एवं संवेगात्मक समस्या से भी पीडित रहता है। इन सभी समस्याओं के

समाधान के लिए कई विद्यालयों में ही समाज कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है और इन विद्यालयों में समाज कार्य विद्यार्थी भी क्षेत्रीय कार्य के लिए जाते हैं जो समस्याग्रस्त बालकों की सामाजिक वैयक्तिक कार्यपद्धति के द्वारा सहायता करता है।

समाज कार्य विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य में विद्यालय के अन्तर्गत निम्न समस्याओं का समाधान करता हैः-

(1) अनुपस्थित रहने की समस्या या अनियमितता।

(2) शैक्षणिक पिछड़ापन।

(3) निम्न बुद्धि लब्धि के कारण।

(4) आर्थिक हीनता की समस्याएँ।

(5) व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याएँ जैसेः- एकाकीपन, केन्द्रित, डरपोक, अतिउग्रता आदिं

(6) पारिवारिक समस्या जिसका प्रभाव बालक पर होता है।

(7) चोरी करने वाले, स्कूल से भागने वाले तथा साथियों के साथ लड़ाई-झगडा करने वाले बालकों की समस्याएँ।

6.4 क्षेत्रीय कार्य संस्थाओं में वैयक्तिक सेवाकार्य

विद्यालय में सामाजिक वैयक्तिक कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी निम्न प्रविधियों का उपयोग करते हैं जो इस प्रकार है-

(1) तथ्य की खोजः-

- ऐसे बालकों की सूची तैयार करना जिनको सहायता की आवश्यकता होती है।
- समस्या के आधार पर श्रेणीबद्ध करना।
- आवश्यकता होने पर अध्यापक व बालक के परिवार का भी अवलोकन करना।
- समस्या उत्पन्न करने वलो कारणों की खोज करना।

(2) निदानः-

- समाज कार्य विद्यार्थी परिवार के सहयोग से बालक की समस्या का पूर्ण चित्रण करता है।

- व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर प्रभावी कारकों के महत्त्व को निश्चित करता है।

- समस्या उत्पन्न करने वाले कारकों का पता लगाता है और उपचार की विधि निश्चित करता है जिसके माध्यम से समस्या का समाधान सम्भव हो सकता है।

(3) उपचारः-

- समाज कार्य विद्यार्थी समस्याग्रस्त बालकों, अभिभावकों तथा अध्यापकों को समस्या से अवगत कराकर उन उपायों को भी स्पष्ट करता है जिनसे बालक समस्या से मुक्त हो सकता है। विद्यार्थी समस्या के उपचार के लिए मन्त्रणा, निर्देश, पुनर्विश्वास आदि तरीकों को भी अपनाता है।

चिकित्सा एवं क्षेत्रीय कार्यः- चिकित्सा के क्षेत्र में वैयक्तिक सेवा कार्य प्रणाली का उपयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आपस में सम्बंधित है और स्वास्थ्य का सम्बन्ध व्यकित की आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की दशाओं में अन्तक्रिया से है। स्वास्थ्य पर रीति-रिवाज, प्रथाएँ, मनोवृत्तियाँ, आय, व्यवसाय, धर्म, जीवन-स्तर, वैयक्तिक तथा सामाजिक आदतें तथा सामाजिक संगठन का प्रभाव पड़ता है।

वैयक्तिक सेवा कार्य के द्वारा इन कारकों का अध्ययन किया जा सकता है तथा इसके माध्यम से स्वास्थ्य का स्तर और ऊँचा उठाने का प्रयत्न भी किया जा सकता है। क्षेत्रीय कार्य में विद्यार्थी जब चिकित्सा संस्था में जाते हैं तो वहाँ पर चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएँ प्रस्तुत करते हैं तथा सीखते हैं जो निम्नलिखित हैः-

(3) उपचार

(i)पुर्नस्थापन तथा सामाजिक समायोजन

(ii)रोगों की रोकथाम

(iii)स्वास्थ्योन्नति।

उपचार कार्य में योगदानः- जब रोगी चिकित्सा संस्था में आता है तो समाज कार्य विद्यार्थी रोग के विषय में सम्पूर्ण जानकारी रोगी को प्रदान करते हैं तथा रोगी को उपचार के उपाय भी बताते हैं। उपचार कार्य में समाज कार्य विद्यार्थी निम्न कार्य करते हैं।

1. साक्षात्कार एवं गृह सम्पर्क के द्वारा रोगी के विषय में सूचनाएँ एकत्र करना।

2. सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों का अध्ययन करना जो रोग के उपचार में बाधक है।

3. चिकित्सक से इन कारकों के महत्त्व को स्पष्ट करना।

4. रोगी एवं चिकितसक के मध्य मधुर सम्बन्ध स्थापित करना।

5. रोगी के अहं को सुदृढ़ करना।

6. रोगी को निर्देश देना।

7. मनोरंजनात्मक क्रियाओं को सम्पन्न करना।

8. रोगी से भविष्य की योजना के विषय में वार्तालाप करना।

(i) पुर्नस्थापन एवं सामाजिक समायोजन में सहायताः- रोगी को पुनः पूर्ववत दिनचर्या का पालन करने योग्य बनाने में समाज कार्य विद्यार्थी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थी रोगी के परिवार में जाकर उन्हें रोगी की समस्या से अवगत कराता है तथा मधुर सम्बन्ध स्थापित करने को कहता है एवं रोगी की आवश्यकता का अध्ययन कर उसके अनुसार वातावरण तैयार करता है। जिससे रोगी परिवार एवं समाज में समायोजित होता है।

(ii) रोगों के रोकथाम सम्बन्धी सेवाएँ:- स्वास्थ्य को उत्कृष्ट बनाना है तो रोगों की रोकथाम आवश्यक है। इस हेतु समाज कार्य विद्यार्थी रोग के रोकथाम की जानकारी देने का कार्य करते हैं। विद्यार्थी रोगों के कारणों तथा उससे स्वास्थ्य पर प्रभाव को भी बताता है साथ ही विभिन्न उपकरणों के माध्यम से लोगों को रोगों के रोकथाम की जानकारी भी देता है।

(iii) स्वास्थ्योन्नति सम्बन्धी सेवाएँ:- समुदाय में स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक सेवाएँ है इसकी जानकारी भी विद्यार्थी रोगियों को देने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त निम्न स्वास्थ्योन्नति उपाय भी करता हैः-

- स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार करना।
- विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा का प्रबन्ध करना।
- रोग के प्रति अंध विश्वासों को दूर करना।
- मनोरंजनातमक सेवाएँ प्रदान करना।

- सामुदायिक नियोजन में भाग लेना।
- गाँव की सफाई सम्बन्धी कार्यक्रम बनाना।
- नये-नये कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान करना।

चिकित्सकीय वैयक्तिक कार्य में समाज कार्य विद्यार्थी निम्न प्रविधियों का उपयोग करता है-

1. **पर्यावरण में सुधार:-** इस प्रविधि में विद्यार्थी रोगी के पर्याव्रण अर्थात् परिवार, कार्य-स्थल, विद्यालय इत्यादि में सुधार करता है।
2. **मंत्रणा:-** मंत्रणा में रोगी की समस्या का अध्ययन कर उचित मार्गदर्शन दिया जाता है साथ ही रोगी की समस्या को स्पष्ट कर उसके अहं को दृढ़ भी किया जाता है।
3. **मनोवैज्ञानिक आलम्बन:-** इस प्रविधि में वैयक्तिक कार्यकर्ता या विद्यार्थी निम्न सहायता करता है-
   - रोगी को बिना किसी बाधा के अपनी भावनाओं को व्यक्त करने को प्रोत्साहित करना।
   - रोगी की भावनाओं को समझना तथा उसके व्यवहार को स्वीकृति प्रदान करना।
   - अपनी रोगी में रूचि एवं लगाव प्रदर्शित करना।
   - रोगी को अपने निर्णय लेने में प्रोत्साहित करना।
   - समस्या समाधान करने में रोगी की स्वीकृति प्राप्त करना।
4. **स्पष्टीकरण:-** समाज कार्य विद्यार्थी रोग के सभी पहलुओं को स्पष्ट करता है। इससे रोगी के अहं को बाह्य वास्तविकता को देखने की क्षमता में वृद्धि होती है और वह अपने संवेगों, मनोवृत्तियों तथा व्यवहार को पहले से अधिक अच्छी प्रकार समझने लगता है।
5. **अंतर्दृष्टि-** समाज कार्य विद्यार्थी सेवार्थी में अन्र्तदृष्टि का विकास करता है। इस प्रकार की स्थिति में कार्यकर्ता सेवार्थी की सहायता निम्नलिखित रूप में करता है:-
   - ☐ आन्तरिक आवश्यकताओं के प्रत्यक्षीकरण को समझने में करता है।
   - ☐ बाह्य वातावरण के प्रति विषयात्मक प्रत्युत्तरों को समझने में करता है।

6. **प्राख्या**:- प्राख्या के माध्यम से विद्यार्थी रोगी की समस्या के बाह्य कारकों, मनोवृत्तियों, वास्तविकता में अन्तर, व्यवहार के तरीकों आदि की व्याख्या करता है जिससे रोगी में आत्म ज्ञान उत्पन्न होता है।

7. **संकेत**:- इस प्रविधि मेंस माज कार्य विद्यार्थी रोगी की समस्या समाधान के लिए उसे कुछ सुझाव देता है। सुझाव को मानना या न मानना रोगी पर निर्भर होता है।

8. **प्रवृत्यायन**:- इस प्रविधि द्वारा समाज कार्य विद्यार्थी रोगी को एक विशेष प्रकार की जीवन शैली अपनाने की सलाह देता है व रोगी अपनी सहमति के आधार पर उसे अपनाता है।

9. **स्वप्न विश्लेषण**:- स्वप्न व्यक्ति के मान के अचेतन मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं तथा समाज कार्य विद्यार्थी रोगी के अचेतन मन को जानकर उसका विश्लेषण करता है।

10. **स्थानान्तरण**:- जब रोगी सांवेगिक भाव से समाज कार्य विद्यार्थी के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है तो रोगी कई बार अपनी भावना को कार्यकर्ता पर स्थानान्तरित कर देता है व इससे विद्यार्थी रोगी की समस्या को सरलता से समझ जाता है व उसका समाधान भी कर लेता है।

समाज कार्य विद्यार्थी उपरोक्त क्षेत्रीय कार्य संस्थाओं में व्यक्तियों की समस्या का समाधान करने के लिए समाज कार्य की प्राथमिक पद्धति "वैयक्तिक सेवा कार्य" प्रणाली का उपयोग करता है। विद्यार्थी इन संस्थाओं में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं के निर्देशन में उनके कार्यों में भी सहायता करता है। अतः समाज कार्य विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य अभ्यास में गतिविधियों को सीखता है तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है जिससे संस्थाओं को भी सहायता मिलती है और विद्यार्थियों को भी सीख मिलती है।

श्रम कल्याण क्षेत्र में सामाजिक वैयक्तिक सेवाकार्य अभ्यास

श्रम कल्याण क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के साथ क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान समाजकार्य विद्यार्थी / प्रशिक्षु निम्न बातों को सीखने का प्रयास करता है-

1. समस्या से सम्बन्धित तथ्यों को खोजना-
   - ☐ समस्या क्या है?
   - ☐ समस्या का स्त्रोत क्या है?
   - ☐ समस्या की वृद्धि कैसे हुई?
   - ☐ सहायक कारक कौन-कौनसे हुए

- ☐ समस्या किस तरह से श्रमिक को प्रभावित करती रही है।
- ☐ समस्या का समाधान किस तरह हो सकता है।
- ☐ समस्या तथा समाधान प्रक्रिया का विश्लेषण करना आदि।

2. मंत्रणाः- प्रायः श्रमिकों को निम्न स्थिति में मन्त्रणा की जाती है-

   (अ) अनुपस्थिति

   (ब) ओवरटाइम, रात्रि पारी, कार्य के घण्टे तथा दशाओं के सम्बन्ध

   (स) स्थानान्तरण, पदोन्नति, मजदूरी, छुट्टी

   (य) सुरक्षात्मक तरीके का चयन

   (र) सहकर्मियों तथा अधीक्षकों के विरूद्ध शिकायतें आदि। क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान विद्यार्थी को मन्त्रणा की प्रक्रिया को सीखने की आशा की जाती है।

3. संदर्भित करनाः- विद्यार्थी को यह भी सीखना होता है कि यदि श्रमिक की समस्या उद्योग प्रतिष्ठान से अलग है तो उसे संदर्भित संस्था में जाने की सलाह देनी होती है। जैसे नशावृत्ति के प्रभावों को कम करने के लिए नशा निवारण केन्द्र तथा चिकित्सकीय सेवाएँ लेने की सलाह दी जाती है।

4. अनुश्रवण करनाः- समाजकार्य वे प्रशिक्षु छात्रों को समस्या निवारण के बाद अनुश्रवण करना भी सीखना होता है।

6.5 सारांश

आधुनिक समय में तेजी से बढ़ रही भौतिकता, प्रदुषण, अद्यतन सामाजिक-आर्थिक समस्याओं तथा आज की जीवन-शैली आदि ने व्यक्ति की मनोसामाजिक समस्याओं में वृद्धि की है तथा व्यक्ति स्वयं भी अपनी समस्याओं का हल जल्दी चाहता है। ऐसे समाज कार्य की वैयक्तिक सेवा कार्य पद्धकति के माध्यम से व्यकितयों को समस्या समाधान मिल सकता है। समाज कार्य शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी इन यक्तियों की समस्या समाधान अपने क्षेत्रीय कार्य में करते हैं। ये विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य में व्यक्तियों की समस्या का अध्ययन, मन्त्रणा, समस्या का उपचार एवं निदान कर कार्य वैयकितक सेवा कार्य प्रविधि से करते हैं।

6.6 शब्दावली

- वैयक्तिक सेवा कार्य प्रणाली : समस्याग्रस्त व्यक्ति के साथ सेवा कार्य, समाज कार्य की एक
- निरान : दूर करना, हटाना

- संवाखी : कैदी, बंदी

6.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. वैयक्तिक सेवा कार्य पद्धति व्यक्ति की सहायता में किस प्रकार उपयोगी है समझाइये।
2. समाज कार्य शिक्षा में विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य किस प्रकार करता है, विस्तृत में लिखिए।
3. सुधारग्रह में क्षेत्रीय कार्य के दौरान वैयक्तिक सेवा कार्य द्वारा अपराधियों के सुधार करने की प्रक्रिया को समझाइये।
4. विद्यालय एवं क्षेत्रीय कार्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

6.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

- मिश्र पी.डी., िसह सुरेन्द्र (2004) समाजकार्य इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियाँ, न्यू रायल बुक कम्पनी, लखनऊ
- मिश्र पी.डी. (2006) सामाजिक वैयक्तिक सेवाकार्य।
- हेमिल्टन (1959), थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क, कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस।
- पाल, से.एल. (1964) सोशल केस वर्क प्रिंसिपल एण्ड प्रेक्टिस, द ह्युमनिटिस प्रेस, न्यू यार्क।
- उपाध्याय, आर.के. (2003) सोशल केस वर्क, रावत पब्लिकेशन।

इकाई - 7

सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्रीय कार्य

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य
7.1 प्रस्तावना
7.2 समाज कार्य प्रणाली के रूप में समूह कार्य
7.3 समूह के साथ क्षेत्रीय कार्य
  7.3.1 समस्या निदान की प्रक्रिया
  7.3.2 कार्यक्रम
7.4 विभिन्न क्षेत्रीय कार्य संस्थाओं में प्रशिक्षु का सामूहिक कार्य
7.5 सामूहिक कार्य में आवश्यक निपुणतायें
7.6 सारांश
7.7 शब्दावली
7.8 अभ्यासार्थ प्रश्न
7.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

7.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- समस्या निदान की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
- समूह की समस्या के निदान के लिए आवश्यक कार्यक्रमों को जान पाएंगे।
- विभिन्न क्षेत्रीय कार्य संस्थाओं में प्रशिक्षु के सामूहिक कार्य को समझ पाएंगे।
- क्षेत्रीय कार्य में सामूहिक कार्य में दौरान आवश्यक निपुणताओं की जानकारी प्राप्त करना।

7.1 प्रस्तावना

सामूहिक जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि समूह के अभाव में व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है। जब सामूहिक जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति अस्त-व्यस्त तथा विघटित हो जाता है। अतः व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति की सामूहिक जीवन सम्बन्धी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की सन्तुष्टि आवश्यक होती है। अन्यथा व्यक्ति में विभिन्न समायोजन सम्बन्धी समस्याएँ हो सकती है। इन समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से

समाज कार्य द्वारा किया जा सकता है तथा सामूहिक या समुह जीवन में होने वाली समस्याओं या एकाकीपन या अलगाव से सम्बंधित समस्याओं का समाधान समाज कार्य के सामूहिक कार्य के द्वारा किया जा सकता है। सामाजिक सामूहिक कार्य कए प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्तियों की सामाजिक संस्थाओं के अन्तर्गत समूहों में एक कार्यकर्ता द्वारा सहायता की जाती है। यह कार्यकर्ता कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाओं में व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध सम्बन्ध प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है जिससे वे एक दुसरे से सम्बन्ध स्थापित कर सके औश्र वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक विकास की दृष्टि से अपनी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार विकास के सुअवसरों को अनुभव कर सकें (ट्रेकर 1955)। इस प्रकार सामाजिक सामूहिक कार्य का उपयोग सामूहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए किया जाता है।

7.2 समाज कार्य की प्रणाली के रूप में समूह कार्य

व्यक्ति समूह में ही जन्म लेता है, बढ़ता है और सामाजिक प्राणी बनता है। समूह से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सामूहिक जीवन ही उसका वास्तविक जीवन है। व्यक्ति का विकास भी सामूहिक अनुभव पर ही निर्भर करता है लेकिन वर्तमान समय में भौतिकवादी युग के कारण सामूहिक जीवन में कई समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं अलगाव, प्रेम की कमी, सौहार्द एवं मित्रता का अभाव बढ़ता जा रहा है। मुख्यतः नगरीकरण के कारण कहीं भी आन्तरिक रूप से एकता नहीं देखने को मिलती है। सभी लोग अपने तक ही सीमित होकर रह गये हैं ऐसी विचारधारा के कारण लोग अपने को कभी निरीह, तो कभी असहाय लगते हैं जिसके फलस्वरूप मानसिक रोगों के शिकार हो जाते है, कहीं-कहीं पर सुरक्षा का अभाव तथा असमायोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन सम्पूर्ण सामूहिक जीवन की समस्या का समाधान समाज कार्य के सामूहिक कार्यपद्धति के माध्यम से किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा एकाकीपन की समस्या को समूह के माध्यम से समाप्त किया जाता है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जाता है तथा सामूहिक अनुभव के द्वारा व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करना सीखाया जाता है जिससे धीरे-धीरे वह समूह में, परिवार में तथा समुदाय में समायोजन करना सीख जाता है इस प्रकार समूह में विभिन्न व्यकितयों की समस्या का हल कर उसे विकसित करने का अवसर प्रदान करके व्यक्ति का विकास इस विधि के द्वारा किया जाता है।

सामूहिक समाज कार्य समूह के माध्यम से व्यक्ति की सहायता करता है। समूह की सहातया से व्यक्ति में शारीरिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को उत्पन्न कर समायोजन के योग्य बनाया जाता है।

क्वायल (1937)

सामूहिक समाज कार्य का उद्देश्य सामूहिक स्थितियों में व्यक्तित्वों की अन्तःक्रियाओं द्वारा व्यक्तियों का विकास करना तथा ऐसी सामूहिक स्थितियों को उत्पन्न करना जिससे सामान्य उद्देश्यों के लिए एकीकृत, सहयोगिक सामूहिक क्रिया हो सके।

विल्सन एण्ड राइलैण्ड (1949): सामूहिक समाज कार्य एक प्रक्रिया और एक प्रणाली है, जिसके द्वारा सामूहिक जीवन एक कार्यकर्ता द्वारा प्रभावित किया जाता है जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए समूह की

परस्पर सम्बन्धी प्रक्रिया को चेतन रूप से निर्देशित करता है जिससे प्रजातांत्रिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

हैमिल्टन (1949): सामूहिक समाज कार्य एक मनो-सामाजिक प्रक्रिया है जो नेतृत्व की योग्यता और सहयोग के विकास से उतनी ही सम्बन्धित है, जितनी सामाजिक उद्देश्य के लिए सामूहिक अभिरूचियों के निर्माण से।

ट्रेकर (1949): सामूहिक समाज कार्य एक प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्तियों की सामाजिक अभिकरणों के अन्तर्गत समूहों में एक कार्यकर्ता द्वारा सहायता की जाती है जो कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाओं में उनकी अन्तक्रिया के मार्ग दर्शन करता है जिससे वे दूसरों से सम्बन्ध स्थापित कर सकें और वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक विकास की दृष्टि से अपनी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार विकास के सुअवसरों का अनुभव कर सकें।

कोनोप्का (1963): सामूहिक समाज कार्यस माज कार्य की एक ऐसी प्रणाली है जो उद्देश्यपूर्ण सामूहिक अनुभव के माध्यम से वैयक्तिक, सामूहिक और सामुदायिक समस्याओं को प्रभावपूर्ण ढंग से सुलझाने तथा उनकी सामाजिक कार्यात्मकता को बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है।

जब हम उपरिलिखित परिभाषाओं का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि ग्रस क्वायल के अनुसार सामूहिक समाज कार्य व्यक्ति का विकास करता है। इस विकास का माध्यम समूह में व्यक्तियों के बीच में होने वाली अन्तक्रिया होती है। जब उनमें आपस में अन्तःक्रिया होती है तो व्यक्तित्व को नयी दिशा प्राप्त होती है। इसका दूसरा कार्य ऐसी सामूहिक स्थितियों को उत्पन्न करना है जहाँ पर एकीकृत एवं सहयोगिक भावना इस सीमा तक कार्य करे जिससे समाज उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। क्वायल ने समस्या समाधान की बात इसमें नहीं कही है।

विल्सन तथा राइलैण्ड ने सामूहिक समाज कार्य को एक प्रक्रिया तथा प्रणाली बताया है। इसका कार्य व्यक्ति के सामूहिक जीवन को प्रभावित करना है। सामूहिक समाज कार्यकर्ता समूहों के साथ इस प्रकार कार्य करता है जिससे कार्यक्रमों के माध्यम से वे अपना लक्ष्य प्राप्त करें। वह चेतनरूप से अन्तःक्रिया को समूह के उद्देश्य पूर्ति के लिए निर्देशित करता है। सामूहिक समाज कार्य द्वारा प्रजातांत्रिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है।

हैमिल्टन के विचार अपने समय के सभी विद्वानों के विचारों से भिन्न है। उनका विचार है कि सामूहिक कार्य एक मनो-सामाजिक प्रक्रिया है अर्थात् इसके द्वारा व्यक्ति को मानसिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार से प्रभावित किया जाता है। वह सामाजिक उद्देशें की पूर्ति के लिए सामूहिक अभिरूचियों के विकास का प्रयत्न करता है। साथ ही साथ उनके नेतृत्व एवं सहयोग की भावना के विकास पर बल देता है।

सामूहिक समाज कार्य की सबसे उपयुक्त एवं पूर्ण परिभाषा ट्रेकर ने दी है। उनके अनुसार सामूहिक समाज कार्य की निम्न विशेषताएँ हैं:

1. **सामूहिक समाज कार्य एक प्रणाली है**

इसका तात्पर्य यह है कि सामूहिक समाज कार्य के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। कार्यकर्ता को जब तक समूह की विशेषताओं, दशाओं, मनोवृत्तियों आदि का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है। उसको व्यक्ति तथास मूह दोनों के व्यवहार का ज्ञान होना आवश्यक है। उसमें विशेष समझ होती है जिससे वह विभिन्न स्थितियों में समूहों के साथ कार्य करने में समर्थ होता है। उसको समूह की गत्यात्मकता का ज्ञान होता है। ट्रेकर का मत है कि सामूहिक कार्य के अपने कुछ सिद्धान्त है जो दूसरी प्रणालियों से भिन्न हैं। नियोजित समूह निर्माण, उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता-सेवार्थी सम्बन्ध, निरन्तर वैयक्तीकरण, निर्देशित सामूहिक अन्तःक्रिया, प्रजातांत्रिक सामूहिक आत्मनिश्चयीकरण, लचीजा कार्यात्मक संगठन, निरन्तर प्रगतिशील कार्यक्रम, संसाधनों का उपयोग तथा निरन्तर मूल्यांकन के सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सामूहिक समाज कार्य की अपनी विशिष्ट निपुणतायें हैं जिनको सामूहिक कार्यकर्ता अपने व्यवहार में लाता है। कार्यकताृ में उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की निपुणता होती है। वह सामूहिक स्थिति का विश्लेषण करने में दक्ष होता है। वह समूह के साथ भाग लेने में निपुण होता है। अपनी भूमिका की व्याख्या तथा उसकी आवश्यकता को समयानुसार निश्चित करेन में समर्थ होता है। वह प्रत्येक नयी स्थिति का निष्पक्ष रहकर विषयात्मक रूप से अध्ययन करता है तथा समूह की सकारात्मक तथा नकारात्मक भावनाओं को समझकर ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। वह समूह की रूचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार ही कार्यक्रम आयोजित करता है। उसमें संस्था तथा समुदाय के संसाधनों को उपयोग में लाने की निपुणता होती है।

2. सामूहिक समाज कार्य द्वारा समूह में संस्था के अन्तर्गत व्यक्तियों कीसहायता की जाती है

ट्रेकर की परिभाषा की दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सामूहिक समाज कार्य में समूह तथा अभिकरण दोनों महत्त्वपूर्ण हैं। अर्थात् व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से अभिकरण के तत्वाधान में की जाती है। समूह की अपनी विशेषतायें होती हैं तथा उसके गठन का भी एक उद्देश्य होता है। यह समूह किसी संस्था के अन्तर्गत ही गठित किया जाता है। ये समूह समुदाय की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं।

3. सामूहिक समाज कार्य एक कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है जो समूह की कार्यक्रम क्रियाओं में होने वाली अन्तक्रिया को निर्देशित करता है

सामूहिक कार्य में कार्यकर्ता की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। यह सभी कार्यों की धुरी होता है। अतः जैसी उसमें योग्यता एवं क्षमता होती है, समूह उसी प्रकार की उपलब्धि करता है। वह समूह की स्वीकृति के आधार पर अपनी भूमिका का सम्पादन करता है। जिस सीमा तक समूह उसको अपनी भूमिका पूरी करने की आज्ञा देता है वह वहीं तक अपने कार्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ाता है। कार्यकर्ता समतूह के सदस्यों का वैयक्तीकरण करते हुए उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा अन्तर्निहित क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त करता है। वह

उद्देश्यों के निर्धारण में समूह की सहायता करता है तथा कार्यक्रमों के चलाने व उनकी आवश्यकता के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। वह समूह को मंत्रणा भी देता है तथा कार्य सम्पादन के लिए प्रोत्साहित भी करता है। कार्यकर्ता समूह की सहायता सामूहिक प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर जहाँ कहीं यह आवश्यक होती है, करता है। वह सामुदायिक संसाधनों के समुचित उपयोग में भी समूह की सहायता करता है।

4. सामूहिक समाज कार्य का उद्देश्य आपसी सम्बन्धों में वृद्धि तथा अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास करना है

   सामूहिक समाज कार्य के अन्तर्गत कार्यकर्ता इस प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसके द्वारा समूह के सदस्यों में दूसरे लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। वे अपनी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसरों का अनुभव करते हैं। समूह सदस्यों में सहभागिता की क्षमता आती है, सम्पर्कों को करने की विधि सीखते हैं, निर्णय की क्षमता बढ़ती है तथा उत्तरदायित्व ग्रहण करना सीखते हैं, निर्णय की क्षमता बढ़ती है तथा उत्तरदायित्व ग्रहण करना सीखते हैं। उनमें स्व7सम्प्रेरक शक्ति काम करने लगती है तथा अपनव्त की भावना विकसित होती हैं इन सभी गुणों से वे अन्य व्यक्तियों के साथ समायोजित करने में सफल होते हैं एवं वृद्धि के अवसरों से लाभ उठाते हैं।

5. सामूहिक समाज कार्य सहायता का उद्देश्य वैयक्तिक, सामूहिक और सामुदायिक विकास करना है

   सामूहिक समाज कार्यकर्ता व्यक्तियों के व्यवहार के परिवर्तन के लिए कार्यक्रमों का उपयोग करता है। चाहे वह समस्या हो अथवा विकास का प्रश्न हो, दोनों ही स्ाि्ितियों में व्यवहार की बाधा बनता है। अतः यदि दोनों प्रकार से सफलता प्राप्त करनी है तो व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। इस परिवर्तन से व्यक्ति व समूह में परिवर्तन आता है जिससे प्रजातांत्रिक लक्ष्यों की पूत्रि होती है।

7.3 समूह के साथ क्षेत्रीय कार्य

समाज कार्य के विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य के दौरान विभिन्न संस्थान जैसे स्वयं सहायता समूहों, कारागाह, विद्यालय, नशा निवारण केन्द्र, पुलिस थाना, उद्योग, खुले सामूदायिक केन्द्र इत्यादि में क्षेत्रीय कार्य करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किये जाते हैं। समाज कार्य विद्यार्थी भी इन संस्थानों में समाज कार्य की प्रत्येक प्रणाली का उपयोग सेवार्थियों की समस्या समाधान के लिए करते हैं। मूलतः तीन स्तरों पर पायी जाती है। व्यक्ति, समुह, समुदाय।

1. व्यक्ति स्तर पर सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य

2. समुह स्तर पर सामाजिक सामूहिक कार्य

3. समुदाय स्तर पर सामुदायिक संगठन प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

समाज कार्य विद्यार्थी या प्रशिक्षु क्षेत्रीय कार्य में समूह की समस्या समाधान के लिए निम्न कार्य सीखता है जो इस प्रकार हैः-

1. **तथ्यों की खोज (Fact Findings):-** सर्वप्रथम प्रशिक्षु समस्याग्रस्त समूह के सम्बन्ध में तथ्यों की खोज करता है। तथ्यों की खोज से इस बात का पता लगाया जाता है कि समूह की संधियाँ, इच्छाएँ, शक्तियाँ एवं सीमायें क्या है। इसके अतिरिक्त वह समूह की विशेषता एवं संरचना का पता लगाता है जहाँ से समूह सदस्य आया है वह समूह की आवश्यकता तथा उनकी प्राथमिकता का भी अध्ययन करता है। साथ ही संस्था में उपलब्ध साधनों को भी देखता है कि साधन समूह की जरूरतों को पुरा करते हैं या नहीं। प्रशिक्षु समूह के सदस्यों के परिवार के विषय में, उनकी टूटी आशाओं के विषय में, उनकी निरर्थक भावनाएँ एवं झगड़ों के विषय में जानने का प्रयत्न इस चरण में करता है।

   प्रशिक्षु समूह के तथ्यों की खोज निम्न साधनों के माध्यम से करता हैः -

   (1) अवलोकन द्वारा

   (2) समूह सदस्यों को सुनने के द्वारा

   (3) असामायिक सदस्यों की भेंट के द्वारा

   (4) सदस्यों के परिवार से मिलकर तथा उनसे सम्पर्क द्वारा

   (5) होम विजिट्स द्वारा

   (6) आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावों की जानकारी द्वारा

   (7) कार्यस्थल की दशा को जानकर

   (8) इस समुदाय की स्थिति की जानकारी जहाँ से सदस्य आया है।

2. **निदान (Diagnosis):-.** प्रशिक्षु समूह के साथ क्षेत्रीय कार्य के दौरान समूह के तथ्यों को ज्ञात कर लेने के पश्चात् यह पता लगाता है कि कौन-कौन से कारक हैं जिनसे समूह में गड़बड़ी आयी है। वह उन कारकों की खोज करके समस्या का निदान करता है। निदान की प्रक्रिया में मुख्य रूप से दो बातें उपयोगी हैः-

   (1) समूह की समस्या के क्या कारण है?

   (2) किन-किन साधनों द्वारा समस्या का निदान किया जाता है।

   निदान के अन्तर्गत तीन चरणों का उपयोग प्रशिक्षु करता हैः -

   (1) तथ्यों का एकत्रिकरणः-

(अ) समस्या का मूल्यांकन

(ब) समूह के व्यक्तित्व का मूल्यांकन

(स) सामाजिक पर्यावरण का मूल्यांकन

(2) समस्या के कारण की खोजः-

(अ) समस्या का स्तर क्या है।

(ब) सामुदायिक पर्यावरण का समूह पर क्या प्रभाव पड़ा है।

(स) समस्या की उत्पत्ति में क्या-क्या बाधायें आयी है।

(द) समस्या के समाधान हेतु कौन-कौनसे साधन उपलब्ध है तथा कौन-कौन से उपलब्ध नहीं है।

(3) श्रेणीकरणः-

(अ) समस्या जानने के पश्चात् समूह के सदस्यों का वर्गीकरण करना।

(ब) समस्या के समाधान में संस्था की क्या भूमिका होगी उसे निश्चित करना।

3. उपचार **(Treatment):-**. जब प्रशिक्षु समूह के तथ्य संकलन तथा निदान की सहायता से यह निश्चित कर लेता है कि समूह किस प्रकार की सहायता चाहता है और उसकी आवश्यकता किस सीमा तक पूरी की जा सकती है तो वह विभिन्न विधियों के द्वारा समूह की आवश्यकतानुसार कार्यक्रम आयोजित करता है और साथ-साथ में वह मूल्यांकन भी करता रहता है कि कार्यक्रम किस सीमता तक समूह भी समस्या समाधान करने में सफल हो रहा है।

प्रशिक्षु समूह में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित कर समस्या का समाधान कर सकता है।

(1) खेल **(Play):-**. बच्चों की एकाकीपन की या अन्य समस्या के लिए शारीरिक, बौद्धिक, स्मृति सम्बन्धी खेल आयोजित कर उनमें आत्मविश्वास एवं खुलापन लाना।

(2) ड्रामा, हास्यनाटक, कठपुतली का नाच तथा भूमिका निर्वाहः- समूह के सदस्यों को उपर्युक्त विभिन्न क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए कहा जाता है ताकि समूह में अच्छे सम्बन्ध निर्माण हो, सामंजस्य व समन्वय स्थापित हो और समूह के प्रत्येक व्यक्ति अपने औश्र दुसरों के व्यवहार के विषय में अन्र्तदृष्टि का विकास कर सके।

(3) संगीत एवं कला शिल्पः- संगीत के द्वारा व्यक्ति के संवेगों की अभिव्यक्ति होती है तथा संगीत के आयोजन से मन को शान्ति एवं राहत मिलती है। अतः ऐसे आयोजन वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों ही स्तरों पर किये जाते हैं।

(4) वार्तालापः- समूह में वार्तालाप होना बहुत आवश्यक है क्योंकि प्रशिक्षु समूह में सदस्यों उनकी समस्या की अभिव्यक्ति करता है। अतः ऐसे आयोजन भी अति आवश्यक है।

(5) कार्यः- समूह सदस्यों से प्रशिक्षु कुछ ऐसे कार्य भी करवाता है जिनसे समूह में सहयोग में वृद्धि हो।

अतः सम्पूर्ण गतिविधियों के द्वारा प्रशिक्षु समूह की समस्या का समाधान कर सकता है। इन गतिविधियों से समूह के सदस्यों की क्षमताओं, योग्यताओं एवं कौशल का विकास किया जा सकता है।

7.4 विभिन्न क्षेत्रीय कार्य संस्थाओं में प्रशिक्षु का सामूहिक कार्य

(1) चिकित्सालयः-

चिकित्सालय में अनेक रोगी अपने रोग का उपचार कराने आते हैं। इन रोगों के कई कारण होते हैं जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिकं शारीरिक रोग का इलाज तो चिकित्सक कर लेता है परन्तु कई बार कुछ रोगों का कारण मानसिक या सामाजिक होता है इसलिए वे पुर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं ऐसे रोगियों का उपचार सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं। प्रशिक्षु भी क्षेत्रीय कार्य के दौरान इन रोगियों के उपचार में निम्न कार्य कर सकते हैं।

1. प्रशिक्षु चिकितसालय में एक समान रोगियों को एक समूह में एकत्र करता है तथा उन्हें रोग के लक्षण, कारणों तथा परिणामों की जानकारी देउता है वह उन विधियों को भी बताता है जो रोग को शीघ्र दुर करने में सहायक है।

2. प्रशिक्षु रोगियों के समूह का स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण सम्बन्धी शिक्षा, संसर्ग रोगों की रोकथाम आदि के सम्बन्ध में भी जानकारी देता है।

3. प्रशिक्षु समूह में रोगियों के लिए विभिन्न मनोरंजन के कार्यक्रम जैसे नृत्य, गीत, खेल, नाटक इत्यादि का आयोजन करता है जिससे समूह के सदस्य अपने विचार एवं भावनाओं का प्रकटन करते हैं और उनका मन भी हल्का हो जाता है जिससे रोगियों को मानसिक शांति प्राप्त होती है।

4. प्रशिक्षु रोगियों की समस्या जानने के पश्चात् मेडिकल टीम से भी वार्तालाप कर रोगियों के सम्बन्ध में जानकारी देता है तथा टीम के एक सदस्य के रूप मेंरोग के सांवेगिक एवं सामाजिक पक्षों को स्पष्ट करते हुए सामाजिक चिकित्सा का महत्त्व भी स्पष्ट करता है।

5. प्रशिक्षु कई बार समूह में रोगियों को एक-दुसरे से मिलने, समझने और सम्बन्ध स्थापित करने का भी अवसर देता है जिससे चिकित्सालय में लम्बे समय से ठहरे रोगी जो परिवार से दुर है वे भी एकाकीपन महसूस नहीं करते हैं।

6. प्रशिक्षु समूह में रोगियों को किसी विषय जो रोगियों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित है उन पर एक या दो दिन का प्रशिक्षण भी दे सकता है।

इस प्रकार चिकित्सालय में क्षेत्रीय कार्य करने वाले प्रशिक्षु सामूहिक कार्य विधि का उपयोग कर रोगियों में आत्मविश्वास तथा सहयोग व सामंजस्य की भावना उत्पन्न कर सक्ते हैं।

(2) वृद्ध व्यक्तियों के साथ सामूहिक कार्य:-

वर्तमान में वृद्ध व्यकितयों का भी परिवार एवं घर के सदस्यों के साथ असमायोजन हो रहा है। कई बार वृद्ध व्यक्ति परिवार के अन्य व्यक्तियों के कार्य व व्यवहार से सन्तुष्ट नहीं होते हैं तो कई बार परिवार के सदस्य उन्हें बोझ समझकर उनके साथ्ज्ञ गलत व्यवहार करते हैं या घर से निकाल देते हैं। ऐसे वृद्ध एकाकीपन व अलगाव की समस्या से झुझते रहते हैं। इन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। वृद्धों की समस्या को लेकर भी कई एन.जी.ओ. कार्य करते हैं। इन एन.जी.ओ. में भी समाज कार्य विद्यार्थी क्षेत्रिय कार्य के लिए जाते हैं।

समाज कार्य विद्यार्थी (प्रशिक्षु) वृद्धों की संस्थाओं में निम्नलिखित सामूहिक कार्य क्षेत्रिय कार्य के दौरान करते हैं:-

1. वृद्धों की संख्या में विभिनन समस्याओं से ग्रसित वृद्ध आते हैं। प्रशिक्षु इन वृद्धों की समस्या को वैयक्तिक अध्ययन कर गहराई से जानता है।

2. प्रशिक्षु एक समान समस्या वाले वृद्धों का समुह तैयार करता है। समूह में वृद्धों आपस में बातचीत करने, समझने और भावनाओं को व्यक्ति करने का अवसर दिया जाता है।

3. वृद्धों की आवश्यकतानुसार संस्था में उपलब्ध साधन को वृद्धों को उपलब्ध कराता हैं

4. प्रशिक्षु वृद्धों के लिए समूह में विभिन्न मनोरंजनात्मक कार्य आयोजित करता है जिससे वृद्धों का अहं दृढ़ होता है। उनमें आत्मनिर्देशन की शक्ति आती है तथा उनके जीवन में निराशा के स्थान पर सक्रियता का विकास होता है।

5. प्रशिक्षु समूह में वृद्धों के लिए पढ़ने के लिए साहित्य तथा खेलों का भी आयोजन करता है।

6. अगर वृद्धों की समस्या आर्थिक स्थिति से संबंधित है तो प्रशिक्षु उन वृद्धों के समूह को कुछ रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण जैसे हस्तशिल्प, मोबाइल रिपेयरिंग इत्यादि भी दे सकता है ताकि वृद्ध आर्थिक रूप से मजबुत हो जाए।

7. अगर वृद्धों की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो प्रशिक्षु उनकी समस्या के निदान व उपचार के लिए चिकित्सकों की सहायता लेता है तथा स्वयं भी स्वास्थ्य शिक्षा वृद्धों को दे सकता है तथा जरूरत होने पर अन्य संस्थाओं की सहायता भी लेता है।

इस प्रकार प्रशिक्षु वृद्धों की समस्याओं को समूह में या समूह द्वारा समाधान क्षेत्रीय कार्य के दौरान करता है।

(3) मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय:-

मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बदलती पर्यावरणीय दशाओं के कारण बढ़ती जा रही है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। इस हेतु विभिनन मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल भी स्थापित किये गये है जिनमें मानसिक रोगी आते हैं इन अस्पतालों में भी समाज कार्य विद्यार्थी क्षेत्रिय कार्य के लिए जाते हैं। प्रशिक्षु मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालयों में निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्य करते हैं:-

1. प्रशिक्षु सेवार्थी की रूचियों का पता विभिन्न सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से लगाता है तथा उनके अचेतन मन को ढूँढने का प्रयास करता है।
2. प्रशिक्षु सेवार्थियों की आन्तरिक एवं बाह्य सभी विशेषताओं का अध्ययन करता है।
3. रोग के प्रति उनके दृष्टिकोणों का पता लगाता है तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए चलचित्र, वार्तालाप, ड्रामा का आयोजन भी करता है।
4. परिवार, समूह तथा समूदाय का रोग उत्पन्न करने में सहयोग कितना रहा इसका अध्ययन भी प्रशिक्षु करता है।
5. प्रशिक्षु सेवार्थियों तथा उनके सम्बन्धियों को रोग सम्बन्ध में सूचना देता है।
6. प्रशिक्षु सेवार्थियों के समूह के लिए शिक्षात्मक सेवायें भी प्रदान करता है।
7. प्रशिक्षु समूह में मनोरंजनात्मक कार्य तथा व्यावसायिक चिकित्सा की भी व्यवस्था करता है।

इस प्रकार समूह में मानसिक रोगियों को रखकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षु मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा तथा उपचार के साधन का ज्ञान भी देता है।

(4) परिवार नियोजन संस्था:-

देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये हैं जिसमें परिवार नियोजन भी मुख्य है। परिवार नियोजन का कार्य भारत में विभिन्न संस्थाएं कर रही है। इन संस्थाओं में भी समाज कार्य विद्यार्थी क्षेत्रिय कार्य के लिए जाते हैं। ये विद्यार्थी या प्रशिक्षु परिवार नियोजन संस्था में निम्नलिखित क्षेत्रिय कार्य करते हैं-

1. प्रशिक्षु परिवार नियोजन संस्था के उद्देश्य को पुरा करने के लिए कार्य करता है। इस संस्था का उद्देश्यः-

   - परिवार के सदस्यों की सीमा में नियन्त्रण करना है।

   - जिन परिवारों में अधिक बच्चे पैदा होते हैं उन दम्पत्तियों को परिवार नियोजन विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना

   - स्वस्थ्य रक्षा सम्बन्धी सेवायें भी प्रदान करना। इसमें प्रसव के पूर्व, प्रसव में, प्रसव के पश्चात् माताओं की देख-रेख, दवाइयों का प्रबन्ध, चेचक, डिप्थेरिया आदि के बचाव के लिए टीके लगाना तथा दवाईयां देना भी सम्मिलित है।

2. प्रशिक्षु गाँव में जाकर ऐसे परिवारों का अध्ययन करता है जिनमें अधिक बच्चे पैदा हुए हैं।

3. अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों के समूहों को एकत्रित कर प्रशिक्षु उन्हें परिवार नियोजन की शिक्षा देता हैं

4. प्रशिक्षु उस समूह को परिवार नियोजन के प्रत्येक तरीके से होने वाले लाभ तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी समूह में फैले भ्रमों को भी दूर करता है।

5. प्रशिक्षु अधिक बच्चे पैदा करने वाले समूह को हर प्रकार से प्रयास कर अपनी बात से सन्तुष्ट करता है तथा छोटे परिवार के लाभ तथा उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।

6. प्रशिक्षु बड़े परिवार की समस्याओं तथा आर्थिक विकास पर प्रभाव को स्पष्ट करता है।

7. धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणों का विवेचन परिवार नियोजन के सन्दर्भ में प्रशिक्षु करता है।

   इस प्रकार प्रशिक्षु समूह में परिवार नियोजन का कार्य भी क्षेत्रिय कार्य के दौरान समूदाय में करता है।

(5) सुधार गृह/कारागाहः- अपराधियों के अपराध का दण्ड कारागार तो है ही पर कई बार अपराधी कारागार से पुनः समाज में जाने पर फिर से अपराध करने लगते हैं। इसका कारण उनमें सुधार नहीं हुआ है तथा वास्तविक रूप में अपराध के प्रति मनोवृत्ति नहीं बदलती है। अतः समाज कार्य विद्यार्थी क्षेत्रिय कार्य के लिए कारागृह में भी जाते हैं तथा वहां पर अपराधियों के सुधार के कार्य में समाज कार्य प्रणालियों का उपयोग कर सहायता देते हैं।

प्रशिक्षु कारागार या सुधार गृह में निम्नलिखित रूप से समूह कार्य या सेवाएँ देते हैं।

1. प्रशिक्षु कारागार में अपराधियों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करके सुधारवादी कार्यक्रम निश्चित करने में सहायता करता है।

2. प्रशिक्षु सामूहिक कार्य के द्वारा इस प्रकार से पर्यवेक्षण करता है जिससे वह आत्मनियंत्रण सीखे।

3. प्रशिक्षु सामाजिक तथा वैधानिक मजबूरियों को दूर करने में सहायता करता है तथा कैदियों के व्यवहार को सामाजिक आदर्शों के अनुरूप बनाने का कार्य भी करता है।

4. प्रशिक्षु अपराधियोकं के समूह की इस प्रकार सहायता करता है जिससे वे कानूनी तथा प्रशासनिक नियमों का पालन अपने हित को ध्यान में रखकर कर सके।

5. प्रशिक्षु नये अपराधियों को परामर्श देता है तथा मार्गदर्शन करता हैं

6. प्रशिक्षु अपराधियों की मानसिक कुंठाओं, विक्षिप्त मनोदशाओं को दूर करने में सहायता करता है तथा उन्हें संस्था के अन्य नये अपराधियों/अधिकारियों तथा कार्य-पद्धतियों के समरूप व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

7. समूह में अपराधियों को आपस में बातचीत, समस्या के सम्बन्ध में वार्तालाप तथा अपराधी बनने के कारणों इत्यादि को बताने का अवसर दिया जाता है।

8. प्रशिक्षु अपराधियों को समूह में व्यवहार करने के तरीके तथा समाज में पुनः जाने पर कैसा व्यवहार करेंगे इसका भी प्रशिक्षण देता है।

इस प्रकार प्रशिक्षु सुधार गृह में अपराधियों के साथ भी सामूहिक कार्य कर उन्हें नतिक शिक्षा व सभ्य व्यवहार की जानकारी देने का कार्य करता है।

(6) उद्योग में श्रम कल्याण:-

उद्योगों में कार्यरत श्रमिक वर्षों से शोषण सहन करते आये हैं परन्तु धीरे-धीरे श्रमिकों के कल्याण एवं कार्यदिशाओं में सुधार के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के अधिनियमों का निर्माण किया। जिसमें से कारखारा अधिनियम 1948 मुख्य है जिसे कल्याणकारी अधिनियम माना जाता है। इस अधिनियम में श्रमिकों के कल्याण के लिए कल्याणकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जो अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन का कार्य करता है। मुख्य रूप से यह अधिकारी एक सामाजिक कार्यकर्ता ही होता है जो विभिन्न समाज कार्य प्रणालियों के द्वारा श्रमिकों की सहायता करता है। अतः उद्योग में समाज कार्य विद्यार्थी भी क्षेत्रिय कार्य करने वाले हैं जो श्रमिकों की समूह में समस्या समाधान के लिए कार्य करने में सहयोग देते हैं साथ ही श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यों में भी सहायता करते हैं ओर सीखते हैं।

प्रशिक्षु उद्योग से क्षेत्रीय कार्य के दौरान निम्नलिखित रूप से सामूहिक कार्य करते हैं :-

1. प्रशिक्षु उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की समस्या का अध्ययन करता है।

2. प्रशिक्षु समान समस्या वाले श्रमिकों का एक समूह तैयार करता है उस समूह में प्रशिक्षु समूह के सदसें को समस्या के सम्बन्ध में समझाता है।

3. प्रशिक्षु समूह के सदस्यों को समस्या समाधान के तरीके बताता है साथ ही समूह में श्रमिकों को अपनी समस्या अभिव्यक्त करने तथा नेतृत्व करने का अवसर भी प्रदान करता है।

4. उद्योग के लिए शांति तथा श्रमिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध अति आवश्यक है। अतः प्रशिक्षु श्रमिकों के समूह में कुछ मनोरंजनात्मक कार्यक्रम कर उनके मध्य अच्छे सम्बन्ध तथा सामंजस्य स्थापित करने का कार्य भी करता है।

5. प्रशिक्षु श्रमिकों के समूह को यह दिशा निर्देशित भी करता है कि अच्छे सम्बन्ध श्रमिकों के मध्य तथा प्रबन्धक के साथ आवश्यक है साथ ही श्रमिकों को कार्य तथा उत्पादन करने के लिए भी प्रेरित करता है।

6. प्रशिक्षु श्रमिकों के समूह को बताता है कि समूह में कार्य करने तथा समन्य के साथ कार्य करने से उत्पादन में वृद्धि होगी और उत्पादन में वृद्धि होने पर सभी को अत्यधिक वेतन, पदोन्नति इत्यादि प्राप्त होगा।

   अतः उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की मुख्य समस्या वेतन तथा पदोन्नति ही होती है। अगर समूह में सभी के सहयोग के साथ उद्योग में कार्य किया जाए तो समस्या का समाधान सरल व शीघ्र हो सकता है।

   इस प्रकार प्रशिक्षु क्षेत्रिय कार्य के दौरान उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की समस्या को समूह कार्य के माध्यम से हल कर सकता है।

(7) सामाजिक नियोजनः- सामाजिक नियोजन समाज के विकास के लिए किया जाता है। जिसके अन्तर्गत विकास से संबंधित कार्यक्रमों को अध्किा प्रभावकारी बनाने के लिए संस्थागत तथा प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जाता है। इस प्रकार के नियोजन का कार्य भी विभिनन संस्थाएँ करती है जहाँ पर समाज कार्य विद्यार्थी क्षेत्रिय कार्य के लिए जाते हैं।

   समाज कार्य विद्यार्थी या प्रशिक्षु सामाजिक नियेाजन के क्षेत्र में निम्नलिखित सामूहिक कार्य क्षेत्रिय कार्य में करते हैं जो इस प्रकार है-

   1. प्रशिक्षु समूदाय की समस्याओं तथा आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करता है तथा नियेाजन समिति बनाता है।

2. प्रशिक्षु समस्या की जटिलता, महत्त्व तथा समस्या के साधन इत्यादि के विषय में सूचनायें एकत्रित करता है।

3. प्रशिक्षु समूदाय की समस्या के आधार पर उद्देश्यों को निश्चित करता है तथा विभिन्न उद्देश्यों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करता हैं

4. प्रशिक्षु यह भी निश्चित करता है कि उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया जा सकता है।

5. प्रशिक्षु श्रम शक्ति, साधन, वित्तीय स्थिति आदि सभी कारणों का विश्लेषण करता है।

6. प्रशिखु कार्य के उत्तरदायित्व को निश्चित करता है तथा श्रम शक्ति की आवश्यकता का पता लगाता है।

7. प्रशिक्षु संगठन बनाता है तथा इन्हें सरकारी विभागों से जोड़ने का कार्य करता है।

8. प्रशिक्षु कार्यक्रम को समन्वित तरीके से कार्यान्वित करने तथा उसके संचालन की संरचना का निर्धारण करता हैं

9. प्रशिक्षु नियेजन तथा विकास प्रबन्ध की सफलता के लिए जनता को प्रोत्साहित तथा उसका ज्ञान प्रदान करने का कार्य करता है।

इस प्रकार प्रशिक्षु क्षेत्रिय कार्य में सामाजिक नियोजन के कार्य को भी सामूहिक कार्य के द्वारा करने का प्रयास करता है।

7.5 सामूहिक कार्य में आवश्यक निपुणताएँ

क्षेत्रिय कार्य के दौरान प्रशिक्षु में सामूहिक कार्य करने में निम्नलिखित निपुणता होनी चाहिए-

1. उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की निपुणता हो।
2. समूह-परिस्थिति विश्लेषण की निपुणता हो।
3. समूह के साथ भाग लेने की निपुणता हो।
4. समूह की भावनाओं से निपटने में निपुणता हो।
5. कार्यक्रम के विकास में निपुणता होनी चाहिए।
6. संस्था और सामुदायिक साधनों के उपयोग में निपुणता होनी चाहिए।
7. मूल्यांकन करने में निपुणता होनी चाहिए।

7.6 सारांश

समूह जीवन व्यक्ति की सभी समस्याओं का समाधान करता है तथा व्यक्ति को सहयोग, प्रेम, सामंजस्य आदि भी सीखाता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समूह के अभाव में व्यक्ति एकाकीपन, अलगाव तथा मानसिक तनाव जैसी गम्भीर बिमारियों से ग्रसित हो रहा है। इसके समाधान के लिए समाज कार्य ने अपनी सामूहिक कार्य प्रणाली की खोज की है जिसका उपयोग समाज कार्य के विद्यार्थी या प्रशिक्षु क्षेत्रिय कार्य के दौरान वभिनन संस्थाओं में आने वाले सेवार्थी की सामूहिक समस्या का समाधान करते हैं। इस प्रणाली के प्रयोग के दौरान समाज कार्य विद्यार्थी में विभिन्न निपुणताओं एवं क्षमताओं की भी आवश्यकता होती है।

7.7 शब्दावली

- समायोजन : जुड़ाव, ठहराव, घुल मिल जाना
- पद्धति : प्रक्रिया, प्रकार
- निवारण : हटाना, दूर करना

7.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. समूह कार्य में समस्या निदान की प्रक्रिया को समझाइये।
2. समूह में समस्या समाधान के लिए प्रशिक्षु द्वारा ओाजित कार्यक्रमों की सूचि को विस्तृत में लिखिए।
3. चिकित्सालय में प्रशिक्षु किस प्रकार से सामूहिक कार्य करते हैं।
4. क्षेत्रिय कार्य की विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षु द्वारा किये जाने वाले सामूहिक कार्य को समझाइये।
5. सामूहिक कार्य के लिए क्षेत्रीय कार्य के दौरान प्रशिक्षु में क्या-क्या निपुणताओं की आवश्यकता होती है।

7.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

- मिश्र पी.डी., सिंह सुरेन्द्र'समाजकार्य' 2010, न्यू रा ॅयल बुक कम्पनी, पृ.सं. 215।
- ट्रेकर (1955) सोशल ग्रुप वर्क, फोलेट पब्लिशिंग कम्पनी।
- डगलस (1979) ग्रुप प्रोसेस इन सोशल वर्क, जा ॅनविली एण्ड सम्स।
- सिद्धीकी (2011) ग्रुप वर्क, रावत पब्लिकेशन।

इकाई - 8

समुदाय के साथ क्षेत्रीय कार्य

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 सामुदायिक संगठन समाज कार्य की प्रणाली के रूप में

8.3 समुदाय एवं क्षेत्रीय कार्य अभ्यास

8.4 सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया एवं क्षेत्रीय कार्य

8.5 सामुदायिक संगठन के प्रकार एवं क्षेत्रीय कार्य

8.6 समुदाय के साथ क्षेत्रीय कार्य में आवश्यक निपुणतायें

8.7 सारांश

8.8 शब्दावली

8.9 अभ्यासार्थ प्रश्न

8.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

8.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- समुदाय की अवधारणा तथा समुदाय एवं समाज कार्य अभ्यास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया एवं क्षेत्रीय कार्यके बारे में जान सकेंगे।
- सामुदायिक संगठन के प्रकार एवं क्षेत्रीय कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे।
- समुदाय के साथ क्षेत्रीय कार्य में आवश्यक निपुणताओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

-

8.1 प्रस्तावना

समुदाय का क्षेत्र वृहद है तथा इसकी विषयवस्तु भी विविध प्रकार की है। समुदाय में समाज कार्य की आवश्यकता सभी प्रकार के समुदायों- गांव, शहर, कस्बा, मलिन बस्तियों आदि में होती है। समुदाय में समाज कार्य की आवश्यकता में भी वृद्धि हो रही है क्योंकि समुदाय पहले से अधिक जटिल एवं समस्याग्रस्त हो रहे हैं साथ ही आज के समुदाय के लिए उच्च स्तर की सेवाओं तथा उनके प्रशासन की विशिष्ट कला की भी आवश्यकता है। समुदायों में एकता और सहयोग की भी कमी होती चली जा रही है जिसके परिणामस्वरूप समस्यायें अधिक बढ़ रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न गैर-सरकारी एवं सरकारी संगठन कार्यकर रहे हैं जिनमें समाज कार्यकत्र्ता कार्य करते हैं। इन संगठनों में समाज कार्य के विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य के लिए जाते हैं। क्षेत्रीय कार्य के दौरान ये विद्यार्थी समुदाय में जाकर सामुदायिक संगठन पद्धति का प्रयोग करके समुदाय के लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं तथा समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं।

8.2 सामुदायिक संगठन समाज कार्य की प्रणाली के रूप में

समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के community शब्द का ही रूपान्तर है। कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों Com+Munis से बना है जिसमें com शब्द का अर्थ है साथ-साथ तथा Minus शब्द का अर्थ सेवा करना। इस प्रकार, समुदाय का अर्थ साथ-साथ सेवा करना।

समुदाय शब्द का उपयोग सामान्य रूप से समाज कार्य के लिए तथा विशिष्ट रूप से समाज कल्याण योजना के लिए अत्यधिक उपयोगी है।

समुदाय एक वृहद स्वरूप है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के समुह रहते हैं तथा एक तरह का समाज ही है जो एक निश्चित भू-भाग में निवास करता है जिसका विशिष्ट नाम होता है- भारत जैसे देश में विविध प्रकार के समुदाय है, समुदायों में भी विविधता पायी जाती है। इन समुदायों में बड़ी संख्या में लोग निर्धनता तथा उससे संबंधित अनेकों समस्याओं जैसे- अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, अपर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाओं, शोषण, अन्याय, घरेलु हिंसा, दहेज प्रताड़ना, बालश्रम, मादक द्रव्य, व्यसन इत्यादि से ग्रसित है। इन सभी समस्याओं का समाधान समाज कार्य शिक्षा से ही सम्भव है। समाज कार्य के अभ्यास हेतु विकसित की गयी छः पद्धतियों में से सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्राथमिक पद्धति है जो कि भारतीय परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किये जाने में सर्वाधिक अनुकूल है। मुख्य रूप से वृहद स्तर पर सामुदायिक समस्याओं का निराकरण, समुदायिक संगठन पद्धति के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। यह पद्धति समाज कार्य की प्राथमिक पद्धतियों के अन्तर्गत आती है परन्तु इसके द्वारा सम्पूर्ण समुदाय स्तर की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात् समुदाय में ही उपलब्ध संसाधनों के सहयोग से समस्याओं का निदान किया जाता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता, सामुदायिक संगठनकर्ता के रूप में कार्य करता है तथा समुदाय के विविध समस्याओं का समाधान करता है।

सामुदायिक संगठन की अवधारणा को ठीक प्रकार से समझने के लिए इसके बिलोम को समझने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में विघटित समुदाय, असंगठित समुदाय, कम संगठित समुदाय और

अधिक संगठित समुदाय का अर्थ जानना आवश्यक होगा। जिनके विषय में संक्षिप्त स्पष्टीकरण निम्नलिखित प्रकार से हैः

विघटित समुदाय (Disorganised Community): कोई भी समुदाय विघटित तब होता है जबकि यह मान्यता हो कि पहले इस समुदाय में संगठन की स्थिति पायी जाती रही है। स्टीनर (1925: 30) ने भी कहा है, ''एक समुदाय विघटित तभी का जा सकता है, जबकि इसके परम्परागत नियन्त्रण की विधियों में कोई गंभीर बिखराव हो।''

असंगठीत समुदाय (Unorganised Community): एक असंगठित समुदाय वह है जिसमें संगठन की कमी हो। नवीनता के कारण ऐसा हो सकता है कि सम्बन्धों में सामनजस्य न हो पाया जाता हो।

कम संगठित समुदाय (Less Organised Community): एक कम संगठित समुदाय वह है जिसमें आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले संगठनों की कमी हो।

अधिक संगठित समुदाय (More Organised Community): एक अधिक संगठित समुदाय वह है जिसमें संगठनों की अधिकता होने के कारण सेवाओं की पुनरावृत्ति होती हो और इनमें उचित समनवय नहीं हो पाता है (सैन्डरसन एवं पाल्सन: 1980: 74-75)

अपने विचार व्यक्त करते हुए मर्फी (1954: 7-8) ने कहा है, ''समाज कार्य के क्षेत्र में सामुदायिक संगठन के ऊपर कम से कम दो दृष्टिकोणों से विचार किया जाना चाहिएः

(1) एक विचारधारा से, इसे प्रक्रियाओं एवं निपुणताओं के एक सम्मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है; तथा।

(2) दूसरी विचारधारा से, सामुदायिक संगठन को समाजकार्य में क्रिया के अलग क्षेत्र के रूप में समझा जा सकता है जिसका वैयक्तिक कार्य अथवा सामूहिक कार्य क्षेत्र में संस्थाओं के समान अपनी संस्थाओं का ढाँचा होता है।

मर्फी (1954: 29) ने आगे कहा है कि एक प्रक्रिया और क्षेत्र की दोहरी विचारधारा में संश्लेषण करना आवश्यक है। एक प्रक्रिया के रूप में देखे जाने पर समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगइन में वे निपुणतायें आती हैं जिनका प्रयोग एक विन्यास में सामाजिक सेवाओं को समन्वित, प्रोत्साहित और विवेचित करने के लिए किया जाता है। एक क्षेत्र के रूप में इसे स्वयं संस्थाओं से बनी हुई एक अभिसंरचन(Super Structure) के रूप में देखा जाता है जिसका प्राथमिक उत्तरदायित्व विभिन्न सेवा संगठनों और संस्थाओं के कार्य को प्रोत्साहित करना है।

ग्रीन (1954: 15) ने लेन (1939: 800) के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए यह कहा कि समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन की परिभाषा एक ऐसे प्रयासों के स्थूल क्षेत्र के रूप में की जा सकती है जो ''समाज कल्याण साधनों एवं समाज कल्याण आवश्यकताओं में एक प्रगतिशील ढंग से अधिक प्रभावपूर्ण सामान्जस्य की ओर निर्देशित होते हैं।''

सैन्डरसन एवं पाल्सन (1939: 6) ने कहा है, ''सामुदायिक संगठन सामान्य कल्याण के लिए अत्यधिक आवश्यक मूल्यों एवं उनकी प्राप्ति के लिए सबसे अधिक अच्छे साधनों दोनों से सम्बन्धित एकमतता की प्राप्ति की एक प्रविधि है।''

हारपर एवं डनहम (1959: 51-52) ने सामुदायिक संगठन को समाज कार्य की एक प्रक्रिया मानते हुए उसे वैयक्तिक कार्य और सामूहिक कार्य की प्रक्रियाओं की भाँति बताया है और उसे समाज कल्याण के क्षेत्र के एक विभाग के रूप में स्वीकार नहीं किया है। प्रक्रिया शब्द से इनका अभिप्राय कार्य की ऐसी दशा से है जिसका विकास सम्बन्धित स्थितियों की एक शृंखला के माध्यम से होता है और जिसका सार गति में निहित होता है तथा जो अनेक क्षेत्रों में देखी जा सकती है। इन्होंने यह बताया कि सामुदायिक संगइन की प्रक्रिया का प्रयोग सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में अथवा समाज कल्याण के क्षेत्र में विभागों में किया जा सकता है। सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत समाज कल्याण का तत्व् उतना महत्त्व नहीं रखता जितना कि समाज कार्य का और इस प्रक्रिया को किसी भी क्षेत्र में सामूहिक एकमतता और एकीकरण को प्रभावित करने के लिए एक प्रजातान्त्रिक ढंग के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

स्ट्रप (1952: 140-142) ने सामुदायिक संगठन काअर्थ इस प्रकार दिया है, ''प्रमुख रूप से इस शब्द के कम से कम तीन अर्थ हैं। प्रथम इसका प्रयोग समाज कार्य की उन क्रियाओं, प्रत्यक्ष ओर समाविष्ट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिनकी आवश्यकता समाज कल्याण के मौलिक उद्देश्यों के पूर्णतम प्रकटन के लिए होती है। द्वितीय, सामुदायिक संगठन का प्रयोग सम्पूर्ण समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न व्यावसायिक व्यक्तियों और सामान्य नागरिकों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली क्रियाओं का बोध कराने के लिए किया जाता है। तृतीय, सामुदायिक संगठन का प्रयोग समाजशास्त्रियों और अन्य समाज वैज्ञानिकों द्वारा समुदाय की सामाजिक संरचना का बोध कराने के लिए किया जाता है।'

एम.जी. रास (1955: 50-51) ने सामुदायिक संगठन के अर्थ को सपष्ट करते हुए यह कहा है कि इस प्रक्रिया के दो पहलू हैं, जिसमें एक का सम्बन्ध नियोजन से है और दूसरे का एकीकरण से। ये दोनों इस प्रक्रिया के अभिन्न तथा अन्तर्सम्बन्धित अंग हैं। नियोजन समस्या को पहचानने से लेकर इसके समाधान से सम्बन्धित क्रिया तक के विभिन्न पहलुओं से सम्बद्ध होता है। एकीकरण जिसे ''सामुदायिक मनोबल'' अथवा ''सामुदायिक क्षमता'' अथवा ''आध्यात्मिक समुदाय' भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सहयोगात्मक एवं संगठनात्मक मनोवृत्तियों एवं क्रिया का प्रयोग: (1) समुदाय के साथ तादात्म्य; (2) उसके कार्यों में अभिरूचि एवं सम्मिलन; तथा (3) इन मूल्यों के प्रकटन के लिए समान मूल्यों और साधनों को अपनाएं जाने को बढ़ाता है।

सामुदायिक संगठन की परिभाषाओं में हारपर एवं डनहम ने प्रमुख रूप से चार विचारों के समाहित होने की बात कही है। ये विचार इस प्रकार हैं:

(1) सहयोग, संगठन एवं एकीकरण का विचार;

(2) आवश्यकताओं एवं संसाधनों के मध्य संतुलन लाने एवं आवश्यकताओं की पूर्ति का विचार;

(3) सामुदायिक संगठन, वैयक्तिक कार्य एवं सामूहिक कार्य की प्रत्यक्ष सेवा के प्रतिकूल कार्यक्रम सम्बन्धों से सम्बन्धित विचार; तथा

(4) प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया और विशेषीकरण के बीच एक कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित करेन के रूप में सामुदायिक संगठन की स्थूल अवधारणा का विचार।

सामुदायिक संगठन की कुछ प्रमुख परिभाषाओं का वर्णन इस प्रकार है-

- **(जे.एफ. स्टीमर**: ''सामुदायिक संगठन को व्यवस्थान एवं सामाजिक सामन्जस्य की समस्याओं से सम्बन्धित कहा जा सकता है। अधिक विशिष्ट रूप से इसका सम्बन्ध समुदायों के अंतर्गत उनके समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों और क्रिया की कुशलता और एकता के लिए एकीकरण एवं समन्वय से है।'

- **सी.एफ. मैक्लीन**: ''समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदायों में व्यक्तियों को, वैयक्तिक नागरिकों एवं समूहों के प्रतिनिधियोकं के रूप में एक-दूसरे के साथ सम्बद्ध करते हुए समाज कल्याण सम्बन्धी आवश्यकताओं को निश्चित किया जाता है, उन्हें पूर्ण करने की योजना बनायी जाती है तथा आवश्यक साधनों को गतिमान किया जाता है।''

- **बैरी**: ''समाज कार्य में सामुदायिक संगठन समुदाय की कल्याणकारी आवश्यकताओं और सामाजिक साधनों के बीच एक प्रगतिशील एवं प्रभावशाली समायोजन की रचना करने और उसे बनाये रखने की प्रक्रिया है। यह समायोजन एक व्यावसायिक कार्यकर्ता की सहायता से औरसमुदाय में व्यक्तियों एवं समूहों की सहभागिता द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें समस्याओं एवं आवश्यकताओं को स्पष्ट किया जाना, समाधान को निर्धारित किया जाना, कार्यात्मक योजना को बनाया जाना और संचालित किया जाना सम्मिलित है।''

- **रसैल, एच. कुर्ट्ज**: ''सामुदायिक संगठन कार्यक्रम सम्बन्धों से सम्बन्धित प्रक्रिया है एवं इस प्रकार, समाज कार्य परिवेश व्यक्तियों से सम्बन्धित अन्य प्रक्रियाओं जैसे- वैयक्तिक कार्य एवं सामूहिक कार्य से भिन्न है।''

- **एडवर्ड सी. लिण्डमैन**: ''सामुदायिक संगठन, सामाजिक संगठन का वह चरण है जिसमें समुदाय द्वारा प्रजातान्त्रिक तरीके से अपने विषयों अथवा कार्यों को नियोजित करने एवं अपने विशेषज्ञों, संस्थाओं, संगठनों के मान्य परस्पर सम्बन्धों द्वारा उच्चतम सेवा प्राप्त करने के सचेत प्रयास सम्मिलित हैं।''

- **आर्थर डनहमः** ''समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन (अथवा सामुदायिक कल्याण संगठन) एक भौगोलिक क्षेत्र अथवा सेवा के एक विशिष्ट क्षेत्र में समाज कल्याण आवश्यकताओं एवं समाज कल्याण साधनों में सामन्जस्य लाने ओर अनाये रखने की प्रक्रिया है।''

- **दाहिरः** ''सामुदायिक संगठन की परिभाषा प्रायः उन व्यक्तियों की क्रियाओं के रूप में की जाती है जो अपने समुदाय की आवश्यकताओं को उपलब्ध अथवा सम्भाव्य साधनों में सन्तुलन की स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं।''

- **मैकमिलनः** ''उद्देश्यों एवं क्रियाओं की एकता को प्राप्त करने में समूहों को सहायता पहुँचाने के लिए जानबूझकर निर्देशित प्रयास सामान्य अर्थ में सामुदायिक संगठन है। बिना इसके चरित्र के पहचान के इसका अभ्यास किया जाता है, जबकि सामान्य अथवा विशेषीकृत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दो अथवा इससे अधिक समूहों के लिए गुणों एवं संसाधनों को एकत्रित कर इसे बनाये रखना हो अथवा इस उद्देश्य को प्राप्त करना हो।''

- **यंग हसबैण्डः** ''सामुदायिक संगठन का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तियों की सहायता करना, ताकि वे स्थानीय मुदाय के अंतर्गत सामाजिक आवश्यकताओं की पहचान कर कसें, इनकी पूत्रि हेतु अधिक प्रभावकारी ढंगों के बारे में सोच सकें तथा इनको सम्पन्न करने हेतु स्थिति उत्पन्न कर सकें जितना कि संसाधन आज्ञा देते हैं।'

- **आर्थर हिलमैलः** ''समावेशी रूप से सामुदायिक संगठन की अवधारणा का उपयोग सामाजिक संरचनाओं जिसके अंतर्गत सहयोगात्मक क्रियायें की जाती हैं, उनको केलव चिन्हित करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि सामाजिक अंतःक्रिया की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए भी किया जाता है। ये प्रक्रियायें इस बात को परिलक्षित करती हैं कि सम्बन्धित व्यक्तिों के लिए स्वरूप कार्यात्मक अर्थ रखते हैं।''

- **एम.जी. रासः** ''सामुदायिक संगठन से आशय एक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समुदाय अपनी आवश्यकताओं एवं उद्दश्यों को पहचानता है, इन आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के साथ कार्य करने के लिए विश्वास एवं इच्छा विकसित करता है, इन आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के साथ कार्य करने के लिए साधनोकं (आन्तरिक और/अथवा बाह्य) का पता लगाता है, इनके सम्बन्ध में क्रिया करता है और ऐसा करते हुए समुदाय के अन्तर्गत सहयोगात्मक एवं संगठनात्मक मनोवृत्तियों, अवधारणाओं एवं व्यवहारों को विस्तृत एवं विकसित करता है।

- प्रो. के.डी. गंग्राडे ने एम.जी. रास की परिभाषा को विश्लेषित करते हुए तथा सामुदायिक संगठन की परिभाषा का पुर्नगठन करते हुए कहा हैः

''सामुदायिक संगठन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय की सामाजिक व्यवस्था, समुदाय के अंतर्गत एकीकरण एवं अनुकूलन लाती है। यह वह प्रक्रिया है जो कि सामुदायिक संगठनकर्ता के कार्य की समाप्ति के बावजूद चलती रहती है। सामुदायिक संगठनकर्ता का कार्य है इस प्रक्रिया को प्रारम्भ, पोषित तथा विकसित करना। इस प्रक्रिया मेंस हभागिता के लिए सामुदायिक संगठनकर्ता को सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित कुछ मूल्यों तथा इस परिवत्रन को उत्पन्न कर सकने वाले साधनों को देखना पड़ता है।''

सामुदायिक संगठन की विशेषताएँ

उपरिलिखित इन परिभाषाओं के आधार पर सामुदायिक संगठन की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता हैः

(1) सामुदायिक संगठन साज कार्य का एक ढंग या प्रणाली है जिसका अर्थ है कि इसके अंतर्गत वैज्ञानिक रूप से कार्य सम्पन्न किया जाता है।

(2) यह एक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों एवं समूहों से सम्बन्धित है। इसके साथ-साथ यह समाज कल्याण सेवाओं के वितरण, गुणवत्ता इत्यादि से भी सम्बन्धित है।

(3) इसमें समुदाय सेवार्थी के रूप में होता है जिसकी क्षमता का विकास किया जाता है, ताकि वह अधिक सकारात्मक एवं प्रगतिशील रूप में कार्य कर सके।

(4) सामुदायिक संगठनकर्ता की सहायता से समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान की जाती है।

(5) इन पहचानी गयी आवश्यकताओं में प्राथमिकता एवं व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है, ताकि इनकी पूर्ति उपलब्ध संसाधनों के अनुसार की जा सके।

(6) इसके अन्तर्गत आन्तरिक एवं बाह्य अथवा दोनों प्रकार के संसाधनों को गतिमान बनाया जाता है।

(7) इसके द्वारा समुदाय में सहयोगात्मक एवं संगठात्मक प्रवृत्तियों को विकसित किया जाता है।

(8) सामुदायिक संगठन वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं एवं दर्शन पर आधारित है।

(9) इसके माध्यम से समुदाय की आवश्यक एवं महसूस की गयी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।

(10) इसके अन्तर्गत 'स्वयं-सहायता सिद्धान्त' के आधार पर सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

इस प्रकार सामुदायिक संगठन व्यावसायिक समाज कार्य की एक पद्धति है, जिसके द्वारा सामुदायिक समस्याओं का समाधान समुदाय की क्षमता में अभिवृद्धि करते हुए इसकी क्रियात्मकता को बढ़ाते हुए किया जाता है। इसमें अन्तवैयक्तिक एवं अन्तसामूहिक सम्बन्धों का प्रयोग किया जाता है तथा समुदाय को इस योग्य बनाया जाता है ताकि समाज कल्याण नीति को वह प्रभावित कर सके।

8.3 समुदाय एवं क्षेत्रीय कार्य अभ्यास

समाज कार्य की शिक्षा प्राप्त कर रहे विधार्थी अपने क्षेत्रीय कार्य के दौरान विविध सामाजिक/समाज कल्याण संस्थाओं में जाते हैं तथा ये संस्थाएँ विशेष समुदाय की किन्हीं समस्याओं पर कार्य करती है। इन समस्याओं में क्षेत्रीय कार्य के दौरान विद्यार्थी अपनी समाज कार्य की सैद्धान्तिक पद्धतियों का अनुसरण करता है। इन पद्धतियों में विशेषकर समुदाय में कार्य करने के लिए सामुदायिक संगठन पद्धति का उपयोग करता है।

समाज कार्य प्रशिक्षु (विद्यार्थी) को समुदाय में व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में, समूह के सदस्य के रूप में तथा समुदाय के एक भाग के रूप में देखना पड़ता है। प्रशिक्षु यह जानता है कि व्यक्तियों में परिवर्तन होते हैं, समूहों में भी परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार समाज कार्य प्रशिक्षु यह भी महसूस करता है कि समुदाय में भी परिवर्तन होते हैं। अतः उसे प्रयास करना चाहिए कि यह परिवर्तन अच्छे के लिए हो। इसके लिए आवश्यक है कि समाज कार्य प्रशिक्षु को समुदाय के बारे में निम्नलिखित जानकारी होः-

(1) पारिचयात्मक सूचनाः

- समुदाय का नाम, पड़ोस का नाम, समुदाय का क्षेत्र
- समुदाय को सामाजिक, वैधानिक एवं भौतिक रूप से परिलक्षित करने वाली परिभाषा
- अन्य समुदायों से दूरी तथा सम्बन्धों की प्रकृति

(2) जननांकीकीय आँकड़े

- जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व
- आयु के आधार पर जनसंख्या का वितरण
- अल्पसंख्या एवं नृजातीय स्थिति
- समुदाय की भाषा,
- परम्परायें एवं धर्म की जानकारी

- परिवार की संरचना एवं आकार

(3) क्षेत्र का इतिहास

- क्षेत्र को कम, क्यों और किसके द्वारा स्थापित किया गया
- क्षेत्र का निर्माण करने वाली मुख्य घटनायें
- समयानुसार जनसंख्या में हुए परिवर्तन
- नये लोगों के बसने का कारण
- क्षेत्र छोड़ने वालों के कारण
- समुदाय पर भौगोलिक एवं पर्यावरण सम्बन्धी प्रभाव
- वातावरण, नदियों एवं झीलों इत्यादि का स्थानीय आवागमन प्रतिमानों, आर्थिक विकास एवं जनसंख्या वितरण पर प्रभाव
- राजमार्गों, रेलमार्गों एवं अन्य गैलरियों का पड़ोसी प्रतिमानों, सामाजिक अन्तःक्रिया एवं सेवा प्रदान करने पर प्रभाव
- प्राकृतिक संसाधनों तथा वातावरणीय चिन्ताओं का वर्तमान एवं भविष्य पर प्रभाव

(4) स्थानीय राजनीति

- स्थानीय सरकार की प्रकृति
- राजनैतिक दलों एवं विभिन्न अभिरूचि रखने वाले समूहों की सापेक्ष शक्ति एवं प्रभाव
- वोटरों की सहभागिता का स्तर

(5) स्थानीय अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

- क्षेत्रीय उद्योग, व्यापार एवं उत्पाद
- क्षेत्र के व्यापार एवं कार्पोरेशन जिनका स्वामित्व स्थानीय स्तर पर है, परन्तु उन्हें समुदाय के बाहर से नियन्त्रित किया जा रहा है।

(6) आय का वितरण

- महिलाओं, अल्पसंख्यक समूहों की औसत आय
- गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार/व्यक्ति
- सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले परिवार/व्यक्ति

(7) आवासीय स्थिति

- आवास की प्रकृति एवं प्रकार
- अधिक भीड़ वाले आवासों का प्रतिशत
- निम्न मानक वाले आवासों का प्रतिशत

(8) शैक्षणिक सुविधायें एवं कार्यक्रम

- समुदाय में विद्यालयों की संख्या
- स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दर
- अल्पसंख्यक, नृजातीय समूहों, द्विभाषी विद्यालय कार्यक्रमों से युक्त स्कूलों की समस्यायें

(9) स्वास्थ्य एवं कल्याण व्यवस्था

- स्वास्थ्य स्तर एवं योजनाओं के प्रकार

(10) कल्याण कार्यक्रमों के प्रकार एवं व्यक्तियों की भागीदारी

(11) सार्वजनिक सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था

- समुदाय में सुरक्षा के साधन
- सुरक्षा के साधनों का उपयोग एवं प्रभाव

(12) समुदाय की प्रमुख समस्यायें एवंचुनौतियाँ

- समुदाय में गुटबाजी
- महिलाओं के विरूद्ध घरेलु हिंसा

- शराब पीना, जुआ खेलना एवं नशाखोरी

उपरोक्त सामान्य जानकारी समुदाय के संबंध में समाज कार्य प्रशिक्षु को क्षेत्रीय कार्य के दौरान ज्ञान होना चाहिए।

8.4 सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया एवं क्षेत्रीयकार्य

सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में समाज कार्य प्रशिक्षु क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान निम्न चरण पर कार्य करता है-

1. **प्रारम्भिक सम्पर्क, अवलोकन एवं सामुदायिक अनुमोदन की प्राप्ति:-** जब समाज कार्य प्रशिक्षु क्षेत्रीय कार्य के लिए समुदाय में जाते हैं तो सर्वप्रथम समुदाय में कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने से पहले समुदाय के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जानकारी समुदाय के लोगों से सम्पर्क एवं सम्बन्ध निर्माण करने के लिए आवश्यक है। सामुदायिक संगठनकर्ता या समाज कार्य प्रशिक्षु को समुदाय के प्रत्येक स्थान जैसे पंचायत, मन्दिर, मस्जिद, महिला मण्डल एवं त्यौहार जैसे दिपावली, नवरात्रि, ईद एवं क्रिसमस पर लोगों से अनौपचारिक रूप से मिलने का अवसर प्राप्त करते रहना चाहिए। सामुदायिक विश्वास एवं उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए समाज कार्य प्रशिक्षुओं को समुदाय के बड़े नेताओं एवं पंचों से मिलकर वार्तालाप करते रहना चाहिए एवं समुदाय में कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पहले प्रशिक्षुओं को दो या चार बार सम्पुर्ण समुदाय में भ्रमण करते रहना चाहि जिससे समुदाय के लोग धीरे-धीरे प्रशिक्षु को पहचानने एवं स्विकृति देना प्रारम्भ कर देंगे। समुदाय के लोगों का अवलोकन करने से पहले समुदाय के लोगों के साथ अनौपचारिक वार्तालाप आवश्यक है।

2. **आवश्यकताओं/समस्याओं की पहचान अथवा निर्धारण:-** समाज कार्य प्रशिक्षु जब समुदाय के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो द्वितीय चरण में वे समुदाय की आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ क्या-क्या है इनका अध्ययन करते हैं। जब समुदाय की समस्याओं का पता लग जाता है तो समाज कार्य प्रशिक्षु समुदाय की समस्या समाधान करने के कार्यक्रम का नियोजन सरलता से कर सकता है। समाज कार्य प्रशिक्षु को सामुदायिक कार्यक्रम के नियोजन के समय समुदाय की आवश्यकता का निर्धारण कुछ व्यक्तियों एवं समुहों के आधार पर नहीं करना चाहिए बल्कि समुदाय के सम्पुर्ण लोगों को उसमें सम्मिलित करते हुए किया जाना चाहिए, जिसे जन सहभागिता कहा जाता है। जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख पद्धत्तियाँ का सहयोग लिया जाता है जो निम्नलिखित है-

   (1) भ्रमण (Transect Work)

   (2) अनौपचारिक साक्षात्कार (Non-Formal Interviews)

(3) सहभागी अवलोकन (Participative Observation)

(4) सामाजिक एवं संसाधन मानचित्र (Social & Resource Mapping)

उपरोक्त पद्धतियों के सहयोग से गाँव के लोगों की आवश्यकता एवं समसओं की जानकारी प्रशिक्षु प्राप्त करता है एवं उन आवश्यकताओं को सूचीबद्ध कर उनकी गम्भीरता, व्यापकता, लक्ष्पाणों तथा कारणों के लिए विश्लेष्ज्ञित किया जाता है और उन्हें क्रमबद्ध करते हुए प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है। सबसे आवश्यक आवश्यकता तथा अधिक जन समुदाय द्वारा महसुस की जाने वाली आवश्यकता को पहले प्राथमिकता देते हुए उनसे संबंधित कार्यक्रम बनाया जाना चाहिएं ऐसा इसलिए किया जाता हे क्योंकि समुदाय के लोगों की आवश्यकता एवं समस्याएँ विविध प्रकार की होती है एवं सभी समस्याओं पर एक साथ कार्यक्रम बनाना सम्भव नहीं है। ऐसे में अतिआवश्यक आवश्यकताओं पर ही कार्यक्रम बनाया जाता है तत्पश्चात् अन्य आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कार्यक्रम बनाया जाता है।

3. **उद्देश्यों का निरूपण:-** जब समाज कार्य प्रशिक्षु समुदाय के लोगों की समस्या का अध्ययन कर पता लगा देते हैं तो वे उन समस्याओं को उद्देश्यों में परिवर्तित करते हैं जिन पर आगे कार्यवाही हेतु विचार किया जायेगा। इन उद्देश्यों को विभिनन भागों में विभक्त किया जाएगा ताकि समस्या के समाधान हेतु कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों में परिवर्तित किया जा सके।

जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाएगा उनको स्पष्ट एवं सुपरिभाष्ज्ञित कथनों में अभिव्यक्त करना भी अत्यन्त आवश्यक होता है।

4. **समुदाय के लोगों के मध्य आवश्यकताओं एवं समस्याओं की चेतना का प्रसार:-** समाज कार्य प्रशिखु का लक्ष्य समुदाय के लोगों को समस्या के सम्बन्ध में चेतना जगाना है क्योंकि चेतना के अभाव में समस्या का निदान असंभव है अतः समुदाय को भी महसुस कराना की समस्या बहुत गम्भीर है और उसका समाधान करना अति आवश्यक है। समतस्या में चेतना उत्नन् करने हेतु जन संचार के विभिन्न माध्यम जैसे- नाटक, गीत, पोस्टर, समाचार-पत्र, फिल्में, समूह परिचर्चा, नुक्कड़ नाटक, कहानियाँ इत्यादि समुदाय में चेतना उत्पन्न करने में अत्यन्त ही सहायक होते हैं। इस सम्बन्ध में प्रशिक्षु (संगठनकर्ता) को उन स्त्रोतों के विषय में ज्ञान होना चाहिये, जहाँ से समुचित सहायता प्राप्त की जा सके।

5. **जनसहभागिता की प्राप्ति, टीमों का गठन, नेतृत्व का विकास तथा उपयुक्त संरचना की स्थापना:-** सामुदायिक संगठन, सामुदायिक सहभागिता के अभाव में असम्भव है। समुदाय की सहभागिता आवश्यकता निर्धारण से लेकर कार्यक्रम के मुल्यांकन तक आवश्यक है। समाज कार्य प्रशिक्षु क्षेत्रीय कार्य के दौरान समुदाय में जाकर जनसहभागिता का कार्य ही अत्यधिक करते हैं। क्योंकि समाज कार्य की

प्रत्येक विधि चाहे समाज कार्य वैयक्तिक सेवा कार्य या सामुहिक कार्य दोनों में ही सेवार्थी एवं समुह से प्रारम्भ से ही अच्छे सम्बन्धों का निर्माण करना पड़ता है तभी सेवार्थी एवं समुह समस्या समाधान की क्रिया में भाग लेते हैं। उसी प्रकार समुदाय में भी प्रशिक्षु छोटे-छोटे जातिगत समुहों में जाता है, उनसे बात करके समस्या को जानता है। कभी-कभी किराने की दुकान, चाय या पान के स्टालों पर कुछ समय व्यतीत करता है। कभी स्कूल या पंचायत में जाकर लोगों एवं बच्चों से बात करता है। इसी से समुदाय के लोगों की सहभागिता प्राप्त होती है।

लोगों को विभिन्न जिम्मेदारियाँ सौपने तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कार्य-भार सौपना तथा छोटी-छोटी टीम का गठन कर उन्हें कार्यक्रम की जानकारी एवं कार्य करने का प्रशिक्षण देना ताकि वे कार्य को अतिशीघ्रता से समपन्न करने में सहायता प्रदान कर सके। समाज कार्य प्रशिक्षु (संगठनकर्ता) को समुदाय में निरन्तर सामुदायिक विकास को निरन्तरता प्रदान करने के लिए समुदाय के लोगों में से ही नेतृत्व का विकास करना क्योंकि अन्ततः समुदाय की समस्याओं के निदान करने की जिम्मेदारी समुदाय के लोगों की ही है। अतः गाँव के लोगों की क्षमताओं का विकास करना तथा उनके ज्ञान एवं निपुणताओं के उपयोग के अवसर प्रदान करने का कार्य समाज कार्य प्रशिक्षु निरन्तर करते हैं ताकि समुदाय में आत्मनिर्भरता उत्पन्न हो।

6. **कार्यक्रम का नियोजन एवं कार्यकारी योजना का निर्माण:-** सामुदायिक संगठन के इस चरण में समाज कार्य प्रशिक्षु समुदाय के लिए कार्यक्रम एवं क्रियाकलापों की योजना तैयार करता है। नियोजन करने सक कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक एवं सरलता से कार्यान्वित किया जा सकता है। मुख्य रूप से नियोजन करते समय प्रशिक्षु की अन्रतदृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए कि वह समुदाय के लिए क्या करना चाहता है, कैसे करेगा और कब तक करेगा। समुदाय की समस्या के समाधान के विभिन्न विकल्प हो सकते हैं परन्तु प्रशिक्षु उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का ही चयन समस्या समाधान के लिए करता है।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन के उद्देश्य के लिए एक कार्यकारी योजना को प्रस्तावित किया जाता है। इस योजना में क्रियाकलापों का विवरण तथा उनकी सम्भावित समयावधि को सम्मिलित किया जाता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने हेतु क्रियाकलापों एवं विभिन्न रणनीतियों को जो कि उपयोगी है उनके अनुसार कार्यों का वितरण भी सम्मिलित होता है। कार्यकारी योजना के विषय में समुदाय के लोगों की टिप्पणियाँ तथा अंतिम स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उसे उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7. **संसाधनों को गतिमान करना:-** समाज कार्य प्रशिक्षु योजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से आवश्यक संसाधनों का निर्धारण, पहचान तथा गतिमान करना चाहिए। संसाधन के रूप में मानव शक्ति, धनराशि, वस्तुएँ इत्यादि हो सकती है। प्रशिक्षु

समुदाय से संबंधित संसाधनों की पहचान करता है। इसके अलावा समुदाय के अन्य आवश्यक संसाधनों को गतिमान करने का कार्य भी प्रशिक्षु करता है।

8. **कार्यकारी योजना का क्रियान्वयनः**- जब प्रशिक्षु समुदाय के कार्यक्रम का निर्माण तथा उससे संबंधित संसाधनों को चिन्हित कर लेता है तो उसके पश्चात् कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन के दौरान समुदाय के लोगों द्वारा उत्तरदायित्व ग्रहण करने के माध्यम से उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षु को समुदाय के अधिकतम लोगों द्वारा सहयोग प्रापत करने के प्रयास करने चाहिए।

यह चरण सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया का बहुत ही नाजुक चरण है क्योंकि इस चरण में अत्यन्त संघर्ष एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रशिक्षु या संगठनकर्ता को बहुत ही सचेत एवं सावधान रहने की आवश्यकता इस चरण में होती है। कार्यकारी योजना के क्रियान्वयन के दौरान संगठनकर्ता यह सुनिश्चित कर लेता है कि विभिनन प्रकार के कार्यों को प्रभावी एंव कुशलतापूर्वक सम्पादन करने में सही संख्या एवं सही प्रकार के लोग, सही जगह तथा सही समय पर सम्मिलित किये गये हैं।

9. **अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः** कोई भी कार्यक्रम जब विकास एवं प्रगति की अवस्था में होता है तब अनुश्रवण एवं मुल्यांकन अति आवश्यक होता है। सामान्य रूप से अनुश्रवण का उपयोग उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के सन्दर्भ में निष्पादन को परखने के लिए किया जाता है। अनुश्रवण कार्यक्रम को निर्देशित करता है एवं कार्यक्रम की दिशा में सही है या हनीं। यह कार्यक्रम के सम्बन्ध में संसाधनों, धनराशि एवं समय की बर्बादी इत्यादि की भी जानकारी देता हैं यह तुरन्त ध्यान देने वाली समस्याओं एवं आवश्यकताओं की भी पहचान करने में सहायता प्रदान करता है। मूल्यांकन भी किसी क्रियाकलाप के उद्देश्यों के सन्दर्भ मतें सफलता या असफलता का निर्धारण करता है। साथ ही कार्यक्रम के क्रियाकलाप किस प्रकार सम्पन्न किये गये हैं तथा वर्तमान क्रियाकलाप के स्थान पर क्या किया जाना चाहिए? आदि के विषय में उत्तर प्रदान करता है।

इस चरण में भी संगठनकर्ता को समुदाय के लोगों की सहभागिता पर विचार कर लेना आवश्यक होता हैं

10. **वापसी की अवस्थाः-** सामुदायिक संगठन का उद्देश्य समुदाय के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना होता है। एक बार जब इन लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है तब समाज कार्य प्रशिक्षु या संगठनकर्ता अपनी वापसी कर लेते हैं। इस अंतिम चरण में संगठनकर्ता लोगों को स्वामित्व ग्रहण करने का अहसास कराता है, साथ ही सरकारी या राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर के संगठनों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी भी लोगों को देता है। यह समुदाय के लिए संगठनकर्ता

द्वारा समुदाय सं स्वयं को अलग कर लेने के पश्चात् स्वयं के अस्तित्व को बनाये रखने में सहायक होगा।

8.5 सामुदायिक संगठन के प्रकार एवं क्षेत्रीय कार्य

सामुदायिक संगठन के प्रकार उनकी प्रक्रिया की श्रृंखला के अन्तर्गत अलग-अलग रूप से सम्पादित किये जाने वाले विभिन्न कार्यों का समुच्चय है। मुख्यतः सी.ब्रिस कोय ने सामुदायिक कार्यों को दो भागों में विभाजित किया हैः-

(अ) सेवा वितरण संकेन्द्रित सामुदायिक कार्यः- इसके अन्तर्गत संगठन सेवाओं एवं संसाधनों के नेटवर्क को विकसित करता है तथा समुदाय में सेवा नेटवर्क से संबंधित संसाधनों को उपलब्ध कराता है।

सेवा वितरण संकेन्द्रित कार्य के अन्तर्गत समाज कार्य प्रशिक्षु निम्नलिखित कार्य करते हैं-

(1) सुचनाओं का संकलन एवं उन्हें साझा करना

- लिखित सामग्री एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित कर उन्हें विश्लेषित करना।
- विभाग के कर्मचारियों को सुचना देना।

(2) सेवाओं का प्रचार-प्रसार करना

- समाज सेवा के प्रचार हेतु सामग्री को विकसित करके वितरित करना।
- सेवाओं से संबंधित सार्वजनिक सभायें एवं समुहों का गठन करना।

(3) समुदाय सेवा स्त्रोतों को विकसित करना

- स्वयंसेवकों की भर्ती एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- एकल परिवार समूहों के विकास के लिए अवसर देना।

(4) वर्तमान में विद्यमान सेवाओं का समन्वय एवं सुधार करना

- अन्य विभागों एवं संगठनों के साथ समन्वयनात्मक समूहों का निर्माण करना।

- इन समूहों एवं इनके सदस्यों की आवश्यकताओं के विषय में सूचनाओं को साझा करना।

(5) नवीन सेवाओं एवं संसाधनों का नियोजन एवं विकास करना

- संगठनों, विभागों एवं समूहों से सलाह लेना।
- प्रस्तावों को विकसित करना।
- प्रयोगकर्ताओं एवं दाताओं के साथ नये संसाधनों को विकसित एवं प्रशासित करने का तरीका विकसित करना।

(6) नीति प्रावधान एवं विधानों में परिवर्तन लाने का प्रयास करना

- नीति के मार्गों के द्वारा प्रस्तावोकं का पता लगाना एवं इन्हें आगे बढ़ाना।

(ब) रेजीडेन्ट संकेन्द्रित सामुदायिक कार्य:- इस सामुदायिक कार्य में सेवा के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के समूहों को सहायता दी जाती है तथा उनकी आवश्यकताओं को परिभाषित कर इनकी पूर्ति हेतु प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है।

रेजीडेन्ट संकेन्द्रित सामुदायिक कार्यके अन्तर्गत समाज कार्य प्रशिक्षु निम्नलिखित कार्य करते हैं:-

(1) सूचनाओं का संकलन एवं साझा करना

- लिखित सामग्री, चचाओं एवं पर्यवेक्षण के द्वारा क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित कर विश्लेषित करना।
- समूदाय में रहने वाले व्यक्तियों को सूचनाएँ देना

(2) सेवाओं एवं संसाधनों की पहुँच में सुधार करना:-

- समुदाय में उपलब्ध संसाधनों एवं सेवाओं के संबंध में सूचनाओं को वितरित करना।
- सूचना और सहायता केन्द्रों की स्थापना हेतु निवासियों की सहायता करना।

(3) स्वयं सहायता तथा आपस सहायता नेटवर्क को विकसित करना

- रूचि रखने वाले समूहों के गठन में सहयोग करना।

- विशेषीकृत आवश्यकता वाले स्वयं सहायता समूहों एवं संरक्षण योजनाओं को विकसित करना।

(4) नेटवर्क सेवा की प्रतिपुष्टि तथा विकास प्रक्रिया के लिए पहुँच प्राप्त करना

- समन्वय करने वाले सामुदायिक समूहों की सहायता करना।
- आवश्यकताओं एवं संसाधनों के संबंध में सूचना के लिए निवासियों के समूहों की पहुँच को प्राप्त करना।

(5) नवीन संसाधनों, सुविधाओं एवं सेवाओं को प्राप्त करना

- विशेष मुद्दों से अभिमुखीकृत समूहों को विकसित करना।
- आवश्यकताओं को लिखने, रणनीतियों के निर्माण करने में समूहों को सहायता पहुँचाना।
- नियोजन के लिए प्रौद्योगिकी युक्त संसाधनों को प्राप्त करने संबंधी समूहों को सहायता करना।

(6) नीति प्रावधान एवं विधान में परिवत्रन के लिए प्रयास करना

- मुद्दों से संबंधित एवं दबाव समूहों के साथ प्रस्तावों को विकसित करना।
- निर्णय करने वालों के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए मुद्दों एवं दबाव समूहों की सहायता करना।
- अभियान चलाने एवं प्रचार करने के लिए समूहों को सहायता देना।

उपरोक्त कार्य सामुदायिक संगठन के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं इनके विषय में जानकारी होना समाज कार्य प्रशिक्षुया संगठनकर्ता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

8.6 समुदाय के साथ क्षेत्रीय कार्य में आवश्यक निपुणतायें

निपुणताओं से आशय ऐसे क्रियाकलापों को सम्पादित करने से जिसके माध्यम से उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावी एवं कम समय में हो सके।

समुदाय के साथ क्षेत्रीय कार्य के दौरान प्रशिक्षु में विभिन्न प्रकार की निपुणताओं की आवश्यकता होती है क्योंकि समुदाय का रूप विस्तृत है एवं इसकी समस्याएँ भी वृहद् स्तर पर समाहित है। अतः निम्नलिखित निपुणतायें समुदाय क्षेत्रीय कार्य के दौरान आवश्यक है।

1. समुदाय में सम्बन्धों के निर्माण में निपुणता होनी चाहिए।

2. समुदाय की आवश्यकता को पहचानना, वर्गीकृत करना एवं समस्या के निदान से संबंधित निपुणतायें होनी चाहिए।

3. राजनैतिक निपुणतायें जिसमें वकालत करना, संगठित करना, सौदेबाजी करना एवं प्रचारित करना भी सम्मिलित है।

4. व्यावसायिक निपुणताओं में निकोर्डिंग, समय-प्रबन्धन, अनुसन्धान एवं टीम वर्क की क्षमतायें होना।

5. संसाधनों की पहचान एवं उन्हें गतिमान बनाने की क्षमताएँ होना।

6. समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम विकसित करने की निपुणता होना।

7. न्यूनतम संसाधनों के साथ स्वयं धारिता को प्रापत करने में निपुणता होना।

8. कार्यक्रम के प्रबन्धन हेतु भुमिकाओं के विभाजन, उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति, अनुश्रवण एवं अधीक्षण जैसी तकनीक के प्रयोग में कुशलता होना।

9. कार्यक्रम के मुल्यांकन के लिए आँकड़ों का संकलन, विश्लेषण इत्यादि में निपुणता।

10. अभिलेखन में अभिलेख की प्रक्रिया, अनुरक्षण एवं व्यक्तिगत अभिलेखों के रखने आदि में निपुणता।

8.7 सारांश

समुदाय में एक निश्चित भू-भाग में रहने वाली सम्पूर्ण जनसंख्या सम्मिलित है जिसमें सामुदायिक भावना होती है। इन समुदायों में व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता जाकर कार्य करते हैं। ये समुदाय की समस्याओं का अध्ययन करते हैं तथा प्राथमिकता के आधार पर समस्या का चयन करते हुए समुदाय के लोगों को समस्या से परिचित कराते हैं। समाज कार्यकर्ता समाज कार्य की सामुदायिक संगठन पद्धति के द्वारा समुदाय की समस्या का समाधान करता है। इस पद्धति में समुदाय की आवश्यकता एवं समंस्या का चयन किया जाता है और समुदाय में उपलब्ध संसाधनों का भी पता लगाया जाता है। तत्पश्चात् समुदाय के लोगों का सहयोग लेते हुए कार्यक्रम तैरूार किया जाता है व अंत में कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर समुदाय की समस्या का निदान किया जाता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि भविष्य में होने वाली समस्या का निदान समुदाय स्वयं कर सके।

8.8 शब्दावली

- विशिष्ट - विशेष
- विविध - विभिन्न, अलग-अलग

- अनुमोदन - स्वीकृति, सहमति

8.9 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. समुदाय में समाज कार्य अभ्यास किस प्रकार किया जाता है? समझाइये।
2. समुदाय में क्षेत्रीय कार्य के दौरान सामुदायिक संगइन की प्रक्रिया को समझाइये।
3. सामुदायिक संगठन की अवधारणा एवं प्रकार की विवेचना कीजिये।
4. समुदाय के साथ क्षेत्रीय कार्य के दौरान समाज कार्य प्रशिक्षु में कौन-कौनसी निपुणताओं की आवश्यकता होती है।
5. समाज कार्य प्रशिक्षुको समुदाय के सम्बन्ध में कौन-कौनसी जानकारी होनी चाहिए।

8.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. आर.बी.एल.वर्मा एवं अतुल प्रताप सिंह (2014) ''सामुदायिक संगठन एवं अभ्यास', न्यू रायल बुक कम्पनी, लखनऊ, पृ.सं.178, 204।
2. हिलमेन (1974) कम्यूनिटी आरगेनाइजेशन एण्ड प्लालिंग, द मेक्मिलन कंपनी, न्यूयार्क
3. मुरेजी. रोस (1969) केस हिस्ट्रीज इन कम्यूनिटी आरगेनाइजेशन, हार्पर एण्ड रा पब्लिशर्स।
4. मिश्रा पी.डी., सिंह सुरेन्द्र (2004) समाज कार्य इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियाँ, न्यू रायल बुक कम्पनी, लखनऊ।

इकाई - 9

सामाजिक क्रिया में क्षेत्रीय कार्य

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में

9.3 सामाजिक क्रिया के उदाहरण व क्षेत्र

9.4 सामाजिक क्रिया में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास

9.5 सामाजिक क्रिया में आवश्यक निपुणताएँ

9.6 सारांश

9.7 शब्दावली

9.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

9.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

9.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- सामाजिक क्रिया को समाज कार्य की प्रणाली के रूप में समझ पाएंगे।
- सामाजिक क्रिया में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास कैसे करना है को जान पाएंगे।
- सामाजिक क्रिया में आवश्यक निपुणताओं को समझ पाएंगे। -

9.1 प्रस्तावना

सामाजिक क्रिया को समाजकार्य की एक सहायक या द्वितीयक प्रणाली के रूप में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। प्रारम्भ में इसे सामाजिक आन्दोलन या समाज सुधार के अर्थ में उपयोग किया जाता रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक समस्याओं के समाधान के साथ ही उनके स्रोत व कारकों का समाज में चल रही आवांछनीय प्रक्रिया अथवा दशा को सामाजिक प्रगति की ओर प्रेरित करने व परिवर्तित करने का प्रयास करता हरा है। इसी प्रयास को सामाजिक आन्दोलन या सामाजिक

सुधार की संज्ञा दी जाती रही। परन्तु आधुनिक समाजकार्य के विकास के फलस्वरूप सामाजिक समस्याओं के समाधान और सामाजिक प्रगति के मार्ग में उपस्थित बाधाओं को दूर करके वांछनीय सामाजिक परिवत्रन लाने की प्रक्रिया को सामाजिक क्रिया की संज्ञा दी जाने लगी है। सामाजिक क्रिया के अन्तर्गत उन समस्याओं, सामुदायिक आवश्यकताओं तथा दशाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है जिनके लिए सामुदायिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती वरन् ये आवांछनीय दशाएँ समुदाय में सान रूप से स्पष्ट दिखाई देती हैं। प्रारम्भ में सामाजिक क्रिया को सामुदायिक संगठन का एक उपकरण या माध्यम माना जाता था परन्तु अब इसे समाजकार्य की एक प्रणाली प्रक्रिया के रूप में उपयोग किया जाता है।

9.2 सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में

सामाजिक क्रिया को प्रारम्भ में सामुदायिक संगठन का ही एक अंग माना जाता था किन्तु शनैःशनैः सामाजिक क्रिया को समाज कार्य की एक पृथक प्रणाली के रूप में स्वीकार्यता मिली।

परिभाषाएँ

1. सामाजिक क्रिया, एक समूह द्वारा (या समूह क्रिया की प्रगति में प्रयत्नशील व्यक्ति द्वारा) वैधानिक रूप में अनुज्ञेय क्रिया है जो कि वैद्यानिक व सामाजिक दोनों रूपों से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लक्ष्य हेतु की जाती है।

   - जान फिच

2. एसी संस्थाएँ व ऐसे सामाजिक नियव व मूल्य जो सामाजिक पयार्व्रण में उपस्थित होते हैं यदि उनमें किसी प्रकार की गड़बढ़ी हो तो उसेनया रूप देने, कुछ परिवर्तन करने अथवा उचित होने पर उसी रूप में लागू करने का प्रयास ही सामाजिक क्रिया है जो समस्या समाधान के लिए होती है।

   - एनसाइक्लोडिया आफ सोशल वर्क

3. सार्वजनिक सामाजिक समस्याओं के समाधान अथवा मौलिक सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं या अभ्यासों को प्रभावित करने के सामूहिक प्रयास द्वारा सामाजिक रूप से वांछित उद्देश्य की प्राप्ति ही सामाजिक क्रिया है।

   -जान हिल

4. सामाजिक क्रिया सामाजिक समस्याओं के समाधान की दिशा में एक संगठित सामूहिक प्रयास है।

   - फ्रिडलेण्डर

5. समाज द्वारा इच्छित उद्देश्यों कीप्राप्ति के लिए जनमत, विधान और जन प्रशासन गतिमान करने की वैधानिक प्रक्रिया है।

6. समाज कार्य क्षेत्र में सामाजिक क्रिया समाज कार्य दर्शन, ज्ञान एवं कौशल के सन्दर्भ में वैयक्तिक, सामूहिक या अन्तर्सामूहिक प्रयास की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य सामाजिक नीति, सामाजिक संरचना की प्रकार्यत्मकता, नवीन प्रगति तथा सेवाओं की उपलब्धि के लिए कार्यविधि में आशोधन द्वारा समाज के कल्याण में वृद्धि करना है।

7. समाज कार्य के एक अंग के रूप में सामाजिक क्रिया सामाजिक पर्यावरण को इस रूप में परिवर्तित करने का प्रयास है जिसके प्रति हमारा विश्वास है कि यह जीवन को अधिक संतुष्ट बनाएगा। इसका उद्देश्य केवल व्यक्तियों को ही नहीं वरन् सामाजिक संस्थाओं, विधियों, रिति-विवाजों, समुदायों को प्रभावित करना है।

- कायले

8. सामाजिक क्रिया या सामाजिक आन्दोलन शिक्षा, प्रचार, अनुनय अथवा सामाजिक क्रियाकर्ता के सामाजिक रूप से वंछित उद्देश्य के आधार पर दबाव द्वारा परिवर्तन लाने या परिवर्तन को रोकना है।

- डनहम

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक क्रिया, सामाजिक नीति, मूल्यों, व्यवस्थाओं में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। जो वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप से नियोजित रणनीतियों पर आधारित होती है।

सामाजिक क्रिया की विशेषताएँ:-

समाज कार्य के विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य के दौरान विभिन्न संस्थान जैसे एन.जी.ओ. अस्पताल, इनेल, पुलिस थाना, उद्योग, खुले सामूदायिक केन्द्र इत्यादि में क्षेत्रीय कार्य करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किये जाते हैं। समाज कार्य विद्यार्थी भी इन संस्थानों में समाज कार्य की प्रत्येक प्रणाली का उपयोग सेवार्थियों की समस्या समाधान के लिए करते हैं। मूलतः तीन स्तरों पर पायी जाती है। व्यक्ति, समुह, समुदाय।

1. यह सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन लाने का प्रयास है।
2. निश्चित उद्देश्य पर आधारित।
3. कार्यकर्ता तथा समतुदाय दोनों के द्वारा प्रयास।
4. सामाजिक क्रिया हेतु विभिन्न विधियों यथा प्रचार, अनुनय, दबाव आदि का प्रयोग किया जाता है।

5. सामाजिक क्रिया के उद्देश्य व प्रकृति वैधानिक तथा अवैधानिक दोनों रूपों की हो सकती है।

6. उद्देश्यों की सामाजिक वांछनीयता व मान्यता कप परीक्षण।

7. परिस्थिति अनुसार विधियों का प्रयोग।

8. सामूहिक व्यवहार

9. सांझी मूल्य व्यवस्था

10. हम की भावना

12. निश्चित लक्ष्य

13. अभियान

14. उपयुक्तता

15. प्रतिनिधित्व व नेतृत्व

16. प्रजातांत्रिक मूल्यों की पालना

17. स्थितिजन्य

18. सूचना, शिक्षा एवं संचार आदि।

सामाजिक क्रिया का महत्त्व

हर समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। अनेक प्रकार की समस्याओं को व्यापक पैमाने पर अनुभव किया जाता है। इन आवश्यकताओं के समाधान हेतु आवश्यक परिस्थितियों को उत्पन्न करना सामाजिक क्रिया का कार्य है। समाज कार्य की इस सहायक पद्धति का उपयोग जनतांत्रिक मूल्यों तथा आदर्शों के प्रसारण के लिए किया जाता हैं इस प्रकारसंक्षेप में सामाजिक क्रिया के महत्त्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता हैः

1. सामाजिक समस्याओं का निराकरणः- भारतलय समाज में सामाजिक क्रिया के लिए व्यापक क्षेत्र विद्यमान है। भारतीय समाज के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं। ऊँच-नीच के आधार पर भेदभाव, स्त्रियों और पुरुषों के बीच भेदभाव आदि अनेक समस्याएँ हैं जिनके समाधान जनतांत्रिक आदर्शों के अनुसार बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हरिजनों, जनजातियों, श्रमिकों, महिलाओं, निरक्षरों, विधवाओं आदि की अनेक ऐसी श्रेणियाँ हैं जिनका समाज में समन्वय होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अशिक्षा, अंधविश्वास, न्यूनतम जीवन स्तर का अभाव आदि अनेक समस्याओं का समाधान आवश्यक है।

2. वैयक्तिक तथा पारिवारिक मूल्यों से सम्बन्धित समस्याओं का समाधानः- समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयत्नों के बावजूद समस्याओं का रूप अत्यधिक व्यापक है। साथ ही वैयक्तिक तथा पारिवारिक मूल्यों से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही हैं। इसके समाधान हेतु चाहे कानून का सहारा लें, चाहेस मूहों या समुदायों में चेतना जाग्रत करें, दोनों ही स्थितियों में सामाजिक क्रिया पद्धति अत्यन्त उपयोगी है। इन समस्याओं को जनतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल सामाजिक क्रिया कीस हायता से हल किया जा सकता है।

3. लोकतांत्रिक मूल्य और जन-चेतना का प्रसारः- समाज कार्य जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता जनतंत्र के मूलभूत आधार हैं। ये आदर्श सभी को व्यवहार में सुलभ हों इसलिए समाज के वत्रमान स्वरूप में काफी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। सामाजिक क्रिया को इसका आधार बनाया जा सकता है। सामाजिक क्रिया जन चेतना के जागरण के लिए अत्यधिक लाभप्रद है।

4. संगठनात्मक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहनः- समाज में प्रायः विभिन्न व्यक्तियों तथा वर्गों द्वारा अनेक प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ये प्रक्रियाएँ संगठनकारी भी होती है और विघटनकारी भी। संगठनात्मक प्रक्रियाओं की सहायता लेकर सामाजिक क्रिया की गति को तीव्र किया जा सकता है साथ ही विघटनकारी प्रक्रियाओं से बचाव के उपाय भी खोजे जा सकते हैं।

इसके द्वारा सामाजिक विधानोकं में सुधार किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रगति तथा सामाजिक दशाओं से उत्पन्न निर्धनता तथा व्याधियों जैसी अनेक समस्याओं को जिन्हें सामाजिक एजेन्सियां हल नहीं कर पाती, सामाजिक क्रिया द्वारा हल किया जा सकता है।

9.3 सामाजिक क्रिया के उदाहरण एवं सामाजिक क्रिया के क्षेत्र/मुद्दे

सामाजिक क्रिया का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु व्यवस्था, नियमों तथा नीतियों में परिवर्तन कर समस्याग्रस्त लोगों के उद्देश्यों की रक्षा करना होता है। वर्तमान में सामाजिक क्रिया के कुछ सकल उदाहरण निम्न है-

1. सुचना का अधिकार अधिनियम
2. वन अधिकार मायता कानुन
3. रोजगार गारण्टी अधिनियम
4. पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम

5. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम

6. घरेलु हिंसा अधिनियम

7. बल अधिकार संरक्षण अधिनियम

8. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम

उपरोक्त कुछ ऐसे उदाहरण है जहाँ विभिन्न प्रकार के मानव सेवी संगठनों ने सामाजिक क्रिया के विभिन्न चरणों, रणनीतियों का प्रयोग करते हुए समस्याओं के समाधान में सफलता प्राप्त करी है।

सामाजिक क्रिया के क्षेत्र/मुद्दे

वर्तमान में समाज में ऐसी कई समस्याएँ व्याप्त है जहाँ पर सामाजिक क्रिया के द्वारा समाधान या नीति निर्माण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इनमें से कुछ क्षेत्र निम्न हैं-

1. बाल अधिकार- अनाथ, आश्रित, बाल श्रमिक, शोष्ज्ञण आदि से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोष्ज्ञण

2. महिला अधिकार एवं सशक्तीकरण- हिंसा, शोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, समान अवसर आदिं

3. मानवाधिकार

4. पर्यावरण संरक्षण

5. खाद्य सुरक्षा

6. दरिद्रता निवारण

7. स्वास्थ्य एवं पोषण का अधिकार

8. दलित अधिकार

9. जनजातीय अधिकार

10. निशक्तजनों के अधिकार- मानसिक, शारीरिक, विकलांगता

11. वृद्धावस्था

12. सामाजिक सुरक्षा

13. कच्ची बस्ती सुधार आदि।

ये कुछ ऐसे मुद्दे या समस्याएँ है जिन पर कि मानव सेवी संगठनों के द्वारा औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कार्य किया जा रहा है। सरकार की वर्तमान नीतियों में आंशिक या पूर्ण बदलाव, नई नीतियों का निर्माण आदि के उद्देश्य से ऐसे संगठन कार्यरत हैं। इन संगठनों में समाज कार्य के विद्यार्थी प्रशिक्षु अपना क्षेत्रीय कार्य अभ्यास करते हुए अपने व्यवहारिक ज्ञान, गूणों तथा दक्षता का निर्माण करते हैं।

9.4 सामाजिक क्रिया एवं क्षेत्रीय कार्य

सामाजिक क्रिया समाज में व्याप्त असमानता, नीतियों, मूल्यों में व्यापक परिवर्तन हेतु किया गया एक रणनीतिक सोचा समझा गया प्रयास है। यह प्रयास एक औपचारिक संगठन या संस्था के द्वारा या अनोपचारिक संगठन द्वारा किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के कई मुद्दे हैं जिन पर कि यह संगठन काम करते हैं तथा शक्तिधारकों/ सरकार पर सुधारात्मक प्रयासों या सर्वमान्य नीति बनाने पर दबाव डालते हैं। शिक्षा का अधिकार, जनजाति अधिकार, सुचना का अकधकार, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार का अधिकार आदि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर संगठन सामाजिक क्रिया के द्वारा नीति निर्माण करवाने में सफल हुए हैं।

ऐसे संगठनों में सामाजिक कार्य के छात्रों से क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान यह आशा की जाती है कि प्रशिक्षु छात्र निम्न कार्यों को समझे।

9.4.1 सामाजिक क्रिया में संलग्न के संगठन को समझना

- सामाजिक क्रिया में संलग्न संस्थाओं के साथ क्षेत्रीय कार्य के दौरान प्रशिक्षु छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे उस संस्था/संगठन के स्वरूप को समझे जैसे-
- संगठन की स्थापना का वर्ष
- संगठन का उद्भव तथा इतिहास
- संगठन का विजन (दूरदर्शिता)
- संगठन का मिशन
- संगठन के उद्देश्य
- संगठन का वैधानिक अस्तित्व
- संगठन की कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका को समझना
- निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना
- संगठन के संगठनात्मक ढांचे को समझना

- नीतियों व व्यवस्था को समझना
- संगठन के विभिन्न विभागों के कार्यों तथा कार्य प्रणाली को समझना
- कार्मिक प्रबन्धन को समझना।
- कार्मिक नीतियों को जानना।
- संगठन के द्वारा किये जा रहे कार्यों को जानना।
- संगठन के कार्यों में आने वाली कठिनाइयों को जानना इत्यादि।

9.4.2 संगठन के कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी

समाज कार्य प्रशिक्षु से समाज कार्य अभ्यास के दौरान यह आशा की जाती है कि जिस क्षेत्र में सामाजिक क्रिया में संलग्न संस्था या संगठन कार्य कर रही है वह उस क्षेत्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त करे। जैसे-

- उस क्षेत्र की जननांकिय विशेषताएँ
- उपलब्ध आधारभूत सुविधाएँ
- उपलब्ध सरकारी तथा गैर सरकारी सहायताएँ/सुविधाएँ
- शक्ति संरचना तथा मत्यात्मकता
- आर्थिक स्थिति
- सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएँ
- उस क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक बुराइयाँ तथा कठिनाइयाँ आदि।

9.4.3 समस्याओं/मुद्दों के बारे में जानकारी

सामाजिक क्रिया में संलग्न संगठन किसी मुद्दे या समस्या को लेकर कार्य कसे हैं जैसे अशिक्षा, कुपोषण, स्वास्थ्य की सुविधाओं का अधिकारी, मानवाधिकार, दरिद्रता तथा निछड़ापन महिला सशकितकरण इत्यादि। इन संगठनों के साथ क्षेत्रीय कार्य के दौरान सामाजिक कार्य प्रशिक्षु से आशा की जाती है कि वह

- उस समस्या को समझकर पुरी जानकारी प्राप्त करे।
- उस समस्या से सम्बन्धित उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति को समझे।

- उपलब्ध सरकारी सहायता व कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करे।
- समस्या से सम्बन्धित नीति, कानुनों तथा विधान को बारिकी से समझे।
- समस्या से ग्रस्त लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करे।
- उस समस्या के प्रभावों व परिणामों को समझे।
- समस्या समाधान के विभिन्न विकल्पों को समझें।
- समस्या का समाधन करने हेतु उपलब्ध संसाधनों, एजेंसी विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त करे।-

9.4.4 सामाजिक क्रिया के विभिन्न चरणों की जानकारी

सामाकजिक क्रिया किसी समस्या समाधान के लिए किया एक सामुहिक प्रयास है जो कि शक्तिधारकों या प्रभुत्व वर्ग या सरकार पर दबाव बनाकर उनमें सकारात्मक परिवर्तन की मांग करता है, सामाजिक क्रिया क्षणिक नहीं होती है यह एक प्रक्रिया है जिसके निम्न चरण हो सकते हैं-

1. समस्या का उद्भव/पहचान होना।
2. समस्या की व्यापकता में वृद्धि होना।
3. हम की भावना का विकास होना।
4. जागरूकता तथा प्रचार-प्रसार करना।
5. संगठित होना व दबाव समूह का निर्माझा करना।
6. रणनितियों का निर्माण करना।
7. धरना-प्रदर्शन-आन्दोलन करना।
8. वार्तालाप करना, मोलभाव करना।
9. नीति निर्माण करना।
10. नीति क्रियान्वयन, निगरानी व अनुश्रवण
11. क्षेत्रीय कार्य प्रशिक्षु इन विभिन्न चरणों को निकट से समझने का प्रयास करे।

सामाजिक क्रिया के हर चरण में कई प्रकार की गतिविधियाँ संलग्न होती है, प्रशिक्षु इन समस्त गतिविधियों की गहराई से जानकारी प्राप्त करे मसलन -

प्रथम चरण समस्या की पहचान करना, इस चरण में समाज में व्याप्त समस्या की पहचान करी जाती है उसके लिए अनुसंधान, सर्वेक्षण, बैठकों का आयोजन, साक्षात्कार, आंकड़ों का विश्लेषण आदि कार्य संगठन के द्वारा किये जाते हैं। प्रशिक्षु इन कार्यों को गहनता से समझे।

द्वितीय चरण उक्त समस्या की व्यापकता को समझना- समस्या की पहचान करने के पश्चात् द्वितीय चरण में समस्या की गंभीरता तथा व्यापकता को समझा जाता है। प्रशिक्षु समस्या के प्रभावों तथा परिणामों की जानकारी प्राप्त करें।

तृतीय चरण - हम की भावना का विकास करना - सामाजिक क्रिया के इस चरण में संगठन या संस्था द्वारा समस्या से ग्रस्त लोगों में हम की भावना का विकास किया जाता है। समस्या की गंरता तथा व्यापकता से समाज के लोगों को अवगत कराया जाता है कि समस्या किसी व्यक्ति या परिवार की न होकर समाज की है तथा इसका समाधान करना होगा। उक्त चरण में प्रशिक्षु लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में सीखने का प्रयास करे।

चतुर्थ चरण - जागरूकता तथा प्रचार-प्रसार करना - इस चरण में संस्था/संगठन के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। मुद्दद्वा प्रचार-प्रसार करके जनमत संग्रह का प्रयास किया जाता है। कोशिश की जाती है कि शक्तिधारकों का ध्यान समस्या तथा समस्याग्रस्त लोगों की तरफ आकृष्ट किया जाए। इस चरण में प्रशिक्षु के द्वारा जागरूकता के माध्यमों, सुचक, शिक्षा तथा संचार के साधनों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। जैसे पेम्पलेट बाँटना, नारा लेखन करना, जन जागरूकता अभियान, मिडिया का प्रयोग करना इत्यादि।

पाँचवा चरण - संगठिमत होना व दबाव समूह का निर्माण- इस चरण में सामाजिक संस्था के द्वारा विभिन्न संसाधनों को संगठित करके एक संगठन का निर्माण किया जाता है जो कि सम्बन्धित समस्या की पैरवी नीति निर्धारक/ सरकार से करता है। इस चरण में विभिन्न संगठनों, संस्थाओं से ला ॅबिंग तथा नेटवर्किंग की जाती है। समस्या से अवगत करा उन्हें सामाजिक क्रिया में जोड़ने के प्रयास किया जाता है। एक संगठन का निर्माण किया जाता है जो कि नीति निर्धारकों/ सत्ताधारियों/ सरकार/ प्रभुत्व वर्ग से समस्या के समाधान की पैरवी करता है। इस चरण में प्रशिक्षु के द्वारा लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया को सीखा जाता है। किस तरह से नेटवर्किंग तथा लाबिंग के द्वारा समस्या की पैरवी की जाती है। यह सीखना चाहिए कि संसाधनों की व्यवस्था किस तरह से की जाती है।

छठा चरण - रणनीतियों का निर्माझा करना - इस चरण में जब एक दबाव समूह/ संगठन बन जाता है तो सत्ता धारकों/ सरकार/ नीति निर्धारकों पर समस्या के समाधान/ नीति निर्माण हेतु के लिए रणनीति तैयार की जाती है जिसमें विभिन्न लोगों को जोड़ना, समस्या के प्रचार-प्रसार की व्यापकता को बढ़ावा, सरकार से वार्ता करना आगे की योजना का निर्माण आदि कार्य किये जाते हैं। इस चरण में प्रशिक्षु छात्रों को विभिनन रणनीतियों की जानकारी लेनी चाहिए।

सातवाँ चरण - धरना प्रदर्शन - आन्दोलन करना - इस चरण को असल में क्रियान्वयन चरण कहते हैं जिसमें समस्या से जुड़े हुए लोग सरकार/ नीति निर्धारकों पर दबाव बनाने हेतु रैली निकालना, धरना देना - प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना, जनसुनवाई करना, असहयोग करना, विरोध करना, नारेबाजी करना, पोस्टकार्ड लिखना, मिडिया का प्रयोग करना इत्यादि कार्य करते हैं। सरकार तक अपनी बात पहुँचाते हैं। इस चरण में प्रशिक्षु को सीखना चाहिए कि विरोध-प्रदर्शन के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं। धरना-प्रदर्शन-हड़ताल किस तरह से आयोजित की जाए। अपनी बात रखने का तरीका क्या हो आदि वार्तालाप।

आठवां चरण - मोलभाव करना - इस चरण में दबाव समूह या संगठन के द्वारा सरकार/नीति निर्धारकों से व्यवस्था सुधार हेतु समस्या समाधान हेतु वार्तालाप कर सरकार के साथ सुधारात्मक नीति प्रस्तुत कर उसे लागु करने पर वार्तालाप किया जाता है। सरकार तथा संगठन के मध्य नीति निर्माण/ समस्या समाधान हेतु मोलभाव किया जाता है। इस चरण में समाज कार्य प्रशिक्षु से आशा की जाती है कि वह मोल-भाव के तरीकों का सीखे-समझे, प्रस्तुतीकरण को समझे।

नौवा चरण - नीति निर्माण करना - इस चरण में सरकार तथा सामाजिक क्रिया संगठन के द्वारा आपसी सहमति से समस्या समाधान हेतु नीति का निर्माण किया जाता है। संबंधित संस्था/ संगठन के द्वारा नीति का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाता है। इस चरण में प्रशिक्षु द्वारा नीति निमा्रण प्रक्रिया को समझना चाि हए तथा प्रचार-प्रसार के साधनों को समझना चाहिए।

दसवाँ चरण - निर्णयों/ नीति का क्रियान्वयन - निगरानी एवं अनुश्रवण इस चरण में समस्या के समाधान हेतु किये गये निर्णयों/ निर्माझा की गई नीतियों के उचित क्रियान्वयन हेतु संस्था या संगठन द्वारा उचित निगरानी रखी जाती है। बार-बार अनुश्रवण कर मुल्यांकन किया जाता है तथा सरकार/नीति निर्धारकों, कमियों तथा सुधारों के द्वारा नीतियों के समस्या समाधान हेतु किये गये निर्णयों के क्रियान्वयन को समझना चाहिए। नियमित निगरानी व अनुश्रवण के तरीकों को समझना चाहिए।

इस प्रकार समाज कार्य प्रशिक्षु के द्वारा सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को रखते हुए, समझते हुए व्यवहारिक ज्ञान का अर्जन किया जाता है।

9.4.5 संगठन के वित्तीय प्रबन्ध को समझना

समाज कार्य प्रशिक्षु को सामाजिक क्रिया में संलग्न संगठन/ संस्था के साथ खेत्रीय के दौरान वित्तीय प्रबन्ध को भी जानना चाहिए मसलन-

- संगठन/संस्था के वित्तीय स्त्रोत - क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/व्यक्तिगत/उद्योग/ दान/ चन्दा इत्यादि
- लेखांकन की प्रक्रिया

- अंकेक्षण
- सामाजिक क्रिया के दौरान वित्त प्रबन्धन करना
- आय-व्यय का लेखा-जोखा
- बजट निर्माण करना
- संगठन की वित्त नीति
- कर तथा दायित्व
- वित्त से संबंधित वैधानिक प्रावधान एवंप्रक्रियाएँ आदि

9.4.5 प्रतिवेदन तथा दस्तावेजों का निर्माण

सामाजिक क्रिया में संलग्न संख्या/संगठन के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन तथा दस्तावेजों का निर्माण किया जाता है उदाहरणस्वरूप:-

- वित्त एजेंसी को भेजे गये परियोजना प्रस्ताव
- परियोजना स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज
- मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
- मूल्यांकन एवं अनुश्रवण से संबंधित प्रतिवेदन
- वित्त संबंधित प्रतिवेदन
- सामाजिक क्रिया के दौरान किये गये कार्यों व प्रयासों का अभिलेखन
- कार्यालय संबंधित दस्तावेजों का रख-रखाव
- वैद्यानिक तथा कानूनी प्रावधानों की पालना संबंधित दस्तावेज
- संस्था/संगठन के निर्माण के वैद्यानिक दस्तावेज इत्यादि।

समाज कार्य प्रशिक्षु को क्षेत्रीय अभ्यास के दौरान उपरोक्त प्रतिवेदनों तथा दस्तावेजों के निर्माण, रख-रखाव तथा उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

9.5 सामाजिक क्रिया में सीखने योग्य निपुणताएँ

सामाजिक क्रिया में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान प्रशिक्षु द्वारा निम्न निपुणताओं को सीखने की आशा की जाती है-

1. अनुसंधान तथा विश्लेषण
2. अन्रतवैयक्तिक सम्बन्धों का निर्माण करना
3. कुशल सम्प्रेषण
4. परिस्थिति विश्लेषण एवं अनुवाद
5. संगठनात्मक व्यवहार
6. प्रशासनिक दक्षता
7. संसाधनों को संगठित करना
8. संसाधनों का उचित प्रयोग करना
9. सुचना, शिक्षा तथा संचार का प्रयोग
10. जन सहभागिता प्राप्त करना
11. पैरवीकरण
12. नेटवर्किंग करना
13. लाबिंग करना
14. समस्या विश्लेषण एवं निदान
15. वार्तालाप करना
16. दबाव समूह निर्माण करना
17. रणनीतियों का निर्धारण तथा प्रयोग करना
18. लोकतान्त्रिक मूल्यों का प्रयोग
19. सामाजिक क्रिया संगठन का निर्माण व क्रियात्मकता
20. वित्त प्रबन्धन
21. प्रतिवेदन अभिलेखन आदि।

9.6 सारांश

क्षेत्रीय कार्य अभ्यास समाज कार्य शिक्षण का एक अभिन्न भाग है। बिना क्षेत्रीय कार्य अयास के समाज कार्य शिक्षण अधुरा है। समाज कार्य की प्रक्रिया का एक अंग सामाकजिक क्रिया भी है। सामाजिक क्रिया में संलग्न मानव सेवी संस्थाएँ समाज कार्य शिक्षण में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास हेतु एजेंसी का कार्य करती है तथा प्रशिक्षु वहाँ सामाजिक क्रिया को क्षेत्रीय कार्य के दौरान प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, अनुभव करते हुए सीखते हैं। सामाजिक क्रिया में संलग्न संस्थाओं में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान प्रशिक्षु संगठन के स्वरूप, निर्माण को समझता है, सामाजिक क्रिया के चरणों को अनुभव करता है, वित्त प्रबन्ध को जानता है तथा रिपोर्टिंग व रिकार्डिंग को प्रत्यक्ष रूप से सीखता है। क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के द्वारा प्रशिक्षु सामाजिक क्रिया के आवश्यक निपुणताओं का अर्जित करता है।

9.7 शब्दावली

प्रणाली - तरीका, अंग, व्यवस्था

पृथक - अलग

संलग्न - जुड़ा हुआ, लगा हुअ, कार्यरत

उद्भव - जन्म, खोज

9.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सामाजिक क्रिया को परिभाषित कीजिये। सामाजिक क्रिया की विशेषताएँ लिखिए।
2. अपने क्षेत्रीय कार्य के दौरान समाज कार्य प्रशिक्षु सामाजिक क्रिया में संलग्न मानव सेवी संगठन/ संस्था के बारे में क्या सीखता है।
3. क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान सामाजिक क्रिया के विभिन्न चरणों में प्रशिक्षु की भूमिका समझाइये।
4. वर्तमान में सामाजिक क्रिया के कुछ उदाहरण तथा क्षेत्रों को लिखिए।
5. क्षेत्रीय कार्य अभ्यास में सामाजिक क्रिया हेतु प्रशिक्षु द्वारा सीखने योग्य निपुणताओं को लिखिए।

9.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. सिद्दकी एच.वाई. (1984) सोशल वर्क एण्ड सोशल एक्शन, हरनाम पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

2. बत्रा सुषमा, अग्निहोत्री नीरा (2009) नरचरिंग प्रेक्टिवम, कामन मेनिफेस्टो फार सेाशल वर्क प्रेक्टिस, डिपार्टमेन्ट ऑफ सोशल वर्क, युनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।

3. वर्मा आर.वी.एस., सिंह अतुल प्रताप (2013) स्टेण्डर्ड मेन्युअल फार फिल्ड वर्क प्रेथ्टिकल इन सोशल वर्क, उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, उदयपुर।

4. वाजपेई, पी.के. फिल्ड वर्क मेन्युअल, उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, उदयपुर।

5. सिंह सुरेन्द्र मिश्र पी.डी. (1998), समाज कार्य इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियाँ, न्यू रायल बुक कं., लखनऊ।

इकाई - 10

क्षेत्रीय कार्य प्रतिवेदन एवं अभिलेखन

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 क्षेत्रीय कार्य में प्रतिवेदन

10.3 क्षेत्रीय कार्य में अभिलेखन: आवश्यकता एवं महत्त्व

10.4 क्षेत्रीय कार्य अभिलेखन

10.4.1 क्षेत्रीय कार्य समय प्रपत्र

10.4.2 समवर्ती क्षेत्रीय कार्य अभिलेखन

10.4.3 व्यैक्तिक कार्य अभिलेखन

10.4.4 समुह कार्य अभिलेखन

10.4.5 सामुदायिक संगठन प्रक्रिया मे अभिलेखन

10.4.6 ध्यान देने योग्य बात

10.5 सारांश

10.6 शब्दावली

10.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

10.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

10.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- क्षेत्रीय कार्य में प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
- क्षेत्रीय कार्य में विभिन्न प्रकार के अभिलेखन को समझ पाएंगे।

- क्षेत्रीय कार्य में विभिन्न प्रकार के अभिलेखन को रखने की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

10.1 प्रस्तावना

समाज कार्य विद्यार्थीयों के लिए क्षेत्रीय कार्य का अभिलेखन (रिपोर्टींग) एवं रिकार्ड अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। क्षेत्रीय कार्य में विद्यार्थियों के लिए अभिलेखन तैयार करना भी उसकी भूमिका का एक आवश्यक अंग है। यह कार्य इतना सरल नहीं है और उनके लिए तो और भी कठिन है जो इस समाज कार्य व्यवसाय में नये हैं। वे विद्यार्थी जो समाज कार्य के क्षेत्रीय कार्य में जाते हैं उनके मन में कई प्रश्न उठते हैं जैसे फील्ड वर्क में क्या करना है, फील्ड वर्क कैसे करेंगे, फील्ड वर्क का प्रतिवेदन एवं अभिलेखन किस प्रकार तैयार किया जाएगा। विद्यार्थी एक ऐसी रूपरेखा चाहते हैं जिसका वे अनुसरण कर सके और जो अभिलेख तैयार करने में उनकी सहायता कर सके। क्षेत्रीय कार्य की रिपोर्टींग एवं रिकार्ड अलग-अलग महाविद्यालय में अपने आदर्श प्रारूप के अनुसार अनुसरण किये जाते हैं। इस इकाई में भी कुछ अभिलेख एवं रिकार्डस के प्रारूप प्रस्तुत किये गये हैं जो समाज कार्य विद्यार्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

10.2 क्षेत्रीय कार्य में प्रतिवेदन

क्षेत्रीय कार्य समाज कार्य शिक्षा का बहुत ही महत्त्वपूर्ण भाग है। इसके माध्यम से विद्यार्थी सैद्धान्तिक ज्ञान को अभ्यास के द्वारा उपयोग में लेते हैं। विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य में समाज कार्य की पद्धतियों, क्षमताओं एवं तकनीकियों को उपयोग में लेकर व्यक्ति, समुह एवं समुदायों की समस्याओं का समाधान करते हैं।

प्रतिवेदनः- क्षेत्रीय कार्य में प्रतिवेदन एवे अभिलेखन एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। विद्यार्थियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे क्षेत्रीय कार्य की समस्त क्रियाओं का क्रमबद्धता से अभिलेखन करे। प्रतिवेदन के माध्यम से विद्याथी के द्वारा किये कार्यो का मुल्यांकन भी सरलता से किया जा सकता है। इन प्रतिवेदन के मुख्य रूप में दो प्रकार है जो इस प्रकार हैः-

1. वर्णनात्मक (Descriptive)

2. संक्षिप्त (Summarized)

1. वर्णनात्मक प्रतिवेदनः- यह अभिलेखन का सबसे महत्त्वपूर्ण तरीका है। इसमें विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य के तथ्यों एवं कार्यों को विस्तार से लिखता है तथा प्रत्येक घटना व स्थिति का स्पष्ट चित्रण भी किया जाता है। समस्त घटनाओं का क्रमानुसार चित्रण होता है।

2. संक्षिप्त प्रतिवेदनः- इस प्रकार के अभिलेखन में सामाजिक अध्ययन एवं अतिवृत्ति को विभिनन भागों में विभक्त किया जाता है। विषय व आधार पर सम्पुर्ण प्रक्रिया को कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है।

समाज कार्य विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य का प्रतिवेदन विभिन्न प्रकार से करते हैं। यहाँ एक आदर्श प्रतिवेदन का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार हैः-

1. पूर्व नियोजन **(Pre-Planning):-**. सर्वप्रथम विद्यार्थी संस्था में अगले दिन के कार्य के आधार पर पहले से नियोजन तैयार करता है साथ ही विद्यार्थी अपनी क्षेत्रीय कार्य संस्था के पर्यवेक्षक तथा समाजकार्य महाविद्यालय में सामुहिक एवं व्यैक्तिक कान्फ्रेंस में क्षेत्रीय कार्य पर्यवेक्षक के निर्देशानुसार पूर्व को निर्धारित करते हैं। पर्यवेक्षक विद्यार्थी को क्षेत्रीय कार्य में क्या करना है, मिटींग व वीजीट आदि के सम्बन्ध में बताते हैं। इन सभी के आधार पर विद्यार्थी अपने रिपोर्ट में पूर्व-नियोजन को तैयार करता है।

2. प्रक्रियाः- रिपोर्ट का द्वितीय विषय प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के अन्तर्गत विद्यार्थी अपने क्षेत्रीय कार्य में पहुँचने से लेकर पुनः प्रस्थान तक का विस्तृत वर्णन विवरणात्मक रूप में लिखता है। जिससे पर्यवेक्षक भी विद्यार्थी द्वारा किये कार्य को विस्तृत रूप में जान सकता है।

3. मूल्यांकनः- रिपोर्ट का तीसरा विषय मूल्यांकन होता है। जिसमें विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य के दिन किये गये कार्य का मूल्यांकन करता है तथा कार्य में होने वाली समस्याओं तथा कारकों का अध्ययन करता है।

4. आत्म मूल्यांकनः- आत्म मूल्यांकन में विद्यार्थी यह ज्ञात करता है कि पूर्व नियोजन जो निर्धारित किया गया वह क्या क्रियान्वित हो सका हैं अगर विद्यार्थी उस दिन के पूर्व 1 नियोजन में पुर्णतः असफल हो गया है, तो उसे वास्तविक कारण भी बताने चाहिए। आत्म मूल्यांकन से आशय विद्यार्थी अपनी भुमिका तथा एक व्यवसायिक समाज कार्यकर्ता के रूप में अपनी क्षमताओं, ज्ञान, विधियों तथा गुणों का उपयोग करने में किस हद तक सक्षम हुआ है। उसे अपने व्यक्तित्व में समाज कार्य व्यवसाय के मुल्यों को लाना चाहिए।

5. भविष्य का नियोजनः- भविष्य का नियोजन क्षेत्रीय कार्य में निरन्तर चलता रहता है। अगर पूर्व नियोजन के अनुसार कार्य नहीं हो पाया तो वह कार्य अगले दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। अतः भविष्य के नियोजन में अगले दिन क्या कार्य किया जाएगा इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है ताकि विद्यार्थी स्वयं यह जान सके कि अगले दिन का कार्य क्या करना है और अगले दिन का पूर्व नियोजन कल की रिपोर्ट का भविष्य का नियोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है।

उपरोक्त विषयों के आधार पर समाज कार्य विद्यार्थी अपनी क्षेत्रीय कार्य की रिपोर्ट तैयार करते हैं।

10.3 क्षेत्रीय कार्य में अभिलेखन: आवश्यकता एवं महत्त्व

अभिलेखन की आवश्यकता:- अभिलेखन करने से निम्न सहायता प्राप्त होती है।

1. कार्यकर्ता की निपुणता में वृद्धि होती है।

2. सेवार्थी की रूचियों का पता चलता है तथा अचेतन मन की आकांक्षाएं उभरकर सामने आती हैं।

3. समाज कार्य के अनुभव एवं ज्ञान में वृद्धि होती है।

4. दूसरे कार्यकर्ता को अभिलेखों से सेवार्थी की समस्या समझने में आसानी रहती है।

5. कार्यकर्ता अपने कार्यों तथा सेवार्थी के व्यवहार की आलोचना करने में सफल होता है।

6. सहायता में गुणात्मक वृद्धि होती है।

7. सेवार्थी में हुए परिवर्तन को जाना जाता है।

8. आँकड़ों का विश्लेषण करने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता मिलती है।

9. एक व्यक्ति के निजी विचारों को सुरक्षित रखा जाता है।

10. नये ज्ञान की उपलब्धि होती है।

11. अभिलेखों से ज्ञात हो जाता है कि सेवार्थी को उचित सहायता मिल रही है या नहीं।

12. कार्यकर्ता के उत्तरदायित्व का निर्वाह कहाँ तक हो रहा है, उसका ज्ञान हो जाता है।

13. कार्यकर्ता को सुपरवाइज करने में आसानी रहती है।

14. पाठ्य सामग्री संकलित हो जाती है।

15. अनुसन्धान जब करते हैं तो अभिलेखों का सहयोग लेते हैं।

16. सामाजिक नियोजन में अभिलेख सहायक होते हैं।

17. जिन प्रयासों का सम्बन्ध रोकथाम से होता है उनमें सहायता मिलती है।

18. अवलोकन प्रणाली में सहायता का कार्य करते हैं।

19. सेवार्थी से कार्यकर्ता के सम्बन्ध का प्रदर्शन करते हैं।

20. समस्या के निदान में सहायता करते हैं।

21. उपचार कार्य में सहायक होते हैं।

अभिलेखों का महत्त्वः- वैयक्तिक कार्यकर्ता के लिए अभिलेखों को तैयार करना उतना ही आवश्यक है जितना कि सेवार्थी के साथ कार्य करना। यह उसके उत्तरदायित्व का आवश्यक अंग है तथा सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य प्रक्रिया का भी अभिन्न अंग है। वैयक्तिक सेवा

कार्य की निपुणताओं तथा प्रविधियों की उन्नति के लिए भी अभिलेखन आवश्यक है। यद्यपि अभिलेख वैयक्तिक कार्य से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी एवं हितकारी है परन्तु वैयकितक कार्यकर्ता के लिए वे विशेष आवश्यक हैं।

(1) व्यक्ति का सम्पूर्ण ज्ञानः- अभिलेखों की सहायता से सेवार्थी की सभ्ीा आन्तरिक तथा बाह्य विशेषताओं का ज्ञान होता है। अभिलेख में व्यक्ति के व्यवहार की विशेषताओं, भावनाओं, इच्छाओं, बाधाओं, रूकावटों तथा समायोजन सम्बन्धी कठिनाइयों का वर्णन होता है।

(2) सहायता का आवश्यक यंत्रः- कार्यकर्ता के लिए सेवार्थी की पूर्ण जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि वैयकितक कार्य एक प्रक्रिया है और सेवार्थी तारतम्य के आधार पर इस प्रणाली से लाभ उठाते हैं। यदि कार्यकताृ को पता न होगा कि अब तक कैसे, किस प्रकार तथा किस उत्तरदायित्व प्रदान किया है तो वह सेवार्थी की सहायता करने में कठिनाई अनुभव कर सकता है।

(3) आन्तरिक तथा बाह्य समायोजन का ज्ञानः- साक्षात्कार का माध्यम से कार्यकर्ता समझ लेता है कि वह किस प्रकार से विगत में अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करता आता है तथा किन-किन अवसरों पर वह समायोजन करने में असफल रहा है। व्यक्तित्व के आन्तरिक भाग का विश्लेषण करने से आन्तरिक समायोजन की स्थिति का भी पता लगा जाता है।

(4) सम्बन्धों का ज्ञानः- अभिलेख में सेवार्थी के सम्बन्धों का वर्णन किया जाता है। वह किस प्रकार अपने से सम्बन्धित व्यक्तियों से व्यवहार करता है, सम्बन्ध रखता है, सम्बन्धों को महत्त्व देता है आदि का वर्णन किया जाता है। कार्यकर्ता इन सम्बन्धों की दशाओं का अध्ययन अभिलेख द्वारा करता है तथा उन्हें प्रगाढ़ बनाने का प्रयत्न करता है।

(5) कार्यकर्ता को अपने सम्बन्धों तथा भूमिका का ज्ञानः- अभिलेख में कार्यकर्ता यह दर्शाता है कि सेवार्थी की आस्था कार्यकर्ता के प्रति कितनी है तथा वह कहाँ तक सहायता करने की स्वीकृति देता है। वह अपने प्रति सम्बन्धों में निरन्तर प्रगाढ़ता लाने वाले प्रयत्नों का भी वर्णन करता है। वह अपनी भूमिकाओं का भी उल्लेख करता है। अतः भूमिका को अच्छाइयाँ तथा बुराइयाँ प्रदर्शित हो जाती है।

(6) मूल्यांकन में सहायकः- अभिलेख सेवार्थी की समस्या तथा उनका समाधान के लिए किये गये प्रयत्नों का एक प्रमाण है। कार्यकर्ता इनकी सहायता से सेवार्थी में हुए परिवर्तन एवं विकास को समझता है तथा उसे एक रचनात्मक दिशा प्रदान करता है।

(7) भविष्य के कार्यक्रम में सहायकः- यह कार्यकर्ता व्यक्ति की क्रियाओं का मूल्यांकन निरन्तर करता रहता है तो उसे यह ज्ञात हो जाता है कि सेवार्थी की

आवश्यकताओं की पूर्ति किस सीमा तक की जा सकती है। उसको पूर्ण तथा अपूर्ण आवश्यकताओं का यथार्थ ज्ञान रहता है। इसके आधार पर वह भविष्य के कार्यक्रम निर्धारित करता है।

(8) अधीक्षण मंत्रणा में सहायकः- अभिलेखों की सहायता से ही अधीक्षक कार्यकर्ता को आवश्यक निर्देश देता है तथा उनकी कुशलताओं का विकास करता है। इससे उसकी सेवाएँ अधिक मूल्यवान हो जाती है।

(9) अभिकरण के लिए आवश्यकः- अभिकरण के द्वारा ही वैयक्तिक सेवा कार्य सम्पन्न होती है। अतः उसे व्यक्ति की क्रियाओं का ज्ञान आवश्यक होता है जिससे वह सुविधापूर्वक सम्बन्धित कार्यक्रम बनाता है तथा सेवाओं में सुधार लाता है। अभिकरण अभिलेखों के माध्यम से सेवाओं की औपचारिकता को समझता है, सेवाओं की आवश्यकता का ध्यान रखता है तथा उसके उचित प्रशासन के लिए प्रयास करता है।

(10) नये कार्यकर्ता के लिए पथ-प्रदर्शकः- जब कोई नया कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ कार्य करता है तो अभिलेख के उसे काफी सहयोग मिलता है। वह सेवार्थी की सभी स्थितियों एवं समस्याओं से अवगत हो जाता है तथा यह जान लेता है कि पुराने कार्यकर्ता ने कहाँ तक सेवार्थी को सहायता पहुँचायी है, वह भी उसी आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है।

(11) सन्दर्भित करने में सहायकः- सेवार्थी की अनेक समस्याएँ होती हैं जिसके कारण उसे विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है। कार्यकर्ता ये सभी सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम नहीं होता है। अतः उसे अन्य स्रोतों की सहायता कर लेता है। अभिलेखों से उसे ज्ञात हो जाता है कि अभी तक कहाँ-कहाँ की सेवाएँ प्राप्त हुई हैं और उसमें कितना परिवर्तन एवं सुधार आया है।

(12) अनुसंधान में सहायकः- अभिलेखन के माध्यम से व्यक्ति की समस्याओं तथा उनकी विशेषताओं का ज्ञान होता है। उसी आधार पर हम उपकल्पना का निर्माण करते हैं तथा परीक्षण के लिए कार्यकर्ता को देते हैं।

(13) शिक्षण में सहायकः- विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए अभिलेखों को तैयार करना आवश्यक होता है। इसके समस्या विशेष की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने में सहायता मिलती है।

(14) समस्या के निदान व उपचार में सहायकः- अभिलेखों की सहायता से आँकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा उसी आधार पर समस्या का निदान किया जाता है। निदान पर ही उपचार प्रक्रिया आधारित होती है।

10.4 क्षेत्रीय कार्य में अभिलेखन

क्षेत्रीय कार्य अभ्यास को सीखने के लिए रिकोर्डिंग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन है। रिकोर्डिंग में कार्य के दौरान हुई समस्त अन्तःक्रियाओं एवं गतिविधियों को एकत्रित कर बनाये रखा जाता है। ये सुचनाएँ विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य में सेवार्थी तथा अवलोकन द्वारा प्राप्त करता है। रिकोर्डिंग की सेवाएँ मात्र प्रशासनिक उद्देश्य के लिए एकत्रित की जाती है।

सामान्यतः रिकोर्ड का उपयोग कार्य के मुल्यांकन के उद्देश्य से किया जाता है। समाज कार्य में विद्यार्थियों द्वारा की गई रिकोर्डिंग को सुपरवाइजरी कान्फ्रेन्स में वार्तालाभ करने में उपयोग लिया जाता है। साथ ही इसका उपयोग उपयुक्त कार्य करने की प्रक्रिया के मुल्यांकन के लिए भी किया जाता है। यह रिकोर्डिंग विद्यार्थियों के निष्पादन को सुधारने हेतु सुपरवाइजरी टिप्पणी देने का अवसर भी प्रदान करती है। रिकार्डिंग विद्यार्थियों को उनकी व्यवसायिक क्षमता के विकास के लिए अवसर प्रदान करती है।

विद्यार्थियों के फील्ड वर्क कार्यभार के एक भाग के रूप में, व सेवार्थी या उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य समाज कल्याण संस्थाओं के साथ पत्राचार करते हैं तो वे सभी पत्राचार/विभागीय सुपरवाइजर/संस्था के सुपरवाइजर द्वारा अनुमोदित एवं उनके ज्ञान में होना चाहिए।

समाज कार्य विद्यार्थी को अपने क्षेत्रीय कार्य का प्रतिदिन रिकोर्ड रखना चाहिए। विभागीय पर्यवेक्षक द्वारा प्रति सप्ताह विद्यार्थी की रिपोर्ट जाँच की जानी चाहिए एवं उस रिपोर्ट पर जमा कराने का दिन एवं समय भी उल्लेखित करना चाहिए।

क्षेत्रीय कार्य की रिपोर्ट की कापी विद्यार्थी को अपने क्षेत्रीय कार्य संस्था में भी जमा करानी चाहिएं इससे संस्था के पर्यवेक्षक को भी यह ज्ञात रहता है कि विद्यार्थी ने उनकी संस्था में क्या कार्य किया है।

10.4 क्षेत्रीय कार्य समय प्रपत्र

विद्यार्थियों को एक क्षेत्रीय कार्य समय प्रपत्र दिया जाता है जिसे विद्यार्थी प्रति सप्ताह भरता है जिसमें निम्न सूचनाएँ होती है-

1. दिनांक एवं दिन जिस दिन क्षेत्रीय कार्य किया।
2. क्षेत्रीय कार्य संस्था में क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ करने का समय तथा निकासी का समय।
3. क्षेत्रीय कार्य संस्था में क्षेत्रीय कार्य प्रतिदिन में व्यतित किया गया समय।
4. संस्था में दिया गया समय, कार्य क्षेत्र में दिया गया समय तथा अन्य समय का ब्योरा
4. विभाग में व्यक्तिगत एवं सामुहिक कान्फ्रेंस में उपस्थित होने की दिनांक एवं समय।
5. प्रति सप्ताह में क्षेत्रीय कार्य पर व्यतीत किया गया कुल समय।

इस प्रपत्र पर विद्यार्थी द्वारा एवं क्षेत्रीय कार्य संस्था के सुपरवाइजर द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। विद्यार्थियों के संस्था में अनुपस्थित रहने, रिपोर्ट एवं क्षेत्रीय कार्य समय प्रपत्र के देरी से जमा कराने या नहीं कराने, व्यक्तिगत एवं सामुहिक कान्फ्रेंस में उपस्थित नहीं होने आदि की सूचना विभागीय / महाविद्यालय पर्यवेक्षक द्वारा रखी जाएगी।

10.4.2समवर्ती क्षेत्रीय कार्य अभिलेखन प्रारूप

1. दिन की योजना (उद्देश्य)
    - पिछले दिन किये गये कार्य के अनुसार दिन की योजना करनां
2. कार्य अन्तःक्रिया (कार्य किया)
    - दी गयी या सौंपी गयी टास्क
    - स्थान की गत्यात्मक अन्तःक्रिया लेना
    - विभिन्न स्त्रोतों से तथ्य खोजना
    - समाज कार्य विधियों से समस्या समाधान के नियोजन का क्रियान्वयन करना।
3. मूल्यांकन(अवलोकन/विश्लेषण)

- विद्यार्थियों के स्वयं के उत्तर द्वारा तथा अवलोकन से व्यक्ति, समुह या समुदाय की समस्या को विश्लेषित करना।
- इन समस्याओं/आवश्यकताओं के लिए कारण खोजना।
- समुदाय तथा आस7पास के क्षेत्र के कारण जिससे सेवार्थी प्रभावित है।
- मूल्यों एवं नीतियों का अन्तःकरण करना और
- समस्या समाधान प्रक्रिया में सेवार्थी का भाग लेना।

4. आत्म मूल्यांकन(पद्धतियों, सिद्धान्तों, क्षमताओं एवं तकनिकीयों को सीखना)
    - सिद्धान्त को अभ्यास में परिवर्तित कर उपयोग करना।
    - सिद्धान्तों, पद्धतियों, क्षमताओं एवं तकनीकियों को तर्कसंगत उपयोग करना।

- स्वयं की भूमिका एवं सफलता का आलोचनात्मक मुल्यांकन करना या दिन के नियोजन को प्राप्त करने में असफलता का मूल्यांकन करना।
- सम्बन्धों के निर्धारण की क्षमता
- अभ्यास सीखने के निर्देशनों का उपयोग करना।
- संसाधनों के प्रयेाग करने की योग्यतां
- नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता।

5. भविष्य की योजनाः-

- किये गये कार्य के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक भविष्य की योजना तैयार करना।

(i) उपरोक्त रिकोर्ड क्षेत्रीय कार्य के दौरान विद्यार्थी तैयार करते हैं। शैक्षणिक संस्था के पर्यवेक्षक को क्षेत्रीय कार्य की रिपोर्ट जमा कराने का दिन एवं समय व्यक्तिगत या सामुहिक कान्फ्रेंस में बता देना चाहिएं उस रिपोर्ट की एक कापी विद्यार्थी को अपने संस्था के पर्यवेक्षक को जमा करानी चाहिए।

(ii) अगर विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य के दौरान वैयक्ति सेवा कार्य, सामूहिक सेवा कार्य तथा सामुदायिक कार्य करता है तो वह निम्नलिखित रूप में रिकोर्डिंग करता है जो इस प्रकार हैः-

10.4.3 वैयक्तिक कार्य में रिकोर्डिंग की विषय-वस्तु

वैयक्तिक सेवा कार्य समाज कार्य की प्राथमिक पद्धति है जिसमें समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाता है तथा सेवार्थी में आत्म निश्चय तथा आत्म-विश्वास उत्पन्न किया जाता है ताकि भविष्य में होने वाली समस्या का समाधान सेवार्थी स्वयं कर सके। क्षेत्रीय कार्य अभ्यास में वैयक्तिक सेवाकार्य की विषयवस्तु निम्नानुसार है-

1. अध्ययनः-

(i) सेवार्थी के बारे में परिचयनात्मक सूचना जैसेः-

- नाम
- आयु
- जेंडर
- जाति

- धर्म
- व्यवसाय
- आय
- शैक्षणिक प्रस्थिति
- वैवाहिक प्रस्थिति

(ii) समस्या का इतिहासः-

- सेवार्थी की मुख्य समस्या/शिकायत क्या है।
- समस्या का आरम्भ कैसे हुआ
- समस्या की प्रकृति क्या है
- समस्या के कारण क्या है
- समस्या का परिणाम क्या होगा
- समस्या का क्षेत्र (समस्या से प्रभावित होने वाले लोग) कितने हैं।

(iii) सेवार्थी की भावना एवं अन्तःक्रियाः-

- समस्या के प्रति सेवार्थी की मनोवृत्ति
- सेवार्थी की समस्या के बारे में विश्लेषण एवं व्याख्या करना
- सेवार्थी की कमजोरियां एवं क्षमताएँ

(iv) समस्या समाधान के लिए सेवार्थी के प्रयासः-

- सेवार्थी उसकी समस्या का समाधान स्वयं करे ऐसे प्रयास करना।
- अत्यन्त दुर से सहायता लेना।
- संगठनों एवं संस्थाओं से सहायता लेना।
- सहायता के प्रभाव।

- उन सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के प्रति सेवार्थी का मुल्यांकन करना।
- उन संस्थाओं में समय व्यतित करना।

(v) सेवार्थी की सामाजिक परिस्थिति

- पारिवारिक संरचना एवं वातावरण
- परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति
- सेवार्थी पर परिवार का प्रभाव
- आस-पास के क्षेत्र का प्रभाव
- विद्यालय एवं इसका सेवार्थी पर प्रभाव
- कार्यस्थल का प्रभाव एवं धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थाओं का प्रभाव

(v) सेवार्थी का वैयक्तिक इतिहास

- सेवार्थी की पूर्व एवं पश्चात् की स्थिति
- उसके शीघ्र विकास हेतु
- बाल्यावस्था
- विद्यालय के दौरान
- सामाजीकरण की प्रतिकृति
- वैवाहिक इतिहास
- व्यवसायिक इतिहास
- आदतें
- अन्य के साथ सम्बन्ध

(vi) सेवार्थी के व्यक्तित्व की जानकारी:-

- ज्ञान
- भावना
- इच्छाएं
- आचरण
- संवेदनशीलता
- कुशलता
- संचार प्रतिकृति
- सहयोग
- सहानुभूति
- सहिष्णुता
- जिम्मेदारी
- संवेगों को अभिव्यक्त करना
- कार्य के प्रति निष्ठा
- प्रेरणात्मक अवस्था
- अभिलाषा का स्तर
- व्यक्तित्व में कमी

II. मूल्यांकन

- शारिरीक परिप्रेक्ष्य में
- सामाजिक परिप्रेक्ष्य में
- मनावैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में

III हस्तक्षेप

- हस्तक्षेप का लक्ष्य
- हस्तक्षेप की योजना
- हस्तक्षेप का क्रियान्वयन

IV मूल्यांकन

- सेवार्थी की वृद्धि का मूल्यांकन
- वैयक्तिक कार्यकर्ता का मूल्यांकन
- प्रविधियाँ, तकनीकीयों एवं सेवाओं का मूल्यांकन

V. समाप्ति एवं अनुवर्तन

- समाप्ति की प्रकृति
- अनुवर्तन की आवृत्ति

समूह कार्यः- सामूहिक कार्य समाज कार्य की द्वितीय महत्त्वपूर्ण प्रणाली है इसमें कार्यकर्ता के द्वारा समूह में व्यक्ति की सहायता की जाती है। कार्यकर्ता कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाकलापों, व्यक्तियों की अन्तःत्रियाओं का मार्गदर्शन करता है ताकि वे दुसरों से सम्बन्ध स्थापित कर सके तथा व्यक्ति, समूह व समुदाय के विकास के उद्देश्य से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सवृद्धि के अवसरों का अनुभव कर सकें। समूह कार्य अभिलेखन में निम्न विषय वस्तु सम्मिलित होती है-

10.4.4 सामूहिक कार्य की रिकार्डिंग की विषय-वस्तु

---दिन

--दिनांक

--समय

---स्थान

--कालांश नं.

---उपस्थित सदस्यों की संख्या

--सत्र का उद्देश्य

--सत्र का विस्तृत रूप

- स्थान पर सदस्यों द्वारा गतिविधि निष्पादित करना
- विद्यार्थी द्वारा इनपुट देना

अवलोकनः

- सदस्यों की प्रतिक्रिया
- सदस्यों की भागीदारी का स्तर

(i) समूह के बारे में सूचना

- समूह का नाम
- मिटिंग का दिन एवं समय
- मिटिंग का स्थान
- संस्था का भौतिक वातावरण
- अवलोकन अगर कोई है

(ii) समूह निर्माण का वर्णन

- समूह का नियोजन
- समूह का उद्देश्य
- समूह की रचना करने की क्रिया
- सदस्यों का अभिनवीकरण

  समूह का प्रारम्भ
- परिचयात्मक प्रतिकृति स्वीकार करना
- लक्ष्यों का प्रतिपादन करना
- कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेरणात्मक बल उपयोग करना
- अवस्था के प्रारम्भ पर मुल्यांकन करना

(समुह का वातावरण जैसे- औपचारिक, अनौपचारिक, प्रतिस्पर्धात्मक, सहयोगात्मक, शत्रुतापूर्ण, प्रोत्साहनपुर्ण, स्वतन्त्रतापूर्ण या अन्य के रूप में होता है)

(iii) समूह प्रक्रिया में सदस्यों की सहभागिता

- सदस्यों का व्यवहार
- वार्तालाप प्रतिकृति
- भूमिका निर्वाहन
- भावनाओं का प्रगटन
- सदस्यों की सृजनात्मकता
- सकारात्मक/नकारात्मक प्रतिक्रिया

समूह के प्रति सदस्यों की मनोवृत्ति

- समुह सदस्यों की भागीदारी की आवृत्ति
- समुह सत्र में सभी स्तरों की सहभागिता

(अधिकांश सभी सदस्यों ने अन्य समुह सदस्यों से बातचीत की तथा सहभागिता दी)

- सदस्यों द्वारा गुणात्मक एवं संख्यात्मक टास्क को निर्वाह किया गया।

(iv) समुह की समस्याओं/समूह मुल्यांकन का वर्णन

- संघर्ष एवं लड़ाई(प्रकृति, प्रकार एवं कारण)
- निर्णय लेना (पर्याप्त या अपर्याप्त)
- समस्या में समुह की स्थिति

(v) समूह में गतिविधियाँ तथा कार्यक्रम

- चयनित कार्यक्रम एवं गतिविधियों की प्रकृति एवं प्रकार
- कार्यक्रम मीडिया एवं साधन

- कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के विकास में सदस्यों का योगदान
- योगदान की प्रकृति

(vi)समूह कार्यकर्ता की भूमिका एवं सम्बन्ध

- सदस्यों के साथ कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध
- कार्यकर्ता द्वारा सुविधाएँ, साधन तथा सेवाएँ प्रदान करना
- व्यवस्थाएँ बनाये रखना
- समस्या समाधान के लिए तकनीकि का उपयोग करना
- कार्यकर्ताओं का अन्तःक्रिया में निर्देशन तथा गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का विकास
- समूह प्रक्रिया में कार्यकर्ताओं की सहभागिता
- कार्यकर्ता द्वारा संसाधनों का उपयोग करना।
- सुझाव देना

(vii) समूह का मूल्यांकन

- समूह के पुरे भाग का मूल्यांकन
- समूह सदस्यों की भागीदारी का मूल्यांकन
- कार्यक्रम एवं गतिविधियों का मूल्यांकन
- कार्यकर्ता की भूमिका का मूल्यांकन

(viii) समूह की समाप्ति

- कार्यसूची

10.4.5 सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के रिकार्डिंग की विषय-वस्तु

सामुदायिक संगठन:- सामुदायिक संगठन समाज कार्य की प्राथमिक विधियोकं में से ही एक है जिसका क्षेत्र विस्तृत है। इस पद्धति में समाज कार्यकर्ता का अध्ययन क्षेत्र सम्पूर्ण समुदाय होता है व समाज कार्यकर्ता समुदाय में जाकर मसुदाय की समस्याओं का अध्ययन करता है। तत्पश्चात् समुदाय

में उपलब्ध संसाधनों को खोजता है। अतः समाज कार्यकर्ता समुदाय में उपलब्ध संसाधनों से समुदाय की समस्या समाधान करता है।

(i) समुदाय की पृष्ठभूमि की सूचना

- समुदाय का नाम एवं पता
- भौगोलिक अवस्थिति
- समुदाय का प्रकार
- समुदाय की कुल जनसंख्या (लगभग)
- घरों की संख्या
- समुदाय की मुख्य भाषा

(ii) समुदाय का इतिहास

- बस्ती
- स्थान परिवर्तित कर लेने वाले (जैसेः जनसंख्या में वृद्धि)
- संस्कृति, मूल्य एवं परम्परा

(iii) समुदाय का शैक्षणिक स्तर

- समुदाय के सदस्यों का शैक्षणिक स्तर
- महिला साक्षरता
- स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों का स्तर

(iv) रोजगार एवं आय का विवरण

- रोजगार का स्तर
- रोजगार के मुख्य प्रकार
- आय के मुख्य स्त्रोत
- रोजगार में महिलाओं की भागीदारी का प्रभाव

- समुदाय की औसतन मासिक आय
- बेरोजगारी का स्तर

(v) समुदाय में आवासीय स्थिति

- आवास के प्रकार: कच्चा/पक्का
- स्वामित्व का स्तर: स्वयं/ किराया
- घरों का आकार
- घरों एवं उनकी बस्तियों की व्यवस्था

(vi) समुदाय में उपलब्ध संसाधन एवं सेवाएँ

- क्लिनिक, हास्पिटल एवं दवाखाने आदि (उपलब्ध सुविधाएँ)
- शैक्षणिक संस्थाएँ (नाम, प्रकार एवं स्कुल की सम्पूर्ण प्रस्थिति)
- जल सुविधाएँ (नल, कुँए, हेण्डपम्प आदि)
- उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएँ जैसेः स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि
- स्वच्छता की स्थिति/स्तर
- पी.डी.एस. का स्तर - उपलब्धता, कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा भ्रष्टाचार का स्तर
- मनोरंजनात्मक सुविधाएँ
- समुदाय में कार्य करने वाली समाज कल्याण संस्थाओं की संख्या
- अन्य मुलभूत उपलब्ध सुविधाएँ

(vii) समुदाय द्वारा अभिमुख की गयी मुख्य समस्याएँ

- स्वास्थ्य, स्वच्छता
- गरीबी
- शिक्षा

- महिला हिंसा एवं जेण्डर भेदभाव
- अपराध एवं किशोर अपराध
- संसाधनों की कमी
- दलबंदी
- अन्य सामाजिक समस्याएँ जैसे- शराबखोरी, जुआखोरी, नशाखोरी, बाल-विवाह, कुप्रथाएँ इत्यादिं

(viii) समुदाय के बारे में मुल्यांकन

- विद्यार्थियों द्वारा महसुस की गयी समुदाय की वास्तविक समस्याएँ
- समस्या को प्राथमिकता देना

(ix) समुदाय के विकास के लिए हस्तक्षेप

- उद्देश्यों का प्रतिपादन
- समस्याओं एवं आवश्यकताओं की चेतना फैलाने को प्रारम्भ करना
- स्थानीय सहयोग एवं भागीदारी को बढ़ाना
- कार्यक्रम के नियोजन एवं एक्शन प्लान की तैयारी
- संसाधनों को संगठित करना
- एक्शन प्लान का क्रियान्वयन

(x) कार्यकर्ता द्वारा विधियों, सिद्धान्तों, क्षमताओं एवं तकनीकियों का प्रयोग करना

- सिद्धान्तों, विधियों, क्षमताओं इत्यादि का विवेकपूर्ण उपयोग करना।
- उनकी प्रभावपुर्णता

(xi) सामुदायिक संगठन प्रक्रिया का मूल्यांकन

- समुदाय विकास का मूल्यांकन

- विद्यार्थियों का मूल्यांकन

10.4.6 ध्यान देने योग्य बातें

(i) समाज कार्य विद्यार्थियों को क्षेत्रीय कार्य के दौरान अभिनवीकरण कार्यक्रम (Orientation Programme) की रिपोर्ट, अवलोकन वीजीट (Observation Visit), ग्रामीण/शहरी केम्प, स्टडी ट्यूर, ग्रीष्मकालीन स्थापन, क्षेत्रीय कार्य प्रदर्शन वीजीट, क्षमता विकास कार्यशाला (Skill Development Workship), प्रोत्साहन क्षेत्रीय निर्देशन कार्यक्रम तथा ब्लाक फील्ड वर्क की अलग से रिपोर्ट बनानी चाहिए।

(ii) रिपोर्ट की विषय सूची, कार्य की प्रक्रिया, क्षेत्र की सफलता एवं असफलता आदि को प्रदर्शित करने वाली होनी चाहिए।

(iii) क्षेत्रीय कार्य की रिपोर्ट स्वयं विद्यार्थी द्वारा बनानी चाहिए तथा सुपरवाइजर द्वारा रिपोर्ट को जमा करने के साथ हस्ताक्षर भी किये जाने चाहिए।

(iv) रिपोर्ट की विषय सुची, कार्य की प्रक्रिया, क्षेत्र की सफलता एवं असफलता आदि को प्रदर्शित करने वाली होनी चाहिए।

(v) क्षेत्रीय कार्य की रिपोर्ट स्वयं विद्यार्थी द्वारा बनानी चाहिए तथा सुपरवाइजर द्वारा रिपोर्ट को जमा करने के साथ हस्ताक्षर भी किये जाने चाहिए।

(vi) जो विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य कान्फ्रेंस में अनुपस्थित रहते है, कभी-कभी देरी से या रिपोर्ट नहीं जमा कराते हैं तो उनका रिकोर्ड सम्बन्धित विभागीय पर्यवेक्षक द्वारा रखा जाता है।

(vii) क्षेत्रीय कार्य की रिपोर्ट जमा नहीं कराने वाले विद्यार्थियों को क्षेत्रीय कार्य में अनुपस्थित की मान्यता दी जाती है।

(viii) कोई विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य की रिपोर्ट देरी से जमा कराता है तो उस शैक्षणिक संस्था का सुपरवाइजर विद्यार्थी द्वारा उचित कारण बताये जाने पर उसकी रिपोर्ट जमा कर सकता है।

(ix) विद्यार्थियों को क्षेत्रीय कार्य डायरी में फील्ड वर्क दिनांक, कार्य या गतिविधि को दिये गये घंटे, इत्यादि को लिखना चाहिए।

(x) यह फील्ड डायरी शैक्षणिक संस्था के सुपरवाइजर द्वारा नियमित रूप से जाच की जानी चाहिए तथा साथ ही डायरी में टिप्पणी भी की जानी चाहिए।

10.5 सारांश

समाज कार्य व्यवसाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए क्षेत्रीय कार्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य है। जिसमें विद्यार्थी सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ अभ्यास भी करते हैं। विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य के दौरान

अभिलेखन एवं रिकोर्डींग भी करते हैं। जो क्षेत्रीय कार्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अतः विद्याथ्रियों के लिए भी जरूरी है कि वह समय7समय पर प्रस्तुत अभिलेखों का विश्लेषण किया करे, तथा उनका सारांश प्रस्तुत करें इस विश्लेषण से विद्यार्थी बहुत कुछ सीख सकता है यह अक्सर उस समय किया जाता है जब विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य पूर्ण कर लेते हैं उसके पश्चात् अपने कार्य के आधार पर अभिलेखन कर अपने विभागीय सुपरवाइजर तथा संस्था के सुपरवाइजर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस अभिलेखन एवं रिकार्ड के द्वारा ही विद्यार्थी समाज कार्य के गुणों, क्षमताओं एवं मुल्यों को प्राप्त करता हैं

10.6 शब्दावली

- रिपोर्ट - प्रतिवेदन
- रिकार्ड - अभिलेखन, दस्तावेज
- उत्तरदायित्व - जिम्मेदारी

10.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. क्षेत्रीय कार्य में प्रतिवेदन के प्रकार कौन-कौनसे हैं, व्याख्या कीजिए।
2. क्षेत्रीय कार्य में कानकरेंट क्षेत्रीय कार्य के रिकोर्ड के प्रारूप को समझाइये।
3. वैयक्तिक कार्य में रिकोर्डिंग की विषय-वस्तु क्या-क्या है? विस्तृत में लिखिए।
4. समुदाय के पाश्र्वदृश्य एवं सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के रिकोर्डिंग की विषय वस्तु को विस्तृत में लिखिए।
5. समूह कार्य प्रक्रिया में रिकार्डिंग/अभिलेखन की विषय वस्तु को लिखिए।

10.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

- सिद्दकी एच.वाई. (1984) सोशल वर्क एण्ड सोशल एक्शन, हरनाम पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- बत्रा सुषमा, अग्निहोत्री नीरा (2009) नरचरिंग प्रेक्टिवम, काॅमन मेनिफेस्टो फार सेाशल वर्क प्रेक्टिस, डिपार्टमेन्ट ऑफ सोशल वर्क, युनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
- वर्मा आर.वी.एस., सिंह अतुल प्रताप (2013) स्टेण्डर्ड मेन्युअल फाॅर फिल्ड वर्क प्रेक्टिकल इन सोशल वर्क, उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, उदयपुर।
- वाजपेई, पी.के. फिल्ड वर्क मेन्युअल, उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, उदयपुर।
- सिंह सुरेन्द्र, मिश्र पी.डी. (1998), समाज कार्य इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियाँ, न्यू रायल बुक कं., लखनऊ।

इकाई - 11

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं समाज कार्य

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व: अवधारणात्मक व्याख्या

11.2.1 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियाँ

11.3 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी एवं समाज कार्य

11.4 क्षेत्रीय कार्य एवं निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

11.5 सारांश

11.6 शब्दावली

11.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

11.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

11.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के अर्थ एवं अवधारणा का ज्ञान प्राप्त करना।
- निगमित सामाजिक जिम्मेदारी की गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त करना।
- निगमित सामाजिक जिम्मेदारी एवं समाज कार्य के सम्बन्ध को जानना।
- निगमित सामाजिक जिम्मेदारी में क्षेत्रीय कार्य का ज्ञान प्राप्त करना।

11.1 प्रस्तावना

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी शब्द का प्रयोग सामान्यतः उद्योगों के लिए किया जाता है। उद्योग जो समाज से लाभ कमाते हें, उनका भी दायित्व है कि वे समाज के कल्याण का कार्य करें। वर्तमान में उद्योगों में समाज कल्याण का कार्य अब कानूनी रूप से कर रहे हैं। अतः कम्पनीज अधिनियम 2013 में संशोधन के पश्चात् प्रत्येक उद्योग जो प्रतिवर्ष 5 करोड़ या अधिक कमाते हैं तो उन्हें निगमित सामाजिक जिम्मेदारी निभानी होगी तथा उद्योगों में CSR कार्यों के निष्पादन के लिए समाज कार्य

अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैं समाज कार्य अपनी विभिन्न तकनीकों, विधियों तथा क्षमताओं के द्वारा CSR गतिविधियों को अपना सहयोग देकर समाज के विकास का कार्य कर रहा है।

11.2 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व: अवधारणात्मक व्याख्या

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व दो शब्दों से मिलकर बना है। निगमित $ सामाजिक उत्तरदायित्व। निगमित से आशय सम्पूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ समाज के प्रति जिम्मेदारी। अतः सम्पूर्ण औद्योगिक इकाईयाँ जो समाज में स्थापित है वह समाज के संसाधनों का प्रयोग करके लाभ अर्जित करती है तो उनकी समाज के प्रति भी सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

परिभाषा

एच.आर. बावन के अनुसार

1. उद्योग/ निगम द्वारा- समाज के लिए इच्छित मूल्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु नीतियों का क्रियान्वयन करना, निर्णय लेना तथ कार्यों का निष्पादन करने की बाध्यता निगम सामाजिक उत्तरदायित्व् कहलाती है।

2. लारेन्स ए. एप्पले ने सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व को व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक दोनों के जीवन के लिए आवश्यक उच्च प्रेरणा को कहा है।

3. इन्टरनेशनल सेमिनार आ ॅन सोशल रिस्पोन्सिबिलीटी आफ बिजनेस के अनुसार निवेश/ पूंजी पर पयाप्त एवं उचित लाभांश प्राप्ति के साथसाथ व्यापार/ उद्योग को न्यायायिक, मानवीय तथा गत्यात्मक एवं सक्षम भी होना चाहिए। आधुनिक समय में व्यापार को/ उद्योग की बहुपक्षीय जिम्मेदारियाँ- (1) स्वयं के प्रति, (2) उसके उपभोक्ताओं के प्रति, (3) कर्मचारियों के प्रति, (4) अंशधारकों के प्रति, (5) समुदाय के प्रति तथा राज्य/देश के प्रति होती है।

4. पीटर एफ ड्रकर के अनुसार सामाजिक जिम्मेदारी की नई अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि व्यापार समाज की समस्याओं, सामाजिक मुद्दों, सामाजिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों की जिम्मेदारी लें तथा यह समाज के हितों का रक्षक तथ्ज्ञा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने वाला होना चाहिए।

   समाज में विभिन्न औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित है। इन इकाईयों का कार्य लाभ अर्जित करना या उत्पादन में वृद्धि करना हैं इसके अतिरिक्त उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्तियों को मजदुरी देकर सन्तुष्ट रखना है। ये उद्योग केवल स्वयं के लाभ हेतु कार्य कर रहे हैं परन्तु इन उद्योगों से अन्य लोगों को हानि भी हो रही है। उद्योगों से विषैली गैसें तथा रासायनिक पदार्थों के निकलने से आस-पास के जनसमुदाय पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे- वायु प्रदुषण, भूमि प्रदुषण, जल प्रदुषण, वनों की कटाई इत्यादि इनसे उद्योग के आस-पास के लोगों को दुषित वायु से श्वास की बिमारियाँ, दुषित पानी से पीलिया, वनों की कटाई से भुस्खलन व बाढ़ में वृद्धि तथा भूमि में विशेले पदार्थों के जाने से बंजर भूमि, कृषि योग्य

भूमि की कमी होना इन सभी समस्याओं का कारण ये उद्योग-धन्धे हैं। अतः इन औद्योगिक इकाईयों की भी सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे आस-पास के समूदाय के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं।

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कुछ नियोक्ताओं ने मानवतावादी तथा धार्मिक भावना से प्रेरित होकर समाज के लोगों के लिए मन्दिर, धर्मशाला, अनाथालय इत्यादि का निर्माण किया। लेकिन धीरे-धीरे उद्योगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई परन्तु उद्योगों की समाज के प्रति कार्य करने की भावना बिल्कुल ही समाप्त हो गयी।

तत्पश्चात् निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए वर्ष 2009 में मिनिस्ट्री आफ कारपोरेट अफेयर्स ;डपदपेजतल व(Ministry of Corporate Affairs) ने स्वैच्छिक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का दिशा निर्देशन Corporate Social Responsibility Voluntary guideline) दिया। दिशा निर्देशन काॅरपोरेट सेक्टर के लिए मंत्रालय ने बनाया था परन्तु समस्या यह थी कि यह भी एक स्वैच्छिक दिशा-निर्देशन था कि कारपोरेट को स्वैच्छिक रूप से सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व का कार्य करना चाहिए। जिसके अन्तर्गत यह दिशा-निर्देशन रखा गया कि प्रत्येक उद्योग अपने आस-पास के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक कार्य करेंगे और मुख्य रूप से उद्योग के द्वारा उत्पन्न की गयी समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस निर्देष में कारपोरेट की स्वैच्छा से कार्य करने की भावना में वृद्धि के लिए इन क्षेत्रों को टैक्स में भी कुछ राशि की छुट मंत्रालय ने देने की बात कही।

कारपोरेट अफेयर मंत्रालय के निर्देशन के पश्चात् भारत में कुछ उद्योगों ने स्वेच्छा से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी को स्वीकार किया तथा कुछ उद्योगों भी अपने उद्योग में CSR विभाग की स्थापना की और इसके द्वारा उद्योग के आस-पास वृक्षारोपण, आसपास के समुदाय के लोगों के लिए स्वास्थ्य केम्प, पशु स्वास्थ्य केम्प, अस्पताल निर्माण, कृषकों को प्रशिक्षण, बेरोजगार युवा एवं महिलाओं की प्रशिक्षण, शिक्षा हेतु स्कूल, महाविद्यालय इत्यादि की स्थापना की है इसके अतिरिक्त कई उद्योग जैसे टाटा, इन्फोसिस, बिरला, रिलायंस, बजाज आटो, भारत पेट्रोलियम इत्यादि ने स्वैच्छा से मंत्रालय के दिशा-निर्देशन की पालना कीं परन्तु फिर भी भारत में कुछ ही उद्योगों ने निगमित सामाजिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया क्योंकि मंत्रालय द्वारा मात्र स्वैच्छिक दिशा-निर्देशन दिया गया ाि ा कि उद्योग निगमित सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं इसिलिए CSR की अवधारणा को सभी उद्योगों में स्वीकारा नहीं गया।

सरकार ने 2013 में पूर्ण रूप से सभी उद्योगों पर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदार सौंपने के उद्देश्य से कम्पनीज एक्ट में संशोधन किया तथा नया कम्पनीज एक्ट 2013 बनाया गया। इस अधिनियम में भारतीय काॅरपोरेट के दृश्य को परिवर्तित करने के लिए विभिन्न प्रावधान जोड़े गये तथा जिसमें एक प्रावधान कारपासेरेट को CSR गतिविधियों पर धन खर्च करने के सम्बन्ध में रखा गया। इस प्रावधान के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

धारा 135 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी जिसके पास रूपये 500 करोड़ या अधिक नेटवर्थ या रूपये 1000 करोड़ या अधिक टर्नओवर था रूपये 5 करोड़ या अधिक नेट प्रोफिट किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान होता है तो उन्हें निगमित सामाजिक जिम्मेदारी CSR कमिटी का गठन करना चाहिए। कमिटी में तीन या अधिक डायरेक्टर्स होंगे जिसमें से कम से कम एक डायरेक्टर आत्मनिर्भर होना चाहिए।

कमेटी निम्न कार्य करेगी-

- कमिटी द्वारा CSR नीति को क्रियान्वित करना होगा जो कि कम्पनी एक्ट की अनुसूची 7 में दी गयी है।
- समय-समय पर CSR नीति की निगरानी करनी होगी।
- CSR नीति के अनुसार उद्योग को पूर्ववतिय तीन वित्तीय वर्षों का औसतन नेट प्रोफिट का कम से कम 3 प्रतिशत भाग CSR गतिविधियों पर खर्च करना होगा।
- अगर कम्पनी उस पैसे को CSR गतिविधियों पर खर्च नहीं कर पाती है तो उसे उस पैसे के खर्च न कर पाने के कारणों को भी स्पष्ट करना होगा।
- कम्पनी अपने स्थानीय क्षेत्र को CSR गतिविधियों के लिए प्राथमिकता देगी एवं कम्पनी को अपनी कम्पनी की वेबसाइट पर CSR की गतिविधियाँ जो कि वर्ष भर में की गयी है इसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी।
- CSR की गतिविधियों में हपले उद्योग अपनी स्वेचछा से किसी भी गतिविधि पर कार्य कर सकते थे परन्तु 2013 में कम्पनीज एक्ट में हुए संशोधन में कम्पनियों को कुछ निश्चित गतिविधियाँ जो अधिनियम की सातवी अनुसूचित में दी गई है उन्हीं पर कार्य करने का अधिकार दिया है। ये गतिविधियाँ निम्नलिखित है-

1. भुख एवं गरीबी को मिटाना।
2. शिक्षा में प्रगति करना।
3. जेण्डर समानता तथा महिला सशक्तीकरण।
4. बाल मृत्यु दर में कमी एवं मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना।
5. मलेरिया, डेफिशियन्सी सिन्ड्रा ॅम तथा अन्य बिमारियों का निवारण
6. पर्यावरण सतत विकास को सुनिश्चित करना।
7. व्यावसायिक क्षमता बनाकर रोजगार में वृद्धि करना।

8. सामाजिक व्यवसायिक प्रोजेक्ट

9. राष्ट्रीय प्रधानमंत्री सुरक्षा फण्ड में अंशदान या सामाजिक, आर्थिक विकास एवं सुरक्षा के लिए केन्द्रीय या राजकीय सरकार द्वारा स्थापित फण्ड तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएँ, बच्चे एवं अल्पसंख्यक आदि के लिए फण्ड में योगदान।

10. पर्यावरण के लिए सद्भावना

11. अन्य कोई विषय जो दिये गये हो।

उपरोक्त गतिविधियों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है-

(1) अत्यधिक भूख एवं गरीबी को मिटानाः- इस प्रकार की गतिविधियों के अन्तर्गत कारपोरेट ;(CSR) आस'पास के समुदाय में गरीब परिवारों का अध्ययन कर उन्हें निःशुल्क वस्तुएँ, जैसेः आटा, चावल, दाल, शक्कर, कपड़े इत्यादि वितरीत करती है या गरीब परिवारों के व्यक्तियों को रोजगार उद्योग के अन्तर्गत दे दिया जाता है या गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री तथा स्कूल में पढ़ने वालों के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियाँ इत्यादि देते हैं। अतः ये विभिन्न गतिविधियाँ उद्योग द्वारा अपने नजदीक के क्षेत्र में की जाती है। जिसके आस-पास के समुदाय में उद्योग की अच्छी छवि बनती है।

(2) शिक्षा में प्रगति करनाः- उद्योग द्वारा अपने निकटतम समुदाय के लिए शिक्षा में प्रगति का कार्य करना चाहिए तथा कम्पनीज अधिनियम की 7वीं सूची में इस गतिविधि के लिए भी कार्य करने के लिए दिशा निर्देशन दिया है। शिक्षा में प्रगति के लिए कारपोरेट ने विभिन्न स्कूल, महाविद्यालयों की स्थापना की है तथा शिक्ष्ज्ञा के स्तर में सुधार के लिए तथा कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएँ आदि के भी आयोजन का कार्य कर रहा है। शिक्षा के नवीन कतनीकीयों को प्रयोग करने के लिए आस-पास के स्कूलों में तकनीकी सुविधा उपलब्ध करना, गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना, महिलाओं की शिक्षा के लिए भी केम्प लगाकर प्रशिक्षण देना इत्यादि कार्य कारपोरेट कर रहा है तथा जो उद्योग प्रतिवर्ष 5 करोड़ या अधिक का नेट प्रोफिट कमाते हैं उन्हें इन गतिवधियों को निश्चित रूप से करना होगा।

(3) जेण्डर समानता तथा महिला सशक्तिकरणः- कारपोरेट द्वारा जेण्डर समानता एवं महिला सशक्तिकरण के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं जैसे समुदाय के लोगों को जेण्डर समानता की अवधारणा समझाना एवं जागरूक करना, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम जेण्डर संवेदनशीलता विष्ज्ञय पर करना, गाँव की महिलाओं के सशकितकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम करना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम करना, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर एकत्रित

पैसे से विभिनन तरह की बचत करना सीखाना, महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबुत करने के लिए उन्हें रोजगार का प्रशिक्षण देना, सामाजिक स्तर पर कुछ कार्य6मों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना, सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में महिलाओं को जागरूक कर सशक्त बनाना इत्यादि कार्य महिला सशक्तिकरण के लिए भी करना।

(4) बाल मृत्यु दर में कमी एवं मातृ स्वास्थ्य में सुधार करनाः- कारपोरेट सेक्टर को बाल मृत्यु दर को रोकने एवं मातृ स्वास्थ्य में सुधार की गतिविधि भी करनी चाहिए जिसके अन्तर्गत समूदाय में बआल मृत्यु दर के अनुपात का अध्ययन करना तथा अगर यह गम्भीर समस्या है तो इसके निदान के लिए समूदाय में महिलाओं एवं परिवारों को बाल मृत्यु दर के कारण बताना तथा महिलाओं को गर्भवती होने के दौरान आहार एवं पोषण हेतु फल एवं दवाईयाँ उपलब्ध कराना। सामान्यतः सरकारी योजना जैसे एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण को सूरक्षित रखने के लिए पोषाहार एवं टिकाकरण किया जाता हैं इस प्रकार की योजना में कुछ राशि अनुदान देकर भी कारपोरेट अपना लक्ष्य पुरा कर रहा है।

(5) मलेरिया, डेफिसियन्सी सिन्ड्राम तथा अन्य बिमारियों की रोकथामः- विभिन्न गम्भीर बिमारियाँ जो कारपोरेट के आस-पास के समुदाय को प्रभावित कर रही है। इनके निराकरण के लिए गाँव में स्वास्थ्य केम्प लगाना जिसमें विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा बिमारियों की निःशुल्क जाँच करना एवं निःशुल्क दवाईयाँ उपलब्ध कराना। गम्भीर बिमारियों का निराकरण न होने पर कुछ परिस्थितियों में आपरेशन के लए कुछ प्रतिशत राशि देना इत्यादि। कुछ उद्योगों ने अपने आस-पास के समुदाय के लोगों के लिए अस्पतान का निर्माण भी कराया है जिसमें निःशुल्क जाँच व दवाईयाँ उपलब्ध करायी जाती है।

(6) पर्यावरण सतत विकास को सुनिश्चित करनाः- उद्योगों ने पर्यावरण को सबसे अधिक दुषित किया है इसलिए उद्योगों की सामाजिक जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण में सुधार करे व बनाये रखे तथा संसाधनों का दुरूपयोग न करे। विभिन्न उ़ोगों ने इस क्षेत्र में पहल की है जैसे टाटा, रिलायंस, बिरला, हिन्दुस्तान जिंक इत्यादि ने सम्पूर्ण उद्योगों के आस-पास वृक्षारोपण किया है तथा अन्य उद्योग जो इस प्रकार के कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें भी जब पर्यावरण सुधार का कार्य करना होगा।

(7) व्यवसायिक क्षमता प्रदान कर रोजगार में वृद्धि करनाः- कारपोरेट का कार्य रोजगार में वृद्धि करना तथा आस-पास के समुदाय में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसे मेबाइल रिपेयरिंग कम्प्यूटर सोफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रशिक्षण, मोटर वाइंडिंग इत्यादि देना तथा उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार भी उपलब्ध करवाना है।

(8) सामाजिक व्यवसायिक प्रोजेक्टः- उद्योग कुछ सामाजिक व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर सकता है जो उनके समूदाय के लिए उपयोगी हो तथा कुछ सामाजिक प्रोजेक्ट अन्य संस्थाओं को भी अपने समुदाय में कार्य करने के लिए दिये जा सकते हैं।

(9) राष्ट्रीय प्रधानमन्त्री सुरक्षा फण्ड तथा अन्य केन्द्रीय या राजकीय सरकार के फण्ड में राशि देनाः- सरकार ने भी जनता के कल्याण के कार्य करने के कलिए विभिन्न फण्ड स्थापित किये हैं जिनके माध्यम से ही विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। अतः काॅरपोरेट चाहे तो अपने धन को इन विभिन्न सरकारी फण्ड में अनुदान देकर भी सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व का कार्य कर सकती है।

(10) पर्यावरण के लिए सद्भावनाः- कारपोरेट सेक्टर के लिए पर्यावरण के प्रति सद्भावना अत्यधिक गम्भीर विषय है क्योंकि सर्वाधिक पर्यावरण प्रदुषण का कार्य इसी के द्वारा किया जा रहा है। अतः कारपोरेट को पर्यावरण सद्भावना के लिए कार्य करना चाहिए जैसे समूदाय में वृक्षारोपण का महत्त्व बताकर, स्कूल में वृक्षारोपण के प्रति बच्चों को जागरूक कर, रोड़ के आस-पास तथा उद्योग के नजदीक के क्षेत्र में वृक्षारोपण कर इत्यादि गतिविधियाँ की जानी चाहिए।

11.3 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी एवं समाज कार्य

उद्योगों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी बहुत ही महत्त्वपुर्ण है तथा निगमित सामाजिक जिम्मेदारी को उद्योगों ने प्रारम्भ में समाज सेवा या धार्मिक भावना से प्रेरित होकर स्वीकार किया अर्थात् कुछ उद्योगपतियों ने मानव के प्रति प्रेम या मानवता की भावना रखते हुए अपने उद्योग के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर पीडितों को धन, वस्तुएँ आदि दान देकर यह कार्य किया जिसे कुछ समयावधि के पश्चात् सरकार ने अनिवार्यतः करने के लिए कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिये।

समाज कार्य का प्रारम्भ भी लगभग ऐसी ही अवधारणा से हुआ। समाज में समाज सेवा तथा मानव कल्याण का कार्य करने वाले कुछ लोगों ने स्वेच्छा से दान देना, धर्मशाला, अनाथालय बनाना प्रारम्भ किया एवं दुःखी, पीडित व्यक्तियों को प्रत्येक प्रकार का लाभ दिलाने का कार्य किया और धीरे-धीरे इस कार्य को करने के लिए संगठनों का निर्माण हुआ तथा सरकार ने भी संगठनों को औपचारिक रूप देने के लिए कानूनी रूप से पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया तथा धीरे-धीरे ऐसे व्यवसायिक संगठनों का निर्माण हुआ जिसमें कार्य करने के लिए व्यवसायिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता हुई। इस उद्देश्य के लिए देश में समाज कार्य के व्यवसायिक शिखण-संस्थाएँ स्थापित हुई इन संस्थाओं ने व्यवसायिक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जन्म दिया जो समाज कार्य के व्यवसायिक संगठनों में कार्य करने लगे इस प्रकार निगमित सामाजिक जिम्मेदारी एवं समाज कार्य का इतिहास एक समान है तथा धीरे-धीरे दोनों ही क्षेत्रों के उद्देश्यों में भी समानता हो गयी है।

उद्योगों में निगमित सामाजिक जिम्मेदारी का कार्य भी अब समाज कार्य तथा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा ही सम्भव है। क्योंकि कम्पनीज अधिनियम 2013 ने प्रत्येक उद्योग को CSR की गतिविधियों (अनुसूचि VII) को करने का जिम्मा सौंपा है और इन गतिविधियों के सभी क्षेत्र समाज कार्य के क्षेत्र के समान ही है। अतः उद्योगों को भी समाज कार्य की आवश्यकता है।

वर्तमान में विभिन्न उद्योगों ने अपने CSR के कार्यों के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को भर्ती किया है क्योंकि समाज कार्य के क्षेत्र में ये कार्यकर्ता पुर्ण रूप से प्रशिक्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उद्योग जो CSR का कार्य स्वयं नहीं करना चाहते हैं तो वे अपने क्षेत्र के नजदीकी या किसी विशेष गतिविधि पर कार्य करने वाले एन.जी.ओ. को भी अपना कार्य सौंप देते हैं क्योंकि एन.जी.ओ. में भी व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता कार्य करते हैं जो बखुबी से अपना कार्य करते हैं।

अतः समाज कार्य के क्षेत्र में CSR ने और भी वृद्धि की है तथा CSR की प्रत्येक विधि में समाज कार्य की आवश्यकता है। समाज काय्र विधियों एवं तकनीकियों के माध्यम से ही समुदाय के लोगों की समस्याओं का निदान अच्छी तरह किया जा सकता है।

11.4 क्षेत्रीय कार्य एवं निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

समाज कार्य के शिक्षण-संस्थाओं में क्षेत्रीय काय्र बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। मुख्य रूप से ये संस्थाएँ विद्यार्थियों को सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान करती है ये संस्थाएँ विद्यार्थियों को समाज कार्य की विधियाँ, तकनीक, कौशल आदि की जानकारी देती है जिन्हें विद्यार्थी क्षेत्र में जाकर व्यवहारिक रूप से अभ्यास करते हैं। समाज कार्य संस्थाएँ क्षेत्रीय काय्र के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न अभिकरणों जैसे- एन.जी.ओ., स्कूल, अनाथालय, पुलिस थाना, महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र, परामर्श केन्द्र, अस्पताल, जेल आदि में भेजती है जहाँ विद्यार्थी अपने समाज कार्य का अभ्यास करते हैं।

वर्तमान में समाज कार्य संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए एक नये क्षेत्र का निर्माण हुआ है जिगमित सामाजिक जिम्मेदारी। अब विद्यार्थी उद्योगों के CSR विभाग में भी क्षेत्रीय कार्य अभ्यास करने लगे हैं या कर सकते हैं।

समाज कार्य विद्यार्थी CSR में क्षेत्रीय अभ्यास निम्न रूप से कर सकते हैं:-

1. सर्वप्रथम समाज कार्य विद्यार्थी (प्रशिक्षक) उद्योग के निगमित सामाजिक जिम्मेदारी ;(CSR) विभाग की प्रशासनिक संरचना, बोर्ड तथा कमिटियों एवं इनके कार्यों का अध्ययन कर सकते हैं।

2. CSR विभाग में उपलब्ध विभाग के ब्रोसर, पेम्पलेट या बुकलेट, वार्षिक रिपोर्ट आदि से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

3. CSR की विभिन्न गतिविधियाँ उद्योग द्वारा संचालित की जाती है। प्रशिक्षु CSR की विभिन्न गतिविधियाँ तथा किन-किन क्षेत्रों में गतिविधियाँ संचालित की जा र ही है इनकी विस्तृत जानकारी CSR विभाग के हैड से प्राप्त कर सकते हैं।

CSR विभाग द्वारा निम्न गतिविधियाँ विभिन्न क्षेत्रों में संचालित की जा रही है जैसेः-

1. शिक्षा

2. स्वास्थ्य

3. रोजगार एवं आर्थिक संवर्धन

4. महिला सशकितमकरण

5. पर्यावरण जागरूकता

उपर्युक्त गतिविधियों में समाज कार्य विद्यार्थी निम्न प्रकार से समाज कार्य तकनीक एवं विधियों का प्रयोग कर समाज कार्य कर सकते हैं:-

1. शिक्षाः- उद्योग द्वारा शिक्षा में वृद्धि तथा प्रगति के लिए एक स्कूल चलाया जा रहा है जिसके द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। समाज कार्य विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान CSR विभाग के शिक्षा सम्बन्धी कार्य में जुड़ सकते हैं। प्रशिक्षु स्कूल में मुख्य रूप से पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थी का पता करे तत्पश्चात् समाज कार्य की वैयक्तिक सेवा कार्य पद्धति के द्वारा बच्चे का परामर्श कर पढ़ाई में कमजोरी का कारण पता करे तथा उसे सलाह एवं प्रेरणा देकर उसके आत्मविश्वास में वृद्धि करे। कुछ बच्चे पारिवारिक तनाव या अन्य समस्या के कारण या अलगाव की समस्या के कारण भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे बच्चों के साथ समाज कार्य की सामुहिक सेवा पद्धति का प्रयोग कर उनकी अलगाव की समस्या हल कर उसमें आत्मविश्वास जाग्रत किया जा सकता है। अतः बच्चों की विभिन्न समस्या का समाधान कर उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ने का कार्य समाज कार्य विद्याथी्र कर सकते हैं।

2. स्वास्थ्यः- स्वास्थ्य के लिए CSR विभाग गाँव में केम्प लगाकर अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की जनचेतना का कार्य कर रहा है।

   समाज कार्य विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य में स्वास्थ्य केम्प में जुड़ सकते हैं। प्रशिक्षु केम्प में सामुदायिक संगठन जो समाज काय्र की विधि है इसका उपयोग कर गाँव के लोगों को बताए कि गाँव में अच्छे स्वास्थ्ू को बनाये रखने के बहुत से साधन हैं जैसे जड़ी बुटियाँ, ताजा फल, दुध इत्यादि का प्रयोग ग्रामीण अपने बिमारियों के दौरान कर सकते हैं। प्रशिक्षु केम्प के दौरान ग्रामीणों को अच्छे स्वास्थ्य के लाभ तथा स्वास्थ्य को बनाये रखने के तरीके आदि भी बता सकते हैं।

3. रोजगार एवं आर्थिक संवर्धनः- आर्थिक संवर्धन के लिए CSR विभाग ने गाँव में संचालित सरकारी आर्थिक संवर्धन योजना में कुल फण्ड दिया है ताकि लोगों को

सरकारी लाभ के अतिरिक्त लाभ भी मिल सके साथ ही ग्रामीणों को उनके लिए संचालित योजनाओं की जानकारी भी CSR विभाग द्वारा दी जा रही है।

समाज कार्य विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्य में इस गतिविधि में भी सहयोग दे सकते हैं। विद्यार्थी समाज कार्य की समाज कल्याण प्रशासन विधि का उपयोग कर गाँव में लोगों को जानकारी दे कि प्रशासन ने उनके आर्थिक संवर्धन के लिए कौन-कौनसी योजनाएँ संचालित कर रखी है तथा उनका लाभ कैसे ले सकते हैं उसकी प्रक्रिया की जानकारी भी दे। ताकि लोग स्वयं इन योजना से लाभ लेकर आत्म निर्भर बन सकते हैं।

4. महिला सशक्तिकरणः- गाँव में महिलाओं के सशकितकरण के लिए CSR विभाग कार्य करना चाहता है परन्तु गाँव की महिलाओं के सशक्त न होने के कारणों के लिए विभाग शोध कार्य करके उनके लिए कार्यक्रम बनाएगा।

   समाज कार्य विद्यार्थी महिलाओं के सशक्त न होने के कारणों को जानने के लिए समाज कार्य की शोध विधि का उपयोग कर सकता है। गाँव में शोध अध्ययन कर महिलाओं से उनके सशक्तिकरण में बाधक तत्वों को जान सकता है तथा इस संबंध में समुचित रिपोर्ट बनाकर CSR विभाग को प्रस्तुत कर सकता है।

5. पर्यावरण जागरूकताः- CSR विभाग पर्यावरण के प्रति सद्भावना तथा जागरूकता के लिए बड़े स्तर पर जनता को इस विषय के संबंध में जागरूक करना चाहता है। इस हेतु समाज कार्य विद्यार्थी समाज कार्य की सामाजिक क्रियाविधि का उपयोग कर सम्पूर्ण समुदाय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दे की पैरवी करे तथा एक आन्दोलन कर सम्पूर्ण देश में वृक्षारोपण करने का संदेश दे सकता है।

इस प्रकार समाज कार्य विद्यार्थी उद्योग या CSR विभाग की विभिन्न गतिविधियों में समाज कार्य विधियों का प्रयोग कर समाज सेवा कर सकता है। उद्योग को सहयोग दे सकता है तथा एक प्रशिक्षु के रूप में विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

11.5 सारांश

कम्पनी अधिनियम 2013 लागु होने के बाद भारत में सामाजिक निगमित उत्तरउायित्व की अवधारण्णा ने आमुलचुल परिवर्तन आया है। पहले यह स्वेच्छा पर आधारित था किन्तु अब यह वैद्यानिक कर दिया गया है। इस अधिनियम के लागु होने के बाद निश्चय ही सामाजिक विकास की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होंगे। समाज कार्य शिक्षण का भी उद्देश्य समाज को आत्मनिर्भर बना समाज विकास करना है। इस तरह निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा समाज कार्य व्यवसाय के उद्देश्यों में समानता है। समाज कार्य शिक्षण की विभिन्न पद्धतियाँ जैसे वैयक्तिक समाज कार्य, समूह कार्य, सामुदायिक संगठन आदि के प्रयोग से सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। समाज कार्य शिक्षण के प्रशिक्षु विद्यार्थी अपने क्षेत्रीय कार्य के दौरान इन प्रक्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं।

11.6 शब्दावली

- निगमित उत्तरदायित्व : उद्योग की व्यवसाय की जिम्मेदारी

11.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणात्मक व्याख्या कीजिए।
2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता एवं महत्त्व लिखिए।
3. कम्पनीज एक्ट 2013 में व्यवसाय के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से सम्बन्धित प्रावधानों को लिखिए।
4. सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व तथा समाज कार्य में संबंध लिखिए।
5. सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व में क्षेत्रीय कार्य अभ्यास पर निबन्ध लिखिए।

11.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. नायर एण्ड सेठी (2012), सीएसआर प्रेक्टीस बाई एस.एम. ईज इन इण्ड़िया: लेसन फ्राम फाइव केस स्टडीज, द इण्डियन जर्नल आ इण्डस्ट्रीयल रिलेशन्स, वोल्युम 47, नई दिल्ली।
2. नायक एण्ड कोडान्डारामा (2014), कारपोरेट सोशल रिस्पोन्सबिलिटी: डेवलपमेन्ट परस्पेक्टीव, पर्सनल टूडे वोल्यूम 35, कोलकाता।
3. अब्दूल फारूक (1983) मेनेजरियल रिस्पांस टू सोशल रिस्पोन्सिबिलीटी चेलेन्ज, इण्डियन मेनेजमेन्ट वाल्यूम 20।
4. सी. गोपाल कृष्ण (1992) कारपोरेट सोशल रिस्पोन्सीबल इन इण्डिया, मित्तल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

इकाई - 12

समाज कार्य अभ्यास में सीखने योग्य निपुणताएँ

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 समाज कार्य के क्षेत्र

12.3 समाज कार्य की प्रणालियाँ एवं निपुणताएँ

12.3.1 वैयक्तिक सेवाकार्य

12.3.2 सामाजिक सामूहिक कार्य

12.3.3 सामूदायिक संगठन

12.3.4 समाज कल्याण प्रशासन

12.3.5 समाज कार्य शोध

12.3.6 सामाजिक क्रिया

12.4 सारांश

12.5 शब्दावली

12.6 अभ्यासार्थ प्रश्न

12.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

12.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- समाज कार्य में आवश्यक प्रणालियों के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे।
- समाज कार्यकर्ता की विभिन्न प्रविधियों में प्रयुक्त निपुणताओं के सम्बंध में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे।

12.1 प्रस्तावना

समाज कार्य आत्म सहायता करने के लिए लोगों की सहायता करने के वैज्ञानिक रूप के प्रयोग द्वारा व्यक्ति, समूह तथा समुदाय की आवश्यकताओं को प्रभावित करने हेतु विभिन्न संसाधनों को जुटाता है। समाज कार्य में समस्याग्रस्त व्यक्तियों की इस तरह सहायता की जाती है कि वे आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है तथा व्यवसाय में वैज्ञानिक तरीके एवं प्रविधियों के द्वारा लोगों की सहायता की जाती है। इन प्रणालियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है-

1. प्राथमिक प्रणालियाँ:- जिनके अन्तर्गत वैयक्तिक समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य तथा सामुदायिक संगठन को सम्मिलित किया गया है, तथा

2. द्वितीयक अथवा सहायक प्रणालियों जिनके अन्तर्गत समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक क्रिया और समाज कार्य शोध को रखा गया है,

उपरोक्त प्रणालियों द्वारा समाज कार्यकर्ता लोगों की सहायता करता है परन्तु प्रत्येक प्रणाली के लिए आवश्यक एवं विशेष निपुणताओं की आवश्यकता होती है जिनके अभाव में समाजकार्य करना असंभव है। क्षेत्रीय कार्य अछयास के दौरान समाज कार्य प्रशिक्षु से आशा की जाती है कि वह इन प्रणालियों को समझे तथा आवश्यक निपुणताओं को सीखे।

समाज कार्य मानव सेवा तथा कल्याण से सम्बंधित है। मानव कल्याण से संबंधित व्यवसाय केवल समाज कार्य ही नई है बल्कि कई व्यवसाय मानव सेवा का कार्य करते है, लेकिन समाज कार्य की अपने विशिष्ट प्रणालियाँ विधियाँ व प्रविधियाँ है जिसका उपयोग समाज कार्य के दौरान किया जाता है। इन प्रणालियों व प्रविधियों तथा विधियों के बारे में सम्पूर्ण ज्ञान तथा इनके व्यावहारिक क्षेत्र में प्रयोग करने की कला व कौशल एक विशेष प्रशिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। समाज कार्य प्रशिक्षु कार्यक्रम की निपुणता द्वारा ही समस्याग्रस्त व्यक्तियों के साथ उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता है तथा उनकी समस्याओं का निदान करता है।

सामाजिक समाज कार्य विभिन्न सामाजिक स्थितियों के विश्लेषण में निपुण होता है। कार्यकर्ता में व्यक्तियों एवं समूहों की भावनाओं एवं समस्या को समझने तथा उनसे निपटने की क्षमता पायी जाती हैं वह सेवार्थी को आत्मनिर्भर बनाने में निपुण होता है। वह समुदाय तथा संस्था के स्त्रोतों एवं साधनों को समयानुसार उपयोग में लाता है। उसमें सबसे बड़ी निपुणता सम्बन्धों के रचनात्मक उपयोग की होती है। अतः समाज कार्य में लोगों की सहायता एवं समस्या समाधान कुछ निश्चित निपुणताओं के द्वारा किया जाता है एवं समस्या समाधान के लिए भी तकनीकें या प्रणालियाँ निर्धारित की गयी है जिनका प्रयोग समस्या समाधान में समस्या की प्रकृति को देखते हुए किया जाता है।

12.2 समाज कार्य के क्षेत्र

सामान्यतया समाज कार्य के 4 प्रकार के कार्य हैं: (1) उपचारात्मक, (2) सुधारात्मक, (3) निरोधात्मक तथा (4) विकासात्मक।

1. उपचारात्मक कार्य- इन कार्यो के अन्तर्गत समस्या की प्रकृति के अनुसार चिकित्सकीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, मनोचिकित्सकीय एवं मानसिक आरोग्य से सम्बन्धित सेवाओं, अपंग एवं निरोग व्यक्तियों के लिए सेवाओं तथा पुनस्थापन सम्बन्धी सेवाओं को सम्मिलित किया जा सकता है।

2. सुधारात्मक कार्य- इन कार्यों के अन्तर्गत व्यक्ति सुधार सेवाओं, सम्बन्ध सुधार सेवाओं तथ्ज्ञा समाज सुधार सेवाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। व्यक्ति सुधार सेवाओं में कारागार सुधार सेवाओं, प्रोबेशन, पेरोल तथा कानूनी सेवा सम्बन्धी सेवाओं का उल्लेख किया जा सकता है। सम्बन्ध सुधार सेवाओं के रूप में परिवार कल्याण सेवाओं, विद्यालय समाज कार्य एवं औद्योगिक समाज कार्य का निरूपण किया जा सकता है। समाज सुधार सेवाओं के रूप में रोजगार सम्बन्धी सेवाओं, वेशवृत्ति निवारण कार्यों, भिक्षावृत्ति निवारण कार्यों, दहेज उन्मूलन सम्बन्धी कार्यों तथा एकीकरण को प्रोत्साहित करने से सम्बन्धित सेवाओं का उल्लेख किया जा सकता है।

3. निरोधात्मक कार्य- इन कार्यों के अन्तर्गत सामाजिक नीतियों, सामाजिक परिनियमों, जनचेतना उत्पन्न करने से सम्बन्धित प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रमों, विभिनन प्रकार के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा नाना प्रकार की समाज सुरक्षा सेवाओं का उल्लेख किया जा सकता है।

4. विकासात्मक कार्य- इनके अन्तर्गत आर्थिक विकास के विविध प्रकार के कार्यक्रमों यथा उत्पादकता की दर में वृद्धि करने, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आयको बढ़ाने, आर्थिक लाभों का साम्यपूर्ण वितरण करने, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने, इत्यादि तथा सामाजिक विकास के अनेक कार्यक्रमों उदाहरणार्थ पेयजल, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्ष एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सेवाओं, सेवायोजन सम्बन्धी सेवाओं, मनोरंजन सम्बन्धी सेवाओं इत्यादि का वर्णन किया जा सकता है।

12.3 समाज कार्य की प्रणालियाँ एवं निपुणताएँ

समाज कार्य विभिन्न समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करता है ये समस्याएँ विभिन्न स्तरों पर व्याप्त होती है जैसे व्यक्तिगत, सामूहिक तथासामुदायिक तीनों स्तरों पर समस्याएँ देखी जा सकती हैं समाज कार्य मानव कल्याण व सामाजिक हित की दृष्टि से उक्त तीनों स्तरों की मनो सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करने की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यकित की समस्या को व्यक्तिगत स्तर पर तथा समूह की समस्या का निदान सामूहिक स्तर पर एवं समुदाय की समस्या का समाधान सामुदायिक स्तर पर किया जाता है। अपने क्षेत्रीय कार्य के दौरान समाज कार्य प्रशिक्षु इसे सीखता है।

फ्रीडलैण्डर ने व्यक्तियों की समस्या समाधान के लिए समाज कार्य में छः प्रणालियाँ बायी है जिसमें प्रथम तीन प्रणालियाँ प्रमुख है तथा तथा अन्य तीन प्रणालियाँ सहायक प्रणालियों के रूप में स्वीकार की गई है जो निम्नलिखित है-

1. सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य (Social Case Work)
2. सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य (Social Group Work)
3. सामुदायिक संगठन(Community Organization)
4. समाज कल्याण प्रशासन (Social Welfare Administration)
5. समाज कार्य शोध (Social Welfare Administration)
6. सामाजिक क्रिया (Social Action)

उपरोक्त विधियों एवं इन विधियों के लिए प्रयोग की जाने वाली निपुणताओं का विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

12.3.1 वैयक्तिक सेवाकार्य

वैयक्तिक सेवा कार्य प्रविधि में समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता की जाती है। समस्याग्रस्त व्यक्ति को सेवार्थी कहा जाता है। सेवार्थी सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक किसी भी समस्या से ग्रसित हो सकता है। वह अपनी समस्या लेकर सामाजिक संस्था में आता है। संस्था में वैयक्तिक सेवा कार्य में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उस सेवार्थी की समस्या का अध्ययन करता है। तत्पश्चात् सेवार्थी और कार्यकर्ता के मध्य वैयक्तिक सेवा की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्या को जानने के पश्चात् विविध तकनीकियों, मंत्रणा, चिकित्सकीय साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक आलम्बन, स्पष्टीकरण, अन्रतदृष्टि का विकास, निव्रचन सुझाव, पुर्नश्वासन, अनुनय, प1नर्शिक्षा तथा सामुहिक चिकित्सा इत्यादि का प्रयोग कर सेवार्थी की समस्या का समाधान करना है और सेवार्थी को आत्मनिर्भर भी बनाता है ताकि पुनः अलग इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो वह स्वयं समस्या का समाधान कर सके। अतः इस सम्पुर्ण समस्या समाधान की प्रक्रिया को वैयक्तिक सेवा कार्य प्रविधि कहा जाता है।

वैयक्तिक सेवा कार्य में सीखने योग्य निपुणताएँ-

क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान वैयक्तिक सेवाकार्य में समाज कार्य प्रशिक्षु को निम्न निपुणताएँ सीखनी होती है, ये निपुणताएँ निम्नलिखित है-

1. सेवार्थी के हस्तक्षेप के सभी स्तरों में सम्मिलित होने की निपुणता।
2. सेवार्थी को विभिन्न सेवाएँ भौतिक संसाधनों को उपलब्ध कराना, निगरानी एवं मुल्यांकन करने में निपुणता।

3. अपूर्ण सेवाओं को कम करने में निपुणता।

4. सेवार्थी के साथ कार्य करने वाले तन्त्र में वृद्धि तथा सहयोग करने में निपुणता।

5. सेवाओं की प्रभावपुर्णता की जाँच करने में निपुणता।

6. सेवाओं जो निरन्तर सेवार्थी को मिले इसकी निगरानी में निपुणता।

7. सेवार्थी की क्षमताओं में वृद्धि तथा समस्या समाधान तथा विकास में वृद्धि करने में निपुणर्ता

8. सामाजिक नीति के विकास में सहयोग देने में निपुणता।

9. अंतिम तिथि तक सभी लिखित कार्य तथा रिपोर्ट आदि को तैयार करने में निपुणता।

10. उपचारक समूह के एक भाग के रूप में कार्य करने में निपुणता।

11. उद्देश्यपूर्ण संबंध स्थापित करने में निपुणता।

12. साक्षात्कार लेने की निपुणता।

13. सेवार्थी के संवेगों और तनावों को दूर करने की निपुणता।

14. सेवार्थी के परिवार के सदस्यों से निकट संबंध स्थापित करने में निपुणता।

15. समस्या के विश्लेषण एवं मुल्यांकन करने में निपुणता।

12.3.2 सामाजिक सामूहिक कार्य

सामाजिक सामूहिक कार्य में कार्यकताृ समस्याग्रस्त समूह की समस्या समाधान करता है इसके लिए वह सर्वप्रथम समूह के सदस्यों से संबंधित तथ्यों की खोज करता है। तथ्यों की खोज करने के लिए कार्यकर्ता विभिन्न साधनों जैसे अवलोकन, समूह के सदस्यों को सुनने, सदस्यों के परिवार से बातचीत कर, होम विजिट्स इत्यादि का उपयोग कर उनकी आवश्यकता जानता है। सदस्यों की आवश्यकताओं में प्राथमिकता निर्धारित करता है तथा उन साधनों का पता लगाता है जो संस्था में उपलब्ध हों। सेवार्थी की समस्या का समाधान चेतन या अचेतन किसी भी प्रकार से अगर करना है तो समस्या का उचित निदान किया जाना हर प्रकार से आवश्यक है। निदान के अन्तर्गत कार्यकर्ता समूह की समस्या के कारणों को जानता है तथा समस्या समाधान के लिए किन-किन साधनों का प्रयोग किया जाएगा इनका भी अध्ययन किया जाता है। निदान की प्रक्रिया निरन्तर चलती है यह पहले स्तर से प्रारम्भ होकर समस्या के समाधान तक चलती है। निदान के द्वारा यह तय कर लिया जाता है कि समूह किस प्रकार की समस्या की अपेक्षा करता है। तत्पश्चात् विभिन्न सिद्धान्तों एवं प्रविधियों जैसे परानुभूति, आत्म प्रकटन, अन्वेषण, आलम्बन, भूमिका निष्पादन, स्पष्टीकरण,

ज्ञानात्मक पुनर्संरचना तथा आदर्श प्रदर्शन ;डवकमसपदहद्ध इत्यादि का उपयोग कर उपचार किया जाता है।

क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य में सीखने योग्य निपुणताएँ:- सामान्यतः निपुणता से आशय कार्य करने की क्षमता से है। प्रत्येक कार्यकर्ता को संख्या के एक भाग के रूप में कार्य करने की निपुणता होनी चाहिए। ट्रेकर ने सामूहिक सेवा कार्यकर्ता की निम्नलिखित निपुणताएँ बताई है जो इस प्रकार है-

1. उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की निपुणताः- सामुहिक सेवा कार्यकर्ता को समूह के सदस्यों से स्वीकृति प्राप्त करने एवं समूह से सकारात्मक रूप में सम्बन्ध स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए।

2. समूह की परिस्थिति का विश्लेषण करने में निपुणताः- सामूहिक कार्यकर्ता को समूह की आवश्यकता एवं गतिशीलता को जानने के लिए समूह विकास के स्तर को समझने की निपूणता होनी चाहिए। इसके लिए उसे समूह का प्रत्यक्ष अवलोकन कर उसे जानने तथा समझने की निपुणता होनी आवश्यक है।

3. कार्यक्रम के विकास में निपुणताः- सामूहिक कार्यकर्ता में समूह की आवश्यकता को जानने तथा समूह की आवश्यकतानुसार ऐसे कार्यक्रम के विकास करने की निपुणता होनी चाहिए जिसे समूह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए चाहता है।

4. संस्था एवं समुदाय के प्रयोग में निपुणताः कार्यकर्ता को विभिन्न सामुदायिक संसाधनों का पता लगाने एवं उनके विषय में समूह को जानकारी देने में निपुणता होनी चाहिए जिनका उपयोग कार्यक्रम उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

5. समूह की भावनाओं से निपटने में निपुणताः- सामूहिक कार्यकर्ता को समूह को अपनी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता प्रदान करने में निपुणता होनी चाहिए और उसे प्रत्येक नवीन परिस्थिति का अधिक से अधिक विषयनिष्ठता के साथ अध्ययन करना चाहिए।

6. समूह के साथ सहभागिता करने में निपुणताः- सामूहिक कार्यकर्ता सके समूह में भगा लेने, अपने बीच में से नेतृत्व की पहचान करने और अपनी क्रियाओं के बारे में उत्तरदायित्व स्वीकार करने में सहायता देने में अवश्य ही निपुण होना चाहिए।

7. मूल्यांकन की निपुणता÷ सामूहिक कार्यकर्ता को अपने अभिलेखों का उपयोग करने और समूह की प्रगति के लिए उसके अपने अनुभवों की समीक्षा करने में सहायता देने में अवश्य ही निपुण होना चाहिए।

12.3.3 सामूदायिक संगठन

सामूदायिक संगठन का आशय समूदाय की आवश्यकताओं तथा साधनों के मध्य समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान करना है। सामूदायिक संगठन में मुख्य रूप से समूदाय की समस्या का समाधान निम्नलिखित चरणों का प्रयोग कर की जाती है तथा क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान प्रशिक्षु को इन चरणों को गहराई से समझना चाहिए।

1. समस्या का पता लगाना

   (i) समस्या की प्रकृति का अध्ययन करना।

   (ii) समस्या की गहनता की जाँच करना।

   (iii) समस्या के प्रभाव को जानना।

   (iv) समस्या के विद्यमान होने के मूलरूप को जानना।

   (v) समस्या के कारणों का पता लगाना।

   (vi) परिवर्तन लाने की इच्छा का पता लगाना।

   (vii) समस्या से प्रभावित लोगों का अध्ययन करना।

   (viii) समस्या समाधान के लिए किये गये प्रयत्नों को जानना।

   (ix) प्रयत्नों की प्रभावपूर्णता को जानना।

   (x) सफलता या असफलता के कारणों को जानना।

2. समस्या से सम्बन्धित तथ्य एवं आँकड़े एकत्रित करना।

   (i) समुदाय की मनोदशा का अध्ययन करना।

   (ii) समस्या के प्रति समुदाय की मनोवृत्ति को जानना।

3. संरचनात्मक-कार्यात्मक विश्लेषण करना।

   (i) समस्या के उत्पत्ति का अध्ययन करना।

   (ii) समुदाय की उन संरचनात्मक विशेषताओं का पता लगाना जहाँ समस्या विद्यमान है।

(iii) सामाजिक संरचना के महत्त्वपूर्ण तथ्यों को जानना।

4. लाभार्थी के विषय में सूचना एकत्रित करना

(i) समुदाय की जनसंख्या के किस वर्ग को लाभ मिलना चाहिए, इसका अध्ययन करना।

(ii) समुदाय की भौतिक दशाओं को जानना।

(iii) लाभार्थी द्वारा योजना स्वीकार करने के स्तर का पता करना।

(iv) योजना स्वीकार किए जाने में बाधाओं का पता लगाना।

5. कार्य योजना तैयार करनाः-

(i) विभिन्न कार्य योजना पर विचार करना।

(ii) लागत, प्रयास, परिणाम, स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में चलाये जाने वाले कार्यक्रम का विश्लेषण करना।

(iii) सबसे उत्तम कार्यक्रम का चयन करना।

6. रणनीति निर्धारण करना

(i) सफलता के लिए आवश्यक प्रयासों के स्तर को जानना।

(ii) क्रियाकलापों की प्रकृति को जानना।

(iii) कम से कम कार्य किये जाने की आवश्यकता जानना।

(iv) कार्य व्यवस्था, वैयक्तिक चेतना, नियोजन, निपुणताओं का विकास, प्रशासनिक दक्षताओं में वृद्धि आदि का निर्धारण करना।

7. समुदाय को कार्यक्रम से जोड़ना

(i) आवश्यकता के विश्लेषण का स्तर ज्ञात करना।

(ii) क्रियाओं की प्रकृति को जानना।

(iii) रणनीति का निर्धारण करना।

(iv) योजना तैयार करना।

(v) कार्यक्रम का आयोजन और प्रबन्धन करना।

8. कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन

(i) प्रयासों की प्रभावपूर्णता को ज्ञात करना।

(ii) समस्या समाधान की रणनीति की सफलता का अध्ययन करना।

(iii) प्रयासों की कमियों का पता लगाना।

(iv) नयी रणनीति तैयार करना।

समुदाय के साथ क्षेत्रीय कार्य के दौरान प्रशिक्षु को निम्न निपुणताओं को सीखना चाहिए-

1. समुदाय से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की निपुणता।
2. समस्याओं को समझने, उनके कारणों को ज्ञात करने तथा समस्या की गहनता को जानने की निपुणता।
3. समुदाय में रूचि कम या समाप्त होने के प्रति संवेदनशीलता।
4. समस्या समाधान संबंधी योजना को आरम्भ करने की उचित स्थिति के प्रति सुझबुझ।
5. व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान की निपुणता।
6. सामुदायिक समस्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की निपुणता।
7. सम्पुर्ण जन-समुदाय को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करने की निपुणता।
8. समुदाय के विकास के लक्ष्य निर्धारित करने तथ्ज्ञा उन्हें पुरा करने की निपुणता।
9. समुदाय में उपलब्ध सार्वजनिक एवं गैर सरकारी संसाधनों, कार्यक्रमों, सुविधाओं का पता लगाना तथा उनका उपयोग समुदाय के विकास में करने की निपुणता।
10. समुदाय के विचारों में एकरूपता तथा सामंजस्य बनाये रखने की निपुणता।
11. सामान्य उद्देश्य के लिए सामूहिक चिन्तन विकसित करने व प्रयोग करने में निपुणता।

12.3.4 समाज कल्याण प्रशासन

समाज कल्याण प्रशासन से आशय सामाजिक नीति को समाज सेवाओं में बदलने की एक प्रक्रिया है। समाज कल्याण प्रशासन में वे सभी क्रियाएँ आती है जो किसी संस्था के कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप देने में सहायता करती है। समाज कल्याण प्रशासन के द्वारा मुख्य रूप से समाज के कमजोर, पीडित एवं शोषित व्यक्तियों जैसे महिलाएँ, बच्चे, वृद्ध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग इत्यादि की सहायता की जाती है। समाज कल्याण प्रशासक इन कल्याणकारी वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रम व योजनाओं का निर्माण करता है तथा इन

कार्यक्रमों की जानकारी समाज के कमजोर वर्गों को दी जाती है ताकि वे इन कार्यक्रमों के द्वारा लाभ प्राप्त कर सके।

समाज कल्याण प्रशासन की प्रक्रिया में निम्न चरणों का प्रयोग किया जाता है-

i. नियोजन करना **(Planning):-**. नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, इसका प्रमुख कार्य उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होता है। इसके पश्चात् लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तरीकों एवं साधनों की व्यवस्था की जाती है जिनके द्वारा नीति को प्राप्त किया जाता है।

ii संगठन **(Organising):-** संस्था के कायों के सम्पादन संगठन पर ही निर्भर होता है। संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संगठन की रूपरेखा तैरूार की जाती है।

iii कर्मचारियों का चयन **(Staffing):-** संस्था के कार्यों के सम्पादन के लिए कुशल कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। कार्यकर्ताओं की भांति, चयन, नियुक्ति, प्रोन्नति इत्यादि कार्य इस चरण में किये जाते हैं।

iv निर्देशन **(Directing):-**. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशन देना आवश्यक है। निर्देशन के द्वारा कार्यकर्ताओं को समुचित दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

v समन्वयक **(Coordination):-**. संस्था में समन्वय उद्देश्यों एवं क्रियाओं में एकरूपता लाने तथा किये जाने वाले कार्यों में एकता लाने के लिए किये जाते हैं।

vi प्रतिवेदन**(Reporting):-** प्रतिवेदन के द्वारा संस्था के कार्यों को प्रस्तुत किया जाता है इसमें एक निश्चित अवधि में किये गये कार्यों का सारांश लिखा जाता है और एक निश्चित अवधि के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

vii बजट **(Budgeting):-** प्रशासक द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक बजट तैयार करना तथा उसे अनुमोदित करना होता है। बजट संस्था के आय व्यय का कथन होता है।

क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान समाज कल्याण प्रशासन में सीखने योग्य निपुणताएँ निम्नलिखित है-

समाज कल्याण प्रशासन के लिए निम्नलिखित निपुणताएँ आवश्यक है:-

1. कर्मचारियों एवं नीति निर्धारकों से उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध बनाने की निपुणता।
2. योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों के चयन करने में निपुणता।

3. संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न करने की निपुणता।

4. कर्मचारियों को समझने एवं उनका सहयोग करने की निपुणता।

5. कार्यक्रम की योजना तैयार करना और उसे क्रियान्वित करने की निपुणता।

6. कर्मचारियों की समस्याओं को समझने तथा उन्हें सुलझाने की निपुणता।

7. कार्यक्रम के नियोजन, विकास एवं मुल्यांकन में निपुणता।

8. धन संग्रह एवं सहायता लिखने में निपुणता।

9. सार्वजनिक एवं सामाजिक नीति के विश्लेषण, निगरानी एवं मुल्यांकन में निपुणता।

10. संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों में समन्वय करना।

12.3.5 समाज समाज कार्य शोध

समाज कार्य शोध एक ऐसी खोज है जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए ऐसे उपायों या समाधानों की खोज की जाती है जिससे समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावपूर्ण रूप से किया जा सके। शोध अध्ययन करने के लिए विभिन्न चरणों का उपयोग किया जाता है। क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान प्रशिक्षु से आशा की जाती है कि वह इन चरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करे।

1. समस्या का चयनः- इस चरण में शोधकर्ता शोध अध्ययन के लिए एक समस्या का चयन करता है।

2. समस्या और क्षेत्र का परिसीमनः- शोधकर्ता द्वारा समस्या के चयन करने के पश्चात् समस्या को सुपरिभाषित करना चाहिए तथा शोध अध्ययन जिस क्षेत्र में किया जाएगा उसे भी स्पष्ट करना चाहिए।

3. उपलब्ध सामग्री का प्रारम्भिक अध्यनः- शोध के तीसरे चरण में शोधकर्ता को समस्या, विषय और क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसी प्रत्येक समाग्री का अध्ययन करना लाभकारी होता है जो उससे सम्बन्धित हो और जिसे सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।

4. उपकल्पना का निर्माणः- उपकल्पना एक विचार होता है जिसे शोध अध्ययन करने के प्रारम्भ में बनाया जाता है तथा शोध करने के पश्चात् उस विचार का परिक्षण कर जाँच की जाती है। अतः शोधकर्ता भी उपकल्पना का निर्माण इस चरण में करता है।

5. अध्ययन की योजना का निर्माणः- शोध अध्ययन की योजना निर्माझा के लिए अध्ययन से संबंधित पुस्तकों की सूची तैयार करना, आवश्यक शोध उपकरण तथा अध्ययन के आंकड़ों के संग्रह की उपयुक्त विधि आदि के विषय में निर्णय लेने का कार्य किया जाता है।

6. सूचना के स्त्रोतों का निर्धारणः- इस स्तर पर अध्ययन का समग्र, प्रतिदर्शन तथा प्रतिदश्रन विधि एवं प्रतिदश्रन के आकार आदि का निर्धारण किया जाता है।

7. प्रामाणिक एवं प्रासंगिक शोध उपकरणों का निर्माणः- इस चरण में अध्ययन के लिए विभिन्न उपकरण जैसेः- चेकलिस्ट, प्रश्नावली, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, परीक्षण, प्रक्षेपण, प्रविधि इत्यादि का आवश्यकतानुसार विकास किया जाता है।

8. तथ्यों का संकलनः- विभिन्न उपकरणों में से आवश्यक उपकरणों के निर्माण के पश्चात् इनकी सहायता से शोध के विभिन्न स्त्रोतों से आवश्यक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है।

9. संग्रहित सामग्री का सम्पादनः- इस चरण में तथ्यों द्वारा एकत्रित की गयी सुचना सम्पादन किया जाता है तथा एकत्रित की गयी निरर्थक सामग्री को निकाल दिया जाता है।

10. वर्गीकरण, संकेतीकरण तथा सारिणीकरणः- एकत्रित की गई सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात् इसे विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार इन श्रेणियों को संकेत भी निर्धारित किए जा सकते हैं इसके पश्चात् सारिणियों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वे अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति में उपयोगी हो सके।

11. तथ्यों का विश्लेषण तथा निर्वचनः- सारणीबद्ध तथ्यों को विश्लेषित किया जाता है और विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को अन्य अध्ययन से प्राप्त परिणामों के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है।

12. प्रतिवेदन तैयार करनाः- उपरोक्त चरणों में दिये गये कार्यों को शोध उपभोक्ताओं के सामने प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

क्षेत्रीय कार्य अभ्यास के दौरान समाज कार्य शोध में सीखने योग्य आवश्यक निपुणताएँ

1. शोध की विधियों एवं अनुसन्धान के वैज्ञानिक तरीकों के ज्ञान में निपुणता।
2. शोध समस्या को समझने और विस्तृत ज्ञान में निपुणता।
3. शोध अध्ययन के क्षेत्र में रहने वाले लोगों से सम्बन्ध स्थापित करने में निपुणता।
4. शोध के लिए अनुसन्धान प्ररचना निर्माण में निपुणता।
5. साक्षात्कार एवं अवलोकन करने में निपुणता।
6. तथ्यों को संकलित करने तथा वर्गीकरण करने में निपुणता।
7. शोध के नियोजन, विश्लेषण करने में निपुणर्ता
8. शोध अध्ययन को करने के पश्चात् सम्पुर्ण शोध कार्य के लेखन तथा प्रतिवेदन तैयार करने में निपुणता।

12.3.6 सामाजिक क्रिया

सामाजिक क्रिया सामाजिक पर्यावरण में परिवर्तन के लिए किये गये प्रयत्नों को कहते हैं जिनसे जीवन अधिक संतोषप्रद हो सके। इसका उद्देश्य व्यक्ति को प्रभावित न करके सामाजिक संस्थाओं, कानूनों, प्रथाओं तथा समुदायों को प्रभवित करना है।

सामाजिक क्रिया में समस्या से प्रभावित लोगों को समस्या के सम्बन्ध में बताकर या जागरूक कर बड़े स्तर पर उनके द्वारा क्रिया या आंदोलन किया जाता है तथा सरकार एवं अन्य संस्थाओं का ध्यान उस समस्या के प्रति आकर्षित करवाया जाता है ताकि सरकार समस्या से प्रभावित लोगों की सहायता कर सके।

सामाजिक क्रिया में प्रशिक्षु के द्वारा सीखने योग्य निपुणताएँ

1. सामाजिक क्रिया के प्रति रूचि।
2. समस्या समाधान के दौरान समुदाय के निकट रहकर ही समस्याओं की समीक्षा करनी चाहिए।
3. समस्या निवारण के लिए व्यक्तिगत, सामुहिक व सामुदायिक जीवन की गतिकी के ज्ञान में निपुणता।
4. सामाजिक पर्यवेक्षण, विश्लेषण तथा नियोजन संबंधी ज्ञान में निपुणता।
5. सामाजिक समस्या को समझने, विश्लेषण तथा मुल्यांकन के ज्ञान में निपुणता।
6. समुदाय से संबंध स्थापित करने में निपुणता।
7. समुदाय को समस्या से जागरूक करने एवं सामाजिक क्रिया में भाग लेने के लिए तैयार करने में निपुणता।
8. समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति से अच्छा सम्पर्क करने में निपुणता।

12.4 सारांश

समाज कार्य एक व्यवसायिक कार्य है जिसमें जरूरतमंद, समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता वैज्ञानिक ज्ञान एवं विधियों के द्वारा की जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता समाज कार्य की प्रविधियाँ जैसे वैयक्तिक सेवा कार्य, सामाजिक सामूहिक कार्य, सामुदायिक संगठन, समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक शोध सामाजिक क्रिया आदि के द्वारा करता है लेकिन इन प्रत्येक प्रविधियों के द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करने के लिए कुछ आवश्यक निपुणताओं की भी आवश्यकता होती है। समाज कार्य शिक्षण के दौरान क्षेत्रीय कार्य अभ्यास में प्रशिक्षु विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वह विभिन्न संस्थाओं के साथ काम करते हुए इन निपुणताओं को सीखे।

12.5 शब्दावली

- प्रणाली - विधि, तरिका
- निपुणता - दक्षता

12.6 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सामाजिक कार्य की प्रविधियाँ कौन-कौनसी है लिखिए।
2. सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य में प्रयुक्त निपुणताओं को समझाइये।
3. सामाजिक सामुहिक कार्य के लिए आवश्यक निपुणताओं को विस्तृत में समझाइये।
4. सामुदायिक संगइन प्रविधि के लिए आवश्यक निपुणतायें कौन-कौनसी है समझाइये।
5. समाज कार्य के अप्रत्यक्ष प्रविधियों के लिए आवश्यक निपुणताओं को स्पष्ट कीजिए।

12.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

- मिश्र, पी.डी., सिंह सुरेन्द्र (2004) समाज कार्य इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियाँ, न्यू रा ॅयल बुक कम्पनी, पृ.सं.215, 237, 261
- अहमद मिर्जा रफीउद्दीन, समाज कार्य-दर्शन एवं प्रणालियाँ, 2004, रैपिड बुक सर्विस, पृ.सं.120
- शास्त्री इनाम 'व्यवसायिक समाज कार्य' 1990 गुलसी सोशल पब्लिकेशन, पृ.सं.414
- पाण्डेय ओजरकर, तेजस्कर (समाजकार्य) 2001, भारत प्रकाशन, पृ.सं.93
- वर्मा, आ.बी.एस., सिंह सुरेन्द्र 'भारत में समाज कार्य का क्षेत्र' 2012, न्यू रा ॅयल बुक कम्पनी, पृ.सं.19